लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र
Third Session]

Preservation Unit
Fumigated
On 18-9-92
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 7 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. VII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय सूची/CONTENTS

खंड 3, बुधवार, 16 नवम्बर, 1977/25 कार्तिक 1899 (शक)
No. 3, Wednesday, November 16, 1977/Kartika 25, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	2—16
तारांकित प्रश्न संख्या 41 और 43 से 46	Starred Questions Nos. 41 and 43 to 46	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	17—143
तारांकित प्रश्न संख्या 47 से 52 और 54 से 60	Starred Questions Nos. 47 to 52 and 54 to 60	
अतारांकित प्रश्न संख्या 401 से 426, 428 से 438, 440 से 473 और 475 से 600	Unstarred Questions Nos. 401 to 426, 428 to 438, 440 to 473 and 475 to 600	
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में—	Re. Question of Privilege	143
चीनी पर उत्पाद शुल्क में कमी करने के बारे म वक्तव्य	Statement Re. Reduction in Basic Excise Duty on Sugar	143
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	
केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त महंगाई भत्ते की किस्त मंजूर करने के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Grant of an Additional Instalment of Dearness Allowance to Central Government Employees	143—144
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	
स्थगन प्रस्ताव के बारे	Re. Motion for adjournment	144
गांधी स्मृति के श्री दामोदरन नायर पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा कथित हमला	Reported assault by RSS workers on Shri Damodaran Nair, at Gandhi Smriti	
श्रीमती इंदिरा गांधी तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege against Shrimati Indira Gandhi and others	145—151
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	151—154
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	155
बेतवा नदी बोर्ड (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Betwa River Board (Amendment) Bill as passed by Rajya Sabha	155
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to matter of urgent public importance	155—161
तमिलनाडु और पांडिचेरी के हाल के समुद्री तूफान से फसलों तथा सम्पत्ति को हुई क्षति	Damage of crops and property caused by recent cyclone in Tamil Nadu and Pondicherry	
श्री पी० राजगोपाल नायडु	Shri P. Rajagopal Naidu	
श्री भानु प्रताप सिंह	Shri Bhanu Pratap Singh	
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa	
श्री एम० कल्यासुन्दरम्	Shri M. Kalyanasundaram	
श्री जी० एम० बनतवाला	Shri G. M. Banatwala	
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	161
छठा प्रतिवेदन	Sixth Report	161
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति छठा प्रतिवेदन	Sixth Report Committee on Private Members Bill & Resolution	161
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	161
11वां प्रतिवेदन	Eleventh Report	
समिति के लिए चुनाव	Election to Committee	161—162
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	
नियम 377 के अधीन मामले	Matters under rule 337	162—164
(एक) पंजाब में राजनैतिक पार्टियों के कार्यालयों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा हाल में मारे गये छापे	(i) Recent CBI Raids on office af Political parties in Punjab	
(दो) अमरीकी ठेकेदारों द्वारा बम्बई हाई क्षेत्र में एक भारतीय फर्म को दिया गया ड्रेजिंग सब कन्ट्रैक्ट	(ii) Dredging sub-contract in Bombay High Court to an Indian Firm by American Contractors.	
अन्तर्देशीय वाष्प जलयान (संशोधन) विधेयक	Inland steam-vessels (Amendment) Bill	164—172
श्री चांद राम	Shri Chand Ram	164
श्री बी०पी० कदम	Shri B. P. Kadam	165
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	166

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री लखन लाल कपूर	Shri L. L. Kapoor	166
श्री बेदब्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	167
श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव	Shri Gyaneshwar Prasad Yadav	167
श्री प्रसन्न भाई मेहता	Shri Prasannbhai Mehta	168
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy	168
श्री पूर्ण सिन्हा	Shri Purna Sinha	169
खण्ड 2 से 34 और 1	Clauses 2 to 34 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	
श्री चांद राम	Shri Chand Ram	171
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के बीसवें, इक्कीसवें और बाइसवें प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Twentieth, Twenty-first and Twenty-second Reports of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	
तथा	and	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में आरक्षित किये गये पदों पर उनकी नियुक्ति के बारे में चर्चा	Discussion on Employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Services against Reserved Quota	172—174
श्री टी० बालकृष्णैया	Shri T. Balakrishniah	172
श्री कचरूमल हेमराज जैन	Shri Kacharulal Hemraj Jain	174

लोक सभा
LOK SABHA

बुधवार, 16 नवम्बर, 1977/25 कार्तिक, 1899 (शक)
Wednesday, November 16, 1977/Kartika 25, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
Obituary Reference

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को श्री गेंदा सिंह के निधन के सम्बन्ध में सूचित करता हूं। श्री गेंदा सिंह वर्ष 1971–77 के दौरान पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे। वह उत्तर प्रदेश के पडरौना निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। इससे पूर्व वर्ष 1952-71 के दौरान वह उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य थे और 1954 से 1957 तक वह राज्य विधान सभा में विरोधी पक्ष के नेता थे। वह 1965 से 1967 तक उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि और पशुपालन मंत्री रहे और 1967 में लोक कार्य और खाद्य मंत्री तथा 1970 में सूचना मंत्री थे।

श्री गेंदा सिंह स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कई बार जेल गये। जीवन भर उन्होंने गन्ना उत्पादकों के हितों के लिये संघर्ष किया तथा उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग की। वह लोक सभा की कार्यवाही में सक्रिय भाग लेते थे।

उनका निधन 70 वर्ष की आयु में 15 नवम्बर, 1977 को लखनऊ में हुआ।

हम अपने मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और संतप्त परिवार को अपनी संवेदनाएं भेजते हैं।

तत्पश्चात् सदस्य दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े हुए।

The House then stood in silence for a short while.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

फरक्का में सुपर ताप संयंत्र की स्थापना

*41. **श्री शशांक शेखर सान्याल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय ने गत सत्र के दौरान बजट संबंधी मांगों पर वाद विवाद के दौरान अपने उत्तर में, तथा आकाशवाणी से अपने प्रसारण में यह आश्वासन दिया था कि फरक्का में एक सुपर ताप संयंत्र स्थापित किया जायेगा और यह कि उसे 'सर्वोच्च प्राथमिकता' दी जायगी; और

(ख) यदि हां, तो इस समय इस मामले की स्थिति क्या है ?

ऊर्जा मंत्री श्री पी० रामचन्द्रन : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) यह कहा गया था कि सुपर ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा चुने गये पांच स्थलों में एक स्थल फरक्का है और परियोजना संबंधी अनुसंधान को पूरा करने के लिए प्राथमिकता दी जा रही थी ताकि आवश्यक स्वीकृति के बाद इसे हाथ में लिया जा सके।

(ख) परियोजना के संबंध में विस्तृत अन्वेषण राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि० के द्वारा हाथ में लिए गए हैं और ये प्रगति पर हैं। वैकल्पिक स्थलों के विस्तृत तकनीकों आर्थिक मूल्यांकन के बाद केन्द्र की स्थापना के लिए स्थल का चयन कर लिया गया है तथा भूमि अधिग्रहण के बारे में कार्यवाही करने के लिए आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है। परियोजना के लिए कोयले का लिंक राजमहल कोयला खानों से बनाने तथा कोयले के परिवहन के लिए अन्वेषण चल रहे हैं। जैसे ही ये अन्वेषण पूरे हो जाते हैं और कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाती है वैसे ही विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जाएगी तथा निवेश संबंधी निर्णय के हेतु कार्यवाही की जाएगी। परियोजना के लिए पूर्व-मूल्यांकन सूचना आगामी वर्ष के आरंभ में विश्व बैंक को प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

श्री शशांक शेखर सान्याल : उत्तर में दिया गया विवरण उत्साहजनक और निराशाजनक है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सुपर थर्मल पावर स्टेशन के मामले में फरक्का को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है यह केवल पांच स्टेशनों में से एक है ?

श्री पी० रामचन्द्रन : जहां तक फरक्का बैराज थर्मल स्टेशन का सम्बन्ध है, यह उन पांच स्टेशनों में से एक है जिनपर एक साथ काम शुरू किया जायेगा। जहां तक फरक्का स्टेशन का सम्बन्ध है, कोयले की सप्लाई आदि सम्बन्धी व्यावहारिकता अध्ययन पूरा हो चुका है। योजना की स्वीकृति के लिये इसे सर्वप्रथम लिया जायेगा। हमारी यह भी योजना है कि इस परियोजना पर विचार करने के लिये विश्व बैंक के पास भेजा जाये।

श्री शशांक शेखर सान्याल : क्या आप मुझे दिये गये आश्वासन से हट रहे हैं।

श्री पी० रामचन्द्रन : जी नहीं।

श्री शशांक शेखर सान्याल : आप को मालूम है कि फरक्का बैराज कम्पलैक्स के निर्माण के समय ठेकेदार जैसप एण्ड कम्पनी ने काफी भूमि अर्जित की थी और वह भूमि खाली पड़ी हुई है। उन्होंने सरकार

को किराया भी नहीं दिया, परन्तु यह एक दूसरा मामला है। स्थल के चुनाव के मामले में क्या सरकार नदी के किनारों से लगी उस भूमि का उपयोग करने की व्यावहारिकता पर विचार करेगी ताकि फिर से नई हरी भूमि अर्जित न की जाये ?

श्री पी० रामचन्द्रन : स्थल का चुनाव पहले से हो चुका है और भूमि के अर्जन और अन्य चीजों के बारे में अभी काम किया जाना है। यदि यह भूमि उस परिसर में आती है तो निश्चय ही हम इसका उपयोग करेंगे, इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं है।

श्री चित्त बसु : माननीय मंत्री के उत्तर से प्रतीत होता है कि, समूची परियोजना की पांच चरणीय जांच की जायेगी, नामतः भूमि अर्जन सम्बन्धी कार्यवाही, कोयले की उपलब्धता और राजमहल कोयला खान से इसका परिवहन, विस्तृत व्यावहारिकता प्रतिवेदन, निवेश सम्बन्धी निर्णय लेना और अन्त में विश्व बैंक से स्वीकृति लेना। मैं जानना चाहता हूं कि क्या जांच के इन चरणों को कम करना सम्भव है ताकि सम्पूर्ण प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जा सके क्योंकि प्रस्तावित थर्मल प्लांट अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इस प्लांट से उत्तरी बंगाल के जिलों तथा दक्षिणी बंगाल के कुछ जिलों, जहां पर बिजली की कमी है और जिसके कारण पश्चिम बंगाल राज्य आर्थिक स्थिरता को समाप्त नहीं कर पाया है, को बिजली सप्लाई की जायेगी ?

श्री पी० रामचन्द्रन : पूर्वी क्षेत्र में बिजली की खराब स्थिति के कारण ही हम इस परियोजना को यथाशीघ्र आरम्भ कर रहे हैं। वास्तव में हमारा कार्यक्रम यह है कि शुरु में इसे विश्व बैंक के पास भेजा जायेगा और इस सम्बन्ध में स्वीकृति ली जायेगी। दो या तीन महीने की बात और है। अन्य तैयारी की जा चुकी है। अतः जो प्राथमिकता इसे मिलनी चाहिये वह दी जा रही है।

श्री के० मालन्ना : देश में थर्मल प्लांट सन्तोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। वे ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इनमें कुशलता बढ़ाने के लिये कौन से कदम उठाये जा रहे हैं और यदि यह तकनीकी जानकारी के अभाव के कारण है तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या वह विकसित देशों से तकनीकी जानकारी मांग रहे हैं ?

श्री पी० रामचन्द्रन : जहां तक देश में थर्मल स्टेशनों का कुशलता पूर्वक चलने का सम्बन्ध है, हमारे मंत्रालय ने विभिन्न विद्युत बोर्डों के साथ मामले पर चर्चा की है। स्थिति सुधारने के लिये विभिन्न स्टेशनों पर बहु अनुशासन दल भेजा गया है। इसके अलावा पश्चिमी जर्मनी से इंजीनियरों की एक टीम आई है और उन्हें विभिन्न स्टेशनों पर भेजा जा रहा है। हमारे इंजीनियरों को भी पश्चिमी जर्मनी में प्रशिक्षण के लिये भेजा जा रहा है। ये सब कदम यह सुनिश्चित करने के लिये उठाये जा रहे हैं कि वर्तमान स्टेशनों से अधिक बिजली पैदा की जा सके।

श्री त्रिदिब चौधरी : वक्तव्य में बताया गया है कि राजमहल कोयला खानों से परियोजना के लिये कोयले का लिंक बनाने और कोयले के परिवहन के लिये अन्वेषण चल रहा है। मेरे विचार में राजमहल कोयला खान इतनी अधिक विकसित नहीं हैं, यद्यपि फरक्का के काफी समीप है। यदि यह लिंक पर्याप्त रूप से विकसित नहीं होता तो क्या रानीगंज और अन्य कोयला क्षेत्रों से कोयला लाने के लिये व्यवस्था की जायेगी ?

श्री पी० रामचन्द्रन : अनुमानित भण्डार फरक्का परियोजना के लिये पर्याप्त हैं। इसके साथ साथ राजमहल कोयला खानों में कोयला निकाला जाना शुरू हो जायेगा। फरक्का मे योजना के पूरे होने तक पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध हो जायेगा।

SHRI YAMUNA PRASAD SHASTRI : He has just now said that five super thermal power stations are being set up in the country. Largest coal deposits of the world have been located in Singraulli in Madhya Pradesh but unfortunately the previous government have prepared a plan to set up a super thermal power station at Korba by transporting coal from Singraulli to Uttar Pradesh. May I know whether Government have any scheme to set up a super thermal power station there keeping in view the huge coal deposits there ?

श्री पी० रामचन्द्रन : सिंगरौली में भी एक सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। वास्तव में इसकी स्वीकृति दी गई है। उस क्षेत्र में काम चल रहा है।

SHRI YUVRAJ : May I know whether Government are aware that the progress made in the detailed investigations of the project by the National Thermal Power Corporation Ltd. is not what they wanted and for this very reason there is extraordinary delay in execution of priority laid down for Farakka ?

श्री पी० रामचन्द्रन : इसमें बिल्कुल विलम्ब नहीं हो रहा है। दरअसल, छः सुपर थर्मल पावर स्टेशनों को प्राथमिकता निर्धारित की गई थी। परन्तु इस सरकार के सत्तारूढ़ होते ही हमने विभिन्न क्षेत्रों में सभी सुपर पावर स्टेशनों को एक साथ स्थापित करने का निर्णय लिया है। फरक्का परियोजना पर कार्य शीघ्र हो रहा है।

SHRI YUVRAJ : What is the estimated cost of this project ? How much fund will be asked for from the world Bank ? What will be the total expenditure on this project ?

श्री पी० रामचन्द्रन : अनुमानित व्यय लगभग 700 से 800 करोड़ रुपये होगा।

डा० सरदीश राय : केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिये यह परियोजना कब से पड़ी है और केन्द्र में जनता पार्टी के सतारूढ़ होने के बाद इस में क्या प्रगति हुई है ?

श्री पी० रामचन्द्रन : इस सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद हमने इस दिशा में बहुत काम किया है और इसी कारण दिसम्बर के अन्त तक समूचा तकनीकी-एवं-आर्थिक व्यावहारिकता सर्वेक्षण पूरा हो जायेगा और जनवरी/फरवरी, 1978 तक इसे विश्व बैंक के पास भेज दिया जायेगा।

श्री के० लकप्पा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

श्री के० लकप्पा : यह प्रश्न की ग्राहीयता के बारे में है। इस प्रश्न की विषय वस्तु अर्थात् तमिलनाडु फर्म द्वारा "इण्डस टू इन्दिरा गान्धी" फिल्म निर्माण शाह आयोग के पास जांच के लिये है। प्रश्न का भाग (ख) इस प्रकार है :

"क्या समिति ने यह निर्णय भूतपूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री शुक्ल) के कहने पर लिया और दूरदर्शन के निदेशक ने मामले में पहल की।"

सारा मामला शाह आयोग के समक्ष है। यदि इस प्रश्न का उत्तर यहां दिया जाता है तो शाह आयोग द्वारा की जा रही जांच को यह प्रभावित करेगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सारा मामला शाह आयोग के समक्ष है और शाह आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया काफी विस्तृत है, मेरा यह

निवेदन है कि इस प्रश्न को रोक लिया जाये और इसका उत्तर शाह आयोग द्वारा अपना निर्णय दिये जाने तक स्थगित किया जाये। यह मुद्दा मामले से काफी अधिक सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठता।

PRODUCTION OF FILM "INDUS TO INDIRA GANDHI" BY A TAMIL NADU FIRM

*43. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5072 on the 27th July, 1977 regarding production of film "Indus to Indira Gandhi" by a Tamil Nadu firm and state :

(a) the names of the members of the committee constituted to have the film "Indus to Indira Gandhi" filmed by M/s. Krishnaswamy Associates;

(b) whether the committee took this decision at the instance of former Information and Broadcasting Minister (Shri Shukla) and the Director General of Doordarshan took initiative in the matter.

(c) whether the Director General, Doordarshan had opposed the proposal or had given his consent;

(d) the date on which final payment was made to M/s. Krishnaswamy Associates and whether payment of outstanding amount was made even after the 20th March; and

(e) the action proposed to be taken by Government in this case as also the action proposed to be taken against the officers responsible therefor ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) to (e) In January 1976 M/s. Krishnaswamy Associates of Madras offered to the Ministry of I&B the TV rights of their film "Indus Valley to Indira Gandhi". After detailed examination of the offer, the then Minister of Information and Broadcasting approved the purchase of TV rights and also the setting up of a committee consisting of the following to recommend the amount to be paid to the Producer :—

(1) Shri C. B. Jain, then JC (Broadcasting)
(2) Shri G. Jayaraman, JS (Finance)
(3) Shri P. V. Krishnamoorthy, DG, Doordarshan.
(4) Shri L. Dayal, then JS (Information).

The committee, after detailed discussions among themselves as also with the Producer, unanimously recommended a payment of Rs. 11.90 lakhs for the TV rights of the film for a period of 50 years. This recommendation was approved by the then Finance Minister in December, 1976. The full and final payment of the amount was made to the Producer on 14-1-1977. Subsequently, in view of the changed circumstances, the Producer agreed to change the title of the film to "Where Centuries Co-exist" and also to revise the last reel free of charge so as to make it in tune with the present situation. The file relating to this matter is now under consideration of the Shah Commission whose findings are awaited.

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : यह सारा मामला शाह आयोग के समक्ष है। क्या इस समूचे मामले पर चर्चा करना सभा के लिये मामले पर मंत्री द्वारा उत्तर देना अपनी राय व्यक्त करना उचित है, जबकि सारा मामला शाह आयोग के समक्ष है ? यह शाह आयोग द्वारा की जा रही जांच को प्रभावित करेगा अत: जांच के हित में हम इस प्रश्न पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं चाहते। मैं इस मुद्दे पर आपका निर्णय चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न से व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठता। सभा में इस प्रश्न पर वाद-विवाद नहीं किया जा रहा। केवल इस मामले के बारे में कुछ जानकारी लिये जाने की मांग की जा रही है। मंत्री महोदय ने स्वयं कहा है कि वह कोई निर्णयक राय नहीं देंगे क्योंकि मामला शाह कमीशन आयोग के समक्ष है। वह केवल सभा के समक्ष कुछ जानकारी रख रहे हैं जो कोई भी व्यक्ति शाह आयोग के सामने रख सकता है और जिसे किसी भी व्यक्ति को जानने का अधिकार है।

SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : May I know whether all the members of the said committee were subordinate employees of the Ministry and were working under the former Minister of Information and Broadcasting ? Whether the hon. Minister has himself verified that they acted according to his wishes ? What opinion was given by the present Director General of T.V., who was also a Member of that Committee, about the cost at which it may be purchased ?

अध्यक्ष महोदय : श्री अडवानी, उन प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व कृपया आप निष्कर्ष न बतायें; आप जानकारी दें, कोई निर्णय नहीं क्यों मामला शाह आयोग के समक्ष है।

श्री लाल कृष्ण अडवानी : दूरदर्शन के महानिदेशक ने क्या राय दी, इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि वह समिति के एक सदस्य थे और समिति की सिफारिश सर्वसम्मत थी। ये तथ्य हैं जो मैंने बताये हैं।

SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : I had raised this matter in my speech also. I want to know whether the hon. Minister is is aware that T.V. Films are generally of 16 M.M. whereas this coloured film was made in 35 M.M.

This film did not prove a success in picture houses so it was shown on T.V. through the good office of the Station Director, Madras who is a friend of the producer of this film. May I know if any enquiry has been conducted in this regard as well as in regard to the payment of Rs. 12 lakhs for T.V. rights of the film for a period of 50 years.

SHRI L. K. ADVANI : All the findings of the enquiries made in regard to this film are recorded in chapter 9 of the white paper and no body raised any question in this connection. If any further enquiry is called for it will be done after the ruling of the Shah Commission as the file is with the Shah Commission.

डा० वसंत कुमार पण्डित : इस फिल्म पर कितनी लागत आयी और क्या इस फिल्म को दूरदर्शन के लिए खरीदने हेतु 12 लाख रुपये इस सम्बन्ध में निर्धारित सिद्धान्त के आधार पर दिये गये ?

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : मैं प्रश्न के अन्तिम भाग का उत्तर दे सकता हूं क्योंकि उसका शाह आयोग की जांच से कोई सम्बन्ध नहीं। यह फिल्म फीचर फिल्म नहीं है बल्कि चार घंटे तक चलने वाला एक लम्बा वृत्त चित्र है। सरकार द्वारा इसे खरीदने के लिए कहे जाने पर लागत सम्बन्धी समिति ने इस पर विचार किया। लागत समिति ने स्वयं इसे खरीदने का निर्णय लिया था। समिति ने तो केवल लागत सम्बन्धी निर्णय लिया था और उसने 11 लाख 19000 हजार रु ये कीमत दूरदर्शन के लिए नियत की।

SHRI KANWAR LAL GUPTA : May I know the number of documentaries produced during the emergency which were propaganda of Indira Gandhi, Sanjay Gandhi or the Congress Party ? Has he given any instructions to produce propaganda films in future ?

SHRI L. K. ADVANI : It is the policy of the present Government not to produce propaganda films to boost personality cult. The name of the film is not the true index

and Shrimati Gandhi's reference comes only for 2 minutes. It can be shown if the hon. Members so desire.

श्री समर गुह : इस फिल्म के बारे में कुछ आपत्तियां उठायी गई हैं और जिन व्यक्तियों ने देश में सारी गड़बड़ की उनका इस से सम्बन्ध है, इसलिए क्या इसके प्रदर्शन पर रोक लगाने के निदेश दिये गये हैं ।

श्री श्यामानन्दन मिश्र : इस फिल्म के नाम में तो अलंकार है । क्या आप को इस पर कोई आपत्ति है ?

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : जनवरी, 1977 के बाद इस फिल्म को नहीं दिखाया गया है ।

श्री समर गुह मेरा प्रश्न था कि क्या इसके प्रदर्शन पर रोक के लिए निदेश दिये गये हैं ?

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : इस समय यह नहीं दिखाई जा रही है । यह दूरदर्शन पर एक बार दिखाई गयी थी । स्वयं: निर्माता ने परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ इस फिल्म में कुछ परिवर्तन कर दिये हैं ।

SHRI MOHAMMED SHAFI QURESHI : In view of the fact that reference of Shrimati Gandhi has been made for only two minutes, it seems the whole objection is about the name. If this film is passed by the Shah Commission, will the hon. Minister change its name to "Indus Valley to Morarji Desai."

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को इसका जवाब देना आवश्यक नहीं ।

SHRI UGRAHEN : The people of the country have objection to Shrimati Gandhi's reference which has been made only for a short time. Will the hon. Minister arrange its exhibition after changes and renaming the film ?

अध्यक्ष महोदय : इसका भी प्रश्न से सम्बन्ध नहीं ।

सरकारी विज्ञापनों की दरों में वृद्धि के लिए 'आल इण्डिया स्माल मीडियम न्यूजपेपर्स एसोसियेशन' का अनुरोध

***44 श्री अहमद एम० पटेल**
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'आल इण्डिया स्माल मीडियम न्यूजपेपर्स एसोसिएशन' की स्थायी समिति ने सरकारी विज्ञापनों की दरों में वृद्धि के बारे में सरकार से अनुरोध किया है, और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) जी हां ।

(ख) संशोधित विज्ञापन नीति के अनुसार सरकारी विज्ञापनों के लिए एक युक्तिसंगत दर ढांचा विकसित किया गया है, जिसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखी है । नवीन दर ढांचे की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

(1) राजनीतिक आधारों पर समाचारपत्रों में विज्ञापन वितरण के बारे में जो भेदभाव किया जाता था उसको दूर किया गया है ।

(2) छोटे व मझोले दर्जे के समाचारपत्रों को नियतकालिक महत्व देने की व्यवस्था की गई है।

(3) एक लाख की बिक्री वाले भाषायी समाचारपत्रों को और अधिक महत्व देने की व्यवस्था की गई है।

विवरण

सरकार की विज्ञापन-नीति

विज्ञापन और दृश्य निदेशालय, जो भारत सरकार का एक केन्द्रीय प्रचार संगठन है, भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों तथा उनके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों और अनेक स्वायत्तशासी निकायों की ओर से विभिन्न समाचारपत्रों और नियतकालिक पत्रों को विज्ञापन देता है। सरकारी विज्ञापन देने का मुख्य उद्देश्य यथा संभव अधिक से अधिक प्रचार करना है। सरकारी विज्ञापनों को देने में राजनीतिक सम्बन्धों को ध्यान में नहीं रखा जायेगा। तथापि, विज्ञापन उन समाचारपत्रों और नियतकालिक पत्रों को जारी नहीं किए जायेंगे जो साम्प्रदायिक भावनाओं को उभारते हैं या हिंसात्मक कार्रवाइयों का समर्थन करते हैं या सार्वजनिक शालीनता और नैतिक आदर्शों सम्बन्धी सर्वमान्य परम्पराओं का उलंघन करते हैं।

2. लक्ष्य यह है कि विज्ञापनों को संतुलित और सम्यक रूप से दिया जाए। सरकारी विज्ञापनों का लक्ष्य वित्तीय सहायता करना नहीं है। तथापि, सरकार के मुख्य सामाजिक उद्देश्यों के अनुसरण में, निम्नलिखित को महत्व दिया जायेगा --

(क) छोटे और मझौले दर्जे के समाचारपत्र और नियतकालिक पत्र ;

(ख) भाषायी समाचारपत्र और नियतकालिक पत्र ;

(ग) विशिष्ट, वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिकाएं ;

(घ) विशेषकर पिछड़े, दूरस्थ या सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रकाशित होने वाले पत्र और नियत-कालिक पत्र।

(ङ) अन्य कोई श्रेणी जिसे सरकार विशेष और वास्तविक कारणों से उपयुक्त समझे।

3. छोटे, मझौले और बड़े समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों का निम्नानुसार वर्गीकरण किया जायेगा --

(1) छोटे--	15,000 परिचालन संख्या तक।
(2) मझौले--	15,000 और 50,000 के बीच परिचालन संख्या।
(3) बड़े--	50,000 से अधिक परिचालन संख्या।

4. विज्ञापन देने के लिए समाचारपत्रों का चयन करने में, उपलब्ध धनराशि के अन्तर्गत निम्न-लिखित बातों को ध्यान में रखा जायेगा :--

(क) जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के पाठकों में प्रचार करना विशेषकर राष्ट्रीय अभियानों के मामले में।

(ङ) विज्ञाजनों के सन्देश पर निर्भर करते हुए समाज क के विशिष्ट वर्गों तक पहुंचना।

(ग) केवल उन्हीं समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों का उपयोग करना जिनकी बिक्री की न्यूनतम संख्या 2,000 प्रतियों से कम न हो। निम्नलिखित के मामले में ढील दी जायेगी :—

(1) उर्दू और सिन्धी भाषाओं के पत्रों और विशिष्ट, वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिकाओं के मामले में, बिक्री की न्यूनतम 1,000 संख्या सरकारी विज्ञापनों के लिए अर्हक होगी।

(2) संस्कृत के पत्रों और विशेषकर पिछड़े, सीमावर्ती और दूरस्थ क्षेत्रों या जनजाति भाषाओं में या मुख्य रूप से जन जातियों के पाठकों के लिए प्रकाशित होने वाले पत्रों के मामले में, बिक्री की न्यूनतम 500 संख्या सरकारी विज्ञापनों के लिए अर्हक होगी।

(घ) समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों का कम से कम एक वर्ष तक निर्विघ्न और नियमित प्रकाशन होना चाहिए।

(ङ) केवल उन्हीं यथार्थ समाचारपत्रों का उपयोग करना जो सामाजिक मामलों पर समाचार या लेखा प्रकाशित करते हैं, इसी तरह केवल उन्हीं मानक पत्रिकाओं/नियतकालिक पत्रों का उपयोग करना जो वैज्ञानिक, कला, साहित्य, खेलकूद, फिल्म, सांस्कृतिक मामलों इत्यादि के विषयों पर होते हैं।

(च) घरेलू पत्रिकाओं और स्मारिकाओं को शामिल नहीं किया जायेगा।

(छ) प्रभाव, मुद्रण स्तर तथा भाषा और क्षेत्र जिनमें प्रचार किया जाना है।

5. मुद्रण स्तरों के बारे में निम्नलिखित विशिष्टियां लागू होंगी :—

एक दैनिक समाचारपत्र के प्रतिदिन न्यूनतम चार पृष्ठ होने चाहिएं और उसका आकार 45 सैंटीमीटर × 7 स्टेंडर्ड कालम चौड़ा या उसमें समकक्ष मुद्रित स्थान होना चाहिए। साप्ताहिकों और पाक्षिकों के पृष्ठ और उनका आकार निम्नानुसार होना चाहिए :—

मुद्रित क्षेत्र इससे कम न हो	न्यूनतम पृष्ठ संख्या
30 से० मी० × 4 कालम	8 या समकक्ष मुद्रित स्थान
24 से० मी० × 3 कालम	16
15 से० मी० × 2 कालम	32

साप्ताहिकों और पाक्षिकों से इतर नियतकालिक पत्रों के निम्नलिखित पृष्ठ और आकार होने चाहिएं :—

आकार	न्यूनतम पृष्ठ संख्या
20 से० मी० × 3 कालम	32
15 सें० मी० × 2 कालम	40

अपवाद केवल उन्हीं पत्रों/नियतकालिक पत्रों के मामलों में होंगे, जो जनजाति भाषाओं या जनजातियों के पाठकों के लिए प्रकाशित होते हैं।

6. बड़े और मझौले पत्रों/नियतकालिक पत्रों के मामले में; परिचालन संख्या किसी व्यावसायिक और ख्यातिप्राप्त निकाय या संस्थान के प्रमाणपत्र के आधार पर स्वीकार्य होगी। छोटे पत्रों/नियतकालिक पत्रों के मामले में परिचालन संख्या के बारे में रजिस्टर्ड चार्टर्ड एकाउन्टैंट का प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

परिचालन संख्या के आंकड़े गलत पाए जाने पर समाचार पत्रों/नियतकालिक पत्रों को विज्ञापनों के लिए अपात्र कर दिया जायेगा। इसके अलावा उनके विरुद्ध अन्य वह कार्रवाई भी की जा सकेगी जो सरकार उपयुक्त समझे।

7. विज्ञापन दरें

सरकारी विज्ञापनों की दरों का ढांचा उपर्युक्त सिद्धान्तों पर आधारित होगा।

श्री चित्त बसु : एक व्यवस्था का प्रश्न है, प्रश्न पूछा नहीं गया तो उसका उत्तर कैसे दिया गया ?

श्री द्वारिका नाथ तिवारी : चूंकि सभा में उत्तर दिया जा चुका है इस लिए आप अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है मैं कुछ अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दे दूंगा।

SHRI D. N. TIWARI : May I know from the hon. Minister the facilities of advertisements provided to small newspapers, weeklies, bio-weeklies and monthlies in rural areas ? Are they provided more money or more advertisements. We have drawn your attention to this aspect many times but nothing has been done so far. What is your policy in this regard ?

SHRI L. K. ADVANI : So far as the rate structure is concerned we want to provide built-in weightage to small and medium papers which are published from district centres. But there are certain papers which contain no news-content and they exist only on this basis of Government advertisements. We do not want to encourage them. So we have paid attention to certain production values and have fixed a certain minimum limit for circulation to become eligible for Government advertisements.

(व्यवधान)

प्रो० पी० जी० मावलंकर : महोदय, मेरा सुझाव है कि हम अगला प्रश्न लें क्योंकि मुख्य प्रश्न पूछे गये बगैर अनुपूरक प्रश्नों के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती।

अध्यक्ष महोदय : गलती से प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है इसलिए अनुपूरक प्रश्नों के लिए अनुमति दी गई है।

SHRI BHANU KUMAR SHASTRI : The hon. Minister deserves congratulations for stopping advertisements on political grounds. May I know if the Ministry of Information and Broadcasting have enquired into the fact that certain dailies and weekly papers obtain advertisements showing bogus circulation. I can cite examples of 'Rajasthan Patrika' 'Navjyoti', 'Rashtradoot' and many others. Will the hon. Minister conduct an enquiry on All India basis.

SHRI L. K. ADVANI : Certain criteria is fixed in this regard. In case of small papers we give recognition to auditor or chartered accountant's certificate. But this time we have introduced a penal provision to punish the paper which furnishes wrong information.

SHRI NIRMAL CHANDRA JAIN : There were certain small news papers which were forced to close down or were harassed. Has Government any proposal to give them more advertisements in the form of grants ?

SHRI L. K. ADVANI : It is not the policy to give advertisements in the form of grants.

SHRI PHIRANGI PRASAD : Although some Bhojpuri papers are being published in North-Eastern region yet their shortage is being experienced. May I know if the hon. Minister proposes to give more advertisements to these paper for their development and improvement ?

SHRI L. K. ADVANI : We will definitely consider this suggestion if the hon. Member gives us some specific cases of Bhojpuri papers with enough circulation.

SHRI VIJAY KUMAR MALHOTRA : During emergency there were many newspapers which indulged in professional misconduct and obtained advertisements illegally. On the contrary some papers were penalised as they had not supported the Government. The hon. Minister has stated that he will keep all newspaper at par without any political consideration. May I know the manner in which the proposes to set the matter right ?

SHRI L. K. ADVANI : Certainly they indulged in looting by suddenly increasing the rates of magazines many times. These rates will now come down and they will be rationalised so that they are not able to earn as much profit as they used to earn previously. We are going to adopt a rationalised policy.

श्री एडुग्रार्डो फैलीरो : मैं मानता हूं कि छोटे और मध्यम दर्जे के समाचारपत्रों की सहायता करने और प्रैस की आजादी के लिए दरों को संशोधित किया जा रहा है लेकिन प्रैस की आजादी को सबसे बड़ा खतरा तो प्रैस पर एकाधिकार गृहों के नियंत्रण का है। अभी तक प्रैस को इन लोगों से छुटकारा दिलाने के लिए जनता सरकार ने कोई उपाय क्यों नहीं किया ?

अध्यक्ष महोदय : इसका मुख्य प्रश्न से सम्बन्ध नहीं अतः उत्तर दिये जाने की जरूरत नहीं।

DR. BALDEV PRAKASH : The hon. Minister has just informed the House that the looting by increase in the rates has been stopped since 1st February, 1977. But before that date many advertisements had been given by the previous Government as a favour to many newspapers. They will continue to enjoy the benefit if that basis continues. Does the Government propose to review that basis for giving advertisements ?

SHRI L. K. ADVANI : The old rate structure has been rationalised and the new one has been prepared on the basis of different principles. We are examining the matter in case any one has received undue benefit. At least 81 percent small and medium newspapers will be benefited as a result thereof.

हुगली नदी में जमा गाद

*45 **श्री चित्त बसु** / **श्री सुशील कुमार धारा** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुगली नदी जमी गाद बढ़ रही है जिससे कलकत्ता बन्दरगाह के कार्य-करण पर कुप्रभाव पड़ा है; और

2—868LSS|77

(ख) यदि हां, तो कलकत्ता बन्दरगाह के कार्यकरण को सुधारने के लिये क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) फरक्का बांध परियोजना के चालू करने से पहले हुगली नदी में अधिकाधिक गाद जमा हो गई थी। परन्तु बांध कम्पलैक्स की पोषक नहर के अप्रैल 1975 में चालू होने से, जिससे विभिन्न सुधारात्मक उपाय करने के साथ नदी के बारहमासी बहाव को बरकरार रखा गया है, नदी के ऊपरी किनारों अर्थात हुगली प्वाइंट तक (कलकत्ता से 34 नाटीकल मील नदी के नीचे की ओर) गाद की इस स्थिति पर लगभग काबू पा लिया गया है। परन्तु भागीरथी नहर में बहाव की कमी के फलस्वरूप परिवर्तनों को देखना है । हाल ही में, कलकत्ता के निचली ओर 48 नाटिकल मील पर स्थित बालारी बार में और 62 नाटिकल मील पर स्थित जेलिंघंम शोल में भारी गाद जमा हो गई है ।

बालारी बार और जेलिंघंम शोल क्षेत्रों में नदी में जो प्रतिकूल प्रवृत्ति देखी गई है वह मुख्यतः मुहाने के आसपास, जिसमें वे स्थित हैं, होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों का परिणाम है ।

(ख) बालारी बार और जेलिंघंम शील दोनों में, इन बारों के आस पास नदी बहाव में के प्रतिकूल प्रवृत्ति पर नियंत्रण करने के लिए सुधारात्मक कार्यों के साथ साथ गहन निष्कर्षण कार्य जारी रखा जा रहा है निष्कर्षित गाद को नदी में जमा करने के बजाय तट पर ही रखने की योजनाएं बनायी जा रही हैं ।

श्री चित्त बसु : इन्होंने जो लम्बा चौड़ा वक्तव्य दिया है, उसकी प्रति मुझे नहीं दी गई है ।

अध्यक्ष महोदय क्या ऐसा है ? क्या आपने लिखित उत्तर के प्रति सप्लाई नहीं की है ?

श्री चित्त बसु : फिर भी मुझे अपना प्रश्न पूछने दीजिए।

श्री चांद राम : उत्तर की प्रतियां हमने लोक सभा कार्यालय को भेज दी हैं ।

श्री चित्त बसु : मेरा अनुपूरक प्रश्न भी उत्तर की तरह लम्बा है ।
हुगली नदी में गाद भर जाने से गंगा नदी के मार्ग में परिवर्तन हुआ है जो कलकत्ता पत्तन के लिये एक स्थायी खतरा बन गया है, जिसके सम्बन्ध में सरकार प्रकाशनों से मुझे निम्नलिखित तथ्यों का पता लगा है :--

(1) सन् 1936 तक हुगली में वर्ष के अंदर 40 बार ज्वार की लहरें आती थी और अब वर्ष में 160 बार आती हैं ।

(2) 1938 में 26 फुट ड्राट के जहाज पत्तन का उपयोग वर्ष में 300 दिन कर सकते थे लेकिन वर्ष 1961 में इस प्रकार के पोतों के लिये इसका उपयोग एक दिन के लिये भी नहीं हो सकता था ।

(3) पत्तन में 1974--75 के दौरान 70 लाख 50 हजार टन का यातायात हुआ जबकि 1964--65 में एक करोड़ दस लाख टन का यातायात हुआ था ।

(4) 1974-75 के दौरान बहुत कम यातायात हुआ जबकि कुल क्षमता एक करोड़ 30 लाख टन की थी-----

अध्यक्ष महोदय : कृप्या अपना प्रश्न पूछिए।

श्री चित्त बसु : इन बातों को ध्यान में रखते हुये क्या मैं जान सकता हूं कि फरक्का से अधिक जल सप्लाई ही हुगली की गाद साफ करने का एकमात्र समाधान है और इसी द्वारा कलकत्ता पत्तन की रक्षा सुनिश्चित हो सकती है ?

क्या हाल में भारत और बंगलादेश के बीच हुये करार द्वारा फरक्का बांध से पानी आने में बहुत कमी नहीं आयी है ?

क्या यह करार कलकत्ता पत्तन के लिये घातक नहीं है ? क्या यह बंगलादेश की तानाशाह सरकार को संतुष्ट करने की नीति नहीं है ? क्या यह राष्ट्रपति कार्टर जो हमारे देश के पूर्वी भाग पर राज करना चाहते हैं को संतुष्ट करने की नीति नहीं है ?

क्या मैं मंत्री, विशेषकर प्रधानमंत्री से इन प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने फरक्का बांध पर एक पृथक चर्चा की अनुमति दे दी है।

श्री चित्त बसु : इससे मेरे प्रश्न पूछने के लिये कोई बाधा पैदा नहीं होती।

अध्यक्ष महोदय : नहीं होती, लेकिन मैं आपको सूचित कर रहा हूं ।

श्री चित्त बसु : मैंने जो अनुपूरक प्रश्न पूछे हैं, मंत्री महोदय को उनका उत्तर देना ही पड़ेगा ।

श्री चांद राम : मेरे विचार में यह एक अनुपूरक प्रश्न नहीं है, एक सुझाव है।

श्री चित्त बसु : जी, नहीं । आप इस सभी के संरक्षक हैं । यह एक राष्ट्रीय हित का प्रश्न है । मैंने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए अनुपूरक प्रश्न पूछा है । अब आप अपने अधिकार से मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिये कहें ।

श्री चांद राम : हम इस मामले में सभी ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे गाद न बढ़ें।

श्री चित्त बसु : क्या यह सच नहीं है कि फरक्का से पानी की सप्लाई ही क्या कलकत्ता पत्तन में गाद साफ करने का समाधान नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं आपके प्रश्न के बारे में जान सकता हूं ?

श्री चित्त बसु : क्या यह सच नहीं है कि फरक्का से पानी की सप्लाई ही क्या कलकत्ता पत्तन में गाद साफ करने का समाधान नहीं है ? यदि हां, तो क्या बंगलादेश तथा

भारत सरकार के बीच हुए करार के फलस्वरुप पानी की सप्लाई में कमी हुई है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या यह कलकत्ता पत्तन के लिये घातक नहीं है ? क्या यह बंगलादेश सरकार तथा जिमि कार्टर को संतुष्ट करने की नीति नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं । यह प्रश्न पैदा नहीं होता ।

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : इसकी चर्चा सभी में होने वाली है । चर्चा के दौरान इस पर प्रकाश डाला जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : फरक्का के बारे में एक पृथक चर्चा होगी । गाद साफ करने तथा इसे कम करने के बारे में इनके पास कोई उत्तर नहीं है । अब ये उत्तर देंगे । फरक्का के बारे में पृथक चर्चा होगी । मंत्री महोदय गाद के बढ़ने अथवा कम होने के बारे में उत्तर दें ।

श्री चांद राम : इन्होंने मूल प्रश्न में पूछा है कि क्या हुगली नदी में गाद बढ़ गई है । मने कहा कि इस वृद्धि का पता 1930 के आसपास लगा और जैसे कि मैं अपने उत्तर में कह ही चुका हूं फरक्का बांध का निर्माण गाद रोकने के उद्देश्य से ही किया गया ।

श्री चित्त बसु : मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है दूसरा अनुपूरक प्रश्न इनके उत्तर के बाद पूछूंगा । आप मेरी सहायता कीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी सीमा तक ही सहायता कर सकता हूं ।

श्री चित्त बसु : मुझे खेद है कि आपने मेरे हितों की रक्षा नहीं की है ।

अध्यक्ष महोदय : ये इस मामले से सम्बन्धित नहीं हैं । इस बारे में हम पूरी चर्चा करने जा रहे हैं और आपको भी अवसर मिलेगा ।

श्री चित्त बसु : मुझे प्रासंगिक सूचना दी जाये । प्रश्न बहुत ही सरल था कि क्या करार से पानी की सप्लाई में कमी हुई है ?

अध्यक्ष महोदय: ये इससे सम्बन्धित नहीं हैं । यह इनके मंत्रालय का विषय नहीं है । आप सम्बन्धित मंत्रालय को लिखें ।

श्री चित्त बसु : क्या कलकत्ता पत्तन की गाद साफ करने के बारे में कोई लघु या दीर्घ कालीन कार्यक्रम है तथा इस पत्तन की रक्षा सुनिश्चित हो सके । कलकत्ता पत्तन समाप्त हो रहा है ।

श्री चांद राम : पत्तन में तीन ड्रेजर्स पूरे पैमाने पर काम कर रहे हैं । यदि जरूरी हो तो हम गाद निकालने के काम में वृद्धि करेंगे । यह एक उपाय है । कलकत्ता पत्तन को बचाने के लिये हमने बांध बनाया है । बांध के बारे में जैसे कि प्रधान मंत्री ने कहा है, पूरी चर्चा होगी ।

श्री सौगत राय : क्या मंत्री महोदय को पता है कि हल्दिया गोदी में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आयल टेंकर जमीन में धंस गया था । क्या इसका कारण फरक्का करार के बाद

गंगा में कम पानी आना था क्योंकि करार के अनुसार हुगली नदी में केवल,40000 क्यूसिक जल आना था।

अध्यक्ष महोदय : आप केवल इसी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि क्या ऐसा गाद के कारण हुआ ?

श्री चांद राम : कारण यह नहीं था।

श्री सौगत राय : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आयल टैंकर के टुकड़े टुकड़े हो सकते थे। यह सरकारी क्षेत्र के भारतीय नौवहन निगम का है। इसका असली कारण क्या है?

श्री चांद राम : प्रश्न कलकत्ता पत्तन के बारे है न कि हल्दिया के बारे।

श्री सौगत राय : हल्दिया, पत्तन कलकत्ता का ही एक भाग है। यह भी कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के अधीन है। मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी नहीं है। आप यह नहीं कह सकते कि हल्दिया एक पृथक पत्तन है। यह पत्तन, कलकत्ता पत्तन का ही एक भाग है।

श्री चांद राम : जहाज के धंस जाने के बारे में जांच हो रही है। इसका क्या कारण है, इस समय मैं नहीं कह सकता।

श्री एम० एस० संजीवी राव : क्या कोयले का निर्यात कलकत्ता और हल्दिया पत्तन के विकास से सम्बन्धित है ?

यह कहना ठीक नहीं है कि केवल निकर्षण द्वारा पत्तन में सुधार किया जा सकता है। वहां तो नियमित रूप से ताजा गंगा जल फेंके जाने से समस्या सुलझ सकती है। वहां से गाद निकालने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री चाँद राम : मैं पहले ही किये गये उपाय बता चुका हूं।

SHRI SAMAR GUHA : May I know the extent to which silt has restricted the movement in the port during the last five years and how it has affected the imports ?

SHRI CHAND RAM : I want notice for that.

श्री समर गुह : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने नोटिस के लिए कहा है।

भूतपूर्व मंत्रियों के पास काम करने वाले कर्मचारियों की परिसम्पत्तियां

46. **श्री जी० एम० बनतवाला**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि पिछली कांग्रेस सरकार के विभिन्न मंत्रियों/राज्य मंत्रियों के पास काम करने वाले कुछ विशेष सहायकों/निजी सचिव जो अभी भी सरकारी सेवा में हैं, के पास आय के ज्ञात श्रोतों की तुलना में अधिक चल और अचल परिसम्पत्तिया हैं;

(ख) यदि हां तो क्या उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से उन अधिकारियों के विरूद्ध कोई जांच की है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि इस मामले में अभी तक कोई कार्यवाई नहीं की गई है तो किस प्रकार की कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) उक्त अधिकारियों के ब्यौरे उनकी परिसम्पत्तियों और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर कब रखेंगे ?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : (क) से (ग) तक जहां कहीं ऐसे किसी भी लोक सेवक के पास उसकी आय के साधनों से अधिक कथित परिसम्पत्तियां होने के बारे में विशिष्ट सूचना उपलब्ध हुई थी, वहां आवश्यक जांच कराई गई है । इन मामलों को जांच पूरी हो जाने पर संगत कानूनों के अनुसार उचित कार्रवाई की जायेगी।

(घ) जांच हो जाने के बाद ही यह सूचना उपलब्ध हो सकेगी।

श्री जी० एम० बनतवाला : गृह मंत्री जी ने कहा है कि आवश्यक जांच कराई गई । हमें बताया जाये कि कितने मामले में जांच की गई है और कौन से मंत्रालय उसमें शामिल हैं ।

श्री चरण सिंह : केवल तीन मामले हमारे ध्यान में लाये गये हैं और उनकी जांच हो रही है । यदि सभी चाहे तो मैं उनके नाम बता सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : वह अधिकारियों के नहीं सम्बद्ध मंत्रालयों के नाम जानना चाहते हैं ।

श्री चरण सिंह : वाणिज्य मं ालय, प्रधान मंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्रालय ।

श्री जी० एम० बनतवाला : यह जांच क्या विभागीय जांच है अथवा केंद्रीय जांच ब्यूरो या किसी आय एजेंसी द्वारा कराई जा रही है ?

श्री चरण सिंह : ये जांच, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही है । रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी के बारे में तीसरी जांच हरियाणा पुलिस द्वारा की जा रही है ।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : मंत्री जी ने सभा को तीन मंत्रालयों के सम्बद्ध होने की बात कही है । क्या उन्होंने अन्य मंत्रालयों के बारे में भी जांच का आदेश दिया है । क्या भूतपूर्व रेल मंत्री के एक निजी सचिव ने, जो इलाहाबाद के हैं, बहुत धन एकत्र कर लिया है ? क्या गृह मंत्री जी को उसकी जानकारी है ? क्या भूतपूर्व रेल मंत्री के निजी सचिव जी के० पी० त्रिपाठी के विरुद्ध भी जांच की गई हैं ?

क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अब तक जांच पूरी कर ली है ? क्या अन्य मंत्रालयों में अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में राजनीतिक दबाव डाला जा रहा है ?

श्री चरण सिंह : हम उन मामलों की जांच कर रहे हैं जो हमारे ध्यान में लाये गये हैं या जांच के दौरान जिनका पता चला है । हम इन सभी लोक सेवकों के विरुद्ध चल

जांच नहीं करा रहे। कुल 100—150 मामले होंगे। हम उनकी परिसम्पत्तियों की भी जांच नहीं कर रहे। यदि सदस्य महोदय के पास कोई जानकारी हो तो वह सहर्ष दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय का एक अन्य प्रश्न जांच सम्बन्धी राजनीतिक दबाव के बारे में है। आप उसका उत्तर दें।

श्री चरण सिंह : जी नहीं। यदि कोई दबाव डाला जायेगा तो हम झुकेंगे नहीं।

श्री समर गुह : अभी 1 मिनट है। प्रश्न सं० 47 लिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : 1 मिनट भी मुश्किल से बाकी है। प्रश्न के साथ न्याय करना सम्भव न होगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

आपात स्थिति की घोषणा

47. **श्री समर गुह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1975 में आपात स्थिति केवल प्रधान मंत्री की सलाह पर घोषित की गई थी न कि मंत्रिपरिषद द्वारा किये गये निर्णय के अनुसार;

(ख) यदि हां, तो क्या यह बात राष्ट्रपति को आपात स्थिति घोषित किये जाने के पहले बताई गई थी और संसद को बाद में बताई गई थी;

(ग) यदि नहीं, तो क्या आपात स्थिति की घोषणा की प्रक्रिया से संविधान के उपबंधों और प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन हुआ था;

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या तत्संबंधी संविधान के उपबन्धों और प्रशासनिक नियमों सहित, पूरे तथ्य विवरण के रूप में संसद के समक्ष रखे जायेंगे; और

(च) क्या उस शक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी जिसने संवैधानिक तथा प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन किया ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) तथा (ख) तत्संबंधी तथ्य मेरे 31 मार्च, 1977 के वक्तव्य में सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये हैं जिनमें स्पष्ट किया गया था कि आपात स्थिति की उक्त घोषणा पर राष्ट्रपति द्वारा 25 जून, 1975 को हस्ताक्षर किये गये थे, जबकि मंत्रिमंडल ने उसे 26 जून, 1975 को अनुमोदित किया था। अतः मंत्रिमंडल का अनुमोदन भूत प्रभावी था। आपात स्थिति की उद्घोषणा 21 जुलाई, 1975 को संसद के समक्ष रखी गई थी।

(ग) से (च) आपात स्थिति की उद्घोषणा की वैधता की अन्य बातों के साथ-साथ याचिकाओं में चुनौती दी गई है, जो उच्चतम न्यायालय और कुछ उच्च न्यायालयों

में लम्बित है। शाह आयोग से इस उद्घोषणा के जारी किये जाने के औचित्य की जांच करने की भी आशा है। इस संबंध में आगे कार्यवाही विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामलों का निर्णय होने और शाह आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर की जायेगी।

रक्षा सेवाओं में उड़ीसा रेजिमेंट

*48. **श्री गणनाथ प्रधान** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सेवाओं में एक उड़ीसा रेजीमेंट खोलने के बारे में उड़ीसा सरकार का कोई नया प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो रक्षा सेवाओं में उड़ीसा के लोगों की वर्तमान संख्या कितनी है और उड़ीसा रेजीमेंट खोलने की तारीख क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं।

(ख) रक्षा सेवाओं में उड़ीसा के लोगों की वर्तमान संख्या निम्नलिखित है :—

थल सेना	
अफसर जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर और अन्य रैंक	11238
वायु सेना	
अफसर वायुसैनिक	2120
नौसेना	
अफसर नाविक	469

ELECTRIFICATION OF HARIJAN COLONIES

+*49. SHRI RAMLAL RAHI :Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether the scheme formulated by the previous Government for the electrification of Harijan colonies under the rural electrification scheme has been scrapped;

(b) if not, the policy of the present Government in this regard;

(c) number of Harijans colonies State-wise where electricity for light purposes has so for been provided free of cost after 25th March, 1977; and

(d) the total number of Harijan colonies electrified in rural and urban areas by the previous Government and whether it would also be ensured that electricity is still being made available therefore light purposes ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) It was decided in 1971 to extent street lighting to localities inhabited by Harijans and other backward communities, in villages which were already provided with electricity for lighting purposes. An amount of Rs. 4.5 crores was provided in the Fourth Plan for the purpose.

This special scheme was discontinued in the Fifth Five Year Plan.

(b) In pursuance of this Government's policy to extend rural electrification to the most backward areas and weaker sections of society, the R.E.C. and the State Electricity Boards have been advised to make provision for street lighting of Harijan bastis in all schemes of street lighting of the main villages.

(c) Information is available in statements appended. At present State Electricity Boards bear the capital cost of electrifying Harijan bastis.

(d) Information is available in statements appended. The present Government is committed to making available electricity for lighting purposes in Harijan Bastis. [Placed in Library. *See* No. L.T. 1060/77]

मंत्रियों की विदेश यात्राएं

*50. **श्री डी० जी० गवई**
श्री पी० जी० मावलंकर : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल-अक्टूबर 1977 के दौरान विदेशों की यात्रा करने वाले केंद्रीय सरकार के मंत्रियों के नाम क्या हैं उन्होंने किन-किन देशों की यात्रा की और प्रत्येक मंत्री ने प्रत्येक देश की कितनी-कितनी अवधि के लिए यात्रा की;

(ख) विदेशों की उक्त यात्राओं से क्या विशेष प्रयोजन सिद्ध हुए; और

(ग) प्रत्येक मंत्री की विदेश यात्रा पर सरकार ने कुल कितनी धनराशि व्यय की प्रत्येक मंत्री को कितनी विदेशी मुद्रा की मंजूरी दी गई और प्रत्येक मंत्री द्वारा लाये गये विदेशी माल का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क), (ख) और (ग) एक विवरण, जिसमें अपेक्षित सूचना है सभा पटल पर रख दिया गया है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1061/77]

कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन के विस्तार की योजना

*51. **श्री के० एन० दास गुप्ता** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कलकत्ता इलैक्ट्रिकल सप्लाई कारपोरेशन के विस्तार को 100 करोड़ रूपए की योजना की स्वीकृति दे दी गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : टीटागढ़ में 240 मैगावाट का एक ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने संबंधी कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कार्पोरेशन के प्रस्ताव का केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनोको-आर्थिक अनुमोदन कर दिया है । परियोजना के लिए वित्तीय योजना के ब्यौरों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

लड़ाकू विमान

*52. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना को लड़ाकू विमान अब पुराना पड़ चुका है; और

(ख) यदि हां तो भारतीय वायुसेना को आधुनिकतम लड़ाकू विमानों से ससज्जित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान पुराने नहीं हो गये हैं । इनके पुराने हो जाने पर इनके स्थान पर वायुसेना को पुनसज्जित करने की हमारी आवश्यकताओं और उपस्करों के आधुनिकीकरण की नीति को ध्यान में रखकर किया जाता है ।

ऊर्जा की कमी

***54. श्री सुरेन्द्र विक्रम**
श्री के० ए० राजन } : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ऊर्जा की कमी दूर करने के लिये कोई योजना तैयार कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री, श्री पा० रामचन्द्रन : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(क) और (ख) देश में विद्युत ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं । संक्षिप्त रूप में निम्नलिखित प्रयत्नों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है :--

--वर्तमान विद्युत केंद्रों की उपलब्धता तथा कार्यनिष्पादन में सुधार करके उत्पादन को अधिकतम करना ।

--विद्युत उत्पादन सुविधाओं का बेहतर प्रचालन और अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिए विद्युत केंद्रों के प्रचालन और अनुरक्षण कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना।

--परिषण और वितरण हानियों को कम करना ।

--फालतू विद्युत वाले क्षेत्रों से कम विद्युत वाले क्षेत्रों को विद्युत स्थानान्तरित करना।

--राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की प्रणाली के अनुसरण में विद्युत का वितरण करना तथा फजूल और ठाठ-बाट के प्रयोजनों के लिए बिजली के उपभोग को निरुत्साहित करना।

--नए उत्पादन यूनिटों को शीघ्र चालू करना ।

--नए चालू किए गए उत्पादन यूनिटों के स्थिरीकरण को शीघ्र सुनिश्चित करना।

दीर्घ कालिक उपायों में विद्युत के विकास को तेज करने, अन्तप्रणाली तथा अन्तर्क्षेत्रीय संबंधों को सुदृढ़ करने, भार-प्रेषण सुविधाएं स्थापित करने तथा पांच से सात वर्ष के निर्धारित समय में पर्याप्त विद्युत सप्लाई सुनिश्चित करने पर मुख्यत: जोर दिया गया है । जिन विद्युत उत्पादन स्कीमों से अगले दस वर्षों में लाभ प्राप्त करना है उनका निर्धारण कर लिया गया

है तथा विद्युत की मांग और इन स्कीमों से अपेक्षित लाभों को सोपानबद्धता को ध्यान में रखते हुए इनके बारे में निवेश संबंधी निर्णय लेने के लिए इन पर क्रम-क्रम से कार्यवाही की जा रही है। राज्य क्षेत्र के प्रयत्नों की अनुपूर्ति के लिए विद्युत उत्पादन तथा बल्क पारेषण सुविधाएं स्थापित करने का कार्य केन्द्रीय क्षेत्र में हाथ म लिया गया है तथा क्षेत्रीय ताप विद्युत तथा जल-विद्युत शक्ति केंद्रों तथा बल्क पारेषण सुविधाओं के निर्माण और प्रचालन के लिए केन्द्रीय सरकार ने सरकारी क्षेत्र में कार्पोरेशन स्थापित किए हैं।

SETTING UP OF CEMENT AND ALUMINIUM FACTORIES IN REWA DISTRICT IN MADHYA PRADESH

*55. SHRI Y. P. SHASTRI : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether possibilities are being explored for setting up a cement factory in Rewa district, the backward district of Madhya Pradesh; and

(b) if so, the progress so far made in this regard and the time by which the factory is likely to be set up in Rewa district ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) and (b) A letter of Intent for the setting up of an asbestos cement pressure pipes plant with an annual capacity of 30,000 tonnes in Tehsil Huzur, District Rewa, Madhya Pradesh was issued on the 22nd April, 1976 to Shri Mrigendra Singh. He is presently negotiating with the indigenous machinery supplier for supply of machinery and for setting up the project on a turn-key basis and to utilise their services as technical collaborators. He is also making the necessary financial arrangements for the project with private investors and for financial participation of the State Government. The letter of intent has been extended upto the 21st April 1978 for the setting up of the plant.

'आंसुका' तथा भारत रक्षा नियमों के अधीन बन्दी-मृतकों के उत्तराधिकारियों को पेंशन

*56. **श्री आर० के० महालगी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के निदेशानुसार देश के सभी जिलाधीशों ने 'आंसुका' तथा भारत रक्षा नियमों के अधीन बन्दी-मृतकों के उत्तराधिकारियों को पेंशन देने के उद्देश्य से अपनी तत्संबंधी जांच पूरी कर ली है तथा अपनी-अपनी राज्य सरकारों के माध्यम से केन्द्र सरकार को अपने प्रतिवेदन भेज दिये हैं;

(ख) क्या पेंशन देने की उक्त योजना आरंभ हो चुकी है; और यदि हां तो कब से और कितने मामलों में; और

(ग) इस तरह के कितने मामले अभी निर्णयाधीन हैं और उन्हें संभवत: कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क), (ख) और (ग) अब तक केवल तीन मामलों में सिफारिशें प्राप्त हुई हैं, और उन सभी मामलों में पेंशन मंजूर कर दी गई है। योजना पहली मई, 1977 से लागू हुई थी, परन्तु पेंशन उस महीने के अगले महीने से देय है जिसमें नजरबन्दी की मृत्यु हुई हो। जो व्यक्ति डी० आई० एस० आर० के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए थे उनके परिवार इस योजना में नहीं आते हैं।

डायमंड हार्बर और गंगा के किनारे स्थित नगरों के मध्य जहाज चलाना

*57. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'बल्क कार्गो' ले जाने के लिये डायमंड हार्बर और कानपुर तथा अन्य नगरों के मध्य जहाज चलाने और महत्वपूर्ण घाटों से गंगा नदी के आर पार नियमित नौका सेवा चलाने की संभावना पर किसी समय विचार किया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी संक्षिप्त रूपरेखा क्या है; और

(ग) योजना को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) :(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

CONCESSIONS TO SSCOs AND ECOs APPEARING IN IAS, IPS

*58. DR. RAMJI SINGH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) Whether after 1968 Short Service Commissioned Officers and Emergency Commissioned Officers were permitted to appear in IAS, IPS and other competitive examinations with some relaxations even after their retirement and the total number of such persons selected in civil services of the Government of India during the period from 1962 to 1973;

(b) Whether Government are aware that such officers selected from the army were generally found to be dedicated, active and disciplined;

(c) if so, the reasons for which Government were compelled to withdraw the facilities and protection provided to them; and

(d) Whether Government would constitute a Committee to go into the matter and restore these facilities ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL) : (a) Yes, Sir.

The information in respect of the total number of ECOs/SSCOs selected in the civil services of the Government of India during the period from 1962 to 1973 is not available.

(b) No such special appraisal has been made by the Government specifically in respect of such officers.

(c) ECOs/SSCOs who had joined pre-commission training or were commissioned prior to 10-1-68 (the date on which the emergency prevailing till then was revoked) to whom these rules were applicable, had, by and large, already utilised the chances available to them for appearing at the IAS etc. examinations during the period the rules were in force. As such, the necessity for extending the rules which lapsed on 29-1-1974 was not felt.

(d) No, Sir.

रक्षित विद्युत्त संयंत्रों के लिये विश्व बैंक को ऋण सहायता

*59. श्री अमर राय प्रधान
श्री सी० आर० महाटा } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की ऋण सहायता से रक्षित विद्युत संयंत्रों के बनाने के बारे में सरकार ने कोई नीति संबंधी निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया है तथा इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) विश्व बैंक को ऋण सहायता से कैप्टिव विद्युत संयंत्र स्थापित करने के बारे में सरकार का ऐसा कोई भी नीति संबंधी निर्णय नहीं है । जब कभी भी ऐसी परियोजनाएं विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत की जाती है जिनमें कैप्टिव विद्युत संयंत्र एक संघटक के रूप में सम्मिलित होते हैं तो यह विचार किया जाता है कि क्या उस संयंत्र के लिए धन संबंधी व्यवस्था करने हेतु इस प्रकार की सहायता की अपेक्षा की जानी चाहिए । किसी विशेष परियोजना के लिए कैप्टिव विद्युत उत्पादन को स्वीकृति देने का निर्णय सभी संगत बातों पर विचार करने के उपरान्त उसकी गुणवत्ता के आधार पर किया जाता है ।

PASSENGER STEAMER SERVICE FROM PORBANDER TO KARACHI

†*60. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether the people of Porbander have put forth a demand for starting a passenger steamer service from Porbander to Karachi, on the western sea coast of India;

(b) When Government propose to restart this steamer service, since rail, air, postal and telephone service with Pakistan have been restored after the Simla Agreement;

(c) whether there was a passenger steamer service between Porbander and Karachi, if so, when it was started and when it was discontinued and the reasons for its closure; and

(d) when the service is likely to be resumed ?

MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM) : (a) No, Sir.

(b) & (d) Question does not arise.

(c) The Bombay Steam Navigation Co. was operating a passenger service between Cochin and Karachi *via* Bombay and Saurashtra ports from even prior to Independence. The service to Karachi was discontinued in September 1965 on the outbreak of hostilities with Pakistan.

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स के उत्पादनों की बिक्री

401. **श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस के अधिकांश उत्पादनों की सीधे और बाकी उत्पादनों की वितरकों के माध्यम से बिक्री करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में सीधे तथा वितरकों के जरिये बेचे गये उत्पादनों की प्रतिशतता कितनी है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (ग) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति (1973--74) ने हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड (एच० पी० एफ०) जो सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है, के कार्य संचालन संबंधी अपनी पचपनवीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि कम्पनी को गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा वितरण की व्यवस्था जो उस समय जून 1975 तक लागू थी समाप्त हो जाने के बाद अपने उत्पादों का प्रत्यक्ष वितरण अपने हाथ में लेने की सम्भाव्यता पर विचार करना चाहिए। किन्तु चूंकि कम्पनी जून, 1975 से अपने सभी उत्पादों का प्रत्यक्ष वितरण हाथ में लेने की पूर्ण स्थिति में नहीं थी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म प्रभाग को सिने फिल्मों की प्रत्यक्ष सप्लाई करने और सरकारी विभागों प्रतिरक्षा सेवाओं और चुने हुए अस्पतालों को एक्स-रे फिल्मों की सप्लाई जनवरी, 1975 से करके शुरुआत की गई थी। प्रत्यक्ष वितरण के दूसरे चरण के रूप में 1 अक्तबर, 1977 से कम्पनी ने सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष वितरण का दायित्व ले लिया है, किंतु ओ० आर० डब्ल्यू० ओ० के भूतपूर्व गैर सरकारी वितरकों के साथ की गई व्यवस्था के अधीन सिने रंगीन पोजिटिव फिल्म के 37.5 प्रतिशत का वितरण 30 सितम्बर 1978 तक गैर सरकारी माध्यमों से तथा 62.5 प्रतिशत का एच० पी० एफ० द्वारा किया जाना तथा उसके बाद इस वस्तु का भी पूर्ण वितरण कम्पनी द्वारा ही किया जायेगा। कंपनी द्वारा यह भी निश्चित किया गया है कि इसके द्वारा उत्पादित सभी अन्य उत्पादों जैसे एक्स-रे फिल्मों अमेचर रोल फिल्मों ब्रोमाइडपेपर आदि का प्रत्यक्ष वितरण 1 जुलाई 1978 से कम्पनी द्वारा अपने हाथ में ले लिया जायेगा।

भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली को सहायता अनुदान

402. **श्री प्रद्युम्न बाल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली को गत तथा चालू वित्तीय वर्ष में कितना सहायता अनुदान दिया गया ;

(ख) गत तीन वर्षों में वर्षवार, प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के दौरान प्रति छात्र कितना व्यय किया गया ;

(ग) यदि सहायता अनुदान में कोई वृद्धि की गई है, तो कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है और अनुदान किस आधार पर दिया गया है; और

(घ) क्या प्रोफेसर के पद सहित कुछ नियुक्तियां विज्ञापन दिये बिना की गई थीं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) :

	वर्ष	रुपए (लाखों में)
(क) :	1976–77	20.55
	1977–78 (अब तक)	10.06
(ख):	1974–75	4,826 रुपए
	1975–76	6,292 रुपए
	1976–77	4,408 रुपए

(ग) : 1974–75 से 1975–76 में वृद्धि—16.92 प्रतिशत

1975–76 से 1976–77 में वृद्धि—29.89 प्रतिशत

संस्थान को सहायक अनुदान उसकी सभी गतिविधियों के व्यय की पूर्ति करने के लिए दिया जाता है ।

(घ) जी, हां

बेरोजगारों के लिए पृथक मंत्रालय

403. **श्री शशांक शेखर सान्याल** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने राज्य सरकारों और केंद्र शासित क्षेत्रों का मार्गदर्शन करने के लिए **बेरोजगारी** संबंधी स्वतन्त्र मंत्रालय की स्थापना की वांछनीयता पर विचार किया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : बेरोजगारी के लिए एक पृथक मत्रांलय की स्थापना करना आवश्यक नहीं सम ा गया ।

आकाशवाणी, शिमला में समाचार सम्पादकों तथा अनुवादकों के पदों का भरा जाना

404. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी, शिमला में समाचार सम्पादकों और अनुवादकों के पद खाली पड़े हैं;

(ख) खाली पदों की संख्या कितनी है और वे कब से खाली पड़े हैं;

(ग) इन पदों के खाली पड़े रहने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या आकाशवाणी, शिमला में काम कर रहे, उप सम्पादकों (लिपि) के नामों पर इन पदों के लिए विचार नहीं किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) आकाशवाणी में समाचार सम्पादक व अनुवादक के नाम के कोई पद नहीं है। संभवतया यह समाचार वाचक-व-अनुवादक के पद के बारे में है ।

केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड-चार में उप सम्पादक के एक पद को जो खाली पड़ा था, समाचार वाचक-व-अनुवादक के स्टाफ आर्टिस्ट के पद में बदल दिया गया है। फिलहाल आकाशवाणी, शिमला में समाचार वाचक-व-अनुवादक का केवल एक पद 17 अक्तूबर 1977 से खाली पड़ा है ।

(ग) उप सम्पादक के सिविल पद को समाचार वाचक-व-अनुवादक के स्टाफ आर्टिस्ट के पद में बदलने का निर्णय हाल ही में लिया गया है ।

(घ) उप-सम्पादक (लिपि), समाचार वाचक-व-अनुवादक के पद पर सीमित चयन के माध्यम से नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र हैं बशर्ते कि वे भर्ती नियमों में निर्धारित अर्हताओं को पूरा करते हों । नियमों के अनुसार, आकाशवाणी, शिमला का उप-सम्पादक (लिपि) अन्य विभागीय उम्मीदवारों के साथ इस पद के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पात्र है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण सड़क आयोग

405. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांवों में सड़कों का विकास करने के लिये एक ग्रामीण सड़क आयोग नियुक्त करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या ह; और

(ग) इसकी नियुक्ति कब तक की जायेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (ग) ग्रामीण सड़कों के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं, अतः ग्रामीण सड़क आयोग के गठन का प्रश्न राज्य के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है । परन्तु, ग्रामीण सड़क संबंधी उचित समन्वय, वित्त पोषण करने और अन्य पहलुओं पर विचार करने के लिए सोसाइटी अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड संस्था इंडियन रोड्स कांग्रेस ने 1972 में सिफारिश की कि केन्द्र और राज्यों में ग्रामीण सड़क आयोगों की स्थापना की जाए। यह मामला फरवरी, 1973 में परिवहन विकास परिषद् की बैठक में रखा गया, परन्तु परिषद् में राज्य के प्रतिनिधि इसके पक्ष में नहीं थे और तदनुसार मामला समाप्त हुआ मान लिया गया ।

परन्तु अभी हाल ही में इंडियन रोड्स कांग्रेस ने एक संशोधित सिफारिश की है जिसमें यह कहा गया है कि यदि राज्यों को यह योजना स्वीकार्य नहीं है तो वे कम से कम यह सुनिश्चित करें कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा ग्रामीण सड़कों पर व्यय किया धन किसी एक ही तकनीकी रूप से सक्षम कार्यकारी एजेंसी के हाथ में हो । जहां तक केन्द्र में ग्रामीण सड़क आयोग का प्रश्न है उन्होंने सिफारिश की है कि चूंकि मुख्य समस्या धन की है, इसलिए वर्तमान अनुदानों के अतिरिक्त विशेष धनराशि दी जाए और सुझाए गए उस केन्द्रीय ग्रामीण सड़क आयोग के माध्यम से राज्यों में वितरित की जाए, जो ग्रामीण सड़क कार्यक्रम के विषय

में राज्यों का मार्गदर्शन भी कर सके । परन्तु चूंकि यह सिफारिश अभी हाल ही में प्राप्त हुई है, अतः इस मामले में विशेष कर जब ग्रामीण सड़कें एक राज्य-विषय है, इतनी जल्दी कोई भी विचार व्यक्त नहीं किया जा सकता ।

कोचीन शिपयार्ड

406. **श्री वयालार रवि** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री 15 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 463 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निदेशक मंडल ने कोचीन शिपयार्ड के कर्मचारियों की मांगों के बारे में निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) निदेशकों के बोर्ड ने अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक को प्राधिकृत किया कि वह कर्मचारियों की मागों पर संघ से विचार विमर्श करें । संघ से अब बातचीत चल रही है ।

भारतीय वायु सेना में भण्डार पालक संवर्ग में भर्ती

407. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना के भण्डार पालक संवर्ग में कोई भर्ती नहीं की गई है, जबकि प्रत्येक वर्ष या छः माह की अवधि में उपकरण ब्रांच में सैनिकों की भर्ती के अवसर होते हैं;

(ख) क्या सरकार स्टोर कीपरों के अधिकतम वेतनमान में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ग) क्या भारतीय वायुसेना में सिविलियन स्टोर कीपरों को बाहर के पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जायेगी जब उनके पदों में गतिरोध है और पदोन्नति के अपर्याप्त अवसर ह ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां । सिविलियन कार्मिकों (टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफरों को छोड़ कर) के सामान्य अवधि में होने वाले रिक्त स्थानों को भरे जाने पर प्रतिबंध है, लेकिन उपयुक्त मामलों में छूट दी जा सकती है । विभिन्न ट्रेडों में जिनमें वायु सेना की विभिन्न यूनिटों में इक्विपमेंट सहायक की ट्रेड भी सम्मिलित है वायु सैनिकों के स्थापित रिक्त स्थानों को भरने के लिए समय-समय पर भर्ती की जाती है ।

(ख) अन्य वातों के साथ-साथ यह मामला भी एक समिति को विचारार्थ भेजा गया है और समिति की सिफरिशें प्राप्त हो जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

(ग) वायु सेना के बाहर के पदों के लिए सिविलियन स्टोर कीपरों के आवेदन भेजने पर इस समय कोई प्रतिबंध नहीं है ।

3—868LSS/77

छूआछात संबंधी अपराधों को रोकने के लिए राज्यों को पृथक पुलिस बल रखने के लिए सहायता

408. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने छूआछूत संबंधी अपराधों को रोकने के लिए राज्यों को पृथक पुलिस बल गठित करने हेतु सहायता दी है;

(ख) क्या ऐसे पुलिस बल सभी राज्यों में गठित किये गए हैं;

(ग) यदि हां तो क्या इसके वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे अपराधों को रोकने हेतु क्या और कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) कर्नाटक तथा गुजरात राज्य सरकारों को जिन्होंने वित्तीय सहायता मांगी थी नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 के संरक्षण के प्रवर्तन के लिए तंत्र का विस्तार कराने हेतु क्रमशः 202, 100/– रु० तथा 88,825 रु० स्वीकृत किये ।

केवल अस्पृश्यता संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए पृथक पुलिस बल का गठन करने का विचार नहीं है ।

राज्य सरकारों से प्राथमिकता के आधार पर नागरिक अधिकार अधिनियम, 1955 के संरक्षण के उपबंधों को कठोरता पूर्वक कार्यान्वियन करने का अनुरोध किया गया है । राज्य सरकारों को भी हरिजनों की शिकायतों की जांच करने के लिए एक सैल अथवा कोई उपर्युक्त तंत्र गठित करने पर विचार करने का परामर्श दिया गया है । आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडू तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों ने हिंसा अथवा अनुसूचित जातियों को सताने के मामलों से निपटने के लिए तथा नागरिक अधिकार अधिनियम, 1955 के संरक्षण के प्रवर्तन के लिए स्थानीय स्थितियों के अनुसार विभिन्न स्तरों पर विशेष पुलिस सैलों का गठन किया है ।

सैनिक कर्मचारियों को प्रशंसा प्रमाण-पत्र

409. **श्री यू० एस० पाटिल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान (1975--77) वर्ष-वार तथा यूनिट-वार राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार और असम में बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विशिष्ट शौर्यपूर्ण सेवा करने हेतु कितने सैनिक कर्मचारियों को प्रशंसा प्रमाण-पत्र दिये गये; और

(ख) क्या इन सैनिक कर्मचारियों को इनकी विशिष्ट शौर्यपूर्ण सेवा को देखते हुए कुछ वित्तीय अथवा अग्रिम वेतनवृद्धि अथवा अग्रिम पदोन्नति जैसे लाभ दिये जाते हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) प्रशंसा प्रमाण-पत्र पाने वाला व्यक्ति किसी प्रकार का वित्तीय लाभ पाने का अधिकारी नहीं है । लेकिन प्रमाण पत्र पाए गए व्यक्ति के रिकार्ड में इससे एक अनकूल बात उसके पक्ष में जुड़ जाती है और पदोन्नति के अवसर पर इसे ध्यान में रखा जाता है।

विवरण

वर्ष 1975, 1976 और 1977 (अक्तूबर तक) के दौरान राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार और असम में बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में थलसेना अध्यक्ष का प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्राप्त करन वाले थलसेना कार्मिकों की संख्या ।

यूनिट का नाम (आर्मी अथवा सर्विस)	दिये गये प्रशंसा प्रमाण-पत्रों की संख्या		
	1975	1976	1977 (अक्तूबर तक)
(क)	(ख)	(ग)	(घ)
आर्मंड कोर .	—	—	2
इंजीनियर	2	21	9
सिगनल .	—	—	1
इंफेंट्री . .	—	9	—
ए० एस० सी० . .	—	2	—
ए० एम० सी० .	—	—	1
सी० एम० पी० . .	—	—	3
	2	32	16

चिलिका लेक में नेवल ट्रेनिंग स्कूल

410. **श्री पद्माचरण सामन्तसिंहार** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977-78 में चिलिका लेक में नेवल ट्रेनिंग स्कूल का निर्माण पूरा हो जायेगा; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है और वह कब तक पूरा हो जायेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) बाय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान को मूलतः इस आधार पर मंजूर किया गया था कि उसे फरवरी, 1980 में चालू किया जायेगा। इस दिशा में किए गये कुछ उपायों के परिणामतः आशा है कि यह 1979 के आरंभ में चालू हो जायेगा । इस परियोजना की प्रगति संतोषजनक है ।

RECOMMENDATIONS OF INDUSTRIAL FINANCE RE. KHADI INDUSTRY

411. SHRI RAM NARESH KUSHWAHA : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether no action has so far been taken on the recommendation made by the Industrial Finance Corporation in respect of giving grants to the Khadi Industry and Co-operative Societies; and

(b) if so, the reasons for the delay ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI (ABHA MAITI) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

रत्नागिरि और कोलाबा से रक्षा सेनाओं में व्यक्ति

412. **श्री बापूसाहिब परुलेकर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के रत्नागिरी और कोलाबा जिलों से रक्षा सेवाओं में बहुत से व्यक्ति आये हैं और इनमें से बहुत से व्यक्तियों ने गत तीन युद्धों में देश के लिये अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया है;

(ख) महाराष्ट्र के रत्नागिरि और कोलाबा जिलों लिए से रक्षा सेवाओं में कुल कितने व्यक्ति हैं;

(ग) क्या रत्नागिरि और कोलाबा जिले के लिए एक नौसैनिक अथवा सैनिक स्कूल खोलने संबंधी सतत और लगातार मांग की गई है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन में से किसी जिले में एक नौसैनिक अवथा सैनिक स्कूल खोलने के लिए शीघ्र निर्णय लेने का है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ) कोलाबा और रत्नागिरि जिलों के लोग काफी बड़ी संख्या में रक्षा सेवाओं में नियुक्त हैं। इनकी सही संख्या बताना लोक हित में नहीं है।

2. पिछले तीन युद्धों में मारे गये रक्षा सेवा कार्मिकों की संख्या इस प्रकार है :—

	कोलाबा	रत्नागिरि
चीनी आक्रमण (1962)	1	9
भारत-पाक युद्ध (1965)	1	1
भारत-पाक युद्ध (1971)	19	14

3. रत्नागिरि और कोलाबा जिलों में नौसैनिक अथवा सैनिक स्कूल खोलने की कोई मांग नहीं की गई है और इस प्रकार का कोई प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन नहीं है।

SETTING UP OF A HMT WATCH FACTORY IN AJMER

413. SHRI S. K. SARDA : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a factory for the manufacture of H.M.T. watches in Ajmer; and

(b) if so, when ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) and (b) It has been recently decided to set up an Hindustan Machine Tools assisted watch assembly unit in Rajasthan. The location of this unit in the State will be decided by the State Government.

कोयला उद्योग में कल्याण कार्य पर हुआ खर्च

414. **श्री ए० के० राय** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उद्योग में उसके राष्ट्रीयकरण के बाद कल्याण कार्य और कर्मचारियों के कल्याण के नाम पर बहुत बड़ी राशि खर्च की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस खर्च का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचंद्रन) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि० और इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा गत चार वर्षों में कल्याणकारी उपायों पर निम्नलिखित धनराशि व्यय की गई :—

1973-74	रु० 898.52 लाख
1974-75	रु० 1202.38 लाख
1975-76	रु० 1773.96 लाख
1976-77	रु० 1951.00 लाख (अनन्तिम)

केन्द्रीय विद्युत् रसायन अनुसंधान संस्थान द्वारा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के प्रोसेस अधिकारों का लाभ उठाया जाना

415. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् सम्बन्धी सरकार समिति की इस सिफारिश के बावजूद कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के प्रोसेस का लाभ उठाने के एक मात्र अधिकार प्रयोगशाला द्वारा किसी व्यापारिक फर्म को इस अधार पर सीधे नहीं दिए जाने चाहिएं कि इस प्रकार के कार्य से भ्रष्टाचार और गलत सौदे बाजी होती है केन्द्रीय विद्युत् रसायन अनुसन्धान संस्थान ऐसे विशिष्ट अधिकार सीधे दे रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

तापीय विद्युत् केन्द्रों का सुधार करने के लिए विदेशी तकनीकी जानकारी मांगा जाना

416 **श्री अहमद हुसैन** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में तापीय विद्युत् केन्द्र कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने तापीय विद्युत् केन्द्रों की कार्यकुशलता को सुधारने हेतु अन्य विकसित देशों से सहायता मांगी है;

(घ) क्या सरकार ने उचित तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए तापीय विद्युत् केन्द्रों के अधिकारियों को अन्य देशों को भेजा है अथवा भेजने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो विदेशों को संयंत्र-वार पहले ही कितने अधिकारी भेजे गए हैं तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितने अधिकारियों को भेजा जाएगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचंद्रन) :(क) 1974 से पूर्व चालू किए गए कई यूनिट कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे है जबकि कुछ उतनी कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर रहे हैं। 1974 के बाद स्वदेशी उपस्कर से चालू किए गए कुछ विद्युत् केन्द्र अभी स्थिर विद्युत् उत्पादन पर नहीं पहुंच सके हैं।

(ख) इन विद्युत् केन्द्रों का कार्य निष्पादन घटिया होने के मुख्य कारण निम्नलिखित है :—

(1) उपस्कर में खराबी;

(2) कोयले की घटिया किस्म;

(3) आवश्यकता पड़ने पर फुटकर पुर्जों की कमी;

(4) प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी;

(5) त्रुटिपूर्ण प्रबन्ध।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां।

(ङ) पिछले दो वर्षों में बृहत् ताप विद्युत् केन्द्रों के प्रचालन और अनुरक्षण में विदेश में प्रशिक्षित/प्रशिक्षणाधीन कार्मिकों की संयंत्रवार संख्या उपाबन्ध में दी गई है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विदेश में प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने वाले भारतीयों की संख्या के बारे में सम्बन्धित संगठनों के साथ परामर्श करके अन्तिम निर्णय लिया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त रूस, पोलेण्ड, यूगोस्लाविया, संयुक्त राज्य अमरीका, फ्रांस से आयातित संयंत्रों के बारे में, ताप विद्युत् केन्द्रों के प्रचालन और अनुरक्षण में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों के इंजीनियर इन देशों को भेजे गए थे। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1053/77**]

दिल्ली के अभियोजक

417. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या गृह मन्त्री नई दिल्ली से प्रकाशित 'नीडल्स भाई' पाक्षिक के 19वें संस्करण में "हू ओन्स दिल्ली प्रोसीक्यूटर्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित लेख के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में तथा इसके पड़ोसी राज्यों में अभियोजकों की सेवा की शर्तें क्या हैं; और

(ख) इनकी सेवा की शर्तों, वेतन ढांचे, पदोन्नति के अवसरों और उनकी सेवा शर्तों आदि के विनियमन में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) दिल्ली में, 1 अप्रैल, 1974 से नई दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के लागू होने से पहले अभियोजन अभिकरण पुलिस महानिरीक्षक, दिल्ली के अधीन कार्य करती थी। नई दंड प्रक्रिया संहिता लागू होने के बाद अभियोजन अभिकरण को दिल्ली प्रशासन के विधि और न्यायिक विभाग को अन्तरित करने का निर्णय किया गया था। तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अभियोजन अभिकरण के स्टाफ के लिए निम्नलिखित नए वेतनमान लागू किए गए थे।

1. अभियोजन निदेशक	1100–1600 रुपए
2. मुख्य अभियोजक	700–1300 रुपए
3. वरिष्ठ अभियोजक	840–1250 रुपए
4. अभियोजक	650–960 रुपए

उत्तर प्रदेश में अभियोजन अभिकरण में अधिकारियों के वेतनमान निम्न प्रकार हैं :—

1. विशेष अभियोजन अधिकारी	550–1200 रुपए
2. अभियोजन अधिकारी	450–850 रुपए
3. सहायक अभियोजन अधिकारी	350–700 रुपए

राजस्थान अभियोजन अभिकरण में विभिन्न पदों के वेतनमान इस प्रकार हैं :—

1. सहायक अभियोजन निदेशक	930–1500 रुपए (महंगाई भत्त सहित)
2. सहायक लोक अभियोजक ग्रेड-I	650–1270 (महंगाई भत्ते सहित)
3. सहायक लोक अभियोजक ग्रेड-II	550–1010 (महंगाई भत्ते सहित)

हरियाणा में, अभियोजन अभिकरण के विभिन्न पदों के लिए निम्नलिखित वेतनमान हैं :—

1. जिला अटार्नी	700–1250 जमा विशेष वेतन
2. उप-जिला अटार्नी/अपर लोक अभियोजक	350–950 (न्यूनतम 450 रुपए)
3. सहायक जिला-अटार्नी	350–650 जमा विशेष वेतन

(ख) दिल्ली में अभियोजन अभिकरण के विभिन्न पदों के लिए भर्ती नियमों को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जा रहा है इन नियमों को अन्तिम रूप दिए जाने तथा अधिसूचित किए जाने के बाद ही इन पदों के धारकों को विनियमित किया जा सकता है। जैसा कि ऊपर (क) में बताया गया है, पद के वेतन ढांचे को तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पहले ही संशोधित किया जा चुका है।

रक्षा मंत्रालय के अधिकारी का लापता होना

418. **श्री डी० अमात**
श्री यादवेन्द्र दत्त } : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 अगस्त, 1977 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित

इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि रक्षा मन्त्रालय का भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक वरिष्ठ अधिकारी पांच सप्ताह से अधिक अवधि तक लापता रहा; और

(ख) यदि हां, तो रक्षा मन्त्रालय के अधिकारी के लापता होने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : जी हां। केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी और रक्षा मन्त्रालय में उप-सचिव श्री ईश्वर चन्द्र बंसल 20-7-1977 से लापता हैं। उनसे एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने सन्यास ले लिया है। इस मामले की आसूचना ब्यूरो और स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट की गई है। उसका पता लगाने के प्रयास अभी सफल नहीं हो पाए हैं।

कोका कोला निर्यात निगम को तदर्थ आयात लाइसेंस

419. **श्री आर० के० अमीन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोका कोला निर्यात निगम को किस नीति के अन्तर्गत तदर्थ लाइसेंस देने की सिफारिश की गई थी; और

(ख) गत 12 महीनों में कोका कोला निर्यात निगम ने कितनी कीमत का निर्यात किया ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मईति) : (क) कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन की पुनः पूर्ति की हकदारी अप्रैल 1971 में निर्यात के जहाज तक निःशुल्क मूल्य के 20 प्रतिशत से घटाकर 4.5 प्रतिशत कर दी गयी थी। इसके बाद कम्पनी ने सरकार को अभ्यावेदन दिया था कि उन्हें देश में बेचने हेतु सान्द्रण (कान्सेन्ट्रेट्स) बनाने के लिए आवश्यक वस्तुओं का आयात करने के लिए वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस दिया जाना चाहिए। इसके बाद कम्पनी द्वारा देश में उत्पादन करने के लिए आयातित सामग्री की मात्रा निर्धारित करने हेतु जुलाई, 1972 में एक अन्तर मन्त्रालीय समिति की स्थापना की गयी थी। समिति ने वास्तविक उपभोक्ता की हकदारी प्रतिवर्ष 16 लाख रुपये निश्चित की थी। तदुपरान्त 1974-75 से वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस का मूल्य प्रतिवर्ष 5.5 प्रतिशत कम करने का निश्चय किया गया था। फिर भी, कम्पनी के लिए दिसम्बर, 1976 के पश्चात कोई भी तदर्थ आयात लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

(ख) 1976 की अवधि में कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन द्वारा किए गए निर्यात का मूल्य 2.94 लाख रुपये था।

PROPOSAL TO AHMED PROVISION OF ANTICIPATORY BAIL

420. SHRI ISHWAR CHAUDHRY
SHRI HUKAMDEO NARAIN YADAV
SHRI K. MALLANNA
SHRI S. S. SOMANI :
SHRI VAYALAR RAVI
: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government propose to make certain amendments in the sections relating to anticipatory bail granted to the persons apprehending their arrest; and

(b) if so, the details thereof ?

MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) and (b) The matter is under consideration.

CATEGORISATION OF DIFFERENT FIGURES OF 1971 CENSUS

421. SHRI RAGHAVJI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the work relating to the compilation and categorisation of the different figures of 1971 Indian Census has been completed;

(b) if not, the nature of the work which is yet to be completed and when it is likely to be completed;

(c) the reasons for delay in the completion of the work of census even after the lapse of more than 6 years and the steps being taken by Government to complete the work immediately; and

(d) the number of employees working in the office of the Registrar General of India and the number of those out of them who have been working for more than five years but have not yet been made permanent ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIQ LAL MANDAL) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) In view of the reply to (a) above, the question does not arise.

(d) (i) Number of employees working in the office of the Registrar General of India is 552.

(This excludes 64 persons drawn from other services and cadres, including deputationists;

(ii) Number of those out of them who have been working for more than five years but have not yet been made permanent is 311.

LATERAL ROAD PROJECT IN BORDER AREAS

†422. SHRI HUKAMDEO NARAIN YADAV : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether Government propose to build roads in border areas from security point of view and to provide transport facility;

(b) whether the lateral Road Project has been pending for years and if so, whether Government propose to implement this project; and

(c) whether a road was to be constructed under the Lateral Road Project in an area of 85 k.m. of Indo-Nepal border in Madhubani district of Bihar ?

MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM) : (a) to (b) Under the Constitution, the Government of India are primarily responsible for roads declared as National Highways. All roads other than National Highways in States are essentially the responsibility of the State Governments concerned. However, the Central Government also provide financial assistance for selected State roads to meet security and other such requirements as and when the security authorities concerned project any specific requirements.

The Lateral Road has also been constructed at Central cost. It starts from Bareilly in Uttar Pradesh and goes upto Amingaon in Assam passing through Bihar and West Bengal. The entire sanctioned Lateral Road Project is by and large complete excepting for some minor bridges and their approaches in Assam for which the State Government have been impressed upon for arranging early completion. Actually in that section also the road is open to traffic through temporary diversions.

(c) Presumably, the Member is having in mind the construction of Darbhanga-Forbesganj Road Link. It is a State road and the State Government will have to take up this road if considered necessary. The Central Government are not contemplating its construction nor is its non-construction holding up the traffic which is passing through portions of National Highways No. 28 and 31.

PROTECTION BY GOVERNMENT TO AGRA SHOE INDUSTRY

423. SHRI RAMJI LAL SUMAN : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government propose to give maximum protection to the shoe industry in Agra; and

(b) whether Government propose to make arrangements for advancing loans from banks on lower rate of interest to encourage this industry ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) The Leather Footwear Industry in Agra is in the small scale and cottage sectors. Under the existing policy of Government, the industry is reserved for development in the small scale sector. However, applications for expansion of existing units as well as for setting up of new units in the organised sector are considered exclusively for export development and on the basis of 100% export obligation, subject to rejections not exceeding 5%. Exemption from payment of excise duty is also available to units employing not more than 49 workers and using power not exceeding 2 H.P.

(b) The Leather Footwear Industry at Agra is availing of financial assistance from the State Bank of India and other nationalised banks as applicable to small scale industries in general. The artisans from weaker sections of the society are also getting financial assistance at differential rate of interest (4% per annum) from the aforesaid banks.

शाह आयोग से वापस लिये गये मामले

424. **श्री मोहम्मद शफी कुरेशी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई मामलों अथवा आवेदनों में उल्लिखित आरोपों को शाह आयोग से वापस ले लिया गया है और उन्हें जांच के जिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन मामलों, आवेदनों और आरोपों की संख्या और ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) कोई मामला अथवा आवेदन/आरोप शाह आयोग से वापस नहीं लिया गया है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो को नहीं दिया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्यों द्वारा ट्रांस्फार्मरों का आयात

425. **डा० बापू कालदाते** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्यों ने बिजली की सप्लाई बढ़ाने के लिए ट्रांस्फार्मरों का आयात करने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं तथा उनकी आवश्यकता कितनी है; और

(ग) सरकार ने किन राज्यों का अनुरोध मान लिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) ट्रांसफार्मर आयात करने के लिए किसी भी राज्य बिजली बोर्ड/परियोजना का कोई भी प्रस्ताव इस समय सरकार के पास विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

दहेज के लिए ससुराल वालों द्वारा महिलाओं की हत्या

426. **श्री अनन्तदवे**
श्री शंकर सिंहजी बाघेला : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्याप्त मात्रा में दहेज न लाने की वजह से ससुराल वाले व्यक्तियों द्वारा युवतियों की हत्या कर देने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) वर्ष 1977 के दौरान अब तक ऐसी कितनी घटनाओं की सूचना दी गई है अथवा वे सरकार के ध्यान में आई हैं;

(ग) वर्ष 1974, 1975 और 1976 की अवधि के दौरान ऐसी घटनाओं के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस सिलसिले में अब तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया; और

(ङ) उन युवतियों की जान बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य उपाय करने का प्रस्ताव है, जिनकी इस प्रकार हत्या कर दी जाती है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ङ) तक

अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

कृषि प्रयोजनों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग

428. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्रयोजनों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने हेतु अनुसन्धान करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार ने सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए अनुसन्धान कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत में संस्थाओं और प्रयोगशालाओं द्वारा किए जा रहे अनुसन्धान के क्या निष्कर्ष और परिणाम निकले हैं ?

ऊर्जा मंत्री श्री पी० रामचन्द्रन : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) विभिन्न कार्यों में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए अनुसन्धान और उत्पाद विकास सम्बन्धी एक समेकित कार्यक्रम शुरू किया गया है। कृषि कार्यों के लिए सौर ऊर्जा के इस्तेमाल हेतु निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसन्धान और विकास कार्यकलाप प्रगति पर है :—

—सौर पम्प

—कृषि उत्पाद को सुखाने के लिए सौर शोषक

—सौर शीतलन

—सौर विद्युत् उत्पादन

सौर पम्प

विभिन्न प्रकार की प्राविधिकी का इस्तेमाल करके सौर पम्पों को विकसित करने के लिए एक अनुसन्धान कार्यक्रम शुरू किया गया है। कुछ किस्मों के प्रयोगशाला-माडलों को विकसित किया गया है और उनका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। प्रोटोटाइपों को विकसित करने तथा निष्पादन व लागत सम्बन्धी मूल्यांकन करने के लिए आगे कार्य प्रगति पर है। अन्य प्रकार के प्रयोगशाला स्केल प्रोटोटाइप माडलों हेतु आधारभूत अभिकल्प विकसित किए जा रहे हैं।

सौर शोषक

खाद्यान्न और सूखे-फलों इत्यादि जैसे उत्पादों को सुखाने के लिए सौर ऊर्जा इस्तेमाल करने वाले केबिनेट टाइप डिजाइन विभिन्न संस्थानों द्वारा विकसित किए गए हैं। दूध के स्प्रे शोषण के लिए एक अनुपूरक साधन के रूप में सौर ऊर्जा के प्रयोग के सम्बन्ध में अमूल ने एक परियोजना हाथ में ली थी तथा उसे सफलतापूर्वक पूरा किया है। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने 10 मीटरी टन धान प्रतिदिन सुखाने वाले एक शोषक को लगाया है तथा परीक्षण किया है। इमारती लकड़ी को सुखाने के लिए वन अनुसन्धान संस्थान ने सौर भट्टियां विकसित की हैं।

सौर शीतलन

कुछ संस्थान शीतलन के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किए जाने पर कार्य कर रहे हैं। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाले एक कोल्ड स्टोरेज को बनाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई ने एक परियोजना हाथ में ली है।

सौर विद्युत् उत्पादन

सौर ऊर्जा से चालित प्राइमर-मूवर का इस्तेमाल करने वाले 10 कि० वा० के विद्युत् संयन्त्र को स्थापित करने के लिए पश्चिम जर्मनी के सहयोग से एक परियोजना हाथ में ली गई है और यह मद्रास में प्रगति पर है। सौर ऊर्जा को सीधे ही विद्युत् में परिवर्तित करने हेतु सौर कोषों को विकसित करने के लिए एक समेकित परियोजना भी प्रगति पर है। इन विकास कार्यों का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी होगा।

SETTING UP OF INDUSTRIES BASED ON MINERALS AND FOREST WEALTH

429. SHRI YAGYA DATT SHARMA : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government have any scheme under their consideration to encourage the setting up of industries based on minerals and forest wealth in Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for not drawing up such a scheme ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) to (c) While Government's policy is to encourage industries using locally available natural resources, such as, minerals and forest wealth, other factors, such as, adequate infrastructural facilities, suitability of location and economic viability have also to be taken into account. Hence while individual proposals are considered on merits, no specific scheme for setting up industries based on minerals and forest wealth can be drawn up to cover Himachal Pradesh, Punjab, Haryana and Rajasthan without going into details of all the factors to be taken into consideration.

अरुणाचल प्रदेश में पन-बिजली संयंत्रों की स्थापना

430. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरुणाचल सरकार ने राज्य में बिजली के उत्पादन के लिए पन-बिजली संयंत्रों को स्थापना हेतु योजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन योजनाओं पर अभी तक अपनी स्वीकृति नहीं दी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार शीघ्र ही अपनी अनुमति देने का है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) अरुणाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण को भेजे गए माइक्रो जल-विद्युत् प्रस्तावों की जांच कर ली गई है और जो स्पष्टीकरण आवश्यक समझे गए उनके लिए केन्द्रीय विद्युत्-प्राधिकरण ने उक्त प्रशासन से अनुरोध किया है। इन स्पष्टीकरणों की प्रतीक्षा है। अपेक्षित स्पष्टीकरणों के प्राप्त हो जाने पर इन प्रस्तावों पर आगे कार्रवाई की जा सकती है।

बालासौर जिले में स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

431. **श्री जेना बैरागी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के बालासौर जिले में कितने स्वतन्त्रता सेनानियों को केन्द्रीय सरकार से पेंशन प्राप्त हो रही है ;

(ख) कितने व्यक्तियों की पेंशन बन्द कर दी गई है और किन आधारों पर; और

(ग) अभी भी कितने आवेदन केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं और वे कब से विचाराधीन हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) 356।

(ख) उड़ीसा के बालासौर जिले के दस मामलों में पैंशन बन्द कर दी गयी है चूंकि रिपोर्टों के आधार पर यह झूठे दस्तावेज सबूत देने पर प्राप्त की गई थी और दो मामलों में ऐसी रिपोर्टों के आधार पर चूंकि लाभान्वित व्यक्तियों की वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक थी।

(ग) केन्द्रीय सरकार के पास कोई आवेदन-पत्र प्रारम्भिक जांच पड़ताल के लिए लम्बित नहीं है।

PROMULGATION OF ORDINANCE BY MADHYA PRADESH

432. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI
SHRI D. B. CHANDRA GOWDA
SHRI C. K. CHANDRAPPAN
SHRI M. N. GOVINDAN NAIR
: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the fact that Madhya Pradesh State Government has promulgated an ordinance under which any person can be detained for a long time without instituting any case against him and which has come to be known as 'Mini MISA';

(b) whether Government have pointed out to the State Government that it is not in public inerest and asked it to withdraw it; and

(c) if so, reaction of the State Government thereto ?

MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : (a) The Madhya Pradesh Lok Avyavastha Nivaran (Asthai Shaktiyan) Adhyadesh, 1977 was promulgated by the Governor of Madhya Pradesh on 25th September, 1977 in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution. The Ordinance provides for preventive detention for a maximum period of three months.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा कार्यकलापों का प्रसार और विविधीकरण

433. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को, जोकि लन्दन आधारित विदेशी मल्टी-नेशनल कारपोरेशन यूनी लीवर की एक सहायक कम्पनी है, हाल ही में भारत में अपने कार्यकलापों का प्रसार करने और विविधता लाने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एक विदेशी बहुराष्ट्रीय कारपोरेशन को ऐसी स्थिति में प्रसार करने और विविधता लाने की अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं जब हमारे देश में 'सिंथेटिक डिटरजेंटस' आदि तैयार करने के लिए आवश्यक संसाधन और तकनीकी जानकारी उपलब्ध है ?

उद्योग मंत्रालय राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि० को जनवरी-सितम्बर, 1977 की अवधि में कोई भी औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

दूरदर्शन और आकाशवाणी का पक्षपातपूर्ण रवैया

434. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांग्रेस के अनेक कार्यकर्त्ता विशेषकर कांग्रेस यूथ फोरम के कार्यकर्त्ता, उस समय गिरफ्तार कर लिए गए जब वे दूरदर्शन और आकाशवाणी के 'पक्षपात-पूर्ण' रवैये के विरुद्ध आवाज उठा रहे थे; और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और क्या सरकार ने उनकी मांग पर विचार कर लिया है और यदि हां, तो क्या परिणाम निकला?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) श्रीमती इन्दिरा गान्धी को तथाकथित पक्षपातपूर्ण रूप से कवर करने के बारे में विरोध करने के लिए आकाशवाणी के लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद, गोरखपुर और वाराणसी केन्द्रों पर प्रदर्शन की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। कुछ व्यक्तियों द्वारा जिनका सम्बन्ध यूथ रिवोलूशनरी ग्रुप से बताया जाता है, बीका-नेर में भी प्रदर्शन किया गया था।

(ख) अवैध जन समूह और अन्य अपराधों के आरोप में 94 प्रदर्शनकारियों को नई दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। अन्य स्थानों पर की गई गिरफ्तारियों, यदि कोई हों, के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

यह प्रदर्शन श्रीमती इन्दिरा गान्धी की गिरफतारी के बाद कांग्रेस पार्टी की गतिविधियों को कवर न करने के विरोध में किए गए थे। आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा समाचारों का प्रसारण वस्तुनिष्ट और संतुलित है। प्रदर्शनकारियो की मांग में कोई सार नहीं है।

DARBHANGA FORBESGANJ LATERAL ROAD PROJECT

435. SHRI VINAYAK PRASAD YADAV : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether preliminary survey of Darbhanga Forbesganj Lateral Road Project was conducted several years ago in order to connect Darbhanga, Saharsa and Forbesganj of the State of Bihar with the National Highway;

(b) whether the said lateral road will be constructed by the side of Indo-Nepal border; and

(c) the date by which the construction work of this road is likely to be started ?

MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM) : (a), (b) and (c) The Darbhanga Forbesganj Road when developed would be State Road. Its construction will, therefore, be a responsibility of the Government of Bihar. At one stage the question of developing this road under the Strategic Roads programme was examined in consultation with the Ministry of Defence. However, it was not found necessary to include it in that or any other Central programme.

'रोलिंग' योजना की कल्पना

436. श्री जी० एस० रेड्डी
श्री मनोरंजन भक्त
श्री के० मालन्ना
श्री पी० जी० मावलंकर
श्री सी० के० जाफर शरीफ
श्री प्रसन्नभाई मेहता
डा० हेनरी ग्रास्टिन :
श्री ओ० वी० अलगेशन
श्री सन्तोष राव गोडे
श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्
श्री ईश्वर चौधरी
श्री उग्रसेन
श्री एस० एस० सोमानी

: क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'रोलिंग' योजना की कल्पना को लागू करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस कल्पना को स्वीकार कर लिया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) अनवरत योजना की संकल्पना का ध्येय मध्यावधि विनियोजन योजना को और अधिक लचीला तथा व्यावहारिक बनाना है। प्रारम्भ में समेकित बचत और विनियोजन क्षेत्रवार परिव्यय और प्रमुख क्षेत्रों के उत्पादन के लक्ष्यों के अनुमान 1978--83 की अवधि के लिए निर्धारित किए जायेंगे। इसके बाद योजना की अवधि को एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा, और प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर बढ़ाए गए वर्ष के लक्ष्य और अनुमान नियत किए जायेंगे।

अनवरत योजना प्रणाली के अपने कई लाभ हैं--इसमें अनुमान आधार स्तर से तैयार किए जाते हैं, इस आधार को वार्षिक रूप से समायोजित कर लिया जाता है, इससे त्रुटियों को बराबर सुधारा जा सकता है और विनियोजन से सम्बन्धित निर्णय करने के लिए निरन्तर अवसर प्राप्त होता है।

योजना प्रणाली में प्रस्तावित संशोधनों का अर्थ यह नहीं है कि भावी आयोजना व्यवस्था को छोड़ दिया गया है अथवा पंचवर्षीय कार्यक्रम आकार की जगह तदर्थ वार्षिक निर्णयों को दे दी गई है। अर्थ-व्यवस्था के दीर्घकालीन स्वरूप का निर्धारण करने के लिए जनसंख्या के आकार को ध्यान में रखते हुए एक नई 15 वर्षीय भावी योजना तैयार की जाएगी। इससे, तैयार होने में अधिक समय लेने वाली परियोजनाओं, जिनके लिए पांच वर्ष की अवधि पर्याप्त नहीं होती है, पर विनियोजन से सम्बन्धित निर्णय करने और भूमि के उपयोग, जल संसाधन, तेल और खनिज विकास और जनशक्ति से सम्बन्धित योजना के स्वरूप के लिए भी व्यवस्था रहेगी।

(ग) योजना प्रणाली में प्रस्तावित परिवर्तन और अनवरत योजना आरम्भ करने के विचार को 1978--83 की योजना के प्रारूप के साथ अगले वर्ष के प्रारम्भ में राष्ट्रीय विकास परिषद् के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।

COMMISSIONS FOR MINORITIES AND SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

437. SHRI HARGOVIND VERMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to constitute Commissions for minorities and Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(b) if so, the outlines thereof; and

(c) whether there is any proposal to set up Backward Classes Commission also for the uplift of Backward classes ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a), (b) and (c) A decision in principle to set up a Civil Rights Commission has been taken by the Government to ensure that the minorities, scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes do not suffer from discrimination or inequality. Some suggestions and representations have been received from Hon'ble Members of Parliament and other representatives of scheduled castes and scheduled tribes. All these would be duly considered by the Government before arriving at a final decision.

CRIMES IN DELHI

438. SHRI BRIJ RAJ SINGH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state the number of incidents of thefts, dacoities and other unlawful activities that took place in Delhi during the period 1st April, 1977 to 31st October, 1977 ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : The Crime figures for the period from 1-4-1977 to 31-10-1977 are given below :—

Thefts	11887
Dacoities	16
Murder	112
Attempt to murder	139
Robbery	224
Riots	109
Hurt	1255
Burglary	1550
M.V. Thefts	1195
Misc. IPC	4985

औद्योगिक विस्फोटक- पदार्थ बनाने वाली फर्में

440. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में औद्योगिक विस्फोटक-पदार्थ बनाने वाली फर्में कितनी और कौन कौन सी हैं; उनकी उत्पादन क्षमता क्या है और वे देश की मांग कहां तक पूरी कर सकती हैं ;

(ख) क्या ये फर्में विस्फोटक-पदार्थों का निर्यात भी कर रही हैं और यदि हां, तो वे अपने उत्पादन का कितना प्रतिशत निर्यात कर रही हैं और किन-किन देशों को; और

(ग) क्या देश की मांगें पूरी करने के लिए विस्फोटक-पदार्थों के निर्यात में कटौती करने का विचार है ?

4—868LSS/77

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) इस समय औद्योगिक विस्फोटक-पदार्थों का निर्माण करने वाली दो कम्पनियां हैं जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है :—

(मी० टनों में)

क्र० सं०	कम्पनी का नाम और उत्पादों का विवरण	अधिष्ठापित क्षमता	1976 में उत्पादन
1.	इण्डियन एक्सप्लोसिव्स लि०, गोमिया, बिहार (नाइट्रो-ग्लिसरीन पर आधारित विस्फोटक-पदार्थ)	36,000	37,074
2.	आई० डी० एल० केमिकल्स लि०, हैदराबाद और राउरकेला (स्लरी विस्फोटक-पदार्थ)	22,500	10,544

यद्यपि कुल मिलाकर वर्तमान उत्पादन देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, किन्तु मांग में अनुमानित वृद्धि को पूरा करने के लिए 67,500 मीटर टन की अतिरिक्त क्षमता के लिए स्वीकृति दी गई है।

(ख) और (ग) : विस्फोटक पदार्थ और सहायक सामान जैसे 145.09 लाख रुपये मूल्य के डटोनेटरों फ्यूज और सेफ्टी फ्यूज का 1976–77 की अवधि में बहरीन, बंगलादेश ईरान, जोर्डन, मलयेशिया और श्रीलंका को निर्यात किया गया था। निर्यात की गई औद्योगिक विस्फोटक सामग्री का मूल्य बहुत मामूली है और अधिकांश निर्यात विस्फोटक सामग्री और सहायक सामान का किया गया था। इन परिस्थितियों और देश में औद्योगिक विस्फोटकों की उपलब्धता को देखते हुए विस्फोटक-पदार्थों के निर्यात में कमी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

WATER TRANSPORT FACILITIES TO BIHAR

441. SHRI GYANESHWAR PRASAD YADAV : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) Whether Central Government used to allot funds to the State of Bihar every year for the development of water transport facilities in the State;

(b) if so, the steps taken by the State Government in the years 1976-77 and 1977-78 in this direction and whether any scheme has been formulated for water transport development; and

(c) whether the Central Government propose to provide the Government of Bihar with special facilities for water transport in the State ?

MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM): (a) Funds were released from 1963-64 to 1968-69 details of which are laid on the table of the House.

(b) No steps were taken by the State Government during 1976-77. The State Government has suggested on 10-10-77 five schemes for inclusion in the next Five Year Plan commencing from 1-4-78. No detailed project report has so far been received from the State Government.

(c) No Sir. The Central assistance will be provided within the broad policy framework that may be adopted for the country for the next Five Year Plan.

STATEMENT

Statement showing details of Funds released to the Government of Bihar

Sl. No.	Year	Funds released
1.	1963-64	Rs. 50,000
2.	1964-65	Rs. 98,200
3.	1965-66	Rs. 96,700
4.	1966-67	Rs. 19,100
5.	1967-68	Rs. 5,000
6.	1968-69	Rs. 5,000

SEA ROUTE VIA MAURITIUS AND MALAGASHI

442. SHRI YADAVENDRA DATT : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether Government propose to open a new sea route via Mauritius and Malagashi for carrying trade with Caribbean area and entire Latin America.

(b) whether Government propose to review the shipping charges and allow some concession on shipping in cargo through this new route;

(c) what is the annual tonnage of cargo operated from India to Japan, Indonesia, Carolina and Marshal and Gilbert Islands; and

(d) whether Government propose to open a new sea trade route via Singapore, Philippines, U.S.A., Mexico, Columbia Ecuador, Peru, Bolivia and Panama and allow concessional rates with a view to increasing Indias trade ?

MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM) : (a) No, Sir.

(b) Question does not arise.

(c) Approximate annual tonnage which moves from India to Japan and Indonesia is 4,57,996 and 2,000 tons respectively.

Cargo prospects for Caroliana, Marshal and Gilbert are not readily available.

(d) Shipping Corporation of India, a public sector undertaking, is examining a proposal of offering direct shipping service to countries situated on the East Coast of Latin America. No final decision has been taken so far.

हरिजनों पर किये गये अत्याचारों के बारे में अध्ययन दल का प्रतिवेदन

443. **श्री पी० के० कोडियान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी हिंसक घटनाओं के बारे में विवरण एकत्र करने के लिए एक अध्ययन दल की स्थापना की गई थी जिनमें वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद के महीनों में हरिजनों पर अत्याचार किए गए थे; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी ऐसे अध्ययन दल की स्थापना नहीं की गई है ।

(ख) ओर (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मराठवाड़ा महाराष्ट्र में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के यूनिट की स्थापना

444. **श्री गंगाधर अप्पा बूरांडे** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के मराठवाड़ा जिले में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का एक यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) भारत सरकार के सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की सहायता से राज्य सरकार द्वारा महाराष्ट्र में कोल्हापुर में एक वाच असेम्बली यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

(ख) स्थापना-स्थल का निर्धारण तथा भवन निर्माण संबंधी योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है और यूनिट में आगामी वर्ष में कार्य शुरू होने की आशा है ।

बिना मुकदमा चलाये नजरबन्द व्यक्ति

445. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **गृह** यह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूचे देश में विभिन्न जेलों में बिना मुकदमा चलाए नजरबन्द व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) आंकड़ों का, राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उनको किन आधारों पर अथवा किन कानूनों के अधीन नजरबन्द रखा जा रहा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क), (ख) तथा (ग) अपेक्षित सूचना का विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	बिना मुकदमा चलाये नजरबन्द व्यक्तियों की संख्या	किन आधारों पर तथा कितने कानूनों के अधीन नजरबन्द रखा गया
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1	भारत सरकार के आदेशों के अन्तर्गत कोफेपोसा के अधीन ।
2.	गुजरात	83	कोफेपोसा के अधीन ।
3.	मध्य प्रदेश	2	मीसा के अधीन एक तथा विदेशी अधिनियम, 1946 के अधीन एक । दोनों पाकिस्तानी राष्ट्रिक हैं।

1	2	3	4
4.	मणिपुर	172	भा० दं० सं०, सीमा शुल्क अधिनियम, शस्त्र अधिनियम आदि के अधीन।
5.	उत्तर प्रदेश	3	कोफेपोसा के अधीन।
6.	प० बंगाल	24	(1) मीसा के अधीन 2 (इनमें से 1 पाकिस्तानी राष्ट्रिक है जो अनाधिकृत रूप से ठहरने के कारण नजरबन्द किया गया था। दूसरा जो बंगलादेश का राष्ट्रिक है जासूसी के कारण गिरफ्तार किया गया है।) (2) कोफेपोसा के अधीन 22।
7.	दिल्ली	12	कोफेपोसा के अधीन 2। मीसा के अधीन 5; 5 पाकिस्तानी नजरबन्दी हैं, जो पुनः निष्कासन की प्रतीक्षा में थे (2 त्रिपुरा के मामले हैं)।
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.	बिहार हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू काश्मीर सिक्किम अरुणाचल प्रदेश अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह चंडीगढ़ दादरा व नागर हवेली लक्षद्वीप पांडिचेरी	शून्य	प्रश्न नहीं उठता है।
19. 20. 21. 22. 23. 24.	असम कर्नाटक केरल महाराष्ट्र मेघालय नागालैंड	. . .	सूचना अभी आनी बाकी हैं।

1	2	3	4
	25. उड़ीसा	सूचना अभी आनी बाकी है।	
	26. पंजाब		
	27. राजस्थान		
	28. तमिलनाडु		
	29. गोवा, दमन व दीव		
	30. मिजोरम		

तयार माल को अन्य राज्यों में भेजने तथा कच्चा माल आयात करने के लिए त्रिपुरा को राज सहायता

446. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार त्रिपुरा के देश में आर्थिक रूप से पिछड़ा राज्य होने के कारण उसे अन्य राज्यों को विपणन हेतु तैयार माल के परिवहन और कच्चा माल मंगाने के लिए उसे शत प्रतिशत राज सहायता देने का है; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख) इस समय लागू परिवहन सहायता योजना 1971 के अधीन त्रिपुरा सहित चुने हुए क्षेत्रों में औद्योगिक एककों के स्थापना स्थलों और माल की बिक्री निर्दिष्ट स्थानों के बीच कच्चे माल और तैयार वस्तुओं दोनों की परिवहन लागत के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जाती है। प्रतिपूर्ति की इस सीमा में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन

श्री के० प्रधानी
श्री प्रसन्नभाई मेहता } क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन करने का विचार है ताकि आदिवासियों का शीघ्र विकास सुनिश्चित किया जा सके और इस प्रयोजन के लिए एक कार्यकारी ग्रुप गठित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्यों के नाम और निदश पद क्या हैं; और

(ग) उपरोक्त ग्रुप अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां श्रीमान।

(ख) कार्यकारी दल का गठन और उसके विचाराधीन विषय अनुलग्नक में दिये गये हैं।

(ग) आशा है कि यह कार्यकारी दल अपनी रिपोर्ट दिसम्बर 1977 के अंत तक दे देगा।

विवरण

कार्यकारी दल का गठन इस प्रकार होगा :—

(1) श्री जे० पी० नायक, सदस्य सचिव, इंडियन कौंसिल ग्राफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली।	ग्रध्यक्ष
(2) मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा ग्रौर महाराष्ट्र के ग्रादिवासी ग्रायुक्त	सदस्य
(3) कृषि विभाग, सहकारिता, शिक्षा ग्रौर स्वास्थ्य, योजना ग्रायोग ौर राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के प्रतिनिधि। (संयुक्त सचिव के पद के स्तर से कम नहीं)।	सदस्य
(4) संयुक्त सचिव (ग्रादिवासी विकास)	संयोजक सदस्य
(5) श्री एस० सी० बेहर, निदेशक, ग्रादिवासी विकास	सचिव

2. तथापि यह कार्यकारी दल उन ग्रन्य उपयुक्त व्यक्तियों को सहयोजित करेगा जिन्हें यह इस कार्य को पूरा करने के लिए ग्रावश्यक समझे ।

3. कार्यकारी दल के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे :—

(1) ग्रादिवासी क्षेत्रों में विशेष कर कृषि ग्रौर उन सम्बद्ध क्षेत्रों में प्रारंभिक प्रशासनिक ढांचे का पुनरीक्षण जिनमें सहकारिता, स्वास्थ्य ग्रौर शिक्षा भी शामिल हैं ;

(2) प्रशासन ग्रौर जनता के बीच वर्तमान संचार ग्रवरोध को दूर करने के लिए उपाय सुझाना; ग्रौर

(3) ग्रादिवासी क्षेत्रों की विशेष समस्याग्रों ग्रौर स्थानीय समुदाय के साथ विस्तार सेवाग्रों के गठन संबंधी एकीकरण की ग्रावश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन के बारे में सुझाव ।

QUASI-PERMANENT EMPLOYEES

448. SHRI SUKHENDRA SINGH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) Whether there are employees in the Ministries and Departments of Government of India who have not been declared quasi-permanent even after completion of more than three years' regular service;

(b) the reasons for not doing so, and the time by which they will be made quasi-permanent; and

(c) the present rules governing permanency of post ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI S. D. FATIL) : (a) This information is not available with the Department of Personnel and Administrative Reforms.

(b) A government servant is declared quasi-permanent if he has been in continuous temporary service for more than three years and the appointing authority is satisfied as to his suitability for employment in a quasi-permanent capacity under the Government. The

process of temporary government servants being declared as quasi-permanent is a continuous one and depends on the employee having put in continuous service and having been found suitable.

(c) According to the existent rules, in permanent Departments, 90% of the temporary posts upto the level of Deputy Secretary can be converted into permanent ones, provided they have been in existence for a continuous period of not less than three years. In temporary Departments, which have existed for not less than 10 years, and are not proposed to be wound up in the foreseeable future, 50% of the temporary posts can be converted into permanent ones provided they have been in continuous existence for a period of 5 years and are required indefinitely.

भारतीय वायु सेना भुज/जामनगर के एक एयरमैन को जान से मार डालना

449. **श्री श्री के० लकप्पा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में कुछ बाहरी व्यक्तियों ने भारतीय वायु सेना भुज/जामनगर के एक एयरमैन को जान से मार दिया था;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच करने का आदेश दिया गया था यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) एयरमैन के आश्रितों को कितना मुआवजा अथवा अनुग्रहपूर्वक अदायगी की गई है और उनका पुनर्वास करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) जी हां । इस मामले के तथ्य ये हैं कि 7 जून 1977 को लगभग 9 बजे जामनगर में आर्मामेंट ट्रेनिंग विंग का मोटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिक वायु-सैनिक कार्पोरल एस० मुखोपाध्याय, वायु सेना के अपने दो मित्रों के साथ कैम्प से बाहर गया था । बताया गया है कि कस्बे के कुछ नागरिकों की इस वायु सैनिक के साथ कुछ कहा सुनी शुरू हुई और फिर उनमें हाथापाई हो गई जिसके परिणामस्वरूप कार्पोरल मुखोपाध्याय को चोट आ गई । उसे सिविल अस्पताल में ले जाया गया जहां उसी दिन लगभग 10 बज कर 40 मिनट पर उसने दम तोड़ दिया। इसकी सिविल पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है । सिविल पुलिस ने 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और अब भुज के न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, ने मामला सत्र न्यायालय, भुज के सुपुर्द कर दिया है ।

(ग) वायु सेना ने भी 8 जून 1977 को इस संबंध में एक जांच अदालत के आदेश दिए और पहली जुलाई 1977 को कमान द्वारा कार्यवाही पूरी कर दी गई । जांच अदालत की रिपोर्ट के अनुसार इस वायु सैनिक की मृत्यु सेवा के कारण नहीं हुई ।

(घ) वायु सैनिक के पिता को निम्नलिखित अनुग्रहपूर्वक अदायगी की गई है --

(1) भारतीय वायु सेना हितकारी निधि संघ से 1200 रुपए दिए गए हैं ।

(2) वायु सैनिक के पिता की वित्तीय स्थिति अधिक अच्छी नहीं होने पर उन्हें पुनर्वास के लिए परिवार सहायता योजना (वायु सैनिक) के अधीन अधिकतम

10 वर्ष के लिए 100 रुपए प्रतिमास का अनुदान दिया जा सकता है। उनकी वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए 4 जुलाई, 1977 को एक प्रश्नावली भेजी गई थी। इस प्रश्नावली का अभी तक कोई उत्तर नहीं आया है और उन्हें एक अनुस्मारक भेजा गया है।

इनके अतिरिक्त निम्नलिखित रकम का भुगतान भी किया गया है :—

(1) ग्रुप बीमा योजना के अधीन वायु सैनिक के पिता को 10,044 रुपए दिए गए हैं।

(2) वायु सैनक के पिता को वायु सैनिक के शेष वेतन और अनिवार्य जमा योजना के जमा रकम के रूप में 1,345 रुपए दिए गए हैं और इस वायु सैनिक की वायु सैनिक सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि में जमा 1,323 रुपए की रकम की भी अदायगी कर दी गई है।

(3) मृत्यु तथा सेवानिवृति उपदान के रूप में 3,546 रुपए का भुगतान करने के भी आदेश दे दिए गए हैं इस वायु सैनिक की वसीयत के अनुसार यह राशि उसके पिता, माता और बहन में बांटी जानी है।

वायु सैनिक विवाहित नहीं था अतः उसे कोई परिवार पेंनशनदेय नहीं है। उसने अपनी सेवा के दस्तावेज में अपने पिता, माता और बहन (26 वर्ष) को अपने आश्रित घोषित किया है। उसके पिता ने भारतीय वायु सेना हितकारी निधि संघ से अपने वड़े पुत्र को जो अभी एक प्राइवेट संगठन में अस्थाई रूप से कार्य कर रहा है, नौकरी दिलाने का अनुरोध किया है। भारतीय वायु सेना हितकारी निधि संघ ने उन्हें अपने पुत्र के वैय-क्तिक विवरण भेजने को कहा है।

फारवर्ड सीमैंन्स यूनियन, कलकत्ता से प्राप्त अभ्यावेदन

450. **श्री शिवाजी पटनायक** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न त्रिपक्षीय निकायों में मजदूर संघ के प्रतिनिधित्व के लिये और यूनियन आफ सीमैन्स को मान्यता देने के संबंध में फारवर्ड सीमैन्स यूनियन, कलकत्ता से कोई अभ्यावेदन सरकार को मिला है;

(ग) अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही ी गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) यूनियन द्वारा दिए गए ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ गुप्त मतदान द्वारा यूनियन को मान्यता देने तथा त्रिपक्षीय संस्थाओं में प्रतिनिधित्व देने की मांग गई। इसके अलावा मैरीन हाउस, कलकत्ता में यूनियन के चन्दे की वसूली के लिए मान्यता-प्राप्त यूनियन को दी गई सुविधा वापस लेने की भी मांग की गई। नाविक यूनियन की सदस्यता के सत्यापन के लिए क्रियाविधि तयार की जा रही है और सत्यापन करने की व्यव-हार्यता विचाराधीन है। मान्यता देना या त्रिपक्षीय संस्थाओं में प्रतिनिधित्व देना इस

बात पर निर्भर करेगा कि यूनियन की संबंधित सदस्य संख्या कितनी है और इसलिए, सत्यापन के परिणाम निकलने तक प्रतीक्षा करनी होगी । इस बीच मान्यताप्राप्त यूनियनों को दी गई सुविधाओं को वापिस लेना उचित नहीं होगा ।

SETTING UP OF INDUSTRIES BY FOREIGN FIRMS

451. SHRI RAMESHWAR PATIDAR : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government have asked foreign firms to set up different industries in the country; and

(b) if so, their reaction thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) and (b) The Minister (Industry) recently visited certain foreign countries and during his visit the general policy of the Government towards foreign investment in India was explained. It was emphasised that India would welcome foreign investment in areas of priority production and high technology on terms and conditions which are clearly provided under the Foreign Exchange Regulation Act and the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act. This position was appreciated and accepted. The response from specific companies will have to be seen over a period of time.

बम्बई-पूना रोड, राष्ट्रीय राजपथ संख्या 4 के बोरघाट सेक्शन में मार्ग बनाना

452. **श्री अप्पासाहिब गोटखिण्डे** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) बम्बई-पूना रोड, राष्ट्रीय राजपथ संख्या 4 के बोरघाट सेक्शन में वैकल्पिक मार्ग बनाने के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) क्या विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिये यह योजना प्रस्तुत की जा रही है; और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 4 के बंबई-पूणे खंड जो लोअर बोरघाट भाग के नाम से जाना जाता है के खंडाला के निकट खपोली (मी० 64 और मी० 68/1) के बीच दूसरे मार्ग के संरेखन को अंतिम रूप दे दिया गया है और अधिकांश भूमि प्राप्त कर ली गई है । छोटी योजना नियतन में धन मिलने पर और अखिल भारतीय चित्र को दृष्टि में रखते हुए उक्त योजना में कार्य को शामिल करने का प्रयत्न किया जायगा । यदि उच्च प्राथमिकता की सड़क के रूप में शामिल किया गया तो अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण के लिये विश्व बैंक से बातचीत करने की कोशिश की जायेगी ।

सरकारी विभागों द्वारा स्मारिकाओं के माध्यम से धन इकट्ठा करना

453. श्री के० मालन्ना : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्मारिकाओं के लिए विज्ञापनों के बहाने स्मारिकाओं के माध्यम से सरकारी विभागों द्वारा धन जमा करने के औचित्य की जांच कर रही है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि स्मारिका सरकारी संरक्षण के साथ जारी की जाती हैं और उनमें केवल सम्बद्ध मंत्री का सन्देश मात्र होता है;

(ग) क्या सरकार यह भी समझती है कि इस प्रकार धनराशि जमा करने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है क्योंकि उक्त विज्ञापनों के लिए मांग करने वाले अधिकारी उन फर्मों के साथ पक्षपात कर सकते हैं जिन्होंने विज्ञापन दिये हैं; और

(घ) यदि हां तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार से धन राशि जमा करने को रोकने का है !

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क), (ख), (ग) और (घ) : सूचना और प्रसारण मंत्रालय केवल सरकारी विज्ञापन ही जारी करता है और इसने हाल ही में स्मारिकाओं को सरकारी विज्ञापन जारी न करने का निर्णय लिया है ताकि इस प्रकार के प्रकाशनों को यदि कोई सरकारी संरक्षण हो तो वह न हो सके ।

हाजिरा पत्तन

454. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करग कि :

(क) क्या वह दक्षिण गुजरात में अन्य स्थान देखने के साथ-साथ हाजिरा पत्तन का देखने के विचार से अक्टूबर, 1977 में गुजरात गये थे;

(ख) क्या सरकार हाजिरा पत्तन के स्थान पर शीघ्र ही एक शिपयार्ड स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां तो तत्सम्बधी तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार अन्य तटीय स्थलों पर भी इस प्रकार के एक या एक से अधिक शिपयार्ड स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मोटी रूपरेखा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : जी, हां ।

(ख) से (ङ) : यह निश्चय किया गया है कि 36,000 डी० डबल्यू० टी० और 60,000 डी० डब्ल्यू० टी० के जहाजों के बीच के निर्माण के लिये शिपयार्ड स्थापित करने के लिए दो स्थान, अर्थात् गुजरात में हजिरा और उड़ीसा में पारादीप के लिये विदेशी परामर्शकों से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करायी जाए । सरकार मामले में रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद ही विचार कर के निर्णय कर सकती है।

कोल इण्डिया लिमिटेड में उत्पादन

455. **श्री शंकर सिंहजी बाधेला** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या ऐसी आशंका है कि इण्डियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड, गोमिया में हड़ताल होने के कारण कोल इण्डिया लिमिटेड लगभग 3 लाख कर्मचारियों की जबरन छुट्टी करने पर मजबूर हो सकता है ;

(ख) इस हड़ताल के कारण कोल इण्डिया लिमिटेड के उत्पादन पर कहां तक असर पड़ा है; और

(ग) सरकार ने कोयला क्षेत्रों का काम चलाने हेतु विस्फोटक प्राप्त करने के लिए अन्य क्या उपाय किये हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) (क) जी नहीं । हड़ताल अब 26 अक्टूबर 1977 से वापस ले ली गई है ।

(ख) इस हड़ताल से कोल इंडिया लि० के उत्पादन में लगभग एक मिलियन टन की हानि हुई है ।

(ग) दूसरे सप्लायरों से विस्फोटकों की प्राप्ति को यथासंभव बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा कोरबा में एक नए विस्फोटक संयंत्र से दिसम्बर, 1977 में उत्पादन शुरू होने की संभावना है । कोयला उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मात्रा में बिस्फोटक तैयार करने की क्षमता हेतु भी कदम उठाये गए हैं ।

सीमेंट और कागज के नये उद्योगों की स्थापना

456. **श्री निहार लास्कर** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में सीमेंट और कागज उद्योग के कितने नये कारखाने स्थापित किये जायेंगे; और

(ख) ये कारखाने किन स्थानों पर स्थापित किये जा रहे हैं ।

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) और (ख) : दो विवरण संलग्न हैं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1054/77]

छुआछूत समाप्त करने के लिये उपाय

457. **श्री कवंर लाल गुप्त** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छूआछूत समाप्त करने हेतु दीर्घकालीन उपाय करने के लिए सभी मुख्य मंत्रियों को लिखा है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) उस पर प्रत्येक राज्य सरकार की प्रतिक्रिया क्या है तथा प्रत्येक राज्य सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या प्रधान मंत्री ने भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों पर ज्यादती करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकारों को पत्र भेजा है और यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ग) : प्रधान मंत्री ने तारीख 31 मार्च, 1977 के अपने पत्र में विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिखा था कि ऐसे मामलों में जहां हरिजनों के भूमि संबंधी विवादों पर हिंसा की गई है तथा डराया धमकाया गया है अथवा जहां हरिजन काश्तकारों तथा भूमि पर कब्जा करने वालों को बल पूर्वक बेदखल करने के कोई प्रयास किए गए है, वहां इन अपराधों के करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए । इस प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे अपराधों को संज्ञेय बनाया जाए ताकि पुलिस सीधे हस्तक्षेप कर सकें : जहां शांति भंग होने की संभावना हो, वहां पुलिस से कानून के अन्तर्गत निषेधात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा जाए।

राज्य सरकारों को भी समाज में प्रचलित छुआछूत तथा सामाजिक असमानताओं को समाप्त करने के कार्य के प्रति स्वयं को समर्पित करने के लिए अलग से लिखा है । उनसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के उपबंधों को प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित करने का भी उल्लेख किया गया है ।

तदनुसार राज्य सरकारों ने अनेक उपाय किए है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए विभिन्न स्तरों पर समितियों के गठन तथा अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों से निपटने के लिये विशेष एककों का गठन करना शामिल है ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति

458. **श्री शिव सम्पत्ति राम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी (क) उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली को महासभा की बैठक 27 जून, 1977 को हुई थी :

(ख) क्या इस बैठक में लेखे नहीं पेश किये गये थे; यदि हां, तो इसके क्या विशिष्ट कारण हैं;

(ग) क्या उक्त बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय किया गया था कि वर्ष 1974--75 के लेखे तीन महीने के भीतर महासभा के सामने पेश किये जायेंगे ;

(घ) क्या वर्ष 1974--75 के लेखे महासभा के सामने पेश किये जा चुके हैं, यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उपरोक्त लेखे महासभा के सामने अनुमोदनार्थ कब रखे जाने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी हा, श्रीमान् । समिति के उप-नियमों के अनुसार लेखों और लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आम सभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पहले, उन पर सबसे पहले निदेशक

बोर्ड तथा प्रशासन बोर्ड द्वारा विचार किया जाना चाहिए । लेखा परीक्षकों ने, समिति के वर्ष 1974--1975 के लेखों पर मार्च, 1977 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी । प्रतिनिधियों के चुनाव निकट आ जाने के कारण 27 जून, 1977 से पहले लगभग तीन महीने तक बोर्डों को कोई भी बैठक हीं बुलाई जा सकी । अतः 1974--1975 के लेखे 27 जन, 1977 की महासभा की बैठक में नहीं रखे जा सकें ।

(ग) जी हां, श्रीमान ।

(घ) तथा (ङ) : जी नहीं, श्रीमान् । वर्ष 1974--75 क लेखे महासभा के समक्ष रखे जाने के लिए तैयार हैं क्योंकि उन पर प्रशासन बोर्ड तथा निदेशक बोर्ड द्वारा क्रमशः 22-9-77 तथा 3-10-77 को हुई अपनी बैठकों में विचार किया गया था । परन्तु निदेशक बोर्ड द्वारा अपनी 3-10-77 की बैठक में लिए गए निर्णयों को लागू करने से समिति को रोकने के व्यादेश दिल्ली सिविल कोर्ट से प्राप्त हो गए हैं ।

व्यादेश रद्द होते ही महासभा की बैठक बुलाई जायेगी।

DECLARATION OF AGRA-KACHAURAGHAT-ETAWAH ROAD AS NATIONAL HIGHWAY

†459. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether Government are aware that declaration of Agra-Kachauraghat-Etawah road as a national highway will result in the reduction of travelling distance between Delhi and Kanpur by twenty five to thirty kilometres;

(b) if so, whether Government propose to declare the above road as national highway; and

(c) if so, the time by which this said road will be declared as a national highway ?

MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM) : (a) to (c) Agra and Etawah are already connected by an existing National Highway (N.H. No. 2). Government have no proposal for declaring the Agra-Kacvhauraghat-Etawah road as a National Highway which would run quite close and parallel to the existing National Highway. The difference in length between Agra-Etawah road on National Highway No. 2 and Agra-Kachauraghat-Etawah road is than 10 Kms.

DEMOCRATIC SEAMEN'S UNION, CALCUTTA

†460. SHRI UGRASEN : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether Government received any Memorandum from Democratic Seamen's Union, Calcutta in September, 1977;

(b) if so, the main demands of the Union; and

(c) the action taken thereon so far ?

MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM) : (a) Yes, sir.

(b) & (c) In the Memorandum submitted by the Union, it had demanded, *inter-alia,* the recognition of the Union and also sought representation on tripartite bodies and the withdrawal of the facilities for collection of Union dues inside the Marine House,

Calcutta granted to the recognised union. The procedure for verification of the membership of Seamen's Union is being evolved and the feasibility of conducting the verification is under consideration. The grant of recognition of representation on tripartite bodies will depend on the assessment of the relative strength of membership of the Unions and, therefore, will have to await the verification results, when conducted. Meanwhile, it would not be appropriate to withdraw the facilities granted to the recognised unions.

RECOMMENDATIONS MADE BY A COMMISSION TO RECOMMEND FINANCIAL ASSISTANCE FOR DMC

461. SHRI VIJAY KUMAR MALHOTRA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the recommendations accepted by Government, of the Morarka Commission which was appointed to recommend the financial assistance to be provided to the Delhi Municipal Corporation; and

(b) the reasons for not accepting the rest of the recommendations ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the table of the House.

गुट-निरपेक्ष समाचार पूल से भारत का सम्बन्ध विच्छेद

श्री एम० एल० गोविन्दन नायर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ?

(क) क्या समाचार के लिए डाक और तार विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय टेलेक्स सेवाओं को बन्द करने के बाद गुट-निरपेक्ष समाचार पूल से भारत का सम्बन्ध विछेद हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है और इसे बन्द करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस समस्या को हल करने के लिए समाचार पूल की सेवाएं पुन: आरम्भ करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं ।

(ख), (ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों संबंधी आयोग को समाप्त करना

463. **श्री के० के० मूर्ति** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लगभग सभी संसद-सदस्यों ने, दलगत संबंधों को भुलाकर, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए वर्तमान आयोग को समाप्त करने तथा इस आयोग को प्रस्तावित नागरिक अधिकार आयोग में

विलय करने के विरुद्ध संसद में आवाज उठाई है तथा हस्ताक्षर करके एक अभ्यावेदन दिया है क्योंकि इससे निःसन्देह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग का मूलभूत ढांचा और मूल उद्देश्य समाप्त हो जाएगा;

(ख) क्या उन्होंने इस पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को उसमें बिना कोई परिवर्तन किए बनाये रखा जा रहा है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क), (ख) और (ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने नागरिक अधिकार आयोग का गठन करने के बारे में सिद्धांत रूप में निर्णय किया है कि अल्प संख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के साथ भेदभाव या असमानता का व्यवहार न हो । माननीय संसद-सदस्य और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अन्य प्रतिनिधियों से कुछ सुझाव और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । इस बारे में अन्तिम निर्णय किये जाने से पहले सरकार इन सब पर विधिवत विचार करेगी ।

NUMBER OF DTC AND PRIVATE BUSES PLYING IN DELHI DAILY

†464. SHRI YUVRAJ
SHRI O. P. TYAGI } : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether Delhi Transport Corporation and private operators are plying buses daily for commuters in Delhi at present and if so, the number of D.T.C. and private buses respectively;

(b) whether commuters travel in buses in large number daily and if so, their total number;

(c) whether on the basis of a study made by the Ministry, if the existing capacity is not augmented, buses would not be made available for additional 7 lakh commuters till March, 1978; and

(d) if so, the number of buses proposed to be added and by what time ?

MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM) : (a) Yes. During the month of October, 1977 Delhi Transport Corporation operated, on an average, 1558 buses daily. The number of private buses operated by DTC on kilo-meterage system during the same period was 308. In addition, DTC had 123 standard size and 253 mini buses of private operators under its "Administrative and Operational Control Charges" Scheme.

(b) During October, 1977, on an average 21.50 lakh passengers were carried by DTC buses including private buses engaged by the Corporation under kilometerage scheme, daily. The above figure is exclusive of the number of passengers carried by private buses under DTC operation under AOCC scheme.

(c) This will be the position according to studies made by Town and Country Planning Organisation.

(d) The Corporation proposes to acquire 162 new buses by the end of March, 1978. It has also decided to augment the bus service in the capital by engaging upto about 500 private buses including those already operating under the Scheme. In addition, a crash

programme has been initiated to bring back on road by 31-3-78, 280 (additional) buses which were held up in workshop for repairs. This would enable the Corporation to increase the number of buses on road to 2344 by the end of March, 1978, and to carry about 26 lakhs passengers every day. In addition, standard size and minibuses of private operators, being operated under the AOCC scheme of DTC, are expected to carry about 3 lakh passengers per day. Thus, it will be possible to meet the total requirements in full.

विद्युत उत्पादक उपकरण के आयात का भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड पर प्रतिकूल प्रभाव

465. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आलोचना की जानकारी है कि विद्युत उत्पादक उपकरणों के आयात से भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि० पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि० के क्रयादेश लेखे की उसकी वार्षिक क्षमता के अनुपात में तुलनात्मक स्थिति क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : जी, हां।

(ख) विद्युत जनित्रण उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा हुआ है । इस प्रतिबंध से छूट केवल उन थोड़े से मामलों में दी जाती है जहां भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा उपकरण का निर्माण नहीं किया जाता है या जहां डिलीवरी में बहुत समय लगता है ।

(ग) **पांच वर्षों की अवधि के लिए विद्युत जनित्रण उपकरणों की शेड्यूल्ड सप्लाई बताते हुए क्रयादेश स्थिति का तुलनात्मक विवरण** :

थर्मल सेट	
विद्यमान वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता	
210 मे० वा० के सेट	7 सेट
120 मे० वा० के सेट	3 सेट
110 मे० वा० के सेट	7 सेट

क्रयादेश स्थिति

क्षमता (मे० वा०)	1977-1978	1978-1979	1979-1980	1980-1981	1981-1982	1982-1983
210	7	5	5	3	—	—
120	1	1	—	—	—	—
110	1	2	—	—	—	—

हाइड्रो सेट

विद्यमान वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता बी० एच० ई० एल० की कुल अधिष्ठापित क्षमता विभिन्न क्षमता के लगभग 1000 मे० वा० के हाइड्रो सेटों का निर्माण करने की है । औसतन इनकी संख्या लगभग 15 से 20 तक है ।

क्रयादेश स्थिति

1977-1978	1978-1979	1979-1980	1980-1981	1981-1982	1982-1983
19	11	8	6	1	कुछ नहीं

NOTGHAT BRIDGE OVER THE BETWA RIVER

†466. SHRI LAXMI NARAYAN NAYAK : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether the Notghat bridge over the Betwa river has been constructed jointly by Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and the Centre;

(b) if so, the break up of expenditure incurred by each;

(c) whether Uttar Pradesh Government have put a barrier at this bridge and are realising toll tax; and

(d) if so, whether the money so realized will be shared by the three partners and what decision has been taken in this regard ?

MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM) : (a) to (d) Notghat bridge over Betwa falls on a State road lying partly in Uttar Pradesh and partly in Madhya Pradesh and was constructed by the Uttar Pradesh Government. However, in order to assist the 2 State Governments financially the Central Government provided a grant-in-aid of Rs. 8.90 lakhs from the Central Road Fund (Ordinary) Reserve towards a part of the cost of the bridge, and the balance of Rs. 22.44 lakhs was shared equally by the Governments of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh from their Central Road Fund (Allocations) Accounts.

Tolls are being levied on this bridge by the Uttar Pradesh Government and according to the decisions taken at the 11th meeting of the Central Zonal Council held on 11th June, 1976 the proceeds of the toll revenue after deducting collection costs, maintenance, etc. are to be shared by the Government of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh.

ABOLITION OF UNTOUCHABILITY

467. SHRI S. S. SOMANI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have announced its policy to abolish untouchability completely in the country within a period of five years;

(b) whether a committee has been appointed by Government in this connection; and

(c) if so, the details in regard thereto ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) An Inter-Ministerial Working Group has been constituted in the Ministry of Home Affairs under the Chairmanship of Director General, Backward Classes Welfare to go into the problem of untouchability in all its dimensions and suggest a framework of action. The Working Group is yet to submit its report.

भारतीय जहाजरानी निगम के चेयरमैन की नियुक्ति

468. **श्री बसन्त साठे** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय जहाजरानी निगम के चेयरमैन की बिना निर्धारित प्रक्रिया और नियमों का पालन किये नियुक्ति कर दी है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य कारण क्या हैं,

(ग) क्या इस पद के लिए सरकारी क्षेत्र उद्यम बोर्ड द्वारा चुने गए उम्मीदवार की नियुक्ति करने के लिए मंत्रालय ने स्वीकृति नहीं दी और यदि हां, तो इसके क्या कारण है, और

(घ) भारतीय जहाजरानी निगम का ढांचा बदलने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांदराम) : (क) और (ख) जिन परिस्थितियों में नियुक्ति की गई, वे निम्न प्रकार हैं :—

भारतीय नौवहन निगम के पहले अध्यक्ष-एवं-प्रबंध निदेशक को 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर पहले 9-10-1975 को सेवा निवृत होना था। परन्तु चूंकि सरकार उनके उत्तराधिकारी का निर्णय नहीं कर सकी, अतः चार बार समय बढ़ाए जाने के बाद वे वास्तव में 30-9-1977 को सेवा निवृत्त हुए। पहले 8-4-1976 को लोक उद्यम चयन बोर्ड ने इस पद के लिए 2 अभ्यर्थियों की सिफारिश की थी, परन्तु पिछली सरकार ने इस सिफारिश को कियान्वित नहीं किया। इस असाधारण विलम्ब के कारण और निगम की आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने निगम के अल्पकालिक अध्यक्ष के रूप में किसी परिपक्व और अनुभवी सरकारी व्यक्ति को नियुक्त करने और लोक उद्यम चयन बोर्ड से एक पूर्णकालिक उपाध्यक्ष-एवं-प्रबंध निदेशक के लिए किसी उपयुक्त व्यक्ति की सिफारिश हेतु कहने का निर्णय किया। और फिर प्रबंध निदेशक को निगम के कारोबार के लिए अकसर बाहर जाना होता है और इस व्यवस्था से मुख्यालय में दैनिक कार्य में बिना किसी रुकावट के वे ऐसा कर सकेंगे।

(ग) लोक उद्यम बोर्ड ने इस पद के लिए किसी भी उम्मीदवार की सिफारिश नहीं की थी।

(घ) निगम के कार्य के विभिन्न क्षेत्रों की देख रेख के लिए पूर्णकालिक व्यवासायिक निदेशकों को नियुक्त करने का प्रस्ताव है ताकि कम्पनी के मुख्य कार्यकारी को उच्चस्तरीय क्षेत्र विशेषज्ञों की सेवाऐं उपलब्ध की जा सकें।

तारापुर में पुनर्परिष्करण संयंत्र

469. **श्री आर० दामाणी** : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करगें कि :

(क) क्या तारापुर में नवनिर्मित पुनर्परिष्करण संयंत्र ने प्रयुक्त इंधनों का परिष्करण करना शुरु कर दिया है;

(ख) यदि हां तो उन प्रयुक्त ईंधनों में से कितने का परिष्करण किया गया है, जिन जर संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार को वापस लेने का अधिकार है;

(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार द्वारा अब तक कितने प्रयुक्त ईंधन के लिए दावा किया गया है और कितना प्रयुक्त ईंधन वापस भेजा गया है; और

(घ) बाकी ईंधन का किस प्रकार निपटान किया गया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) संयुक्त राज्य अमरीका से मंगाया गया जो ईंधन इस्तेमाल हो चुका है, उसे पुनर्संसाधित नहीं किया गया है ।

(ग) और (घ) संयुक्त राज्य अमरीका ने इस्तेमाल किए गये ईंधन की कोई भी मात्रा वापस नहीं मांगी है । पूरी मात्रा भंडारित की जा रही है ।

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन को स्वायत्तशासी संस्थानों में परिवर्तित करने के लिए अध्ययन की स्थापना

470. **श्री एस० जी० मरुगय्यन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी एवम् दूरदर्शन को स्वायत्तशासी संस्थानों में परिवर्तित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक अध्ययन दल स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दल ने अपना अध्ययन पूरा कर लिया है तथा अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त प्रतिवेदन कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) : जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) : दल अपनी रिपोर्ट फरवरी, 1978 तक प्रस्तुत करेगा ।

GRANT OF PENSION TO FREEDOM FIGHTERS

471. SHRI R. L. P. VERMA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of freedom fighters from whom applications have been received so far pension and the number of those who are getting monthly pension;

(b) the State-wise number of the freedom fighter pensioners;

(c) whether some cases regarding receiving of pension by the same freedom fighter in Bihar on two bogus addresses as also the cases of receiving pension after obtaining bogus certificate of imprisonment from the former Congress Members of Parliament have come to light; and

(d) whether Government propose to conduct an inquiry into bogus cases of pension and corruption in freedom fighter pension programme through a high-level committee and if so by what time and if not, the reasons therefor?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) and (b) 247,314 applications for the grant of pension to freedom fighters have been received upto 31-10-1977. Pension has been sanctioned in 1,16,088 cases. A statement showing the state-wise break-up is attached. [Placed in Library. *See* No. L.T. 1055/77]

(c) No case of the same freedom fighter in Bihar getting two pensions on two bogus addresses has come to notice. Complaints have, however, been received against 19 persons who have been sanctioned pension on the basis of co-prisoner certificates issued by six former Congress M.Ps. In four of these cases pension has been suspended pending inquiry but in the remaining cases pension has not been suspended as the State Government had recommended grant of pension in these cases.

(d) Compared to the number of sanctions issued (1,16,088) the number of complaints received so far is small (6,494). The present arrangement of getting the complaints investigated by the State Governments is deemed adequate. There is, therefore, no proposal at present to constitute a high-level committee to enquire into such cases.

पाकिस्तान को अधिक संख्या में भारतीय फिल्मों का निर्यात

472. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेट** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान को अधिक संख्या में भारतीय फिल्मों का निर्यात करने के बारे में पास्कितान सरकार से अभी हाल में सरकार को कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कष्ण आडवाणी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

फर्गुसन ट्रैक्टरों का त्रुटिपूर्ण निर्माण

473. **श्री दारूर पुलय्या** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फर्गुसन ट्रैक्टरों, विशेष रूप से क्राउन व्हील और पिनियनों के बारे में आई० एम० टी० 533 के त्रुटिपूर्ण निर्माण की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो त्रुटियों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख) मेस्सी फर्गुसन (एम० एफ० 1035) ट्रैक्टरों का निर्माण देश में किया जा रहा है जबकि आई० एम०

टी०-533 ट्रैक्टर पहले आयात किये जा रहे थे। आयातित (आई० एम० टी०) ट्रैक्टरों के क्राउन व्हील और पिनियनों के ठीक ढंग से काम न करने के बारे में शिकायतें मिली थीं । इन पुर्जों के स्थान पर देशी गियरों को लगाकर खराबियां दूर की गई थीं।

राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

475. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना के श्रमिकों ने 8 सितम्बर, 1977 से हड़ताल की थी ;

(ख) श्रमिकों की क्या मांगें है ;

(ग) क्या सरकार ने हड़ताल के दौरान श्रमिकों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने से इन्कार कर दिया था ; और

(घ) इसके क्या कारण है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोराजजी देसाई) : :(क) जी, हां ।

(ख) मान्यता-प्राप्त राजस्थान अणुशक्ति परियोजना कर्मचारी संघ और राजस्थान अणुशक्ति कर्मचारी यूनियन, जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं, की एक सम्मिलित संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों द्वारा दिए मांग-पत्र में शामिल मांगें संलग्न अनुलग्नक में दी जा रही हैं ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1056/77]

(ग) और (घ) उक्त संघर्ष समिति मान्यता-प्राप्त नहीं है। राजस्थान अणुशक्ति परियोजना और कर्मचारी संघ के साथ जो कि एक मान्यता-प्राप्त यूनियन है, उसके द्वारा प्रस्तुत किए गये मांग-पत्र पर पहले विचार-विमर्श हुआ था । उस मांग-पत्र में वे 9 मांगे शामिल थी, जो बाद में संघर्ष समिति द्वारा भी पेश की गई। सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), कोटा ने संघर्ष समिति द्वारा की गई मांगों के संबंध में समझौता कराने के लिए कार्रवाई की थी किन्तु उनका प्रयास इस कारण विफल रहा कि हड़तालियों की अधिकांश मांगे अनुचित हैं तथा सरकारी आदेशों के अन्तर्गत मान्य बातों के अनुरूप नहीं हैं । इसके अलावा, विभाग का मत यह है कि क्योंकि यह हड़ताल अवैध है, इसलिए, इससे पहले कि मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ मांगों के संबंध में आगे बातचीत की जाए, यह अवैध हड़ताल बिना शर्त खत्म कर दी जानी चाहिए ।

दिल्ली परिवहन निगम की मासिक आय

476. **डा० मुरली मनोहर जोशी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1977 से अगस्त 1977 की अवधि के दौरान दिल्ली परिवहन निगम की मासिक आय कितनी रही,

(ख) दिल्ली में सड़कों पर बसों की औसत कितनी रही और उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक महीने अन्तर्राज्यीय मार्गों पर कितनी बसें चलीं,

(ग) प्रत्येक बस से कितनी औसत आय हुई और वर्ष 1977-78 के दौरान दिल्ली परिवहन निगम को सरकार ने कितनी धनराशि ऋणों/अनुदान के रुप में दी,

(घ) अप्रैल, 1977 से अगस्त, 1977 की अवधि के दौरान प्रत्येक महीने दिल्ली परिवहन निगम के अधीन परिचालित प्राइवेट बसों और मिनी बसों की संख्या कितनी है,

(ङ) हर महीने प्रत्येक प्राइवेट बस और मिनी बस से दिल्ली परिवहन निगम को औसतन कितनी आय हुई; और

(च) दिल्ली परिवहन निगम के अधीन परिचालित प्रत्येक प्राइवेट बस पर दिल्ली परिवहन निगम को औसतन कितनी परिचालन व्यय करना पड़ता है और क्या दिल्ली में यातायात की कठिनाइयों का समाधान करने के लिए सरकार का विचार दिल्ली परिवहन निगम के परिचालन के अधीन और अधिक प्राइवेट बसें लेने का है ।

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) अप्रैल से अगस्त, 1977 तक दिल्ली परिवहन निगम की माहवार आय नीचे दी गयी है:—

माह	आय (रु० लाखों में)
अप्रैल, 1977	183.88
मई, 1977	191.85
जून, 1977	183.41
जुलाई, 1977	196.69
अगस्त, 1977	199.89

(ख) और (ग) : किलोमीटर दूरी योजना के अन्तर्गत चलने वाली प्राईवेट बसों सहित सड़क पर दिल्ली परिवहन निगम की बसों की औसत संख्या के बारे में सूचना और प्रति बस दैनिक आय निम्न प्रकार है:—

	सड़क पर बसें					आय (रु०)			
माह	नगर			अन्तर्राज्यीय		नगर			
	दि० प० नि०	पी० ओ०	कुल	दि० प० नि०	कुल	दि० प० नि०	पी० ओ०	औसत	अन्त-र्राज्यीय
अप्रैल, 1977	1460	39	1499	130	1629	334	308	333	869
मई, 1977	1490	36	1526	131	1657	327	298	326	923
जून, 1977	1473	38	1511	125	1636	325	303	323	991
जुलाई, 1977	1478	80	1558	126	1684	335	325	335	896
अगस्त, 1977	1455	120	1575	122	1697	339	358	341	885

उक्त नगर बसों के अलावा दिल्ली परिवहन निगम ने प्रशासकीय और परिचालनात्मक

नियंत्रण प्रभार योजना के अन्तर्गत लगाए गए प्राइवेट बसों को चलाया । संबंधित अवधि के दौरान प्रत्येक माह के अन्त में इन बसों की संख्या नीचे दी गयी है ।

1977

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त
मानक आकार	175	181	171	162	144
मिनी बस	249	246	253	252	253
कुल	424	427	424	414	397

अक्तूबर 1977 के अन्त तक 1977-78 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए ऋणों का ब्यौरा निम्न प्रकार है ।:—

1. पूंजीगत ऋण	150.00 लाख रु०
2. अर्थोपाय ऋण	140.00 लाख रु०
	290.00 लाख रु०

(घ) सूचना नीचे दी गयी है:—

माह के अन्त में दिल्ली परिवहन निगम परिचालन के अन्तर्गत प्राइवेट बसों की संख्या

माह	मानक आकार		मिनी	कुल
	किलोमीटर दूरी योजना के अन्तर्गत	ए०ओ०सी०सी० योजना के अन्तर्गत	ए० ओ० सी० सी० योजना के अन्तर्गत	
अप्रैल, 1977	47	175	249	471
मई, 1977	44	181	246	471
जून, 1977	54	171	253	478
जुलाई, 1977	109	162	252	523
अगस्त, 1977	189	144	253	586

(ङ) अप्रैल से अगस्त, 1977 तक माहवार किलोमीटर दूरी योजना के अन्तर्गत लगायी गयी प्राइवेट बसों की प्रति बस औसत कमाई नीचे दिखाई गयी है:—

माह	औसत प्रति बस आय
अप्रैल, 1977	9,240.00 रु०
मई, 1977	9,248.00 रु०
जून, 1977	9,900.00 रु०
जुलाई, 1977	10,075.00 रु०
अगस्त, 1977	11,098.00 रु०

प्रशासकीय और परिचालनात्मक नियंत्रण प्रभार योजना के अन्तर्गत चलाई गयी प्राइवेट बसों की कमाई बस स्वामी अपने पास रखता है। परन्तु, प्रत्येक माह के अन्त में इस योजना के अन्तर्गत प्राइवेट बसों की संख्या नीचे दी गयी है:—

पी० ओ० से बसूल किया गया ए० ओ० सी० सी० प्रभार प्रति बस प्रति माह की दर	अप्रैल, 77	मई, 77	जून, 77	जुलाई, 77	अगस्त, 77
मानक आकार :					
ए० ओ० सी० सी० प्रभार 1000 रु० की दर से	14	14	14	—	—
ए० ओ० सी० सी० 750/- रु० की दर से	97	102	97	96	91
ए० ओ० सी० सी० 500/- रु० की दर से	24	24	24	34	28
ए० ओ० सी० सी० 300/- रु० की दर से	37	38	33	29	22
ए० ओ० सी० सी० 250/- रु० की दर से	3	3	3	3	3
मिनी बसें :					
ए० ओ० सी० सी० 1000/-रु० की दर से	101	99	101	64	65
ए० ओ० सी० सी० 750/- रु० की दर से	7	5	7	6	7
ए० ओ० सी० सी० 500/- रु० की दर से	91	91	92	130	131
ए० ओ० सी० सी० 300/- रु० की दर से	46	38	49	48	46
ए० ओ० सी० सी० 250/- की दर से	4	3	4	4	4

(च) सितम्बर, 1977 (अनन्तिम) के महीने के आंकड़े के अनुसार किलोमीटर दूरी योजना के अन्तर्गत चलने वाली प्रति माह प्राइवेट बस औसत परिचालनात्मक लागत 13,666.67 रु० थी।

दिल्ली में यातायात समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए दिल्ली परिवहन निगम ने अतिरिक्त बसों को किराये पर लेने का निश्चय किया है।

सलाल पनबिजली परियोजना में अप्रयुक्त पड़ी मशीनरी

477. **श्री बलदेव सिंह :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सलाल पनबिजली परियोजना में करोड़ों रुपये मूल्य की मशीनरी पिछले एक या दो साल से अप्रयुक्त पड़ी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान कर्मचारियों की संख्या में भारी वृद्धि होने के बावजूद परियोजना के कार्य में कोई खास प्रगति नहीं हुई है, जिसके परिणाम-स्वरूप राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के चालू होने में विलम्ब हुआ है;

(ग) क्या नदी की धारा बदलने संबंधी परियोजना के प्रथम चरण को अक्तूबर, 1976 तक पूरा होना था और जो अभी तक पूरा नहीं हो सका है ; और

(घ) क्या नदी की धारा बदलने से पहले राक फिलिंग बांध के पूरा होने संबंधी कार्य लक्ष्य से बहुत पीछे है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) सलाल परियोजना के लिए जोकि एक बृहद जल विद्युत् स्कीम है, पर्याप्त अवसंर - चनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता है और ये सुविधाएं अब पूरी हो जाने की उन्नत अवस्था में हैं। सलाल परियोजना में इस समय जो उपस्कर उपलब्ध हैं उन्हें कोर नींवों तथा अनुतटों का उत्खनन करने, गृहीत क्षेत्रों का विकास करने, अग्रिम भराई (फिलिंग) करने आदि के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। अधिकांश पुराने उपस्करों के ओवरहालिंग का कार्य भी हाथ में है।

(ख) से (घ) गत दो वर्षों के दौरान परियोजना के नियमित स्टाफ में वृद्धि हुई है। कार्य की प्रगति में तेजी लाने के लिये परियोजना स्थल की संगठनात्मक व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। वर्कशाप तथा स्टोर सुविधाओं की स्थापना, उपस्कर तथा अतिरिक्त पुर्जों की प्राप्ति तथा बृहद् निर्माण कार्यों के लिए ठेके देने आदि के बड़े बड़े प्रारंभिक कार्यों में पर्याप्त प्रगति हुई है। परियोजना में इस समय कार्यरत वर्कचार्ज स्टाफ उपलब्ध उपस्करों का प्रचालन करने और इनकी मरम्मत करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए वर्कचार्ज स्टाफ को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

अन्य कारणों के साथ-साथ, कंक्रीट बांध की फाउंडेशन ट्रीटमेन्ट के कार्य में वृद्धि होने तथा बांध के व्यपवर्तन से पूर्व के कार्य में कंक्रीट की मात्रा में वृद्धि होने से भी नदी व्यपवर्तन कार्य की प्रगति प्रभावित हुई है। व्यपवर्तन सुरंग के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए तथा नदी व्यपवर्तन संबंधी अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए निर्माण संगठन को सशक्त किया जा रहा है।

कांग्रेस पार्टी के कोष के बारे में जांच

478. **श्री सी० के० जाफर शरीफ**
श्री जी० वाई० कृष्णन } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कांग्रेस पार्टी के कोष के बारे म जांच पड़ताल शुरु की है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि गत तीस वर्षों के दौरान किसी भी राजनैतिक पार्टी के कोष के बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं की गई है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकार ने कांग्रेस पार्टी के कोष से सम्बन्धित किसी आरोप की ऐसी कोई जांच या छानबीन नहीं की है। सर्वश्री आर० के० धवन, के० एल० धवन, पी० सी० सेठी आदि के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज मामला आर० सी० 8/772 एफ० एस० I का सम्बन्ध कम्पनियों, फर्मों तथा व्यापारियों से कांग्रेस पार्टी के कोष के लिए अंशदान प्राप्त करने में कुछ सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए तथाकथित पद के दुरुपयोग और तत्पश्चात् इन सरकारी कर्मचारियों में कुछेक द्वारा इस प्रकार से एकत्रित कोष का उपयोग अपनी बेनामी फर्मों के उद्देश्य के लिए करने में उनके दुराचरण से है। सर्वश्री पी० सी० सेठी, जी० पी० चटोपाध्याय, के० डी० मालवीय आदि के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज मामला आर० सी० 5/77/ एफ० एस० I का सम्बन्ध स्मारिका में विज्ञापन देने के नाम से कम्पनियों से अंशदान एकत्रित करने में कुछ सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए तथाकथित पद के दुरुपयोग से है।

(ख) जी हां, श्रीमान।

आनन्द मार्ग द्वारा राजनैतिक हत्याओं की धमकी

479. श्री प्रसन्न भाई मेहता
श्री एम० कल्याण सुन्दरम
श्री माधवराव सिन्धिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आनन्दमार्ग की ब्रिटिश शाखा द्वारा दी गई राजनैतिक हत्याओं की धमकी का ध्यान म रखते हुए उन्होंने सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने का आदेश दिया है;

(ख) आनन्द मार्ग की धमकी के परिणामस्वरुप भारत में और विदेशों में हुई घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बारे में राज्य सरकारों को कोई निदेश जारी किया गया है और क्या इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों की कोई सहायता की जा रही है;

(घ) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो या पुलिस अधिकारियों को ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पूरे अधिकार दिये गये हैं; और

(ङ) क्या नेताओं को कोई संरक्षण प्रदान किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क), (ग), (घ) और (ङ) : सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने तथा राजनैतिक हत्याओं के किसी प्रकार के प्रयासों के बारे में आवश्यक सुरक्षा प्रयास करने के लिए सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। स्थानीय पुलिस सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए आवश्यक शक्तियां हैं जिनका ब्यौरा देना लोक हित में नहीं होगा।

(ख) घटनाओं के ब्यौरे का एक विवरण जो 31-10-1977 तक सरकार के ध्यान में आया है संलग्न है।

विवरण

विदेश म घटनाओं की सूची

क्रम सं०	स्थान	घटना की तारीख	संक्षिप्त ब्यौरा
1	2	3	4
1.	एयर इंडिया आफिस, सिडनी	24-8-77	एक आनन्द मार्गी ने रक्त रंजित सूअर का सर रखा।
2.	कॉंसल जनरल आफ इंडिया, सिडनी	26-8-77	एक सूअर का सर कांसुलेट की रिसेप्शन डेस्क पर छोड़ दिया गया था।
3.	एयर इंडिया आफिस, सिडनी	26/27-8-77	एयर इंडिया आफिस की खिड़की के शीशे तोड़ दिए गए थे।
4.	इंडियन हाई कमीशन चांसरी बिल्डिंग, केनवेरा	29-8-77	चांसरी बिल्डिंग में आग लगा दी गई।
5.	इंडियन हाई कमीशन केनवेरा	15-9-77	इंडियन मिलिट्री अटैची पर आक्रमण किया गया और छुरा मार दिया गया।
6.	हाई कमीशन इन केनवेरा	22-9-77	एक धमकी भरा नोट प्राप्त हुआ जिसमें 1,00,000 पो० की मांग की गई।
7.	इंडियन टूरिस्ट आफिस लंदन	9-10-77	समाचार पत्र में लपेटी हुई एक ईंट खिड़की के कांच को तोड़कर फेंकी गई और एक नोट प्रधान मंत्री के लिए छोड़ा गया था।
8	इंडियन एम्बेसी (चांसरी) पेरिस	16-10-77	इंडियन एम्बेसी के प्रवेश द्वार की ओर "प्रोत जय" लिखा हुआ था और प्रधान मंत्री को संबोधित एक नोट की दो फोटो-स्टेट प्रतियां छोड़ दी गयी थीं।
9.	एयर इंडिया आफिस, पेरिस	18-10-77	दो शीशे टूटे पाए गए।
10.	एयर इंडिया, मेलबोरन	19-10-77	एक आस्ट्रेलिया वासी कर्मचारी के छुरा मार दिया गया।
11.	एयर इंडिया आफिस न्यूयार्क,	20-10-77	एक ईंट टिकट आफिस से फेंकी गयी और एक "मोलोटोव कोकटेल" भी फेंका गया जिसका विस्फोट नहीं हुआ।
12.	इंडियन हाई कमीशन लंदन	31-10-77	एक सरकारी (सहायक) को छुरा मार दिया गया था।

कलकत्ता विद्युत् प्रदाय निगम द्वारा टीटागढ़ में तापीय संयंत्र की स्थापना

480 **श्री सोगत राय** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता विद्युत् प्रदाय निगम से टीटागढ़ में 249 मेगावाट के एक तापीय संयंत्र की स्थापना के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण ने प्रस्ताव की जांच कर ली है तथा इसे तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। परियोजना के लिए वित्तीय योजना की प्रतीक्षा परियोजना प्राधिकारियों तथा राज्य सरकार से की जा रही है। वित्तीय योजना के प्राप्त होने के बाद परियोजना पर आगे विचार किया जाएगा।

कोल इण्डिया लिमिटेड के वेस्टर्न कोलफील्ड्स द्वारा लकड़ी की खरीद

481 **श्री कचरू लाल हेम राज जैन** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया लिमिटेड के वेस्टर्न कोल-फील्ड्स पहले स्थानीय सप्लायरों से लकड़ी खरीदा करते थे और अब वे सीधे वन विभाग से खरीद रहे हैं ;

(ख) स्थानीय सप्लायर वैस्टर्न कोलफील्ड्स को किस दर से लकड़ियां सप्लाई किया करते थे ; और

(ग) अब वन विभाग से लकड़ियां किस दर पर खरीदी जा रही हैं जिसमें लकड़ियों का मूल्य, ढुलाई तथा उनकी चिराई भी शामिल है ?

उर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क), (ख) और (ग) : विस्तृत जानकारी एकत्र की जा रही है।

कलकत्ता पत्तन न्यास के बारे म शिकायतें

482. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता पत्तन न्यास के कार्यकरण और कुप्रबंध के बारे में शिकायतें मिली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कलकत्ता पत्तन न्यास के कर्मचारियों ने कलकत्ता पत्तन न्यास के कार्यों की जांच कराने के बारे में भारत सरकार को अभ्यावेदन दिया है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) कलकत्ता पत्तन न्यास जैसे किसी बड़े संगठन में, कुछ शिकायतें हमेशा ही होती हैं जिनकी समय-समय पर जांच की जाती है।

(ख) हल्दिया गोदी के अधिकारियों से तात्पर्यित एक गुमनाम शिकायत प्राप्त हुई है। सरकार की चालू नीति के अनुसार, किसी भी गुमनाम या बेनाम शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती।

तमिलनाडु स्थित एन्फील्ड इण्डिया लिमिटेड में तालाबन्दी

483. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम : क्या उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि तमिलनाडु स्थित एन्फील्ड इण्डिया लिमिटेड में 21 अगस्त, 1977 से तालाबन्दी है जिसके फलस्वरूप 3000 कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं ;

(ख) क्या उक्त कारखाने के कर्मचारी संघ ने मांग की है कि राज्य सरकार इस कारखाने का प्रबंध अपने हाथ में ले ले ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस कम्पनी को पुनः चालू करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जैसा कि तमिलनाडु सरकार ने बताया है, एन्फील्ड इण्डिया लिमिटेड जिसमें लगभग 1,600 कामगार हैं, के प्रबंधकों द्वारा इसके तिरुवीटिट्यूर स्थित कारखाने में 21 अगस्त, 1977 से तालाबन्दी घोषित की गई थी।

(ख) तथा (ग) श्रमिक संघ ने सरकार से उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनी का प्रबंध अपने अधिकार में लेने का अनुरोध किया है। सहकारिता के आधार पर स्वयं कामगारों द्वारा कम्पनी का प्रबंध अपने अधिकार में लिए जाने पर प्रबंधकों को कोई आपत्ति नहीं है।

(घ) राज्य सरकार ने कम्पनी के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद करने के लिए हाल ही में सरकार से कहा है।

INCLUSION OF SCHEDULED CASTE PERSONS IN VARIOUS COMMISSIONS

484. SHRI RAM PRASAD DESHMUKH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the reasons why persons belonging to Scheduled Castes are not taken in various Commissions appointed by Government under the Commissions of Inquiry Act; and

(b) whether Government are considering a proposal to ensure inclusion of Scheduled Caste persons in Commissions ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) and (b) It is not a fact that persons belonging to Scheduled Castes are not appointed in the various Commissions of Inquiry set up by the Ministry of Home Affairs. Since, however, most of the appointments are made by taking experienced officers of the Central and State Governments on deputation basis according to suitability and availability, no reservations as such, for Scheduled Castes, are applicable to these appointments.

लघु तथा कुटीर उद्योगों के द्रुत विकास के लिए किए गये उपाय

485. श्री सी० एन० विश्वनाथन क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु तथा कुटीर उद्योगों के द्रुत विकास के लिए गत सात महीनों के दौरान क्या ठोस तथा विशिष्ट उपाय किये गये हैं ;

(ख) गत सात महीनों के दौरान किये गये विशिष्ट उपायों के फलस्वरूप विपणन उद्यम सम्बन्धी सलाह, वित्तीय सहायता आदि के क्षेत्र में सहायता तथा तकनीकी सहायता देने की सुविधाओं का कितना विस्तार हुआ ; और

(ग) इन उपायों के फलस्वरूप इन उद्योगों में उत्पादन की मात्रा तथा उसके मूल्य और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में अनुमानतः कितनी प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख) विगत सात महीनों में लघु तथा ग्रामोद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिये उठाये गये उपाय ये हैं :-- (1) हाथकरघा सहित क्षेत्रों के लिये 1976-77 की अपेक्षा 40 प्रतिशत तक परिव्यय का बढ़ाया जाना, (2) लघु तथा कुटीर उद्योगों में आरक्षण के लिये उत्पादों के चयन की पहल करना, (3) नीति एवं कार्य पद्धति में परिवर्तन करने के लिये प्रस्ताव तैयार करना, (4) इस क्षेत्र के लिये बड़े परिमाण में तथा आसानी से सहायता उपलब्ध करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों के पमुख पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करना, (5) केन्द्रीय सरकार के स्टोर खरीदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु तथा कुटीर उद्योग के उत्पादों का विपणन करने के लिये प्रक्रिया को सरल बनाने की शुरुआत करना, (6) लघु एककों के हित में पूंजीगत माल तथा कच्चे माल का आयात करने के लिये आयात नीति का पर्याप्त उदार बनाया जाना, (7) राज्य सरकारों को परामर्श दिये गये हैं तथा ब्यूरो आफ पब्लिक एन्टरप्राइसेज़, रक्षा विभागों आदि को अनुदेश जारी किये गये हैं कि वे अपने यहां के स्टोर की खरीदारी में लघु उद्योग के उत्पादों को तरजीह दें, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन० एस० आई० सी०) ने अग्रगामी आधार पर एक छापे के नाम के अधीन होज़री उत्पाद तथा दियासलाइयां बेचने हेतु कदम उठाये है, तथा (8) बंगलौर तथा जयपुर के व्यापार केन्द्रों में काम शुरु हो गया है ।

(ग) उपर्युक्त उपायों से उत्पादन तथा रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव का अभी मूल्यांकन करना समयपूर्व होगा ।

आन्ध्र प्रदेश राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना ।

486. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से राज्य के उन राजमार्गों की सूची प्राप्त हुई है जिन्हें राष्ट्रीय राजपथों में परिवर्तित किया जाना है,

(ख) यदि हां, तो उन मार्गों के क्या नाम हैं, और

(ग) क्या उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग बना लिया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार का पांचवीं योजना में निम्नलिखित सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने का प्रस्ताव है :—

(1) नैल्लौर-बेलारी-बम्बई सड़क ।

(2) विशाखापटनम,—जगदलपुर,—भोपालपत्तनम,—झलना,—नासिक,—बम्बई, सड़क

(3) विजयवाड़ा,—मूसलीपटनम सड़क ।

(4) नागपुर,—चांदा,—चिररोन्दा,—इचमपल्ली-लोट्टीपट्टागंदी,—वेंकटापुरम,—भद्राचलम,—नेल्लीपाका- चिन्तूर,—मरेदुमल्ली,—रामपाचादेवरम्,—राजामुंद्री—सड़क ।

अन्य राज्यों से भी अपने-अपने राज्यों में कुछ सड़कों के बारे में ऐसे अनुरोध प्राप्त हुए हैं। परन्तु, भारत सरकार वर्तमान वित्तीय कठिनाइयों के कारण उनके अनुरोध को पूरा नहीं कर पाई है।

अनवरत योजना के विचार की आलोचना

487. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनवरत योजना के विचार की प्रबुद्ध समाज में बहुत से लोगों ने आलोचना की है जो इसके परिणामों को अनुभव किये बिना ही अधिकांशतः लक्ष्यों के बारे में चिन्तत हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके लक्ष्यों की प्राप्ति के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट की है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) अनवरत योजना की संकल्पना पर कई प्रेक्षकों ने टिप्पणियां की हैं। इनमें से कुछ टिप्पणियां आलोचनात्मक रही हैं और कुछ अनुकूल। योजना आयोग के प्रवक्ता ने यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि इस प्रणाली के आरंभ करने से प्रतिकूल परिणाम नहीं होंगे जिसका कुछ आलोचकों ने उल्लेख किया है। अनवरत योजना प्रणाली के अपने कुछ स्पष्ट लाभ हैं :—अनुमान आधार स्तर से तैयार किए जाते हैं, इस आधार को वार्षिक रूप से समायोजित कर लिया जाता है, इससे त्रुटियों को बराबर सुधारा जा सकता है और विनियोजन से संबंधित निर्णय करने के लिये निरंतर अवसर प्राप्त होता है।

आयोजन प्रणाली में प्रस्तावित संशोधनों का अर्थ यह नहीं है कि भावी आयोजना व्यवस्था को छोड़ दिया गया है या पंचवर्षीय कार्यक्रम आकार की जगह तदर्थ वार्षिक निर्णयों को दे दी गई है। अनवरत योजना की संकल्पना का मूलभूत उद्देश्य लक्ष्यों और उपलब्धियों के बीच के अंतर को कम करना है।

आयातित गोला बारूद के कारण हानि

488. **श्री एम० ए० हनान अलहाज** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक विदेशी सप्लायर से खरीदे गये गोला-बारुद का भारी स्टाक बेकार हो गया है और यदि हां, तो क्या सरकार को इसके फलस्वरूप भारी हानि हुई है ;

(ख) क्या दोषपूर्ण गोला-बारुद सप्लाई करने के लिये दोषी विदेशी सप्लायरों को अथवा इस गोला-बारुद को भण्डार करने के लिये उसे उपयुक्त वातावरण में न रखने के लिये आयुद्ध विभाग को जिम्मेदार ठहराया गया है और क्या विदेशी सप्लायर ने इस माल के स्थान पर दूसरा सामान देने अथवा उसकी मरम्मत करना स्वीकार किया है ;

(ग) क्या उस गोला-बारुद के भण्डारण के आवश्यक वातावरण का सुनिश्चय नहीं किया गया था ;

(घ) क्या गोदामों को वातानुकूलित करने के काम में विलम्ब किया गया था, और ठेकेदार को दण्डित किया गया ; और

(ङ) क्या इस गोला-बारुद को प्राप्त करते समय जांच की गई थी, और भविष्य में ऐसी हानि रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) यह देखा गया है कि विदेशी सप्लायरों से खरीदे गए गोला बारुद के स्टाक में से कुछ उपकरणों में उनके कुछ समय तक स्टोर में रखे रहने के कारण खराबियां पैदा हो गयी हैं। इस कारण सरकार को कुछ हानि हुई है लेकिन इन खराब उपकरणों के स्थान पर देशी उपकरणों का उपयोग करने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है ताकि गोला-बारुद इस्तेमाल योग्य बना रह सके।

(ख) इसके लिए सप्लायरों को उत्तरदायी ठहराया गया है और गोला-बारुद को बदलने अथवा मरम्मत के खर्चे को वसूल करने के लिए सप्लायरों से उच्चतर स्तर पर लिखापढी की जा रही है। उनका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) गोला-बारुद को स्टोर करने की हालतों के बारे में जैसे ही मालूम हुआ स्टोर करने की उपयुक्त स्थिति बनाये रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर दी गई।

(घ) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी हां। इसी गोला-बारुद के लिए विदेशी सरकार के साथ और आगे कोई संविदा नहीं की गई है।

गत चार योजनावधियों के दौरान नमक का उत्पादन

489. **श्री के० टी० कोसलराम : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार योजनावधियों के दौरान उत्पादन के निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उत्पादन के आंकड़े क्या हैं ?

(ख) इस अवधि में उत्पादन में यदि कोई कमी हुई तो कितनी ;

(ग) क्या उत्पादन में इस कमी को पांचवीं योजनावधि में पूरा कर लिया गया था ; और

(घ) वर्ष 1976 और 1977 में नमक उत्पादन के आंकड़े क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) :

(क) (परिमाण-लाख मी० टनों में)

अवधि	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन (योजना की अवधियों के अंतिम वर्ष में)
प्रथम योजना (1951-56)	30.76	30.76
द्वितीय योजना (1956-61)	36.73	36.73
तृतीय योजना (1961-66)	54.00	45.00
चतुर्थ योजना (1969-74)	75.00	59.12

(ख) जैसा कि उपर्युक्त (क) के विवरण से ज्ञात होता है कि तीसरी और चौथी योजना की अवधियों में योजना के लक्ष्य पूरे नहीं हुए थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) वर्ष 1976 में 40.76 लाख मीट्रिक टन नमक का उत्पादन हुआ था 1977 की अवधि में लगभग 50 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होने का अनुमान है।

NEW MOTOR VEHICLE ACT

†490. SHRI SHIV NARAIN SARSONIA: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether Government announced in 1968 to bring a new comprehensive and specific bill in place of Motor Vehicle Act, 1965;

(b) if so, the reasons for not bringing up the bill so far in Lok Sabha;

(c) the time likely to be taken further in bringing up the new legislation;

(d) whether the work of framing rules has been given to some private agencies; and

(e) if so, facts thereof ?

MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM) : (a) An indication to this effect was given in the course of the debate in Parliament on the Motor Vehicles (Amendment) Bill in 1969.

(b) & (c) Subsequent to amendment of the Motor Vehicles Act in 1969, it was further amended twice—the first time in 1976 and again in 1977. The amendments made in 1976 were designed to facilitate the implementation of the National Permit Scheme for Road Transport. The amendments made this year provide for more stringent provisions for punishment for driving motor vehicles under the influence of drink or intoxicating drug, compulsory wearing of crash helmets by drivers of two-wheeled motor vehicles, fixing speed limits for such vehicles etc.

Since legislation relating to motor vehicles is in the concurrent field, consultation with the State Governments and Union Territory Administrations is necessary before proposals for amendment to the Act can be brought before Parliament. Some proposals have since been finalised and are being processed with a view to introduce necessary legislation in Parliament as early as possible.

(d) & (e) The work of revising and up-dating the Model Motor Vehicles Rules (circulated by Government of India to the State Governments in 1940) has been entrusted to the Indian Institute of Road Transport, Bombay. The Institute has set up a Sub-Committee consisting of experts drawn from various organisations in the field of road transport for revising the model rules. After the draft of the revised model rules is received from the Institute it will be examined by the Ministry of Shipping and Transport before the model rules are circulated to State Governments.

B.E. COURSE IN NATIONAL FIRE SERVICE COLLEGE

491. SHRI LAXMAN RAO MANKAR : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that B.E. (Fire) Course is proposed to be started in National Fire Service College, Nagpur, Maharashtra; and

(b) if so, when ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) The Advisory Board of the National Fire Service College, Nagpur has made a recommendation that a B.E. (Fire Engineering) Course should be started at the College.

(b) It is too early to say whether, and if so when, such a course will be started.

गुजरात में शिपयार्ड

492. श्री एफ० पी० गायकवाड़: क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में आगामी योजनावधि में एक शिपयार्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) शिपयार्ड के लिए कौन सा स्थान चुना गया है और उक्त परियोजना पूरी करने में लगभग कितना समय लगेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) यह निश्चय किया गया है कि 36,000 डी० डब्ल्यू० टी० और 60,000 डी० डब्ल्यू० टी० के बीच के जहाजों के निर्माण के लिए शिपयार्ड स्थापित करने के लिए दो स्थानों, अर्थात् गुजरात में हजीरा और उड़ीसा में पारादीप के लिए विदेशी परामर्शकों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराई जाय। सरकार रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही मामले पर विचार कर सकेगी और उस पर अंतिम निर्णय करेगी। निर्माण इत्यादि पर लागने वाले समय के बारे में कुछ संकेत तभी दिया जा सकता है जब उक्त मामले में कोई दृढ़ निश्चय कर लिया जाय।

INTERIOR PRODUCTS OF CENTRAL BHEL FOUNDRY FORGE PLANT, HARDWAR

493. SHRI S. S. DAS : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether the products of BHEL are of inferior quality and it is particularly true in the case of products of the Central Foundry Forge Plant of BHEL at Hardwar;

(b) if so, reasons therefor; and

(c) the action being taken by Government in the direction ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI : (a) No, Sir.

(b) & (c) Question does not arise.

SUPPLY OF FREE ELECTRICITY TO S.C. AND S.T. CASTIS UNDER R.E.C. SCHEME

+494. SHRI CHHABIRAM ARGAL : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether there was any plant to supply electricity free of charge to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe bastis under the rural electrification scheme;

(b) if so, the number of villages, State-wise so far covered under the above scheme and the number of scheduled caste and scheduled tribe bastis which are yet to be electrified State-wise;

(c) whether Central Government propose to give financial assistance to the State in order to implement the scheme;

(d) if so, the number of such rural electrification schemes, State-wise which are under the consideration of Central Government; and

(e) the reasons for the delay in giving clearance to them ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) State Electricity Boards bear the capital cost of electrifying Harijan bastis. Electrification of tribal villages is undertaken on the basis of liberal terms and criteria.

(b) Information is contained in statement enclosed.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 1057/77.]

(c) Central Government loans on very soft terms are channeled through the Rural Electrification Corporation, which passes them on to the State Electricity Boards.

(d) The Central Government does not directly consider any scheme for rural electrification. This is attended to by the R.E.C. Details of schemes under consideration by the R.E.C. are given in Statement-II enclosed.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 1057/77]

(e) The time taken is required for processing the schemes, and efforts are made to expedite sanction.

पश्चिम बंगाल के लिये लघु विद्युत्त संयंत्र

495. श्री के० बी० चेतरो : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु विद्युत्त संयंत्र का कोटा पश्चिम बंगाल को नहीं दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) राज्यों को विद्युत्त संयंत्रों के वितरण के लिए कोई कोटा प्रणाली प्रयोग में नहीं लाई जाती। विद्युत्त संयंत्रों के लिए स्वीकृति राज्य प्राधिकारियों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर तथा उनके तकनीकी-आर्थिक औचित्य पर दी जाती है ।

कच्ची फिल्मों की कमी

496. श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कच्ची फिल्मों की कमी के कारण 27 फीचर फिल्में प्रदर्शन के लिए रुकी पड़ी हैं;

(ख) क्या यह सच है कि बम्बई के गोदामों में 2,000 और अधिक पुरानी रीलें पड़ी हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क), (ख) और (ग) फिल्म उद्योग से कुछ अभ्यावेदन मंत्रालय में प्राप्त हुए हैं और समाचार पत्रों में भी ऐसी रिपोर्टें छपी हैं कि कुछ फिल्मों का प्रदर्शन "ओर्वो" पोजीटिव कच्ची फिल्मों की कमी के कारण रुका पड़ा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स, जो आयातित कच्ची फिल्मों को प्राप्त करता है, उनका विधायन करता है तथा उनका वितरण करता है, से लगातार सम्पर्क बनाए हुए है, उनके अनुसार अक्तूबर के मास में कच्ची फिल्मों की कमी मुख्यतया विदेशों से जुम्बो रोलों को लाने वाले दो स्टीमरों के देर से पहुंचने के कारण थी। यह जहाज, जिसके सितम्बर में पहुंचने की उम्मीद थी, वास्तव में अक्तूबर के मध्य में पहुंचा। तब से हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स ने फिल्म उद्योग को कच्ची फिल्मों की नियमित सप्लाई कायम रखने के लिए कदम उठाये हैं और यह पता चला है कि वर्तमान स्टाक स्थिति में सुधार हुआ है।

फरक्का में बन्दरगाह

497. श्री शशांक शेखर सान्याल क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का में प्रस्तावित अन्तर्देशीय बन्दरगाह की क्रियान्विति के बारे में कोई कार्यवाही की गयी है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) सरकार मामले में विचार कर रही है।

कलकत्ता और रक्का के बीच परिवहन सेवा

498. श्री शशांक शखर सान्याल क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरक्का बांध कम्पलेक्स स्थल पर प्रस्तावित और वचनबद्ध अन्तर्देशीय बन्दरगाह के उद्‌घाटन के बाद कलकत्ता और फरक्का के बीच प्रथम चरण और हल्दिया और पटना के बीच द्वितीय चरण में वाणिज्य और व्यापार के आधार पर नियमित परिवहन सेवा कब आरम्भ की जायेंगी, और

(ख) क्या फरक्का के नीचे की ओर भागीरथी नदी और फीडर (गनाल) की नौगम्य क्षमता में भारी सुधार के बावजूद इस बारे में कुछ भी नहीं किया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम):(क) कलकत्ता और फरक्का या हल्दिया और पटना के बीच नियमित नदी परिवहन सेवा के लिए अथवा फरक्का में अन्तर्देशीय बन्दरगाह के निर्माण के लिए अभी तक कोई योजना मंजूर नहीं की गयी है।

(ख) अगस्त, 1974 में प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान राष्ट्रीय परिषद् को इलाहाबाद और कलकत्ता के बीच गंगा नदी के यातायात अध्ययन का काम सौंपा गया। उनकी रिपोर्ट अक्तूबर 1977 में प्राप्त हुई है और विचाराधीन है।

हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स द्वारा ट्रैक्टरों का उत्पादन

499. श्री माधवराव सिन्धियां : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स के भूतपूर्व प्रबंधकों द्वारा पांच वर्ष की अवधि में 13,500 ट्रैक्टरों के उत्पादन की व्यवहार्यता का स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा नियुक्त परामर्शदाता ने समर्थन किया था;

(ख) क्या वर्तमान प्रबंधक अपने 50 महीनों के कार्यकाल में ट्रैक्टरों का लक्ष्य से बहुत कम उत्पादन कर सके हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क), (ख) और (ग) सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत 12 मार्च 1973 को मे० हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड का प्रबंध अपने अधिकार में लिया था और मे० गुजरात एग्रोइण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड को 5 वर्षों की अवधि के लिए इसका अधिकृत नियन्त्रक नियुक्त किया गया था । प्रबन्ध को अधिकार में लेने से पहले की अवधि में परामर्शदाताओं की एक फर्म ने उत्पादन क्षमता बढ़ाकर, समन्वय आदि के द्वारा एकक की प्रतिमास 50 अश्व शक्ति के 200 ट्रैक्टरों का निर्माण करने की क्षमता के बारे में स्टेट बैंक आफ इण्डिया को बताया था । प्रबन्ध को अधिकार में लेने के बाद परामर्शदाताओं की एक फर्म द्वारा दूसरी सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार की गई थी । उनके द्वारा जून, 1975 मे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में संयंत्र की विद्यमान उत्पादन सुविधाओं का निर्धारण किया गया था और 1975-76 में 50 अश्व शक्ति के 1,130 ट्रैक्टरों, 1976-77 में 1500 ट्रैक्टरों, 1977-78 में 2,000 ट्रैक्टरों और 1978-79 में 2,400 ट्रैक्टरों का उत्पादन करने के लिए संयंत्र की क्षमता बढ़ाने हेतु एक सुझाई गई कार्य-योजना प्रस्तुत की गई थी । संयंत्र में 50 अ० श० के ट्रैक्टरों का वास्तविक उत्पादन 1975-76 में 940 नग, 1976-77 में 1,615 नग और 1977-78 (अप्रैल-अक्तूबर, 1977) में, 1,114 नग था ।

2. वित्तीय अड़चनों के कारण 1975-76 में उत्पादन लक्ष्य से कम हुआ था । 1976-77 में उत्पादन लक्ष्य से अधिक हुआ और वर्तमान प्रबन्धकों को आशा है कि 1977-78 में उत्पादन 2,000 ट्रैक्टरों के लक्ष्य से अधिक होगा ।

पारादीप पत्तन

500. **श्री गणनाथ प्रधान**
श्री पद्मा चरण सामन्तसिंहार
श्री बैरागी जैना } : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में पारादीप पत्तन पर एक जहाज निर्माण यार्ड स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया गया और इसका निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होगा;

(ग) उक्त यार्ड की तकनीकी व्यावहार्यता के बारे में सरकार को प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या राज्य सरकार ने परियोजना के शीघ्र निर्माण के बारे में अभ्यावेदन दिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जहाज निर्माण यार्ड की स्थापना के लिए दो स्थानों के लिए, जिसमें उड़ीसा का पारादीप भी शामिल है, विदेशी परामर्शकों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार कराने का फैसला किया गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही सरकार मामले पर विचार करेगी और अंतिम निर्णय लेगी। इस समय किसी विशेष परियोजना के लिए धन आबंटित करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार, इस समय निर्माण कार्य इत्यादि प्रारंभ करने का सवाल ही पैदा नही होता।

(घ) जी, हां।

आयुध कर्मचारी यूनियन, अम्बरनाथ द्वारा अपील

501. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आयुद्ध कर्मचारी यूनियन, अम्बरनाथ (महाराष्ट्र) की ओर से आपात स्थिति के दौरान प्रबन्धकों द्वारा की गई ज्यादतियों के बारे में एक अपील प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या उक्त अपील के साथ यूनियन ने पीड़ित किये जाने सम्बन्धी अनेक मामलों का ब्यौरा भी दिया है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है अथवा उसका क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) अम्बरनाथ आर्डनेंस फैक्टरी एमप्लाइज यूनियन का दिनांक 8 अगस्त, 1977 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम/भारत रक्षा नियम के अधीन यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकारी सदस्यों की गिरफ्तारी, जो कर्मचारी आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम/भारत रक्षा नियम से रिहा किये गये हैं उन्हें बहाल कर दिए जाने पर उनकी मुअत्तली की अवधि का वेतन तथा भत्ते देना विभागीय जांच के अधीन कारवाई को

वापस लेना और मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्टरी और आर्डनेंस फैक्टरी अम्बरनाथ में कामगारों पर लगाए गए दण्डों का निरसन करने आदि को कतिपय अन्य शिकायतों के अतिरिक्त सेवा से हटाए गए कर्मचारियों के तोन विशेष मामलों का उल्लेख है।

(ग) जिन तोन मामलों में कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया गया था और सामान्य नियमों अर्थात् केन्द्रोय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपोल) नियम के अधोन विधिवत कार्यवाही करने के बाद दण्ड लगाए गए थे, उन पर विचार किया जा रहा है। आर्डनेंस फैक्टरी अम्बरनाथ और मशोन टूल्स एण्ड प्रोटोटाइप फैक्टरी अम्बरनाथ के जिन अन्य मामलों में आपात स्थिति के दौरान भारी दण्ड लगाए गए थे उनकी समीक्षा की जा रही है और 28 मामलों में बहाली के आदेश जारी करने का निर्णय किया गया है। दो मामलों में पद को कम किए जाने के दण्ड के स्थान पर वेतनवृद्धि रोक देने का दण्ड लगाया जा रहा है जिसका संचयी प्रभाव नहीं होगा। आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अधोन नजरबन्दो के तोन मामलों में और भारत रक्षा नियम के अधीन हिरासत में रखे गए 12 मामलों में संबंधित व्यक्तियों के सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। जिन व्यक्तियों को सेवाएं बहाल को गई है उन सभी के वेतन तथा भत्तों के भुगतान के मामलों को इस समय लागू सरकारी आदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

आयुध कर्मचारी यूनियन, अम्बरनाथ की महासमिति की वार्षिक बैठक में पारित संकल्प

502. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रक्षा मंत्री 3 अगस्त, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5935 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयुद्ध कर्मचारी यूनियन के 5 जन, 1977 को पारित संकल्प में की गई मांगों की जांच इस बीच पूरी कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) अम्बरनाथ आर्डनेंस एम्पलाईज यूनियन की 5 जून, 1977 को हुई महासमिति की बैठक में जो संकल्प पारित किए गए उनमें अनेक मांगें रखी गयी हैं, अर्थात आंतरिक आपात स्थिति के दौरान लगाए गये दण्ड समाप्त करना। जबलपुर व्हीकल फैक्टरी, में सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को बहाल करना, सुपरवाइजरों के वेतन-मानों के बारे में समझौता करना ; अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत जमा की गई राशि की वापसी ; अतिरिक्त रिहायशी भवनों का निर्माण, अम्बरनाथ स्थित रक्षा संस्थानों के कर्मचारियों को बम्बई की दरों पर नगर प्रतिपूर्ति भत्ता और मकान किराया भत्ता देना, फैक्टरो अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ाना, केन्द्रीय विद्यालयों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के बच्चों को अधिक संख्या में प्रवेश देना, आर्डनेंस फैक्टरी में प्राथमिक स्कूल का विस्तार और निम्न वर्ग के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर प्रदान करना।

(ख) विभिन्न मांगों के बारे में स्थिति इस प्रकार है :—

(i) आंतरिक आपात स्थिति के दौरान लगाए गये दण्डों के मामलों की समीक्षा की गई है और अम्बरनाथ की मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्टरी और आर्डनेंस फैक्टरी, के

28 कर्मचारियों को सेवा में बहाल करने तथा कुछ अन्य मामलों में दण्ड कम करने का निर्णय किया गया है। आंतरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द 3 कर्मचारियों को और भारतीय सुरक्षा नियम के अन्तर्गत नजरबन्द 12 कर्मचारियों को सेवा में बहाल कर दिया गया है।

(ii) जबलपुर व्हीकल फैक्टरी के जिन कर्मचारियों को लूटमार और अराजकता आदि में अन्तग्रस्त पाया गया था, उन्हें सेवा में बहाल करना संभव नहीं पाया गया है।

(iii) सुपरवाइजरों के संशोधित वेतन-मान के आदेश जारी किए जा चुके हैं।

(iv) प्राथमिक स्कूल के विस्तार, निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर, फैक्टरी अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने से संबंधित मांगें विचाराधीन हैं।

(v) केन्द्रीय स्कूलों में प्रवेश, केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अपनायी गयी नीति के अन्तर्गत दिया जाता है। आर्डनेंस फैक्टरियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए केन्द्रीय स्कूल खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत जमा राशि की वापसी, अतिरिक्त रिहायशी मकानों का निर्माण, बम्बई की दरों पर नगर प्रतिपूर्ति भत्ता और मकान किराया भत्ता देने से संबंधित शेष मांगे ऐसी हैं जिनसे सभी केन्द्रीय सरकारी विभाग प्रभावित होते हैं। इन मांगों पर केवल इस विभाग द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है।

आयुध कर्मचारी यूनियन अम्बरनाथ से अभ्यावेदन

503. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आयुद्ध कर्मचारी यूनियन अम्बरनाथ (जिला थाना—महाराष्ट्र) की ओर से पीड़ित कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने के बारे में दिनांक 8 अगस्त, 1977 को एक लिखित अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) इस संबंध में अतारांकित प्रश्न संख्या 501 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। जिसका उत्तर 16-11-1977 को ही दिया गया है।

त्रिवेन्द्रम में तरल 'प्रोपेलैन्ट' संयंत्र की स्थापना

504. **श्री वयालार रवि** : क्या अन्तरिक्ष मंत्री 29 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2077 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच तरल "प्रोपेलैन्ट" संयंत्र की स्थापना और उसके स्थान के बारे में निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्री मोरारजी आर० देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केरल के राष्ट्रीय राजपथ के निर्माण के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता

505. **श्री वयालार रवि** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वे 1977-78 के लिए राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण और रख-रखाव के लिये और कुछ अधिक महत्वपूर्ण योजनाओं को, जिन्हें इस वर्ष के लिए मूल योजना में शामिल नहीं किया गया है, आरम्भ करने के लिए, उन्हें अधिक वित्तीय सहायता दें, और

(ख) यदि हां, तो उस अनुरोध का ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां ।

(ख) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार हैं :—

(i) केरल सरकार ने 1977-78 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और विकास के लिए 300 लाख रुपये की मांग की है । इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध समस्त बजट आबंटन पर विचार करते हुए इसके लिए 250 लाख लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है ।

(ii) राज्य सरकार ने 1977-78 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए 115.89 लाख रु० की माँग की है । धन की उपलब्धता के आधार पर 56.55 लाख रु० की राशि अभी तक मुक्त की गई है । यदि 1977-78 के संशोधित बजट अनुमानों में इस शीर्ष के अन्तर्गत और राशि आबंटित की गई तो कुछ और आबंटन किया जाएगा ।

(iii) राज्य सरकार ने पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 17 और 47 पर कुछ उपमार्गों और लुप्त कड़ियों के नए कार्य शुरु करने के लिए अनुरोध किया है, परन्तु मौजूदा वित्तीय कठिनाई के कारण भारत सरकार के लिए इस कार्य को चालू वर्ष में स्वीकृत करना संभव नहीं है ।

पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति-परीक्षा

506. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी परीक्षाओं को समाप्त करने के बारे में विचार कर रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिकलाल मंडल):—(क) भारत सरकार केवल अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा नव बौद्ध के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों-योजना प्रायोजित करती है। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां प्रदान करने के प्रयोजन के लिए कोई परीक्षा लेने का प्रावधान नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

MILITARY SCHOOL, AJMER

507. SHRI S. K. SARDA : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether his Ministry is considering a proposal to shift Military School at Ajmer which has been running there smoothly for the last fifty years; and

(b) if so the reasons therefor and whether Government propose to drop the proposal ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHER SINGH) : (a) and (b) As the accommodation occupied by the Military School is required to meet more pressing needs of the Army, a proposal to shift the Military School from Ajmer was made. The matter, however, is under consideration of the Government.

कोयल का उत्पादन बढ़ाने के लिए मशीनों पर किया गया खर्च

508. **श्री ए० के० राय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए खरीदी और लगाई गई मशीनों पर किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है :

(ख) राष्ट्रीयकरण के बाद कितने अधिकारी और कितने तृतीय श्रेणी के तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं ; और

(ग) राष्ट्रीयकरण से बाद में कोयला उद्योग को जो लाभ और हानि प्रतिवर्ष हुई है, उसका विवरण क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क), (ख) और (ग)—सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गास्लिटन कोयला खान, सिजुआ में गोलीकांड

509. **श्री ए० के० राय**: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें सुरक्षा गार्डों द्वारा गास्लिटन कोयला खान, सिजुआ में, जो अब भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के क्षेत्र संख्या 4 में है गोलीकांड से चार व्यक्तियों के मारे जाने की जानकारी है ;

(ख) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) प्रभावित परिवार के प्रत्येक सदस्य को कितना मुआवजा दिया गया और मारे गये कर्मचारियों के कितने पुत्रों को रोजगार दिया गया ;

(घ) क्या भारत कोकिंग कोल कर्मचारी समन्वय समिति धनबाद के महासचिव से कोई मांग पत्र प्राप्त हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल द्वारा, 15 नवम्बर, 1973 को सिजुआ में भारत को० को० लि० के कामगारों की एक भीड़ पर गोली चलाए जाने से 5 कामगार मारे गए थे।

(ख) व (ग) इस मामले की जांच के लिए एक जांच आयोग की नियुक्ति की गई थी जिसने गोली काण्ड को अनुचित ठहराया है। जब तक आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हुई तब तक भा० को० को० लि० के के० औ० सु० द० के तत्कालीन कमांडेण्ट नौकरी में नहीं रहे थे क्योंकि उनकी पुनर्नियोजन की अवधि 24-9-1974 को समाप्त हो गई थी। अतः उनके विरुद्ध कोई कारंवाई नहीं की जा सकी। के० औ० सु० द० के तत्कालीन सहायक कमांडेंट को उनके मूल पद अर्थात् निरीक्षक के पद पर पदावनत कर दिया गया था। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरु की गई थी किन्तु इसे उनके खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज किए गए उस केस के निपटारे तक स्थगित कर दिया गया ह जिसमें उन पर नासमझी से और अधिक मात्रा में गोली चलवाने का आरोप है। मृतकों के परिवारों को कोई मुआवज़ा नहीं दिया गया था।

(घ) जी हां।

(ङ) मांगों पर समिति के साथ चर्चा की जा चुकी है और विचार करने के बाद उनमें से कुछ को स्वीकार कर लिया गया है।

'रोजगार समाचार' का प्रकाशन आसामी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में बंद किया जाना

510. **श्री अहमद हुसैन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसामी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में रोजगार समाचार का प्रकाशन बन्द कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) असमियां, तेलगू तमिल और बंगला भाषाओं में "रोजगार समाचार" का प्रकाशन स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि वर्तमान रूप में इनका प्रकाशन जारी रखना घाटे का काम था औरउन्होंने इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जिसके लिए वे निकाले गए थे। इस मामले पर राज्यों के सूचना मंत्रियों के 4-11-1977 को नई दिल्ली में हुए सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया था। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल की राज्य सरकारों ने इसके भाषाई संस्करण अपने राज्यों से निकाले जाने में अपनी रुचि दिखाई थी। तदनुसार, सरकार सम्बन्धित राज्य सरकारों की सहायता से इन संस्करणों को प्रादेशिक संस्करणों के रूप में निकालने की सम्भावना पर विचार कर रही है।

आसाम में घड़ियां बनाने के कारखाने की स्थापना

511. श्री अहमद हुसैन : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसाम में सरकारी क्षेत्र में घड़ियां बनाने के एक कारखाने की निकट भविष्य में स्थापना की कोई योजना बनाई है ; और

(ख) निकट भविष्य में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा स्थापित किये जाने वाले एककों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) :

(क) और (ख) विभिन्न राज्यों में एच० एम० टी० की सहायता प्राप्त 14 वाच असेम्बली यूनिटें स्थापित की जा रही हैं, इनमें उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थित मेघालय और सिक्किम भी शामिल हैं। जब एच० एम० टी० में घड़ी उत्पादन में और आगे वृद्धि करने की स्वीकृति दी जायेगी तो आसाम में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की सहायता प्राप्त वाच असेम्बली यूनिट स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

विद्युत संकट के कारण कागज के उत्पादन में कमी

512. श्री अहमद हुसैन : क्या उद्योग मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत संकट के कारण पूरे देश में और विशेष रूप से आसाम में कागज के उत्पादन में कमी हुई है; और

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति)

(क) यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में सभी प्रकार के कागज और गत्ते के उत्पादन में मामूली वृद्धि होने की आशा है किन्तु कुछ राज्यों में बिजली की कमी के कारण उत्पादन में कमी आई है। फिर भी आसाम में जहां कागज उत्पादन करने वाला केवल एक ही एकक है। बिजली की कमी होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) राज्य विद्युत बोर्डों पर इस बात पर बराबर बल दिया गया है कि कागज एक निरन्तर प्रक्रिया वाला उद्योग होने के कारण बिजली की कटौती और रुकावटें नहीं आने दी जानी चाहिएं सीमित उपयोग के लिए डीजल जनित्रण सेंटों के आयात को भी उदार बना दिया गया है।

पंजाबी और उर्दू को दूसरी भाषा के रूप में मान्यता देना

513. श्री दुर्गा चन्द :

क्या **गृह** मंत्री उर्दू को दूसरी भाषा के रूप में मान्यता देने के बारे में 29 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2181 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें पंजाबी और उर्दू को दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी गई है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह)

उर्दू जम्मू व काश्मीर राज्य की राजभाषा है तथा पंजाबी पंजाब राज्य की राजभाषा है।

उर्दू को आंध्र प्रदश सरकार द्वारा राज्य के तेलंगाना क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1966 की धारा 7 के अनुसार द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है जिसमें इस प्रकार व्यवस्था है :—

> "राज्य सरकार समय-समय पर आंध्र प्रदेश राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तेलगू भाषा के अतिरिक्त उर्दू अथवा किसी अन्य भाषा अथवा भाषाओं के प्रयोग का ऐसे क्षेत्रों में ऐसी भाषा अथवा भाषाओं के बोलने वाले व्यक्तियों के हित में तथा राज्य के ऐसे सरकारी प्रयोजनों के लिए तथा ऐसी अवधि के लिए जो अधिसूचना में निर्दिष्ट हो, निदेश दे सकती है।"

विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी नीति की समीक्षा

514. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवर्तित नीति अनुदेशों के संदर्भ में सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी नीति का सभी दृष्टि से पुनर्विलोकन करना आवश्यक समझती है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) जी हां, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी नीति के पुनर्विलोकन के प्रश्न पर राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति की 29 और 30 सितम्बर, 1977 को हुई बैठक में विचार किया गया। इस समिति ने वैज्ञानिक नीति पर पुनर्विलोकन करने तथा प्रौद्योगिकी नीति विवरण तैयार करने की आवश्यकता अनुभव की। इस सिफ़ारिश पर विचार किया जा रहा है।

तुर्कमान गेट की दुर्घटनाओं के लिए नियुक्त समिति

515. **श्री जी० एम० बनतवाला**
श्री राजकेशर सिंह } : क्या **गृह** मंत्री 27 जुलाई, 1977 के तारांकित **प्रश्न संख्या** 650 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन तथ्यों का पता लगाने संबंधी समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है, जिससे दिल्ली के तुर्कमान गेट के क्षेत्र में मकानों के गिराये जाने के बारे में जांच की थी, और

(ख) क्या सरकार ने इस बीच उस प्रतिवेदन की जांच कर ली है और सरकार ने इस बारे में किस प्रकार की कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) उक्त रिपोर्ट की एक प्रति शाह जांच आयोग को उनके विचार के लिए भेज दी गई है और इसलिए सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का स्वरूप अन्ततः आयोग की रिपोर्ट पर निर्भर होगा।

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम को समाप्त करने का निर्णय

516. **श्री चित्त बसु**
श्री सी० आर० नहाटा } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम (मीसा) को समाप्त करने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख) मामला सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है ।

PURCHASE OF VEHICLES BY MPs FROM THE ARMY VEHICLES DEPOT

517. SHRI RAGHAVJI : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) the number of jeeps and other vehicles purchased by the Members of Parliament and Legislators from the Central Army Vehicles Depot during the last three years, year-wise;

(b) whether in the absence of any particular facility or concession in the prices, the sale through the quota to MPs and Legislators is not going up; and

(c) whether with a view that the representatives of the people maintain close contacts with their voters, the Ministry of Defence propose to grant any more concessions in the prices of disposal jeeps of the Army to the representatives of the people ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) A statement is attached.

(b) As will be evident from the attached statement, the sale of vehicles by MPs/ MLAs/MLCs is on the increase.

(c) There is no such proposal under consideration.

DETAILS OF VEHICLES ISSUED TO MPs/MLAs/MLCs

Make and Type of vehicle	*During 1974*	*During 1975*	*During 1976*
Car 5 Cwt 4x4 willys (JEEP)	34	52	41
Car 5 Cwt 4x4 Nissan Patrol (JONGA)	11	18	37
Motor Cycle	12	4	15
	57	74	93

मुर्शिदाबाद के नवाब की सम्पदा

श्री शशांक शेखर सान्याल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के नवाब की सम्पदा के उत्तराधिकार का प्रश्न अंतिम मान्यताप्राप्त मालिक सईद वारिश अली मिर्जा की मृत्यु के पश्चात् अब तक अनिर्णीत है ;

(ख) प्रतिद्वंदी दावेदारों में यह मामला कब तक तथा किस प्रकार तय होगा ;

(ग) कई वर्षों से रुकी हुई वार्षिकी के कारण भारत सरकार के पास कितनी धन-राशि जमा हो गई है ; और

(घ) मुर्शिदाबाद के नवाब की सम्पदा की आस्तियां और देनदारियों के बारे में केन्द्र-राज्य सम्बन्ध क्या है तथा दोहरे उत्तरदायित्व के कारण उत्पन्न विषमताओं को सरकार का किस प्रकार हल करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क), (ख) और (ग) तत्कालीन सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इण्डिया इन काउंसिल और मुर्शिदाबाद के तत्कालीन नवाब बहादुर के बीच हुए ता० 12-3-1891 के एक इकरारनामें के द्वारा मुर्शिदाबाद के नवाब बहादुर को 2,30,000 रुपये की वार्षिकी मिलती थी। इस इकारनामें में, जोकि मुर्शिदाबाद अधिनियम, 1891 में एक अनुसूची के रूप में समाविष्ट किया गया था, "नवाब बहादुर आफ मुर्शिदाबाद और अमीर-उल-ओमराह के उक्त टाइटलों तथा उनकी हैसियत और मर्यादा के उचित अनुरक्षण के लिए नवाब बहादुर और उनके पुरुष उत्तराधिकारियों को लगातार 2,30,000 रुपये की राशि का भुक्तान किये जाने की व्यवस्था है।"

अंतिम नवाब बहादुर, सैयद वारिस अली मिर्जा का 20 नवम्बर, 1969 को देहान्त हुआ और वे अपने पीछे दो पुत्र छोड़ गए। उनके देहान्त के बाद स्वर्गीय नवाब के दो पुत्रों और उनके दो छोटे भाइयों ने नवाब बहादुर आफ मुर्शिदाबाद का टाइटल और वार्षिकी प्राप्त करने के लिए अपने-अपने दावे पेश किए। इस प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि 20 नवम्बर, 1969 को सैयद वारिस अली मिर्जा के देहान्त के बाद वार्षिकी का भुगतान करना रोक दिया जाए। इस निर्णय का यह असर हुआ कि भारत सरकार ने ऐसे किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया है जिसे यह भुगतान किया जा सके। तदनुसार, स्वर्गीय नवाब बहादुर के भाइयों को 22-2-1973 को सूचित कर दिया गया था।

स्वर्गीय नवाब बहादुर के दो भाइयों से आगे और अभ्यावेदन प्राप्त होने पर इस मामले पर पुनः विचार शुरू किया गया है।

(घ) मुर्शिदाबाद एस्टेट (ट्रस्ट) एक्ट, 1963 की धारा (4) के अनुसार मुर्शिदाबाद के स्वर्गीय नवाब द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति सरकारी ट्रस्टी में निहित है।

NUMBER OF PRODUCTION ASSISTANTS AND PRODUCERS APPOINTED IN DOORDARSHAN DURING THE PAST THREE YEARS.

519. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the number of Production Assistants and Producers appointed in the Doordarshan during the past three years;

(b) number of those among them who are connected with All India Radio, Doordarshan and the Information and Broadcasting Ministry;

(c) the names of stations for which their appointments were, made and the number of those who were called to Delhi on transfer; and

(d) the reasons for transferring them to Delhi ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) Production Assistants 81
Producers 73

(b) Out of them, 8 Production Assistants and 5 Producers were relations of persons working in All India Radio, Doordarshan or Ministry of Information and Broadcasting.

(c) All the appointments were made for Doordarshan Kendras at Amritsar, Delhi, Calcutta, Cuttack, Bombay, Hyderabad, Lucknow, Madras and Srinagar. 5 Production Assistants and 6 Producers were transferred to Delhi. None of them, however, is out of those mentioned at (b) above.

(d) The transfer were made either in the exigencies of service or in acceptance of individual requests.

SUPPLY OF ELECTRICITY TO DELHI FROM BHAKRA DAM

†520. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether in view of power shortage in Delhi, the Delhi Administration has requested the Centre for supply of electricity from Bhakra Dam; and

(b) if so, the decision taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN) : (a) Yes, Sir.

(b) As a working arrangement, the Bhakra Beas Management Board supplies power to Delhi Electric Supply Undertaking during the day to enable consumers depending on DESU supply to get their requirements. DESU returns this power to .B.B.M.B. at night during the off-peak hours.

REPORT OF EXPERTS COMMITTEE ON COMBINE HARVESTERS

521. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) whether an Expert Committee on combine harvesters was appointed by the Planning Commission; and

(b) if so, the contents of the report submitted by the Committee ?

PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) & (b) The Planning Commission had set up a Committee to examine a report of the National Council of Applied Economic Research (NCAER) on the use of combine harvesters; and to consider the possible need for these harvesters in certain areas of the country, in the Fifth Plan period having regard to all relevant factors including the displacement of labour.

The Committee's report, which is an internal working document, is still under consideration. In the mean-time the Commission has taken the view that in the interests of maximising employment in agriculture further imports of combine-harvesters may not be made.

PROBE INTO WORKING OF TRANSPORT UNITS OF DOORDARSHAN

522. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of INFORMATION & BROADCASTING be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4156 on the 20th July, 1977 regarding probe into working of Transport units of Doordarshan and state :

(a) The progress since made in the work of the inquiry being conducted into the affairs of the Doordarshan Transport Department and the action being taken against officers

7—868LSS/77

found guilty; and

(b) The number of those officers and the posts held by them in the Doordarshan ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) Out of the 9 officials against whom departmental proceedings had been started, referred to in the reply to the Unstarred Question No. 4156 replied on 20-7-77, disciplinary action against one non-gazetted official, has been completed and a major penalty has been imposed on him. Departmental proceedings against the remaining 8 officials are under process.

(b) Out of 9 officials referred to above, there is one Station Director, one Assistant Station Director, two Programme Executives, one Producer Grade II, two Transmission Executives and two Clerks Grade I.

दिल्ली में विधि और व्यवस्था की स्थिति

523. श्री अहमद एम० पटेल
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा
श्री बृजराज सिंह
श्री शिवाजी पटनायक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में अगस्त से अक्तूबर, 1977 तक की अवधि में विधि और व्यवस्था की स्थिति और अधिक बिगड़ी है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि में कितने गुण्डों को गिरफ्तार किया गया ; और

(ग) विधि और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जबकि कुछ शीर्षों के अधीन अपराधों की संख्या में वृद्धि प्रतीत हुई है, कुछ अन्य शीर्षों के अधीन इसमें कमी प्रतीत हुई है ?

(ख) 8048।

(ग) अपराधों पर नियंत्रण करने और विधि व व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से दिल्ली प्रशासन द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) विशेषकर अपराध प्रभावित क्षेत्रों में गश्त कड़ी कर दी गई है।

(2) जिलों में सामान्य गश्त के समय और तारीखों में परिवर्तन करके लगाई जा रही हैं ताकि अपराधियों को चौंकाया जा सके।

(3) निवारक उपायों के रूप में टुकड़ियों को संवेदनशील स्थानों पर नियुक्त किया जा रहा है।

(4) आदतन अपराधियों के विरुद्ध निष्कासन कार्यवाहियों को तेज किया जा रहा है और जिला पुलिस अधीक्षक इस ओर निजी तौर पर ध्यान दे रहे हैं।

(5) समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ बार बार अभियान चलाए जा रहे हैं।

(6) विधि व व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए थाना स्तर पर मोहल्ला समितियां गठित की जा रही हैं।

(7) सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट क्षेत्र की बार-बार गश्त कर रहे हैं।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों का अपहरण

424. **श्री अहमद एम० पटेल**
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा
श्री डी० बी० चन्द्र गौडा
श्री ईश्वर चौधरी
: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त से अक्तूबर, 1977 के बीच दिल्ली में छात्रों ने दिल्ली परिवहन निगम की कितनी बसों का अपहरण किया,

(ख) छात्रों की क्या मागें थीं,

(ग) इसके परिणामस्वरूप कुल कितनी हानि हुई, और

(घ) उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) पैंतीस।

(ख) मांगे मुख्यतः अतिरिक्त सेवाएं चालू करने, मौजूदा सेवाओं को बढ़ाने, नए स्टापों और क्यू शेल्टरों की व्यवस्था करने, बस स्टापों पर यातायात निरीक्षण स्टाप को तैनात करने और कालेजों में पास जारी करने वाले काउंटर खोलने के बारे में थीं।

(ग) लगभग 5,635 रुपये।

(घ) विद्यार्थियों की मांगों पर विचार करने के लिए दिल्ली प्रशासन ने एक शिखर समिति का गठन किया है, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, विश्वविद्यालय विद्यार्थी संघ, दिल्ली प्रशासन, पुलिस विभाग तथा दिल्ली परिवहन निगम के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस समिति की कई बैठकें हो चुकी हैं। इसे विभिन्न कालेजों से निगम की सेवाओं से संबंधित 275 मांगें प्राप्त हुई। निगम अतिरिक्त फेरों की व्यवस्था करके, कुछ रूटों में परिवर्तन करके तथा कुछेक सेवाओं को बढ़ाकर 176 मांगों पर पहले ही कार्यवाही कर चुका है। अन्य मांगों को पूरा नहीं किया गया क्योंकि वे साधारण जनता के हित में नहीं थी और उनसे निगम की परिचालनात्मक कुशलता पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना थी।

निगम ने विद्यार्थियों की मांगों पर विचार करने के लिए एक शिकायत सैल भी बनाया है। इसने विद्यार्थियों के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए अनेक अधिकारियों की नियुक्ति भी की है।

ग्राल इण्डिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन की ग्रोर से विद्युत संकट के बारे में ज्ञापन

525. **श्री ग्रहमद एम० पटेल**
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (ग्रखिल भारतीय विद्युत ग्रभियंता संघ) ने देश में निकट भविष्य में गम्भीर विद्युत संकट के बारे में सरकार को कोई ज्ञापन दिया है ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो इस संकट को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) (क) : जी हां।

(ख) देश में बिजली की उपलब्धता म सुधार लाने के लिए ग्रनेक उपाय किए जा रहे हैं। ग्रल्पकाल उपायों में, उपलब्ध उत्पादन क्षमता से विद्युत्त का ग्रधिकतम उत्पादन करने; जहां भी संभव हो वहां अधिकता वाले क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्रों को बिजली का ग्रंतरण करने; उपलब्ध बिजली का वितरण राष्ट्रीय प्राथमिकताग्रों के ग्रनुसार सुनिश्चित करने ग्रौर निर्माण को प्रोन्नत ग्रवस्था वाली परियोजनाग्रों को चालू करने में शीघ्रता लाने संबंधी प्रयासों पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। जिन विद्युत संयंत्रों का कार्य निष्पादन सामान्य से कम होता है उनकी समस्याग्रों का पता लगाने तथा समयबद्ध सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करने के लिए, प्रौद्योगिकी की विविध शाखाग्रों के विशेषज्ञों के दल, जिनम केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, उपस्कर निर्माताग्रों ग्रौर राज्य बिजली बोर्डों के विशेषज्ञ होते हैं, उन संयंत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। सुधारात्मक उपाय शीघ्रता से किए जाने की दृष्टि से निर्णय लिए जाने के सभी स्तरों पर ग्राधार सामग्री उपलब्ध कराने के लिए, निर्माणाधीन परियोजनाग्रों तथा प्रचालनाधीन विद्युत केन्द्रों की मानीटरिंग हेतु सूचना प्रणलियां स्थापित की गई हैं। केन्द्रीय क्षेत्रीय ग्रौर राज्य स्तरों पर बिजली सप्लाई उद्योग के ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए विद्युत (प्रदाय) ग्रधिनियम में संशोधन किया गया ह।

दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में उन परियोजनाग्रों का पता लगाय। गया है जिनसे ग्रागामी पांच से सात वर्षों के भीतर लाभ प्राप्त होंगे तथा उनमें से बहुतों को कार्यान्वियन के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है। बिजली की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने की दिशा में विद्युत विकास की गति तेज करने के उपाय ग्रपनाए जाने पर बल दिया जा रहा है।

पांचवीं योजना को समाप्त किया जाना

526. **श्री चित्त बसु**
श्री एस० एस० गप्ता
श्री एस० डी० सोमसुन्दरम : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना ग्रायोग ने ग्रपनी पिछली बैठक में यह निर्णय किया है कि पांचवीं योजना की ग्रवधि छोटी करके उसे मार्च, 1978 में समाप्त कर दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या योजना ग्रायोग ने छठी योजना को ग्रप्रेल, 1978 में "रोलिंग प्लान" के पहले वर्ष के रूप में शुरू करने का निर्णय किया है ; ग्रौर

(घ) यदि हां, तो इस बारे में अनुवर्ती कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :(क) से (घ) तक योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित नई योजना नीति के कारण पांचवीं पंच वर्षीय योजना में निर्धारित किए गए अंतरक्षेत्रीय निवेश आवंटनों में काफी अधिक परिवर्तन करने अपेक्षित होंगे। इस प्रकार, संशोधित निवेश प्राथमिकताओं के आधार पर एक नई विकास योजना तैयार करना अनिवार्य हो गया है ताकि अधिक रोजगार उपलब्ध कराने का उद्देश्य पूरा किया जा सके। इस प्रकार की योजना यथा सम्भव शीघ्र आरम्भ करनी वांछनीय है, इसलिए आयोग ने यह प्रस्ताव किया है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना वर्तमान वित्तीय वर्ष के साथ समाप्त कर दी जाए और 1978 से 1983 तक की अवधि के लिए एक नई मध्यावधि विनियोजन योजना अप्रैल, 1978 से आरम्भ की जाए। इस योजना की अवधि को योजना के एक वर्ष के समाप्त होने पर अतिरिक्त एक वर्ष के लिए प्रमुख क्षेत्रों के क्षेत्रवार परिव्यों के अनुमान और उत्पादन के अनुमान लगाकर एक वर्ष और बढ़ा दिया जाया करेगा। अनवरत योजना की यही संकल्पना है।

आयोग आजकल 1978-83 की योजना का परिणात्मक ढांचा तैयार करने में लगा हुआ है। इस संबंध में राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ शीघ्र ही विचार-विनमय आरम्भ किया जाएगा।

पूर्व क्षेत्र में बिजली की कमी

527 **श्री चित्त बसु** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र में प्रति दिन 61.4 लाख किलोवाट बिजली की कमी होने का अनुमान है ;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या विशिष्ट कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है ;

(ग) क्या इस क्षेत्र में पन-बिजली पैदा करने के लिए कोई तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) चालू महीने में पूर्वी क्षेत्र में प्रत्याशित विद्युत की कमी लगभग 40 लाख यूनिट प्रतिदिन होने का अनुमान है।

(ख) वर्ष 1977-78 के लिए पूर्वी क्षेत्र का मूल्यांकन निम्न प्रकार है :—

प्रतिष्ठापित क्षमता	4916 मेगावाट
व्यस्ततम समय में उपलब्धता	2800 मेगावाट
व्यस्ततम समय में भार	2967 मेगावाट
कमी	167 मेगावाट

वर्तमान यूनिटों से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के उद्देश्य से उनका बेहतर अनुरक्षण और प्रबन्ध करके इस कमी को पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो नई परियोजनाएं

कार्यान्वित की जा रही हैं उनकी शीघ्रातिशीघ्र चालू कर के स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से उनकी सम्यक् रूप से मानिटरिंग की जाती है।

(ग) जल-विद्युत क्षमता का एक सर्वेक्षण 1953 में किया गया था जिसमें पूर्वी क्षेत्र शामिल था। पुनः सर्वेक्षण करने के लिए हाल ही में अतिरिक्त स्टाफ की स्वीकृति दी गई है।

(घ) मूल सर्वेक्षण के अनुसार पूर्वी क्षेत्रों की विभिन्न नदियों की क्षमता 60% भार अनुपात पर अनुमानतः 3.63 मिलियन यूनिट थी। संभावना है कि दोबारा सर्वेक्षण किए जाने से उपलब्ध क्षमता का नए सिरे से अनुमान लगाया जाएगा।

औद्योगिक लाइसेंस देने की नीति

528. **श्री जी० एम० बनतवाला**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट
श्री पी० त्यागराजन
श्री एस० डी० सोमसुन्दरम
श्री मनीराम बागड़ी
: क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का औद्योगिक लाइसेंस देने की नीति में परिवर्तन करने का विचार है

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यह सभा पटल पर कब तक रखा जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख) सरकार ने औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 की विशेष रूपरेखा के अन्तर्गत और अधिक वृद्धि करने की दृष्टि से विशेषकर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिये महत्वपूर्ण उद्योगों के सबन्ध में औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति को उदार बनाया है। इस प्रकार के उदारीकरण में अन्य बातों के साथ-साथ उद्योगों के सहायक क्षेत्रों में विविधीकरण की सुविधाएं देना, अधिष्ठापित क्षमता का अधिकतम उपयोग करना, कतिपय चुने हुए उद्योगों में क्षमता की स्वतः वृद्धि उपकरणों की अदली-बदली तथा आधुनिकीकरण के फलस्वरूप बढ़ी हुई क्षमता को मान्यता देना तथा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित की गई तकनीक पर आधारित उद्योगों को लाइसेंस से छूट देना शामिल हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हल्दिया पत्तन में शिप बिल्डिंग यार्ड

529. **श्री समर गुह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हल्दिया पत्तन में शिप बिल्डिंग यार्ड की स्थापना संबंधी प्रस्ताव के बारे में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है,

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या पहले गठित की गई विशेष समिति ने हल्दिया संबंधी मामले की जोरदार सिफारिश की थी, यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं,

(घ) क्या पहले गठित की गई विशेष समिति की सिफारिश पर पुनर्विचार करने के लिए कोई अन्य विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी यदि हां, तो बाद में गठित की गई विशेष समिति के विशेषज्ञों के नाम तथा विशेष अर्हताएं क्या हैं और इसने अपनी अलग सिफारिशों के लिए क्या तर्क दिया है,

(ङ) क्या सरकार ने इसकी बजाए हल्दिया पत्तन में एक शिप रिपेयरिंग यार्ड की स्थापना का निर्णय किया है, और

(च) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित क्षमता क्या है और इसके कार्यान्वियन के लिए समय सूत्री क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां। इस समय हल्दिया पत्तन पर कोई शिपयार्ड बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यह निर्णय तकनीकी-आर्थिक विचारों पर आधारित है।

(ग) पहले के कार्यदल ने शिपयार्ड की स्थापना के लिए हल्दिया की केवल उपयुक्तता का ही अध्ययन किया था और निश्चित सिफारिश की थी। उसने अन्य निर्माण स्थलों के बारे में कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया था।

(घ) विभिन्न समुद्रवर्ती राज्य सरकारों द्वारा सुझाऐ गये स्थलों का तुलनात्मक दृष्टि से मूल्यांकन करने के लिए सरकार ने 1973 में एक तकनीकी आर्थिक दल का गठन किया। इस दल के पास हल्दिया पर पहली रिपोर्ट भी थी। कार्यदल का गठन निम्न प्रकार था :—

ब्रिगे० ओ० पी० नरूला विकास सलाहकार, नौवहन और परिवहन मंत्रालय	अध्यक्ष
श्री एस० कस्तूरी महाप्रबंधक कोचीन शिपयार्ड लि०	सदस्य
श्री आर० एल० जैन, उप वित्तीय अधिकारी, वित्त मंत्रालय,	सदस्य
श्री एम० जी० कुटी, मुख्य डिजाइनर (निर्माण) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०	सदस्य
श्री आर० पी० चित्रा, प्रबंधक, विकास सैल, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०	सदस्य-सचिव

इन अधिकारियों के पदनामों से यह विदित हो जाएगा कि ये सभी अधिकारी वित्त अथवा जहाज निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों म उच्चस्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ हैं।

(ङ) इस संबंध में एक प्रस्ताव सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

(च) इन बातों पर जानकारी तभी दी जा सकती है जब अन्तिम निर्णय कर लिया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में कन्टई की तटीय पट्टी के साथ साथ नमक के उत्पादन को बढ़ाना

530. **श्री समर गुह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में कन्टई की तटीय पट्टी के साथ साथ नमक के उत्पादन को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव किया है और क्या पश्चिम बंगाल सरकार भी प्रस्ताव पर कार्य करने को सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो नमक के बढ़े हुए उत्पादन की क्षमता के तथ्य क्या हैं और वहां पर नमक निर्माण के उत्पादों का उपयोग किस प्रकार हो सकता है ;

(ग) क्या इसका विस्तार सरकारी प्रबन्ध के अन्तर्गत किया जाना है अथवा गैर-सरकारी प्रबन्ध के अन्तर्गत ;

(घ) प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए है और क्या वहां पर नमक निर्माण परियोजना की आयोजना के लिए कोई विशेषज्ञ सेल बनाया गया है; और

(ङ) यदि हां तो अन्य ब्यौरों सहित तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) (क) से (ङ) पश्चिम बंगाल के कोन्टई क्षेत्र में नमक निकालने की सम्भावना का पता लगाने के लिए पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने हाल ही में नमक आयुक्त के एक प्रतिनिधि समेत विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के एक अध्ययन दल का गठन किया है। इस अध्ययन दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

आनन्द मार्ग और प्राउटिस्ट यूनीवर्सल के नाम से कार्य कर रहे अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह

531. **श्री समर गुह** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आनन्द मार्ग के प्रधान श्री पी० आर० सरकार और इस संगठन के सेक्रेटरी ने इस संगठन के नाम पर कार्य कर रहे कुछ गुप्त अन्तर्राष्ट्रीय गिरोहों की हिंसात्मक गतिविधियों की भर्त्सना की है, यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ख) क्या सरकार षडंयत्रों का पता लगाने और आनन्द मार्ग अथवा प्राउटिस्ट यूनीवर्सल के नाम पर विश्व के विभिन्न भागों में कार्य कर रहे गिरोहों का पता लगाने में सफल हुई है ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) सरकार ने कुछ प्रेस रिपोर्टें देखी हैं जिसमें श्री पी० आर० सरकार तथा आनन्द मार्ग प्रचारक संघ के कार्यवाहक महासचिव ने यूनीवर्सल प्राउटिस्ट रिवोलूशनरी फेडरेशन के साथ कोई संबंध न होने का दावा किया है तथा उस संगठन के नाम पर हिंसा की गतिविधियों से अन्तर्गस्त होने की जिम्मेदारी से मना किया है। कार्यवाहक महा सचिव ने इस संबंध में गृह मंत्री को भी एक पत्र लिखा है। श्री पी० आर० सरकार अथवा आनन्द मार्ग प्रचारक संघ के कार्यवहक महासचिव की हिंसा की इन गतिविधियों को निन्दा करने की कोई रिपोर्ट सरकार के ध्यान में नहीं आई है। किन्तु सरकार के पास उपलब्ध सूचना आनन्द मार्ग के नेताओं के इस दावे की पुष्टि नहीं करती है कि उनका यूनीवर्सल प्राउटिस्ट रिवोलूशनरी फेडरेशन के साथ कोई संबंध नहीं है।

(ख) यथा (ग) : यूनीवर्सल प्राउटिस्ट रिवोलूशनरी फेडरेशन ने भिन्न भिन्न देशों में हिंसक घटनाओं के लिये जिम्मेदारी का दावा किया है। इन घटनाओं को स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है और इन जांच पड़तालों के परिणाम इन अपराधों के लियें जिम्मेदारी व्यक्तियों/संगठनों को प्रकाश में लायेगा।

नक्सलवादी बंदी

532. **श्री समर गुह** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नक्सलवादियों के, (एक) दोष सिद्ध अपराधी, (दो) लोक सभा तथा विधान सभा के चुनावों के बाद छोड़े गये अपराधी जिन पर मुकदमा चल रहा था और (तीन) अभी तक जेल में चन्द नक्सलवादी बन्दी, राज्यवार आंकड़े क्या हैं ;

(ख) आजीवन कारावास पाने वाले कितने नक्सलवादी बन्दियों को छोड़ दिया गया है;

(ग) क्या नक्सलवदियों तथा अन्य राजनीतिक तत्वों के विरुद्ध राजनीतिक हत्या जैसी हिंसात्मक गतिविधियों के आरोप पर चलाये गये बहुत से मुकदमे विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा वापस ले लिये गये हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ङ) क्या ऐसे राजनीतिक बंदियों तथा मुकदमा चल रहे व्यक्तियों की रिहाई से देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति में कोई और खराबी आई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दी जायगी।

ATROCITIES ON HARIJANS

533. SHRI RAM LAL RAHI
SHRI C. K. CHANDRAPPAN
SHRI K. K. MURTHY
DR. HENRY AUSTIN
SHRI M. KALYANASUNDARAM
SHRI VAYALAR RAVI
SHRI CHITTA BASU
SHRI L. L. KAPOOR

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that atrocities on Harijans have increased throughout the country during the recent months;

(b) if so, the number of cases during the current year so far, crime-wise, month-wise, State-wise and the number of deaths as a result thereof;

(c) whether any study has been made about the social, economic grounds for these atrocities, if so, the facts thereof; and

(d) what concrete steps have been taken by Government to stop such atrocities and provide security to weaker sections of the society?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) and (b). Complaints of offences against members of scheduled castes are dealt with under the relevant provisions of law and in such cases, it is for the law and order agency of the State Government concerned to take appropriate action. A statement giving statistical data, as received from the State Governments, is enclosed;

[Placed in Library. See No. L.T.1059/77]

(c) and (d) : While no formal study has been undertaken, Government are aware that among the factors responsible for such offences are disputes relating to land, wages, harvesting of crops, socio-economic tensions etc. While it is for the State Govts. to take suitable action under the law, the Central Govt. keeps in close touch with the State Governments in this matter. Various suggestions have been sent to the State Governments from time to time on expediting land reforms and other measures for safeguarding the interests of members of scheduled cases and on strengthening the administrative machinery to ensure that all possible protection is provided to them. The Prime Minister, the Home Minister and Minister of State in the Home Ministry have also addressed the State Chief Ministers demi-officially in this connection.

ENFORCEMENT OF UNTOUCHABILITY LAWS

534. SHRI RAM LAL RAHI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government propose to take strict action against the officers in whose areas laws for eradicating untouchability are not fully enforced; and

(b) if so, the scope of such an action?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) & (b) : The Protection of Civil Rights Act, 1955, as comprehensively amended in 1976, is the Central Act prescribing punishments for various acts of untouchability. The responsibility to implement the various provisions of this Act primarily lies with the State Governments. The State Governments have been requested to implement the provisions of the Act vigorously on a priority basis. According to information received from some State Governments, the district authorities have been made personally responsible for the strict enforcement of the Protection of Civil Rights Act.

HARIJAN VIGILANCE COMMITTEES

535. SHRI RAM LAL RAHI
SHRI G. Y. KRISHNAN } : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government propose to constitute Vigilance Committees or cells at Centre and in the States to check ill-treatment of Harijans and tribals;

(b) if so, when; and

(c) the formation thereof?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HAME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a), (b) & (c) : No proposal to set up such Vigilance Committees or cells at the Centre is under consideration of the Government. Information in regard to whether such Vigilance Committees or cells have been set up in the States in being collected.

पश्चिम बंगाल में छोटे बिजली घरों के लिये गैस टर्बाइनों तथा डीजल सेटों का आयात

536. **श्री के० एन० दास गुप्ता** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पश्चिम बंगाल में छोटे बिजली घरों की स्थापना करने के लिये कुछ गैस टर्बाइनों तथा डीजल सेटों का आयात करने हेतु कोई निश्चित प्रस्ताव पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त हुआ है ?

ऊर्जा मंत्री श्री पी० रामचन्द्रन : यद्यपि पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त पत्रादि में तथा पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों के साथ हुए विचार-विमर्शो में गैस टर्बाइनों का आयात करने के संबंध में उल्लेख किए गए थे परन्तु गैस टर्बाइनों और डीजल सेटों का आयात करने के लिए उक्त सरकार को ओंर से अभी तक कोई सुनिश्चित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

औद्योगिक प्रगति निर्धारण करने का प्रस्ताव

537. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यवार औद्योगिक प्रगति का निर्धारण करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मोटी रुपरेखा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हाँ, खनन, विनिर्माण और विद्युत क्षेत्रों के लिये ।

(ख) औद्योगिक प्रगति सामान्यत: औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में परिवर्तन की दर से मापी जाती है ।

पांचवी योजना के अन्तर्गत एक मूल-स्कीम के रूप में औद्योगिक उत्पादन के राज्यवार सूचकांकों के संकलन की स्कीम तैयार की गई है । ये सूचकांक उसी प्रकार संकलित किये जाते हैं जैसे इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा परिचालित मार्ग-दर्शन के अनुसार अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक तैयार किये जाते हैं । इस सूचकांक के अन्तर्गत वर्ष 1970 को आधार मान कर खनन, विनिर्माण और विद्युत क्षेत्र सम्मिलिति हैं । स्कीम राज्य और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा चरणबद्ध रुप में कार्यान्वित की जा रही है ।

'गर्ग काशंज एगेंस्ट सेल आउट टु बोन बैंकर्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार

538. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी,**
श्री सौगत राय : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 सितम्बर, 1977 के इण्डियन एक्सप्रेस में 'गर्ग काशंज एगेंस्ट सेल आउट टू बोन बैंकर्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नाडीज)। (क) जी, हां ।

(ख) सितम्बर, 1977 में बोन में हुई पश्चिम जर्मनी उद्योग संघ की वार्ता के दौरान जिसमें प्रतिष्ठित उद्योगपति [और बैंकर भी मौजूद थे भारत सरकार द्वारा अपनाई जा रही औद्योगिक विकास नीति के बारे में विशेष रुप से भारत सरकार की अन्य शर्तों पर प्राथमिकता वाले उत्पादन और उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति देने के संदर्भ में उल्लेख किया गया था । इस संकेत के प्रत्युत्तर में जर्मनी के बैंकरों ने बताया कि वे आगामी दो वर्षों में एक बिलियन डालर तक भारत में निवेश के लिए धन देना चाहेंगे । यह सहायता उन विशिष्ट परियोजनाओं के लिए होगी जो तैयार की जाने वाली है तथा जिनके लिए बातचीत की जा रही है । इसके आगे यह भी उल्लेख किया गया था कि विदेशी निवेश भारत के हित के अनुकूल शर्तों पर ही मान्य होगा और उत्पादन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संदर्भ में भी वहां तादात्म प्रौद्योगिकी के अन्तर को पूरा करने की जरुरत होगी और उन क्षेत्रों में भी मान्य होगा जहां पर्याप्त रुप से निर्यात उत्पादन की गुंजाइश है । इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस प्रकार का निवेश चुना हुआ (सेलेक्टिव) होगा और प्रत्येक मामले में गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा ।

भारतीय नौसेना के लिये पनडुब्बियां

539. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा भारतीय नौसेना को पर्याप्त संख्या में पनडुब्बियों से सुसज्जित करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : भारतीय नौसेना के पास कई पनडुब्बियां हैं । इनकी संख्या बढ़ाने के विचार से कई विदेशी शिपयार्डों से बातचीत शुरु की गई है जिसका उद्देश्य भारत में उपयुक्त पनडुब्बियों का डिजाइन तैयार करने और उनका निर्माण करने के बारे में सहयोग करना है ।

STATIONS OF A. I. R. BROADCASTING FOR INDIANS ABROAD

540. SHRI MRITYUNJAY PRASAD : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) the names of stations of All India Radio from where broadcasts are made for foreign countries and the names of those countries along with the names of their respective languages in which the broadcasts are made :

(b) the names of the All India Radio Stations from where broadcasts are made for Indians living abroad and the details of the Indian languages in which these broadcasts are made and the period given in a week for the purpose; and

(c) whether any arrangements have been made for teaching these foreign languages to whether such Vigilance Committees or cells have been set up in the States in being feature thereof ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) :

(a) Names of Stations of All India Raido from where broadcasts are made for foreign countries and the names of those countries along with the names of their respective languages in which the broadcasts are made :

(i) External services Division, AIR, New Delhi

Language	Countries
1. English (General Overseas Service I)	East Asla. South East Asia and Notrth East Asia.
2. English (General Overseas Service II)	North East Asia, Australia and New Zealand.
3. English (General Overseas Service III)	South East Asia
4. English (General Overseas Service IV)	UK, West Europe, East Africa, West & North Africa, Austraia and New Zealand.

Other Services

Languages	Countries/areas
Arabic, Baluchi, Burmese Cantonese, Dari, French, Hindi, Indonesian, Kuoyo, Nepali, Persian, Pushtu, Russian, Sindhi, Sinhala, Swahili, Tamil, Thai, Tibetan and Urdu.	Afghanistan, Burma, East Africa East Asia, Indonesia, Iran, Mauritius, Nepal, North West Africa, Pakistan, People's Republic of China and other South Asia countries and regions, Russia and East Europe, Thailand and West Asia.

(ii) *AIR Bombay*

Gujarati	East Africa
Konkani	East Africa

(iii) *AIR Calcutta*

Bengali .	Bangladesh

(iv) *AIR Jullundur*

Punjabi . .	Pakistan

(v) *AIR Madras*

Tamil	South East Asia

(b) (i) *External Services Division, All India Radio New Delhi*

Hindi for East Africa and Mauritius. . . .	10 1/2 hours per week
Hindi for South East Asia:	7 hours per week
Tamil for South East Asia:	5 hours 15 mts. per week

(ii) *AIR Madras*

Tamil for South East Asia .	7 hours per week

(iii) *AIR Bombay*

Gujatati for East Africa	7 hours per week
Konkani (News) for East Africa	70 ms. per week

(c) Announcers in foreign languages are qualified in their respective languages. They are recruited after written and voice tests. These Announcers include foreign nationals speaking the languages concerned and Indians who are proficient in foreign languages. Under the training scheme of foreign languages AIR employees having good knowledge of a particular language are sent to foreign countries for advanced study and training in the particular language. Besides, some employees of all India Radio are also allowed to take up foreign language courses in the school of foreign languages, New Delhi for learning different languages.

NUMBER OF PROGRAMME EXECUTIVES, A.S.Ds. AND S.Ds. IN TELEVISION CENTRE, DELHI.

541. SHRI SURENDRA BIKRAM : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) the number of Programme Executives, A.S.Ds. and S.Ds. in Television Centre who are posted in Delhi for the last 10 years;

(b) reasons for their continued posting for such a long period at one place;

(c) the number of the persons who are posted in Delhi even after getting two or three promotions and what are their special qualifications; and

(d) when Government propose to amend the rules governing appointments and transfers of Programme Executives, A.S.Ds. and S.Ds. of T.V. Centres?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI) : (a) None of the Programme Executives, Assistant Station Directors, and Station Directors has been working for the last ten years in Doordarshan Kendra. New Delhi, Upgraha Doordarshan Kendra. New Delhi or Doordarshan Kendra (Amritsar), New Delhi.

(b) & (c) : Does not arise.

(d) At present, pending finalisation of the recruitment rules for these posts in Doordarshan, the requirements of the media are met by appointing officers of these categories belonging to All India Radio. After Doordarshan has its own cadres of these officers. the rules governing transfers and appointments could also be formulated.

आपात स्थिति के दौरान गिरफ्तार छात्रों की रिहाई

542. **श्री सुरेन्द्र विक्रम**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार कुछ छात्र अभी भी रिहा नहीं किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक गिरफ्तार छात्रों की संख्या क्या है और उन्हें लगातार निरुद्ध रखने के क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) जब कि (1) बिहार (2) केरल (3) मध्य प्रदेश (4) महाराष्ट्र, (5) उड़ीसा, (6) राजस्थान, (7) तमिलनाडु, (8) उत्तर प्रदेश (9) पश्चिम बंगाल से सूचना अभी प्राप्तहोनी है, शेष राज्यों तथा सभी संघ शासित प्रशासनों ने बताया है कि भारत रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा नियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया कोई छात्र अभी हिरासत में नहीं है ।

COMPLAINTS AGAINST THE GENERAL MANAGER OF THE CLOTHING ORDNANCE FACTORY, SHAHJAHANPUR

543. SHRI SURENDRA BIKRAM : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) the action taken by Government on the repeated written complaints made to him against the General Manager of the Clothing Ordnance Factory, Shahjahanpur by the various Employees' Unions between 20th March, 1977 to 20th September, 1977; and

(b) the name of the officer who conducted enquiry into these complaints and what were those complaints ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHER SINGH) : (a) and (b) Certain complaints were received by Government against the General Manager, Ordnance Factory, Shahjahanpur from employees' unions, covering a number of items including non-execution of a development work, irregularities in disposal of certain buildings by auction, deployment of labour etc. Some of complaints were investigated through the Additional DGOF (Ordnance & Equipment Group), Kanpur and enquiries revealed that with exception of some procedural irregularities, the allegations were mainly without substance. Suitable follow-up action has been taken after these enquiries. Some other complaints are being looked into.

SUPPLY OF FUEL BY AMERICA TO INDIA

544. SHRI Y. P. SHASTRI
SHRI S. R. DAMANI
SHRI RAMANAND TIWARY } : Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state :

(a) whether the Government of USA have informed the Government of India that America would supply fuel for Atomic Power Stations in India only on the condition that the Government of India would allow inspection of their atomic power stations by International agencies;

(b) if so, whether the Government of India have accepted this condition;

(c) the details of atomic power stations in India which get fuel from USA; and

(d) in case USA discontinues supply of fuel to atomic power stations in India on non-acceptance of this condition by the Government of India, the alternative arrangements made by the Government of India for fuel for keeping the atomic power stations functioning ?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) The bilateral Agreement of 8-8-1963 for cooperation between the Government of USA and the Government of India provides that all requirements of enriched uranium for use at Tarapur Atomic Power Station shall be made available by USA. Tarapur Atomic Power Station is already under inspection by I.A.E.A. under the trilateral Agreement of 27-1-1971.

(b) Does not arise.

(c) Tarapur Atomic Power Station.

(d) Does not arise.

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिले

545. श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने तथा कौन-कौन से जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए घोषित किया गया है ; और

(ख) मध्य प्रदेश में किन-किन जिलों को पिछड़े हुए जिले घोषित किया गया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है । [**ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 1058/77**]

रीवां, मध्य प्रदेश में बी० एच० ई० एल० कारखाने की स्थापना

546. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के रीवां जिले में सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र का ऐसा एक भी उद्योग अथवा कारखाना नहीं है जिसमें 500 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं और यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार निकट भविष्य में रीवा जिले में सरकारी क्षेत्र का कोई उद्योग स्थापित करने का है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने यह घोषणा की है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की देश में चार यूनिटें स्थापित की जायेंगी और उनमें से एक मध्य प्रदेश में स्थापित की जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार रीवां जिले में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० की एक यूनिट स्थापित करने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) मध्य प्रदेश के रीवां जिले में सरकारी या गैर-सरकारी क्षेत्रों में ऐसा कोई उद्योग या कारखाना नहीं है जिसमें 500 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं । किन्तु मे० तुमुस इलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड रीवां, गैर-सरकारी क्षेत्र का एकक, इलेक्ट्रिकल स्टील स्टैम्पिंगस और लैमिनेशन्स के निर्माण के लिए स्थापित किया गया है जिसकी वार्षिक क्षमता 2500 टन है । इस फर्म में उत्पादन हो रहा है और इसमें लगभग 100 व्यक्ति काम करते हैं । मे० वी० इलेक्ट्रिकल्स स्टैम्पिंग्स (इण्डिया), रीवां रोड, सतना, मध्य प्रदेश को इलेक्ट्रिकल स्टैम्पिंग्स और लैमिनेशन्स के निर्माण के लिए अक्तूबर, 1975 में एक औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया था । इसमें अभी उत्पादन शुरु नहीं हुआ है । मे० रीवां अस्बेस्टस को प्रेशर पाइपों के निर्माण के लिए अप्रैल, 1976 में एक आशय पत्र जारी किया गया था । योजना कार्यान्वित होने पर इससे लगभग 200 व्यक्तियों को रोजगार मिलने का अनुमान है । इस समय सरकार के पास रीवां जिले में सरकारी क्षेत्र में किसी परियोजना के स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्रव्य दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं को दिए गए विज्ञापन

547. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रव्य दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा 1972 से 1977 (मार्च) की अवधि के दौरान प्रत्येक समाचार पत्र एवं स्मारिका को दिए गए विज्ञापनों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक

को कितनी राशि अदा की गई तथा जिस मैनेजर/सम्पादक/संगठन को उक्त राशि अदा की गई उनके नाम तथा पते क्या हैं;

(ख) सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा 1971 से मार्च, 1977 तक की अवधि के दौरान विज्ञापनों पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों के विज्ञापन एजेंटों के नाम तथा पते क्या हैं; और

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा सरकारी, कम्पनियों द्वारा जनवरी, 1971 से मार्च, 1977 के दौरान विज्ञापन एजेंसियों के माध्यम से समाचार पत्रों को जारी किए गए विज्ञापनों के लिये किस दर पर अदायगी की गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) वैयक्तिक समाचार पत्रों और स्मारिकाओं को दिए जाने वाले विज्ञापनों की मात्रा बताना सरकार की नीति नहीं है। इसको विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय और समाचार पत्रों के बीच गोपनीय समझा जाता है। तथापि, 1972-73 से लेकर 1976-77 तक की अवधि के दौरान समाचार पत्रों/नियत कालिकपत्रों और स्मारिकाओं को विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों पर हुआ कुल व्यय इस प्रकार है :—

वर्ष	समाचारपत्रों/नियत कालिक पत्रों को जारी किए गए विज्ञापनों की मात्रा	स्मारिकाओं को जारी किए गए विज्ञापनों की मात्रा
1972-73 . . .	1,92,52,831	2,83,411
1973-74	1,52,73,942	3,09,690
1974-75	1,42,30,238	1,93,580
1975-76	2,20,68,897	4,65,919
1976-77 . . .	2,79,45,942	4,75,801

(ख), (ग) और (घ) यह महसूस किया जाता है कि अपेक्षित सूचना को एकत्रित करने के लिये जो प्रयास करना होगा वह प्राप्त होने वाले परिणाम के अनुरूप नहीं होगा ।

मध्यस्थ-निर्णय के अधीन मामले

548. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय अथवा अधीनस्थ संबद्ध कार्यालययों अथवा मंत्रालय के अधिकार क्षत्र मेआने वाली कम्पनियों ने 10,000 रुपये अथवा उससे अधिक राशि के कितने मामले जनवरी, 1971 से मार्च, 1977 की अवधि के बीच मध्यस्थ निर्णय चे लिये निर्देशित किए;

8—868LSS/77

(ख) जिन पार्टियों के बारे में मामले थे उनके नाम एवं पते क्या हैं और प्रत्येक मामले के अन्तर्गत कितनी राशि आती है, और वह मामला किस प्रकृति का था;

(ग) यदि मामला निपट गया है तो मध्यस्थों का पंचाट किस के पक्ष में था और अन्तिम रूप से किस के पक्ष में निपटान हुआ;

(घ) अनिर्णीत मामले कितने हैं, और

(ङ) उनमें से कितने मामले संविदाओं में मूल्य-वृद्धि संबंधी शर्त के कारण उत्पन्न हुए ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

पिछड़े राज्यों में लघु उद्योग सेवा संस्थाओं में रिक्त पद

549. **श्री लखनलाल कपूर** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े राज्यों में स्थापित बहुत सी लघु उद्योग सेवा संस्थाओं में अपेक्षित विकास कर्मचारी नहीं ह और 250 से अधिक पद रिक्त पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और अपेक्षित कर्मचारियों की भर्ती और नियुक्ति करने के लिए क्या कार्रवाई की गई अथवा करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी, नहीं । यह कहना सही नहीं है कि पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित बहुत से लघु उद्योग सेवा संस्थानों में विकास संबंधी अपेक्षित संख्या में कर्मचारी नहीं हैं । केवल कुछ ही लघु उद्योग सेवा संस्थानों में कुछ स्थान खाली हैं जिन्हें भरने के लिए जरूरी कार्रवाई की जा रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आवेदन पत्रों में जाति सूचक कालम

550. **डा० रामजी सिंह** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी, गैर-सरकारी तथा शिक्षा संस्थाओं के लिए आवेदन-पत्रों में जाति सूचक कालम रखना उचित नहीं रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों तथा शिक्षा संस्थाओं को आदेश जारी करने का है कि इसे बन्द किया जाए ;

(ग) यदि हां, तो यह कब तक होगा ; और

(घ) क्या सरकार शिक्षा संस्थाओं के नामों से जाति तथा समुदाय सूचक नामों को हटाने को उचित समझती है और यदि हां तो उसके लिए क्या कदम उठाए जाने हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीनु सिंह पाटील) :(क) (ख) तथा (ग) : सरकारी तथा अर्ध-सरकारी संगठनों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले फार्मों में जाति तथा उप-जाति का उल्लेख बन्द किये जाने के लिए पहले से ही अनुदेश विद्यमान हैं। फिर भी, यह सूचना कि क्या कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति का हैं इस उद्देश्य से दी जानी आवश्यक है जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसे समुदायों के लिए आरक्षित, नियुक्ति हेतु रिक्तियों/शिक्षा संस्थाओं में सीटें, वास्तव में पात्र उम्मीदवारों को ही दी जाती हैं। राज्य सरकारों से भी उपर्युक्त कार्यविधि अपनाने के लिए कहा गया है। सरकारी सहायता अथवा वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली गैर-सरकारी संस्थाओं के लिए भी उपर्युक्त कार्यविधि का पालन किया जाना आवश्यक है।

(घ) सरकार द्वारा सरकारी तथा अर्ध सरकारी संस्थाओं के नाम, जाति तथा समुदाय सूचक नहीं रखे जाते। वास्तविकता यह है कि ऐसे नामों को रखने वाली शैक्षिक संस्थाएं, प्राइवेट संस्थाएं हैं। जहां कहीं सरकार द्वारा उन्हें, अनुदान अथवा आर्थिक सहायता दी जाती है तो यह सुनिश्चित किया जाता है कि जाति अथवा उप-जाति के आधार पर कोई भेद भाव नहीं हो।

आकाशवाणी केन्द्र, भागलपुर

551. **डा० रामजी सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के भागलपुर स्टेशन को, जो दरभंगा स्टेशन से पहले स्थापित किया गया था, उन सुविधाओं से वंचित रखने के क्या कारण हैं जो दरभंगा स्टेशन में उपलब्ध हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार भागलपुर स्टेशन को दरभंगा स्टेशन के समान स्वतंत्र स्टेशन बनाने प्रसारण के लिए विशेष समय निर्धारित करने और अपने कर्मचारियों के लिए बिना किसी विलम्ब के रिहायशी मकान निर्माण करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवानी) :(क) भागलपुर केन्द्र को आकाशवाणी के पटना केन्द्र की सहायक यूनिट के रुप में स्थापित किया गया था। दूसरी ओर दरभंगा केन्द्र की कल्पना मूल रुप से कार्यक्रम प्रसारित करने वाले पूर्णरुपेण केन्द्र के रुप में की गई थी न कि आकाशवाणी के किसी अन्य केन्द्र के सहायक केन्द्र के रुप में।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में भागलपुर के सहायक केन्द्र का दर्जा बढ़ाकर मूल रुप से कार्यक्रम प्रसारित करने वाले स्वतंत्र केन्द्र के रुप में करने की कोई व्यवस्था नहीं है। तथापि, इस केन्द्र का दर्जा बढ़ाने के उद्देश्य से भागलपुर में स्टूडियों की व्यवस्था करने की एक योजना अगली विकास योजना में सम्मिलित की जा रही है। इस योजना का कार्यान्वयन नई योजना के अन्तर्गत तदर्थ धनराशि के आबंटन पर निर्भर करेगा। भागलपुर केन्द्र के कर्मचारियों के लिए रिहायशी मकान अभी बनाने के प्रस्ताव नहीं है।

टाटा रोबिंस फ्रेसर को ठेका आर्डर देना

552. **डा० रामजी सिंह** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम० ए० एम० सी० (दुर्गापुर) और ई० पी० आई० लि० (दिल्ली) जैसे उपक्रमों की उपेक्षा करके जिनके पास काम की कमी है तथा जो खाली बैठे श्रमिकों को

मजूरी दे रही है, टाटा-रोबिंस फ्रेसर (इण्डिया-अमरीका-यू० के०) नामक गैर-सरकारी कम्पनी को, जिसका बहुराष्ट्रीय फर्मों के साथ सहयोग है, 14.00 करोड़ रुपयों का आर्डर दिया जा रहा है ;

(ख) क्या टाटा रोबिंस-फ्रेसर को वाशरीज के बारे में न कोई अनुभव है और न इस काम में उनको कोई विदेशी सहयोग प्राप्त है सिवाय इसके कि लाभ रोबिंस एण्ड फ्रेसर को मिलता है ; और

(ग) क्या अन्तिम बातचीत के दौरान केवल टाटा-रोबिंस-फ्रेसर को ही बुलाया गया था, एम० ए० एम० सी०, ई० सी० आई० लि० को नहीं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) :(क) अभी तक इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है और यह मामला कोल इंडिया लि० के निदेशक बोर्ड के विचाराधीन है ।

(ख) मेसर्स टाटा-राबिन्स फ्रेसर ने यह प्रस्ताव, मेसर्स क्रेथवेथ लि० (भारत) तथा मेसर्स वेडाग लि० (जर्मनी) को सहयोग रसे खा है ।

(ग) जी हां

समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं को हिमाचल प्रदेश के बारे में दिए गए वर्गीकृत विज्ञापन

553. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रव्य-दृश्य प्रचार निदेशालय ने गत तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश से प्रकाशित हो रहे समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं को कितने वर्गीकृत विज्ञापन जारी किए ;

(ख) ये विज्ञापन किन किन समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं को जारी किये गये ;

(ग) क्या श्रव्य दृश्य प्रचार निदेशालय हिमाचल प्रदेश के लिए वर्गीकृत विज्ञापनों की दरें फिर से नियत करने का विचार कर रहा है ,
यदि हां, तो नई दरें क्या है और वे कब से जारी होंगी, और

(घ) क्या ऐसी नीति बनाने का विचार है जिसके अन्तर्गत पहाड़ी क्षेत्रों से प्रकाशित हो रहे समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं को वर्गीकृत विज्ञापन देने में प्राथमिकता दी जाएगी और अनुदान दरों पर दिये जायेंगे और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश के पत्रों/पत्रिकाओं नें वर्गीकृत विज्ञापनों के 279 निवेश दिए गए जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

1974-75	30
1975-76	166
1976-77	83

(ख) "वीर हिमाचल" "हिन्दी" दैनिक, शिमला, "हिमाचल जनता", हिन्दी साप्ताहिक, शिमला, "हिम केसरी", हिन्दी साप्ताहिक, शिमला, "हिमाचल दर्पण", हिन्दी साप्ताहिक, शिमला, "अमर हिमाचल", हिन्दी साप्ताहिक, शिमला, "जनवाणी", हिन्दी साप्ताहिक, शिमला।

(ग) देश भर के समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के लिए वर्गीकृत और सजावटी दोनों प्रकार के सरकारी विज्ञापनों की दरों का नया ढांचा तैयार करने के बारे में सरकार सक्रिय रुप से विचार कर रही है ।

(घ) सरकार की नीति यह है कि विशेषकर पिछड़े, दूरस्थ या सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों/पत्रिकाओं को महत्व या प्राथमिकता दी जायेगी ।

भूतपूर्व सैनिकों के लिये रिहायशी बस्तियों का निर्माण

554. श्री दुर्गाचन्द : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए चिकित्सा और शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था सहित रिहायशी बस्तियां बनाने के बारे में सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षो में इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश में ऐसी कोई रिहायशी बस्ती बनाई गई है और यदि हां, तो किस स्थान पर ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) :(क) से (ग)

(1) आवास सुविधाएं

भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए मकान बनाने की केन्द्रीय सरकार की कोई योजना नहीं है। परन्तु अधिकांश राज्य सरकारों ने अपनी आवास योजनाओं में भूतपूर्व सैनिकों के लिए मकान/प्लाट/फलैटों का आरक्षण किया है ।

(2) शिक्षा संबंधी सुविधाए

केन्द्र सरकार भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए मैडिकल और दंत चिकित्सा कालेजों म हर वर्ष 30 स्थानों की व्यवस्था करते हैं। अधिकांश राज्य सरकारें भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को रिआयतें देती हैं जो टयूशन फीस में छूट, छात्रवत्तियों की मंजूरी और पुस्तकों तथा वर्दी आदि की कीमत के रुप में होती है ।

(3) चिकित्सा सुविधाएं

पेंशन पाने वाले भूतपूर्व सैनिक, उनके परिवार, और मृत सैनिकों के पेंशन पाने वाले परिवार, समीप के सैनिक अस्पताल में निशुल्क बहिरंग उपचार पा सकते हैं जिसमें उनके उपचार के लिए आवश्यक औषधियों की सप्लाई करना भी सम्मिलित है ।

(4) लागत

इन सुविधाओं पर किए गए व्यय के बारे में अलग से सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(5) हिमाचल प्रदेश में आवास बस्ती

हिमाचल प्रदेश में अभी तक कोई आवास बस्ती स्थापित नहीं की गई है ।

शांति काल में सैनिकों के लिये योजना

555. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शांति काल के दौरान सेना कर्मचारियों के लिए कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) शान्ति के समय सशस्त्र सेनाएं ऐसे कार्यकलापों में लगी होती हैं जिनका उद्देश्य रक्षा तैयारियां करने और सभी सम्भाव्यताओं का सामना करने के लिए तत्पर रहना है और इसलिए इस उद्देश्य के लिए सरकार की अनेक योजनाएं हैं । लेकिन सिविल परियोजनाओं में सैनिकों को लगाने की सरकार की कोई योजना नहीं है ।

सहायता के लिए बुलाया जाने पर सिविल प्राधिकारियों को सहायता देने के अतिरिक्त सशस्त्र सेनाएं, मुख्य रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमित आधार पर विकास संबंधी तथा कल्याण संबंधी कार्य भी करती हैं जिसका उद्देश्य स्थानीय जनता को अधिक निकट लाना होता है ।

BRIDGES ON THE NATIONAL HIGHWAY BETWEEN PORBANDAR AND RAJKOT

†556. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) the annual programmes in regard to conversion of narrow bridges into broad bridges on the National Highway between Porbandar & Rajkot in Gujarat;

(b) whether 'Karli' is a very narrow bridge near Porbandar City, and whether the work of conversion of this bridge into a broad bridge has been taken up and completed;

(c) the expenditure estimated thereon and the work done so far; and

(d) the estimated expenditure involved in broadening the narrow bridges between Porbandar and Rajkot ?

MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM) : (a) There is no annual programme as such in regard to conversion of narrow bridges into broad bridges on the National Highway. The works included in the 5 year plan are considered annually according to the priority indicated by the State P.W.D. subject to scrutiny by the Central Ministry and availability of funds. As regards the programmes in respect of these bridges on the National Highway between Porbandar and Rajkot Section of N.H. 8B in Gujarat, the 5th Plan included 2 major and 27 minor bridges, out of which 16 minor bridges have been sanctioned so far. Investigation by State P.W.D. on the 2 major bridges is in progress.

(b) Yes Sir; the work is included in the 5th Plan. Detailed investigation for fixing the site and alignment of approaches is in hand.

(c) Does not arise at present.

(d) About Rs. 107.27 lakhs.

REPRESENTATION OF S.C. & S.T. IN THE ARMED FORCES

557. SHRI RAMJI LAL SUMAN : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) the representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in all the three armed services;

(b) whether it is less than 18 percent; and

(c) if so, the effective steps being taken by Government to make it up?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) to (c) The representation of Scheduled Castes/Scheduled Tribes in the Army, Air Force & Navy is an under :—

Army

	Present strength	
	S. Castes	*S. Tribes*
(i) Officers	173	90
(ii) Other than Officers	80291	15423

Air Force

	Present strength	
	S. Castes	*S. Tribes*
(i) Officers	13	6
(ii) Other than Officers.	2345	247

Navy

	Present strength	
	S. Castes	*S. Tribes*
(i) Officers	5	—
(ii) Other than Officers	2143	246

Their representation is less than 18%. There is no reservation for Scheduled Castes Scheduled Tribes in the three Armed Services. However with a view to increasing the intake of Officer cadets of Scheduled Castes/Scheduled Tribes into the Armed Forces through the National Defence Academy, the following steps have been taken :—

(i) In the case of entry to the Sainik Schools, reservations of 15% to Scheduled Castes and 7½% to Scheduled Tribes candidates have been provided, subject to their qualifying in the entrance examination and being medically fit, irrespective of their position in the merit list.

(ii) For admission to the Military Schools, all Scheduled Castes/Scheduled Tribes boys who qualify in the admission test are admitted to these schools, irrespective of their position in the overall order of merit.

3. With regard to the recruitment to the ranks the present policy of the Government is to encourage them to join the Indian Army. In pursuance of this policy, the following special measures have been taken :

(i) Instructions have been issued to all Recruiting Officers that, other things being equal, preference should be given to persons belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes.

(ii) Recruiting Officers have been instructed to carry out recruitment-cum-publicity tours not only in the cities and towns but also in the interior areas predominantly inhabited by Scheduled Castes and Scheduled Tribes, people.

(iii) Recruiting parties from Regimental Centres are also despatched from time to time to increase the recruitment of these categories into the Army.

P.A.C. REVOLT IN UTTAR PRADESH

558. SHRI RAMJI LAL SUMAN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to the whether Central Government propose to give necessary orders to the State Government for withdrawing cases against leaders of Police agitation in connection with the PAC revolt during Congress rule in Uttar Pradesh ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : Since this matter is primarily the concern of the State Government, the Central Government, does not consider it appropriate to issue any orders to the State Government in this regard.

PENSIONS GIVEN TO FREEDOM FIGHTERS

559. SHRI RAMJI LAL SUMAN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state the efforts being made by Government to bring uniformity in the pensions given to freedom fighters ?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : Uniform principles are adopted in the matter of grant of freedom fighters pension.

बंबई और मांडवी-कच्छ के बीच स्टीमर सेवा

560. श्री **अनन्त दवे** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करगे **कि**:

(क) क्या बम्बई और मांडवी-कच्छ के बीच स्टीमर सेवा आरम्भ करने के लिए किसी गैर-सरकारी कम्पनी से अथवा भारतीय नौवहन निगम से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो यह सेवा कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पास मध्य प्रदेश से प्राप्त विचाराधीन योजनाएं

561. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश से ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को अग्रेषित की गई अनेक योजनाएं अभी सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(ख) यदि हां, तो राजगढ़, गुना और विदिशा (मध्य प्रदेश) जिलों में चालू वित्तीय वर्ष के लिए ऐसी कितनी योजनाओं पर मंजूरी दी गई है अथवा दिए जाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) 31 अक्तूबर, 1977 की स्थिति के अनुसार ग्राम विद्युतीकरण निगम के पास मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की 23 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें विचाराधीन हैं ।

(ख) निगम ने चालू वर्ष के दौरान गुना और राजगढ़ जिलों में ग्राम विद्युतीकरण के लिए एक-एक स्कीम पहले ही स्वीकृत कर दी है ।

31 अक्तूबर, 1977 की स्थिति के अनुसार निगम के पास इन जिलों में से किसी के लिए भी कोई अन्य स्कीम विचाराधीन नहीं है ।

सहकारिया आयोग का प्रतिवेदन

562. **डा० बसंत कुमार पंडित** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्याय मूर्ति सरकारिया आयोग (तमिलनाडु) ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने आयोग के निष्कर्षों की जांच कर ली है; और

(ग) उक्त आयोग की सिफारिशों पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) :(क) (ख) तथा (ग) सरकारिया जांच आयोग ने 19-1-1977 को अपनी पहली रिपोर्ट दे दी थी, जो 9 मदों के संबंध में है, जिसके अन्तर्गत वे सात आरोप आते हैं, जिनकी जांच पूरी हो गई थी । उस रिपोर्ट की एक प्रति, उस पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन सहित, पहली अप्रैल, 1977 को सभा पटल पर रख दी गई थी । इसके बाद आयोग ने और कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है ।

SURVEY FOR SETTING UP INDUSTRIES IN SIKKIM

563. SHRI O. P. TYAGI : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) whether Government have made any survey to identify the big, medium and small scale industries which can be set up in Sikkim for the economic development of this region;

(b) if so, the details of such industries and the likely cost for their setting up; and

(c) the names of those industries which are proposed to be set up there in the near future ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) Small Industry Development Organisation, Ministry of Industry conducted a survey in October, 1974 to assess the potential for development of small scale industries in Sikkim.

(b) and (c) In the survey report prepared by SIDO, 35 industries in the small scale sector were suggested to be set up in the State of Sikkim. These included 10 resource-based industries, 21 demand-based industries and 4 rural industries. List of small industries, with total costs, suggested for setting up in Sikkim is attached.

STATEMENT

List of Industries with total cost suggested for setting up in Sikkim in small Scale sector

Sl. No.	Name of the Industry suggested	Estimated total cost (Rs. lakhs)
1	2	3
A.	RESOURCE BASED	
	1. Fruit Pulp unit	6·60
	2. Food processing bottled project . . .	0.14
	3. Community canning-cum-preservation unit	1·63

1	2	3
	4. Soft Drinks	0·83
	5. Bakery unit	0·24
	6. Sugar Confectionery	0·10
	7. Ginger and ginger products	0·93
	8. Poultry Food and Cattle Food	0·30 (cost of machinery only)
	9. Pesticides Insecticides Formulations	4·88
	10. Mixed Fertilisers	6·62
B.	DEMAND-BASED	
	11. Zinc Sulphate	*
	12. Lead Concentrates	*
	13. Aluminium Utensils	3·49
	14. Cast Iron Foundry	2·65
	15. Agricultural Implements	1·75
	16. Sheet Metal Fabrication	1·91
	17. Barbed Wire	4·40
	18. Safety match boxes and match splints	1·77 (only for match splints)
	19. Pencil slates	4·65
	20. Teachest Plywood	4·24
	21. Wooden Electrical Fittings & Accessories	0·90
	22. Teachest Battons	0·97
	23. Packing cases	1·29
	24. Wooden Furniture	*
	25. Wooden curved articles	0·33
	26. Wooden Building Material	*
	27. Transmission Poles for telephones & electricity	6·00
	28. PVC Pipes & Tubes	5.00
	29. Polythene Films	2·00 (cost of machinery only)
	30. Laundry Soap	0·47
	31. Stationery items	1.12 (relates to ptg. press book-binding & mfg. of file covers).
C.	RURAL INDUSTRIES	
	32. Leather Footwear	*
	33. Soap making industry	*
	34. Bee keeping	*
	35. Bamboo products	*

Estimated total cost includes cost of land and building machinery and recurring expenditure.

*The report does not give any figures pertaining to cost in respect of this industry.

PROFIT AND LOSS OF D.T.C.

†564. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) the details of profit made or loss incurred by the Delhi Transport Corporation during the financial year 1975-76 and 1976-77;

(b) how much loss or profit the Delhi Transport Corporation is incurring at present; and

(c) whether any scheme to revamp the Delhi Transport Corporation is under the consideration of the Government?

MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM) : (a) The Delhi Transport Corporation suffered losses during the years 1975-76 and 1976-77 as under :

1975-76 Rs. 1242.99 lakhs.
1976-77 Rs. 1040.04 lakhs.

(b) According to the provisional figures, the Corporation suffered a net loss of Rs. 699.09 lakhs during the period from April to September, 1977.

(c) The Corporation is taking several short and long term measures to increase the overall efficiency of its operations.

D.T.C. BUSES IN THE WORKSHOP

†565. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) the number of buses of the Delhi Transport Corporation being run properly and regularly at present and the number of those lying in the workshop for repair; and

(b) the number of new buses likely to be provided to the Delhi Transport Corporation during 1977-78?

MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM) : (a) As on 1st November, 1977, the Delhi Transport Corporation had a fleet of 2181 buses. Of those 411 buses were held up for major repairs. Out of the remaining 1770 buses, on an average, 1617 buses are operated daily on working days.

(b) 162.

BUS ACCIDENTS IN DELHI

†566. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) the number of accidents in the Union Territory of Delhi since March, 1977 to date due to mini and other buses playing on DTC and other routes; and

(b) the break up of persons dead, and injured as a result thereof and Government's plan to check such accidents in future?

MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM) : (a) The relevant information for the period from 1st March to 31st October, 1977 is as under :—

Class of vehicles	*Number of accidents*
(i) D.T.C.	258
(ii) Mini Buses	129
(iii) Other private buses	275

(b) The number of persons injured and killed in the accidents reported in the reply to part (a) is shown below :—

Class of vehicles	*Number of persons*	
	Injured	*Killed*
(i) D.T.C.	270	52
(ii) Mini buses	130	135
(iii) Other private buses	285	62

In order to minimise road accidents, the Delhi Administration have taken the following measures :—

(1) Surprise checks are conducted to detect over-speeding and negligent driving and the offenders are prosecuted.

(2) The number of Mobile Courts has been increased from one to three.

(3) A massive road safety education drive has been launched. As part of this drive, messages are conveyed through radio, television, cinema slides, lectures etc. and by distribution of pamphlets. As a result of this drive, a marginal improvement in the road sense amongst the people of Delhi has been noticeable.

(4) Restrictions on the plying of vehicles are being enforced on certain roads to reduce accidents. These efforts are bearing fruit and there is a declining trend in the number of accidents. During July to October, 1977, as will be seen from the figures below :—

July	— 62
August	— 54
September	— 50
October	— 46

नक्सलवादियों की नागा और मिजो विद्रोहियों को छोड़ने की मांग

567. **श्री हुकम चन्द कछवाए** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नक्सलवादियों ने हाल में बन्दी नागा तथा मिजो विद्रोहियों को छोड़ने के बारे में सरकार से मांग की है ;

(ख) क्या सरकार का विचार है कि नक्सलवादियों तथा विद्रोही नागाओं और मिजों में कोई गुप्त समझौता है ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) :(क) सभी राजनीतिक बन्दियों को छोड़ने की मांग के संदर्भ में ऐसी मांगे की गयी है ।

(ख) सरकार के पास कोई ऐसी सूचना नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी द्वारा अतिरिक्त उत्पादन

568. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्कुट और आटे से बनने वाली अन्य चीजें बनाने वाली विदेशी नियंत्रण

वाली कम्पनी, ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी अपने बम्बई, मद्रास और कलकत्ता स्थित तीनों कारखानों में बिस्कुट का अपनी लाईसेन्स प्राप्त क्षमता से कहीं अधिक उत्पादन कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका कारखाना-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह आरोप लगाया गया है कि इस कम्पनी ने फालतू पुर्जों और उपकरणों के बहाने विदेशों से आधुनातन मशीनरी मंगाई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) :(क) मेसर्स ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में बिस्कुट बनाने का एक-एक एकक चलाती है । कलकत्ता तथा बम्बई स्थित एकक पंजीयन प्रमाणपत्रों के अन्तर्गत चल रहे हैं जिनमें, उत्पादन क्षमता का उल्लेख नहीं होता है । मद्रास स्थित एकक (उद्योग 'विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत 1200 मीट्रिक टन बिस्कुट बनाने का वार्षिक क्षमता के लिए जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंस के अधीन काम कर रहा है । इस एकक में कम्पनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक बिस्कुटों का उत्पादन करती रही है ।

(ख) उत्पादन का कारखानावार ब्यौरा नीचे दिया गया है ।

एकक	उत्पादन (मीट्रिक टनों में)		
	1974	1975	1976
बम्बई	7357	6650	8986
कलकत्ता	12140	14311	16653
मद्रास	6694	6979	7486

(ग) और (घ) : आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक को इस आयोग की एक शिकायत मिली है कि मेसर्स ब्रिटानिया बिस्कुट कं० ने फालतू पुर्जों या हिस्सों का अलग-अलग दिखाकर मशीन का आयात किया था । आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा इस आरोप की जांच की जा रही है ।

टाटा बन्धुओं द्वारा तापीय बिजलीघर की स्थापना

569. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा बन्धुओं को 500 मेगावाट तापीय बिजली घर की स्थापना के लिए एक लाइसेंस दिया गया है ;

(ख) क्या उक्त परियोजना में 175 करोड रुपये का विनियोजन होगा ;

(ग) यदि हां, तो उक्त परियोजना के वित्तपोषण के स्रोत क्या हैं ;

(घ) क्या हमारे औद्योगिक संकल्प के अनुसार बिजली के जनन और वितरण का उत्तरदायित्व राज्य क्षेत्र का है ; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्र में जिसके विकास का दायित्व केवल राज्य को है, बड़े व्यापार गृहों को विस्तार की अनुमित देने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) :(क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इस परियोजना के लिए वित्त-पोषण संबंधी योजना, मोटे तौर पर नीचे लिखे अनुसार होगी :--

स्रोत	करोड़ रुपए
मेसर्ज़ टाटाओं का ईक्विटो अभिदान	17.50
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से ऋण	55.00
महाराष्ट्र सरकार द्वारा अभिदान	25.00
विश्व बैंक से सीधा ऋण	77.50

(घ) बिजली के उत्पादन तथा वितरण का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य एजेंसियों का है । तथापि, निजी क्षेत्र के मौजूदा विद्युत उत्पादन केन्द्रों का विस्तार करने के प्रश्न पर भी उनको गुणवत्ता के आधार पर विचार किया जा सकता है ।

(ङ) महाराष्ट्र राज्य, विशेषकर बम्बई और उसके आसपास की बिजली की बढती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा इन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले विभिन्न वैकल्पिक साधनों पर विचार करने के उपरान्त यह उचित समझा गया है कि टाटाओं के मौजूदा ट्राम्बे ताप-विद्युत केन्द्र के विस्तार को अनुमति दे दी जाए ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मारे गये छापे

570. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 25 मार्च, 1977 से 31 अक्तूबर, 1977 तक जो छापे मारे उनका ब्यौरा क्या है, ये छापे किन-किन व्यक्तियों के यहां मारे गये, उनके पते क्या हैं और प्रत्येक मामले में कितने मूल्य की वस्तुएं जब्त की गईं ; और

(ख) उनके सम्बन्ध में क्या-क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) :(क) तथा (ख) 25 मार्च से 31 अक्तूबर 1977 तक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 130 मामलों में तलाशियां लीं । 130 मामलों में की गई अनुवर्ती कार्रवाई निम्नलिखित है:--

(1)	जांचाधीन मामले	115
(2)	ट्राइल के बाद दोषसिद्ध मामले	2
(3)	ट्रायल के लिए भेजे गए मामले	8
(4)	वे मामले जिनमें नियमित विभागीय कार्रवाई के लिए सिफारिश की गई ।	3

(5) वे मामले जिनमें अभियोग चलाने के लिए मंजरी मिलने की प्रतीक्षा है। 1

(6) जांच के बाद समाप्त हुए मामले। 1

दोषसिद्ध हुए दो मामलों और जांच के बाद समाप्त हुए एक मामले में पकड़े गए सामान के ब्यौरे तथा पार्टियों के नामों और पतों के विवरण संलग्न नोट में दिए गए हैं।

इस स्टेज पर शेष मामलों में पार्टियों के नाम और उनके पते तथा पकड़ी गई वस्तुओं के ब्यौरे को प्रकट किया जाना उचित नहीं होगा।

विवरण

(i) एक मामले में श्री लक्ष्मीकांत पाण्डी, निवासी 6/1, अलोपो बाग, इलाहाबाद, अभियुक्त है, जिसमें 19-4-1977 को उनके घर की तलाशी ली गई थी और इस आरोप के संबंध में आपत्तिजनक दस्तावेज पकड़े गए थे कि उसने रेलवे में नौकरी प्राप्त करने के लिए रेल मंत्री के जाली हस्ताक्षर के एक सिफारिशी पत्र का प्रयोग किया था। श्री लक्ष्मीकांत पाण्डी इस मामले में 26-7-1977 को दोषसिद्ध हुए थे।

(ii) अमीन खां पुत्र रशीद खां, निवासी मकान नं० 400/38, मोहल्ला भवाई टीला तलैया, बियावानी, लखनऊ अफीम की तस्करी करने के एक मामले में जिसका पता 17-5-77 को लगाया गया था अन्तर्ग्रस्त था। उसके कब्जे से 4.750 कि० ग्रा० अफीम बरामद की गई थी। उसे अब न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है।

(iii) श्री महाबीर प्रसाद गुप्ता, अवर श्रेणी लिपिक, विद्युत प्रभाग न० 1, सी० पी० डब्ल्यू० डी० दिल्ली, इस आरोप में दर्ज किए गए एक मामले में अन्तर्ग्रस्त था कि उसने एक लिफ्ट चालक से उसके लम्बित सन्तान-भत्ता बिल का जल्दी भुगतान कराने के लिए 10-00 रु० की रिश्वत मांगी थी और उससे प्राप्त की थी। श्री महाबीर प्रसाद गुप्ता के मकान की 27-5-77 को तलाशी ली गई थी, किन्तु कोई भी आपत्ति जनक वस्तु नहीं मिली। श्री महावीर प्रसाद के विरुद्ध कोई आरोप स्थापित करने के लिए साक्ष्य अभाव में, अन्तत: मामला समाप्त कर दिया गया।

ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी द्वारा फालतू पुर्जों का अवैध आयात तथा उन्हें संयंत्र के रूप में जोड़ना

571. **श्री ज्योतिर्मय बसु:** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की:

(क) क्या ब्रिटानिया बिस्टकु कम्पनी ने फालतू पुर्जों और/अथवा सहायक सामान की टटी फू ी दशा के रुप में अवैध रुप से आयात किया तथा उनकी संयंत्रों के रुप में जोड़ा ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कम्पनी अपनी लाइसेंस शुदा क्षमता से बहुत अधिक उत्पादन कर रही है जबकि पूर्णत: भारतीय स्वामित्व वाली कम्पनियों की भारी क्षमता बेकार पड़ी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(घ) क्या यह कम्पनी ग्लैक्सों और हार्लिक्स जैसे ब्रांड नामों का उपयोग कर रही है और धारा 20 आर० ए० का उल्घंन कर रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) :(क) आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक को एक शिकायत मिली है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि मैंसर्स ब्रिटानिया बिकुस्ट कम्पनी ने अलग-अलग फालतु पुर्जो या सहायक सामान का विवरण देकर मशीन का आयात किया है। आयात निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा इस आरोप की जांच की जा रही है ।

(ख) मैंसर्स ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी बिस्कुट बनाने के लिए कलकत्ता बम्बई और मद्रास एक एकक चला रही है । कलकत्ता तथा बम्बई के एकक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसमें उत्पादन क्षमता निर्दिष्ट नहीं की गई है के अधीन चल रहे हैं । मद्रास का एकक 1200 मी० टन की वार्षिक क्षमता से बिल्कुल का उत्पादन करने हेतु उद्योग (विकास एवम् विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंस के अधीन कार्य कर रहा है ।

कम्पनी इस में अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक बिस्कुटों का उत्पादन कर रही है।

(ग) उत्पादन का कारखाना-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :--

एकक	उत्पादन (मी० टन में)		
	1974	1975	1976
बम्बई	7357	6650	8986
कलकत्ता	12140	14311	16653
मद्रास	6694	6979	7486

(घ) मैसर्स ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी लिमिटेड तैयार किये गये बिस्कुटों पर 'ग्लैक्सो' और 'हार्लिक्स' छापे के नामों का प्रयोग कर रही है । 'हार्लिक्स' के छापे के नाम के बारे में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 28 के अधीन कम्पनी का आवेदन पत्र अभी भारतीय रिजर्व बैंक के विचराधीन है । जहां तक कम्पनी द्वारा 'ग्लैक्सो' के छापे का नाम प्रयोग करने का संबंध है भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि इस पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 28 के उपबन्ध लागू नहीं होते ।

आन्ध्र प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए दिये गये औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या

572. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में अप्रैल और सितम्बर, 1977 के बीच उद्योगों की स्थापना के लिए कितने औद्योगिक लाइसेंस दिये गये :

(ख) क्या इनकी संख्या इसी अवधि में वर्ष 1976 में दिये गये लाइसेंसों की तुलना में कम है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) :(क) आन्ध्र प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए अप्रैल-सितम्बर, 1977 की अवधि में 16 औद्योगिक लाइसेंस और 14 आशयपत्र जारी किए गए थे ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) औद्योगिक लाइसेंस प्रस्ताव की तकनीकी आर्थिक विशेषताओं, स्वीकृत/अधिष्ठापित क्षमता ; मांग, आवेदक के अनुभव और उसकी उपयुक्तता, विदेशी सहयोग, यदि कोई हो, विदेशी मुद्रा की बचत/बहिर्गमन आदि पर विचार के पश्चात् आवेदन के गुणावगुणों के आधार पर किया जाता है ।

भारतीय जन संचार संस्थान द्वारा सिन्हा समिति की सिफारिश का क्रियान्वित न किया जाना

573. **श्री पद्युम्न बाल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली में संचार के काम में कितने व्यक्ति विशेष ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं ;

(ख) सिन्हा समिति की सिफारिशों का अनुसरण न किये जाने के क्या कारण हैं हालांकि उसने भारतीय जन संचार संस्थान में परिवर्तन करने की जोरदार शब्दों में सिफारिश की थी ;

(ग) क्या छात्रों की शिक्षा को बेहतर बनाने और शैक्षिक परिवर्तन करने सम्बन्धी उचित मांगों के लिए अब भी परेशान किया जाता है ; और

(घ) क्या संस्थान में नौ वर्ष तक की लम्बी सेवा के बाद भी कुछ नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित नहीं किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) :(क) ग्यारह ।

(ख) सिन्हा समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, नहीं ।

दिल्ली के लिए पुलिस कमिश्नर

574. **श्री मनोरंजन भक्त**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया } : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी में कानूनी और व्यवस्था की स्थिति से कारगर ढंग से निपटने के लिए दिल्ली में पुलिस कमिशनरेटा स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित व्यवस्था का ब्यौरा क्या है और इस दिशा म अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) :(क) जी हाँ, श्रीमान ।

(ख) इस प्रयोजन के लिए यथाशीघ्र एक व्यापक विधायन लाने का प्रस्ताव है । विधायन के ब्यौरे तैयार किए जा रहे है ।

'समाचारों' के ढांचे के बारे में कलदीप नैयर समिति का प्रतिवेदन

575. **श्री मनोरंजन भक्त**
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी
डा० बसन्त कुमार पंडित
श्री ओम प्रकाश त्यागी
श्री उग्रसेन
श्री एम० कल्याण सुन्दरम
श्री युवराज

: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

कि

(क) क्या "समाचार" के ढांचे के बारे में नियुक्त कुलदीप नैयर समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने समाचार न्यूज एजसी के वर्तमान ढांचे का पुनर्गठन करने के बारे में कोई निर्णय ले लिया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) :(क) जी हां, एक विवरण, जिसमें समिति की मुख्य सिफारिशें दी हुई हैं, सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(ख) सरकार ने "समाचार" को यह सूचित करने का निर्णय लिया है कि वह यथा पूर्व स्थिति बहाल करने और इस प्रकार उन चारों समाचार एजेंसियों जो 24 जनवरी, 1976 को अपने विलय से पहले विद्यमान थी, अर्थात प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया, हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती को बहाल करने के पक्ष में है ।

विवरण

समाचार एजेंसियों सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार है :—

(क) "समाचर" को दो एजेंसियों अर्थात् 'वार्ता' और सन्देश में विभक्त कर दिया जाना चाहिए । जबकि 'वार्ता' अंग्रेजी में सेवा प्रदान करने के साथ साथ हिन्दी और कम से कम 6 या 7 अन्य भारतीय भाषाओं में सेवा प्रदान करे और उसको विकसित करें, 'सन्देश' अनन्य रूप से अंग्रेजी में सेवा प्रदान करे । इन दोनों एजेंसियों को संयुक्त रुप से देश में आने वाले और विदेशों को भेजे जाने वाले समाचारों के लिए "न्यू इंडिया, के नाम से एक अन्तर्राष्ट्रीय डैस्क स्थापित करना चाहिए । इसकी एक पूर्णरुपेण और बढ़ती हुई अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के रुप में कल्पना की गई है। विश्व में दो वर्षो में लगभग 25 स्थानों पर संवाददाता और अंशकालिक संवाददाता तैनात किए जाने चाहिए । इस समय ये 5 स्थानों पर है । विदेश मंत्रालय को चाहिए कि वह विदेशों में स्थित अपने दूतावासों के लिए इसकी सेवाएं प्राप्त करे ।

(ख) "वार्ता" के संचालन मण्डल के 13 सदस्यों में से 9 सदस्यों को विभिन्न भाषाओं के ग्राहकों में से और एक सदस्य को कर्मचारियों में से लिया जाना चाहिए । दो सहयोजित

सदस्य होने चाहिएं जो संस्कृति आदि क्षेत्रों से लिए जाने चाहिएं प्रधान संपादक पदेन सदस्य होगा। ये सभी एक अध्यक्ष चुनेंगें। "सन्देश" का संचालन मंडल भी इसी आधार पर गठित किया जाएगा। जबकि अध्यक्ष अंशकालिक और अवैतनिक होगा, प्रधान संपादक सर्वोच्च कार्यकारी होगा। "न्यूज इंडिया" की प्रबन्ध समिति उक्त दोनों मंडलों के सदस्यों में से बनाई जाएगी। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल दो वर्ष होगा।

(ग) इसकी संरचना की व्यवस्था संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत की जाएगी।

(घ) इसके पुनर्गठन का कार्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अन्तरिम निकाय को सौंपा जाना चाहिए। इस निकाय को अधिकार प्रदान करने के लिए काननी कदम उठाए जाने चाहिए।

(ङ) यह अनुमान है कि सम्पूर्ण संरचना के लिए प्रतिवर्ष 170 लाख रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की आवश्यकता होगी।

(च) जहां तक "समाचार" की दरों का सम्बन्ध है, यह मालूम हुआ है कि "समाचार" ने बहुत से मामलों में अपनी दरों में पहले ही वृद्धि कर दी है। तथापि, अन्तरिम निकाय को इन दरों का पुनरीक्षण करना है। यह सिफारिश की गई है कि आकाशवाणी/दूरदर्शन को एक रुपया प्रति रेडियो लाइसेंस और 5 रुपये प्रति दूरदर्शन लाइसेंस की दर से अपना अंशदान देना चाहिए। ऊपर उल्लिखित फार्मूले के आधार पर आकाशवाणी का वर्तमान अंशदान, जो लगभग 28 लाख रुपए है बढकर 198 लाख हो जाएगा। यह अंशदान 'वार्ता और सन्देश' को 60:40 के अनुपात से दिया जाना चाहिए।

WATER TRANSPORT IN BIHAR

576. SHRI GYANESHWAR PRASAD YADAV: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Bihar Government have submitted any plan for development of water transport in Bihar to the Central Government;

(b) if so, how much amount the Central Government propose to give to Bihar for this purpose; and

(c) whether any amount was allotted by the Central Government in 1976-77 and 1977-78 for the development of water transport?

MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM): (a) The Government of Bihar has suggested on 10-10-77 five schemes for inclusion in the next Five Year Plan commencing from 1-4-78. No detailed project report has so far been received from the State Government.

(b) The formulation of the next Five Year Plan (1978-83) is in progress.

(c) No, Sir. No amount has ben allotted by the Central Government to Bihar Government in 1976-77 and 1977-78 for the development of water transport.

PLAN TO START NEW INDUSTRIES IN BIHAR

577. SHRI GYANESHWAR PRASAD YADAV: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Central Government have received any new plan from the Bihar Government for starting small scale industries in the rural areas; and

(b) if so, how much amount the Central Government propose to give for these industries during 1977-78 and 1978-79?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI) : (a) No, Sir.

(b) The question does not arise.

AGREEMENT WITH THE ATOMIC ENERGY AGENCY, VIENNA FOR IMPORT OF HEAVY WATER

578. SHRI YADVENDRA DUTT : Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state :

(a) whether the Government of India have entered into an agreement with the Atomic Energy Agency, Vienna for import of heavy water from there; and

(b) if so, the main features?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) and (b) The Government of India have not entered into any Agreement with the International Atomic Energy Agency, Vienna for the import of heavy water. However, action is on hand to enter into a safeguards Agreement with the International Atomic Energy Agency with regard to supply of heavy water by the Soviet Union for use in the Rajasthan Atomic Power Station.

SUPPLY OF FUEL BY INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY COMMISSION TO ATOMIC POWER STATION, KOTAH

579. SHRI YADVENDRA DUTT : Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state :

(a) whether any agreement has been signed recently by India with the International Atomic Energy Commission Vienna, for supply of Fuel to the Atomic Power Station, Kotah, Rajasthan, and whether one of the conditions of the agreement, that India's atomic power plants would be subjected to inspection by foreign agencies, has been accepted; and

(b) if so, whether a copy of the agreement indicating brief details of the conditions agreed to, would be laid on the Table of the Lok Sabha?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : (a) No Agreement has been signed recently by India with the International Atomic Energy Agency for supply of fuel for the Rajasthan Atomic Power Station.

(b) Does not arise.

However, action is on hand to enter into a safeguards Agreement with the International Atomic Energy Agency with regard to supply of heavy water by the Soviet Union for use in the Rajasthan Atomic Power Station.

INQUIRY INTO MURDER OF LATE PT. DEEN DAYAL UPADHYAYA

580. SHRI YADVENDRA DUTT : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government propose to appoint a Commission to enquire into the political murder of late Pt. Deen Dayal Upadhyaya; and

(b) if so, when and if not, the reasons therefor?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a) and (b) No Sir. A Commission of Inquiry headed by Mr. Justice

Y. V. Chandrachud has already inquired into all the facts and circumstances relating to the death of late Shri Deen Dayal Upadhyaya. The Commission submitted its report to the Government on 20th October, 1970 which was also laid on the Table of the Lok Sabha on 27th November, 1970. The Commission came to the conclusion that there was no political motivation behind the crime and the Government have accepted this finding.

SUPPLY OF HEAVY WATER BY RUSSIA TO INDIA

581. SHRI C. V. ALGESAN : Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to refer to the reply given to USQ. No. 6067 on the 3rd August, 1977 and state the terms on which the Soviet Russia have agreed to supply 200 tonnes of heavy water to India ?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI) : The contract provides for the supply of about 55 net metric tonnes of heavy water during 1976 and about 145 net metric tonnes approximately during 1977 and 1978 by equal annual lots. The price for 1976 is Rs. 1450/- per net kilograme of heavy water including packing and marking. The price for 1977 and 1978 is to be agreed upon between the sellers and the buyers during the corresponding delivery year. The payment under the contract is to be effected in Indian rupees.

कोका कोला बार्टलिंग प्लांट और उनके कर्मचारियों की स्थिति

582. **श्री पी० के० कोडियान** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब सरकार ने वर्तमान कम्पनी से कंसट्रेट आयात करने के लिए लाइसेंस देना बन्द कर दिया था उस समय देश में कोका-कोला बार्टलिंग प्लांटों की संख्या कितनी थी ;

(ख) उस समय इन कम्पनियों में कितने श्रमिक काम कर रहे थे ;

(ग) क्या इस घटना के बाद इनमें से कोई कम्पनी पूर्ण रुप से अथवा आंशिक रुप से बन्द हुई थी ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और कितने श्रमिकों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा था ; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है कि ये कर्मचारी बे रोजगार न हो जाएं ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) :(क) बोतल भरने वाले 21 संयन्त्र ।

(ख), (ग) और (घ) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ङ) यह निश्चय किया गया है कि केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान द्वारा तैयार किया गया तरल पेय विपणन के लिए माडर्न बेकरीज (इण्डिया) लि० द्वारा ले लिया जायगा तथा कोका कोला के भूतपूर्व बोतल भरने वाले संयंत्रों को नये पेय के आबंटन में प्राथमिकता दी जायगी ।

विद्युत् उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए उद्योगपत्तियों को लाइसेंस जारी करना

583. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि ;

(क) क्या उद्योगपतियों को 1 अप्रैल, 1977 के बाद विद्युत उत्पादन संयंत्रों को स्थापना के लिए नये लाइसस जारी किये गये हैं, और

(ख) यदि हां, तो स्थान, पूंजी-निवेश को लागत, भारत उत्पादन क्षमता, जिन फर्मों को ऐसे लाइसेंस दिये गये उनके नामों सहित ऐसे लाइससों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) :(क) और (ख) अनुमान है कि उल्लेख कैप्टिव विद्युत संयंत्र स्थापित करने के बारे में है ।

अप्रैल, 1977 में गुजरात बिजली बोर्ड को सूचित किया गया था कि मैसर्ज अतुल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जिला बलसार द्वारा 50 लाख रुपए के अनुमानित व्यय से स्वदेशी तौर पर प्राप्त 2000 यूनिट के बैंक प्रेशर टरबोजेनरेटिंग सेट स्थापित करने के बारे में "कोई आपत्ति" नहीं है । कुछ सरकारी क्षेत्र को यूनिटों में केप्टिव विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

विद्युत्त उत्पादन उपकरण का आयात

584. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत द्वारा 'टर्न-की' आधार पर विद्युत उत्पादन उपकरण का आयात किये जाने का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त उपकरण के आयात के आर्डर दे दिये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) :(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

लारियों के लिए राष्ट्रीय परमिट

585. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय परमिट योजना के अधीन बसों के लिए अब तक राज्यवार कितने परमिट जारी किए गये हैं और परमिटों के लिए कितने आवेदन पत्र रद्द कर दिए गये हैं,

(ख) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय परमिट पर लगाये गये कर कम करने और अधिक संख्या में परमिट जारी करने का है ताकि आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही तेज रफ्तार से हो सके ; और

(ग) क्या सरकार का विचार बेरोजगार स्नातकों तथा ग्रामीण बेरोजगार व्यक्तियों को राष्ट्रीय परमिट देने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) :(क) अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) सड़क परिवहन की राष्ट्रीय परमिट योजना में पहले ही गृह राज्य से भिन्न इन सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कम दरों पर एसे परमिटों के अन्तर्गत आने वाली गाड़ियों से कर (समिश्र फीस) की वसूली की व्यवस्था है । ऐसी गाड़ियों के लिए कर की राशि और घटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

परिवहन विकास परिषद की पिछली बैठक में कुछ राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र में ऐसे परमिटों में वृद्धि की इच्छा प्रकट की । परिषद ने सिफारिश की, कि अनुरोध पर आगे विचार किया जाये । इस सिफारिश पर कार्यवाही की जा रही है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय परमिट देने के लिए बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों में नए उद्यमकर्ताओं जिस में सेना के भूतपूर्व सैनिक और बेरोजगार ड्राईवर शामिल हैं के लिए 25 प्रतिशत तक आरक्षण की व्यवस्था है । मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन करने के प्रश्न पर उक्त परिवहन विकास परिषद की बैठक में विचार विमर्श किया गया । परिषद ने सिफारिश की कि मोटर गाड़ी अधिनियम के संशोधन में अनुसूचित जाति । अनुसूचित जनजाति और भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण के अधीन और स्वामी ड्राईवरों को तरजीह देते हुए मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संबंधित भेद का लोप किया जाए और मामले को राज्यों द्वारा अपने बीच निश्चित करने के लिए छोड़ दिया जाए । यह सिफारिश आवश्यक कार्यवाही के लिए राज्य सरकारों को बता दी गयी है ।

धर्मपुरी, तमिलनाडु में घड़ियों के कारखाने की स्थापना

586. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले को पिछड़ा जिला घोषित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र में घड़ियों का कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क)जी, हां ।

(ख) ऊटी, तमिलनाडु में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की सहायता प्राप्त एक वाच असेम्बली यूनिट स्थापित किया जा रहा है । तमिलनाडु में, धर्मपुरी सहित, इस प्रकार के और यूनिटों की स्थापना एच० एम० टी० द्वारा घड़ी उत्पादन में और आगे वृद्धि करने और अन्य राज्यों तथा देश में पिछड़े जिलों की आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा ।

सी० आई० ए० की गतिविधियां

587. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेट** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सी० आई० ए० ने देश में, विशेषकर सीमा क्षेत्रों, सरकारी उपक्रमों और शैक्षिक संस्थाओं में अपनी गतिविधियां तेज कर दी है ; और

(ख) यदि हाँ तो उक्त गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्राय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) :(क) और (ख) राष्ट्रीय सुरक्षा के हित को ध्यान में रख कर विदेशी आसूचना संगठन की गतिविधियों के संबंध में आवश्यक संतर्कता बरती जा रही है। इसके ब्यौरे देना लोक हित में नहीं होगा ।

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन का कार्यालय नई दिल्ली से कलकत्ता स्थानान्तरित

588. **श्री परमानन्द गोविन्द जी वाला** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन का कार्यालय नई दिल्ली से कलकत्ता स्थानान्तरित किया गया था

(ख) यदि हाँ तो कब और उस पर कितना खर्च आया है ।

(ग) कलकता में उस स्थान का जही हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन का कार्यालय स्थापित है, कितना किराया है और नई दिल्ली में यदि कोई किराया दिया गया था तो वह कितना था ।

(घ) क्या कलकत्ता के कार्यालय को पुन: सुसज्जित किया गया : और

(ङ) यदि हां तो उस पर कितना खर्च आया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) :(क) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड के निम्नलिखित प्रभागों को नई दिल्ली से कलकत्ता स्थानान्तरित किया गया था :—

(1) अध्यक्ष का कार्यालय,

(2) इंजीनियरी तथा तकनीकी प्रभाग,

(3) वित्त तथा लेखा प्रभाग,

(4) क्रय विभाग,

(5) विपणन विभाग,

(ख) इन प्रभागों का स्थानान्तरण जून, 1976 में किया गया था तथा स्थानान्तरण पर 3,04,031 रुपए की कुल राशि व्यय की गई थी ।

(ग) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन स्थानान्तरण के समय नई दिल्ली की परिसीमा के 28,880 वर्ग फीट क्षेत्र का 77,146 रु० प्रतिमास किराया दे रहा था । स्थानान्तरण के बाद से हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन कलकत्ता में 29,100 वर्ग फुट के स्थान के लिए 58,200 रु० प्रति मास तथा नई दिल्ली में 17,618 वर्ग फीट के स्थान के लिए 49,022 रु० प्रति मास किराया दे रहा है । शुरु की गई अनेक परियोजनाओं के कारण बढे हुए कार्य को पूरा करने के लिए प्रभागों में कर्मचारियों की जिस समय संख्या बढ़ाई गई थी उसी समय कुछ प्रभागों का स्थानान्तरण किया गया था । अतिरिक्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही कलकत्ता में स्थान का अधिग्रहण किया गया था ।

(घ) दिल्ली की भांति ही बिना साज-सजावट के कलकत्ता कार्यालय का स्थान किराए पर लिया गया था। वह फर्नीचर जो दिल्ली में फालतू हो गया था। उसे कलकत्ता ले जाया गया तथा फर्नीचर और साज-सज्जा का अतिरिक्त जरूरी सामान स्थानीय बाजार से खरीदा गया था।

(ङ) कलकत्ता कार्यालय को सुसज्जित करने में कुल 17,51,408 रुपए खर्च किए गए थे।

भारतीय फिल्म निर्माताओं को विदेशों में शूटिंग करने की अनुमति दिया जाना

589. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1975 से अक्तूबर 1977 तक कितने भारतीय फिल्म निर्माताओं को विदेशों में 'शूटिंग' करने की अनुमति दी गई ; और

(ख) उनको कितनी विदेशी मुद्रा दी गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी हुई है।

विवरण

क्रम संख्या	प्रोड्यूसर/कम्पनी का नाम	फिल्म का नाम	जारी की गई विदेशी मुद्रा की राशि	विदेशी मुद्रा जारी करने की तारीख	टिप्पणी
1.	मैसर्स एसोसिएटेड फिल्म्स एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन, आनन्द किल्ला, 15वीं रोड, शान्ताक्रुज, बम्बई-54	"दि ग्रेट गैम्बलर"	11,000 डालर	7-3-77	रोक में ढील देते ए विदेशों में असमाप्त शूटिंग को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा की दूसरी किस्त जारी की गई।
2.	मैसर्स फिल्म मार्ट इन्टर-नेशनल, नं० 22, सुजाता, जी० बी० रोड, बान्दरा, बम्बई-400054	"कशिस"	3,500 डालर	10-1-77	
3.	मैसर्स शिव कला मन्दिर, फ्लैट नं०-1, मूनस्टोन अपार्टमेंट्स, लिंकिंग रोड, शान्ताक्रुज, बम्बई-400054	"आशिक हूं बहारों का"	8,351 डालर	6-1-77	

4. मैसर्स नवकेतन इन्टर-नेशनल, स्वामी विवेका-नन्द रोड, शान्ताक्रुज (वैस्ट) बम्बई-400054	"देश परदेश"	14,800 डालर	25-5-77
5. मैसर्स उद्यम प्रोडक्शन्स 12, हनुमन्तराव रोड, बालाजीनगर, रेयापीठ, मद्रास-14	"प्रोडक्शन नं० 6"	2,38,952 रुपये	13-6-77

टेलीविजन पर दिखाये जाने वाले कार्यक्रमों को ग्रामीण समुदायों पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन किया जाना

590. **श्री परमानन्द गोविन्दजी वाला** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने 1976-77 के दौरान छह जिलों का अध्ययन किया है जिसका उद्देश्य टेलीविजन पर दिखाये जाने वाले कार्यक्रमों के ग्रामीण समुदायों पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करना है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह अध्ययन पूरा हो गया है और योजना आयोग ने इसकी जांच कर ली है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) उस पर संबंधित मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

अनुलग्नक - 1

वित्तीय संस्थाओं से रियायती दरों पर वित्त प्राप्त करने के लिए चुने गए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों की सूची (9 नवम्बर, 1977 तक)

आन्ध्र प्रदेश	अनंतपुर, चित्तूर, कुड्डपा, करीम नगर, खम्भम, कुर्नूल, मेहबूबनगर, मेदक, नलगोंडा, नेल्लौर, निज़ामाबाद, ओंगोल, श्रीकाकुलम और वारंगल।
असम	कचार, गोलपाड़ा, कामरूप, मिकिरपहाड़ियां, उत्तरी कचार पहाड़ी, नौगांव और नया लखीमपुर जिला।
बिहार	भागलपुर, चम्पारणां, दरभंगां, मुजफ्फरपुरां, पालामऊ, पूर्णिया, सहरसा, संथाल, परगना, सारनां और नालंदा, औरंगाबाद, नवादा, गया, भोजपुर, बेगुसराय और मुंगेर के नए जिले।
गुजरात	अमरेली, बनासकांठा, भावनगर, भड़ौच, जूनागढ़, कच्छ, मेहसाणा, पंचमहल, साबरकांठा और सुरेन्द्र नगर।

हरियाणा	भिवानी, हिसार††, जींद और महेन्द्रगढ़†† ।
हिमाचल प्रदेश	चम्बा, कांगड़ा† किन्नौर, कुल्लू, लाहौल व स्पीति, सोलन और सिरमूर ।
जम्मू और कश्मीर	अनंतनाग, बारामूला, डोडा, जम्मू, कठुआ, लद्दाख, पूंछ राजौरी, श्रीनगर और ऊधमपुर ।
केरल	अल्लप्पी, कन्नानूर, मालापुरम, त्रिचूर और त्रिवेन्द्रम ।
कर्नाटक	बेलगांव, बीदर, बीजापुर, धारवाड़, गुलबर्गा, हसन, मैसूर, उत्तरी कनारा रायचूर, दक्षिणी कनारा और तुमकूर ।
मध्य प्रदेश	बालाघाट, बस्तर, बैतूल, बिलासपुर, भिंड, छतरपुर छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, धार, देवास, गुना, होशंगाबाद, झाबुआ, खरगोन, मंडला, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, पन्ना, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, राजगढ, रायसैन, रतलाम, रीवा, सागर, सिवनी, शाजापुर, शिवपुरी, सीधी, सरगुजा, टीकमगढ़, विदिशा और नया सीहोर जिला ।
महाराष्ट्र	औरंगाबाद, भंडारा, भिंड, बुलढाना, चन्द्रपुर, कोलाबा, धुलिया, जलगांव, नांदेड, उस्मानाबाद, परभनी, रत्नागिरि, और यवतमाल ।
मणिपुर	सभी पांच जिले ।
मेघालय	गारो पहाड़ियां और संयुक्त खासी व जयंतिया पहाड़ियां ।
नागालैंड	कोहिमा, मोकोकचुंग और त्यूनसांग ।
उडीसा	बालासौर, बोलांगीर, धेनकनाल, कालाहांडी, क्योंझर कोरापुट, मयूरभंज और फुलबानी ।
पंजाब	भटिंडा†, गुदरासपुर, होशियारपुर, फिरोजपुर††, और संगरूर ।
राजस्थान	अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेररु, भीलवाड़ा, चुरु, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर झुंझनू, झालावाड़, जोधपुर, नागौर सीकर, सरोही, टौंक और उदयपुर ।
सिक्किम	गंगटोक, मांगन, ग्यालसिंग और नामची ये सभी 4 जिले ।
तमिलनाडु	धर्मपुरी, कन्याकुमारी, मदुरै, उत्तरी अरकाट, रामनाथपुरम, दक्षिण अरकाट, तंजावूर, तिरूचिरापल्ली और नया पुदुक्कोट्टई जिला ।
त्रिपुरा	सभी तीनों जिले ।
उत्तर प्रदेश	अलमोड़ा, आजमगढ़, बदायूं, बहराइच, बलिया, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बुलंदशहर, चमोली, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रूखाबाद, फतहपुर, गड़वाल, गाजीपुर, गौंडा, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, झांसी,† कानपुर देहात, मैनपुरी, मथुरा,

	मुरादाबाद, पीलीभीत, पिथौरागढ, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, सुल्तानपुरा, टैहरी गढ़वाल, उन्नाव और उत्तर काशी ।
पश्चिम बंगाल	बांकुरा, बीरभूम, बर्दवान, कूच बिहार, दार्जिलिंग, हुगली, जलपाईगुड़ी, मालदा, मिदनापुर, मुर्शिदाबाद, नदिया, पुरुलिया और पश्चिम दीनाजपुर ।
अंडमान और निकोबार	सम्पूर्ण क्षेत्र ।
अरुणाचल प्रदेश	सम्पूर्ण क्षेत्र ।
दादरा और नगर हवेली	सम्पूर्ण क्षेत्र ।
गोवा, दमन और दीव	सम्पूर्ण क्षेत्र ।
लक्षद्वीप	सम्पूर्ण क्षेत्र ।
मिजोरम	सम्पूर्ण क्षेत्र ।
पांडिचेरी	सम्पूर्ण क्षेत्र ।

† हाल के पुनर्गठन से पहले यथास्थित जिला ।

†† हाल में यथा पुनर्गठित जिला ।

अनुलग्नक–2

निवेश सहायता की केन्द्रीय स्कीम के लिए के लिए चुने गए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों/क्षेत्रों की 9 नवम्बर, 1977 तक की सूची ।

1. आन्ध्र प्रदेश––श्रीकाकुलम जिला तथा 5 'क्षेत्र' : रायलसीमा प्रदेश से 2 'क्षेत्र' जिसमें 22 खण्ड हैं :

क्षेत्र 1, 13 खण्ड अर्थात चित्तूर,* बांगरुपलम* पुलीचेरला,* पत्तूर,* इन्द्रगिरि तथा कलहस्ती,* (चित्तूर जिले से) तथा कोडूर, राजमपेट, सिधौत, कुड्डपा, कमलापुरम, प्रदात्तूर तथा पुलिवेंडला (कुड्डपा जिले से) ;

क्षेत्र 2, 9 खण्ड अर्थात ताडपत्नी, सिंगनलमाला, कूटी, कुडायर* (अनन्तपुर जिले से) तथा धोन, कुर्नूल, बांगन पल्ली*, नंद्याल,* तथा* कुद्दलूर* (कुरनूल जिलें से) ।

तेलंगाना प्रदेश से तीन 'क्षेत्र' जिनमें 43 खण्ड हैं :

क्षेत्र 1, 14 खण्ड अर्थात महबूब नगर,* जड़चेरला,* शादनगर* कलवाकुर्ती* तथा अमंगल (महबूब नगर जिले से) तथा नालगोंडा, मूनगढ़ी, नाकराकल, सूर्यपेट, कोडड,* कूजूरनगर,* मीरगलगुडा,* पेड्डानोर** तथा देवरकोंडा* (नालागोंडा जिले से) ;

क्षेत्र 2, 14 खण्ड अर्थात खम्माम, तिरुमलयपलम, कल्लूर,* यल्लंदु, कोटगुडम,* अश्वरावपेट,* औरंगमपद* तथा भद्राचलम* (खम्मान जिल से) तथा महबूबाबाद, नरसमपेट, हनमकोंडा, धनपुर,* जनगांव* तथा मुलुग* (वारंगल जिले से)।

क्षेत्र 3, 15 खण्ड अर्थात ज़हीराबाद,* पतनचेरुबु* नरसापुर* मेदक,* तथा सिद्दीपेट (मेदक जिले से), येदापल्ली,* निज़ामाबाद, कामरेड्डी* तथा दोमाकोंडा* (निजामाबाद जिले से), तथा सिरसिल्ला,* करीमनगर, सुल्तानाबाद, पेड्डापली, मनतानी,* तथा हुजुराबाद (करीमनगर जिल से)।

2. असम	गोलपाड़ा, मिकिर पहाड़ियां, कामरूप, नवगांव, कछार तथा नया लखीमपुर जिले।
3. बिहार	भागलपुर, दरभंगा,@ चम्पारण, पालमऊ,* सहरसा* तथा संथाल परगना* जिला।
4. गुजरात	पंचमहल, भड़ोच,* तथा सुरेन्द्रनगर* जिले।
5. हरियाणा	पुनर्गठित महेन्द्रगढ़ जिला (महेन्द्रगढ़ तथा रेवाड़ी उप मंडल), भिवानी जिला (भिवानी तथा दादरी* @उपमंडल) तथा 8 खण्डों का एक क्षेत्र जिसमें (हिसार तहसील का) हिसार खण्ड-संख्या 1 तथा बरवाला खण्ड, (हांसी तहसील से) हांसी खण्ड-संख्या 1 (फतेहबाद तहसील से) बहुना खण्ड, हिसार जिले में (टोहाण तहसील से) टोहाण खण्ड/तहसील, जींद जिले में (जींद तहसील से) जींद खण्ड तथा जुलाना खण्ड तथा (नरवाण तहसील से) उचाना खण्ड।
6. हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा,* चम्बा,* कुल्लू, सिरमूर,* तथा सोलन* जिले।
7. जम्मू तथा कश्मीर	जम्मू, श्रीनगर, अनन्तनाग,* डोडा,* बारामूला* तथा पुंछ* जिले।
8. कर्नाटक	रायचूर, मैसूर* तथा धारवाड़* जिले।
9. केरल	अल्लप्पी, कन्नानोर* तथा मालापुरम* जिले।
10. मध्य प्रदेश	6 'क्षेत्र':

क्षेत्र 1, (पूर्वी अंचल से) 12 खण्ड अर्थात कोरबा, बालोदा, चम्पा, कोटा, मस्तूरी तथा बिलहा खण्ड (बिलासपुर) (बिलासपुर जिले से), भाटपाड़ा, सिमगा, तिल्दा, धारशिव (मायपुर) अमानपुर तथा राजिम खण्ड (रायपुर जिले से)।

क्षेत्र-2, (पश्चिम अंचल से) 10 खण्ड अर्थात देवास तथा टौंक खुर्द खण्ड (देवास जिले से), गुलाना, सुजालपुर तथा शाजापुर खण्ड (शाजापुर जिले से), पंचोर (सारंगापुर) तथा ब्यावरा खण्ड (राजगढ़ जिले से), तथा चचौरा, राधोगढ़ तथा गुना (खण्ड गुना जिले से)।

	क्षेत्र-3,* (उत्तरी अंचल से) 9 खण्ड अर्थात शिवपुरी तथा करेरा (शिवपुरी जिले से), दतिया तथा सिंघोवा (दतिया जिले से), भिंड मेहगांव तथा गोहद (भिंड जिले से) तथा मुरेना और जौरा (मुरेना जिले से) ।
	क्षेत्र 4,* (मध्यवत अंचल से) II खण्ड अर्थात -बीना-इटावा खुरी बांदा (बनायका) राहतगढ़ सागर शाहगढ़ (अमरमऊ) (सागर जिले से) टीकम गढ़ तथा बलदेव गढ़ (टीकमगढ़ जिले से) विदिशा तथा ग्यारसपुर (विदिशा जिले से) तथा छतरपुर (छतरपुर जिले से) ।
	क्षेत्र 5,* (पश्चिमी अंचल 2 से 12 खण्ड अर्थात पेटलावद तथा मेघनगर (झाबुआ जिले से), बदनावर, धार तथा नालछा (धार जिले से), महेश्वर तथा बडवाहा (खरगोन जिले से), रतलाम तथा जावरा (रतलाम जिले से), मन्दसौर, मल्हारगढ़ तथा नीमच (मन्दसौर जिले से) ।
	क्षेत्र 6,* (उत्तर पूर्वी अंचल से) 11 खण्ड अर्थात रीवा तथा रायपुर (गढ़) (रीवा जिले से), मझौली, सीधी, दूसर तथा वैंघन (सीधी जिले से), सोनहाट, बैंकूण्ठपुर, महेन्द्रगढ़, सूरजपुर तथा अम्बिका पुर (सरगुजा जिले से) ।
11. मणिपुर	सभी जिले ।
12. मेघालय	गारो पहाड़ियां तथा संयुक्त खासी और जयंतियां पहाड़ियां@ ।
13. महाराष्ट्र	रत्नागिरि, औरंगाबाद* और चन्द्रपुर* जिले ।
14. नागालैंड	कोहिमा, मेकोकचुंग, तुएनसांग जिले ।
15. उड़ीसा	कालाहांडी मयूरभंज, बोलांगीर, धेनकनाल, क्योंझर और कोरापुट जिले ।
16. पंजाब	होशियारपुर, संगरूर* और भटिंडा* जिले ।
17. राजस्थान	अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा,* चुरू,* नागौर* और उदयपुर* जिले ।
18. सिक्किम	गंगटोक* मंगन,* ग्यालीसिंग* और नामची* जिले ।
19. तमिलनाडु	तीन क्षेत्र/प्रदेश-32 तालुक..
	क्षेत्र 1, 12 तालुक शामिल हैं (उप-तालुक सहित) अर्थात रामनाथपुरम, मदुकुलातुर, शिवगंगा, परमकुडी, तिरुवदनी, करेकुडी और तिरुफ्तुर तालुक (रामनाथ पुरम जिले से) मेलूर तालुक (मदुरै जिले से), पुडुक्कोटई, तिरुमयम, आलमगुली, और कुलातुर (पुडुक्कोई जिले से) ।

दि० 10-7-72 के बाद चुने गए जिलों/उप-मंडल/तालुक/ खण्ड/तहसीलों का द्योतक है ।

@जिलों के हाल में हुए पुनर्गठन से पहले यथास्थित जिलों का द्योतक है ।

	क्षेत्र 2,* 11 तालुक अर्थात धर्मपुरी, पालकोडे, होसुर, देनकानीकोटा, कृष्णागिरि, उतनगरै, हरूर (धर्मपुरी जिले से), तिरुपत्तुर, वनियमवाडी, वैल्लोर, वल्लजपेट (उत्तर अरकाट जिले से) ।
	क्षेत्र 3,* 9 तालुके अर्थात अरुप्पुक्कोट्टई, सत्तूर, श्रीविल्लीपुत्तुर, राजपलयम, (पश्चिमी रामनाथपुरम जिले से) तिरुमंगलम, उसिलमपट्टी, नीलकोतै, डिंडीगल और वेदसंदूर (मदुरै जिले से) ।
20. त्रिपुरा	सभी 3 जिले ।
21. उत्तर प्रदेश	बलिया, झांसी,* अल्मोड़ा,* बस्ती,* फैजाबाद* और रायबरेली* जिले ।
22. पश्चिम बंगाल	पुरुलिया, मिदनापुर, और नदिया,* जिले ।

संघ शासित क्षेत्र

1. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	संपूर्ण क्षेत्र ।
2. अरुणाचल प्रदेश	संपूर्ण क्षेत्र ।
3. दादरा और नगर हवेली	संपूर्ण क्षेत्र ।
4. गोवा, दमन और दीव	क्षेत्र की राजधानी की नगर पालिका की सीमाओं के अन्तर्गत आनेवाले क्षेत्र को छोड़ कर संपूर्ण क्षेत्र ।
5. लक्षद्वीप	संपूर्ण क्षेत्र ।
6. मिजोरम	संपूर्ण क्षेत्र ।
5. पांडिचेरी	क्षेत्र की राजधानी की नगर पालिका की सीमाओं के अन्तर्गत आनेवाले क्षेत्र को छोड़कर सम्पूर्ण क्षेत्र ।

श्री संजय गांधी पर कथित हमले के बारे में जांच पड़चाल

591. **श्री हरिविष्णु कामत :** क्या गृह मंत्री श्री संजय गांधी पर कथित हमले के बारे में जांच पड़ताल के बारे में 3 अगस्त, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 769 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्री संजय गांधी पर 14 मार्च, 1977 को किये गये कथित हमले के बारे में जांच पड़ताल पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) आरोप सिद्ध नहीं हुआ है ।

कोरा मीसा वारंट

592. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या गृह मंत्री दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक 26 जून, 1975 के एक कोरे मीसा वारंट की फोटोस्टेट प्रति के प्रकाशन के

बारे में 8 अगस्त, 1977 को उनके द्वारा सभा पटल पर रखे गए वक्तव्य के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने इस विषय पर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) सरकार का क्या अनुवर्ती कार्यवाही करने का विचार है ;

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) :(क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) यह मामला शाह जांच आयोग के पास है । आगे की कार्रवाई आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार द्वारा की जाएगी ।

त्रिपुरा सरकार द्वारा मांगी गई केन्द्रीय सहायता

593. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने राज्य में औद्योगिक क्षेत्र का विकास करने के विचार से केन्द्रीय सरकार से आगामी पांच वर्षों के दौरान 125 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और विकास किये जाने वाले उद्योगों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) :(क) और (ख) उद्योग मंत्रालय को त्रिपुरा सरकार से दिनांक 19 अक्तूबर, 1977 का एक पत्र मिला है जिसमें त्रिपुरा राज्य के आगामी पांच वर्षों में औद्योगिक विकास के लिये 125.70 करोड़ रुपये की आवश्यकता बताई गई है । जिन उद्योगों के लिये इन निधियों की आवश्यकता है उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । उद्योग मंत्रालय द्वारा इस मामले में संभावित कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है ।

विवरण

1. कागज मिल	70 करोड़ रुपए
2. जूट ट्वाइन	5 करोड़ रुपये
3. प्लाईवुड	0.50 करोड़ रुपये
4. कताई मिल 25,000 तकुये	12.00 करोड़ रुपये
5. अर्द्ध मशीनीकृत ईंटों का भट्टा	0.20 करोड़ रुपये
6. चाय उद्योग	5.00 करोड़ रुपये
7. लघु उद्योग	10.00 करोड़ रुपये
8. हथ करघा	7.00 करोड़ रुपये
9. दस्तकारी	3.00 करोड़ रुपये
10. रेशम कीट पालन	5.00 करोड़ रुपये
11. खादी और ग्रामोद्योग	7.00 करोड़ रुपये
12. फलों को डिब्बा-बन्द करने के उद्योग का विकास	1.00 करोड़ रुपये
	125.70 करोड़ रुपये

रक्षा प्रतिष्ठानों और आयुध कारखानों के कर्मचारी

594. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि 30 वर्षों के दौरान समुचे भारत में स्थिति रक्षा प्रतिष्ठानों और आयुध कारखानों की कैंटीनों में काम करने वाले लगभग 60,000 श्रमिकों और कर्मचारियों को न तो स्थायी बनाया गया है और न ही कोई स्थायी लाभ दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उनको स्थायी सरकारी कर्मचारी बनाने पर विचार कर रही है और कब तक ?

रक्षा मंत्री (जगजीवन राम) : (क) और (ख) रक्षा प्रतिष्ठानों तथा आयुद्ध कारखानों के कैंटीनों के कर्मचारियों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें उन्होंने अपने को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बराबर माने जाने की मांग की है । मामले पर विचार किया जा रहा है ।

राज्यों को धन का आवंटन करने के बारे में नया फार्मूला

595. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग विभिन्न राज्यों को घन के आवंटन के लिए वर्तमान गाडगिल फार्मूला के स्थान पर एक नया सिद्धान्त अपनाने पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) आयोग का राज्यों को केन्द्रीय सहायता के आवंटन के सिद्धान्तों में 1978-79 के लिए कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है । अगली पंचवर्षीय योजना को तैयार करते समय इन सिद्धान्तों की समीक्षा की जा सकेगी, यदि कोई परिवर्तन आवश्यक मालूम हुए तो उनकी राष्ट्रीय विकास परिषद् के विचार के लिए उपयुक्त समय पर प्रस्तावित किया जाएगा ।

उड़ीसा में गोपालपुर पत्तन

596. **श्री के० प्रधानी** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में छोटे पत्तनों का निर्माण करने के संबंध में निर्णय देते हुए उड़ीसा में गोपालपुर पत्तन को पूरा करने के काम की कोई प्राथमिकता दी है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने भी इस संबंध में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) :(क), (ख) तथा (ग) उड़ीसा सरकार ने गोपालपुर के विकास की योजना को अगली योजना में शामिल करने का अनुरोध किया

10—868LSS/77

है । इस अनुरोध को नोट कर लिया गया है । परन्तु केन्द्रीय सरकार को नई योजना में छोटी पत्तन विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के ढंग के बारे में अभी नीति निर्धारित करनी है और क्या ये अनन्य रुप से किसी राज्य योजना में हो अथवा किसी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत भी हों ।

ESTIMATES OF NATIONAL INCOME FOR RURAL AND URBAN AREAS

597. SHRI SUKHENDRA SINGH : Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) whether estimates of national income for rural and urban areas are separately available;

(b) if so, how the rural per-capita income compares with the urban per-capita income;

(c) the per-capita income of States and Union Territories for the years 1975-76 and 1976-77 based on current prices and on the prices of 1960-61; and

(d) if figures are not available the reasons therefore and the steps being taken in this regard ?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI R. DESAI) : (a) Official estimates of national income for rural and urban areas are not available separately.

(b) Does not arise.

(c) Please see statement (attached), which indicates per-capita income of different States and Union Territories for the year 1975-76 at current and constant prices. Similar estimates for 1976-77 are still under compilation by the State Governments.

(d) There are several methodological problems in estimating national income for rural and urban areas separately. The existing data base is not also adequate for the purpose. Research studies are currently in progress to resolve these problems.

STATEMENT

Per capita income of States and Union Territories for 1975-76.

State/ U.T.	Current prices (Rs.)	Constant prices (Rs.)	Base year for constant prices
1	2	3	4
1. Andhra Pradesh	919	330	1960-61
2. Assam	850	298	1948-49
3. Bihar	596	388	1970-71
4. Gujarat	N.A.	409	1960-61
5. Haryana	N.A.	473	1960-61
6. Himachal Pradesh	1050	371	1960-61
7. Jammu & Kashmir	883	329	1960-61
8. Karnataka	785	339	1956-57
9. Kerala	N.A.	N.A.	
10. Madhya Pradesh	793	281	1960-61
11. Maharashtra	1336	478	1960-61
12. Manipur	7	201	1960-61

1	2	3	4
13. Orissa	785	523	1970-71
14. Punjab	1580	524	1960-61
15. Rajasthan	894	311	1960-61
16. Tamil Nadu	901	351	1960-61
17. Uttar Pradesh	781	268	1960-61
18. West Bengal	1046	397	1960-61
19. Delhi	2130	773	1960-61
20. Goa, Daman & Diu	1689	1268	1970-71

NOTE : 1. The estimates of per capita State domestic product (State income) prepared by State Statistical Bureaus are not strictly comparable among States owing to differences in concepts, methodology, source material and base year used.

2. N. A.=Not available.

STOPPING OF TRIBAL DEVELOPMENT PROGRAMME IN TRIBAL DEVELOPMENT BLOCKS

598. SHRI SUKHENDRA SINGH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the Tribal Development Programme sponsored by the Home Ministry in Tribal Development Blocks has since been stopped;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether any alternative programme is being run or proposed to be run which may serve the interest of adivasis at Development Block levels; and

(d) the programmes being implemented for tribal development in Madhya Pradesh and the achievements thereof for the year 1976-77 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) : (a), (b) and (c). During the Fifth Plan, the Tribal Development Blocks programme has been replaced by tribal sub-plan programmes. All areas with 50% tribal concentration or more have been delineated, and tribal sub-plans drawn up for these areas. The Tribal Sub-Plan areas in the country have been divided into 178 Integrated Tribal Development Projects. Programmes for each I.T.D.P. are based on the programmes of each Project area;

(d) In Madhya Pradesh, the Tribal Sub-Plan Area has been divided into 42 Integrated Tribal Development Projects. The outlays on the Schemes under various sectors in these projects during 1976-77 is given in the Annexure.

STATEMENT

Financial Outlays during 1976-77 under Sub-Plan in Madhya Pradesh.

S. No.	Head of Development	State Plan	Special Central Assistance
1.	Agriculture & Allied Programmes	1225 ·00	661 ·00
2.	Cooperation	180 ·00	200 ·00
3.	Water & Power Developmen	943 ·00	—
4	Industries & Minerals	115 ·00	50 ·00
5.	Transport & Communication	413 ·00	30 ·00
6.	Social & Community Services	1124 ·00	50 ·00
7	Economic Services	—	20 ·00
	TOTAL	4000 ·00	1011 ·00

जयश्री शिपिंग कंपनी को लाइसेंस दिया जाना

599. **श्री के० लकप्पा**
डा० हैनरी श्रस्टिन } : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या बिड़ला की एक फर्म को जिसका नाम जयश्री शिपिंग कम्पनी है तथा जो जयश्री टी एंड इंडस्ट्री लि० की एक सहायक कम्पनी है, जुलाई, 1977 के प्रथम सप्ताह में एक लाइसेंस दिया गया था,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उसी कम्मनी को जापान से दो पुराने जहाज खरीदने के लिए लगभग 8 करोड़ रुपयों का ऋण दिया था,

(घ) यदि हां, तो इसमें कितनी सच्चाई है,

(ङ) क्या इस कम्पनी को पहले लाइसेंस देने से इनकार कर दिया गया था, और

(च) इस कम्पनी को अब पुनः लाइसेंस देने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) :(क) कोई लाइहेंस नहीं दिया गया। विदेशों से दो बरते हुए जलयानों की प्राप्ति के लिए जयश्री टी एन्ड इंडस्ट्री लिमिटेड को केवल स्वीकृति दी गई ।

(ख), (ग) और (घ) स्वीकृति लगभग 7.38 करोड़ रुपये के कुल मूल्य के 1970 और 1972 में निर्मित प्रत्येक लगभग 16000 डी० डब्ल्यू टी० के दो भारी मालवाहक जहाजों की खरीद के लिए थे, जिसके लिए स्टेट बैंक आफ इंडिया से मूल्य का 90 प्रतिशत तक विदेशी मुद्रा ऋण जुटाया गया और शेष 10 प्रतिशत स्वयं कम्पनी ने वहन किया ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

गढ़वाल ऋषिकेश हाइडल योजना, हरिद्वार का निर्माण

600. **श्री के० लकप्पा** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गढ़वाल ऋषिकेश हाइडल योजना (हरिद्वार) के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता की कुल कितनी धनराशि दी गई है ;

(ख) योजना को पूरा करने को लक्षित तिथि क्या है ; और

(ग) क्या योजना के अनुसार निर्माण कार्य चल रहा है ; यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है ?

ऊर्जा मंत्री श्री पी० रामचन्द्रन :(क) परियोजना का कार्यान्वियन उत्तर प्रदेश की राज्य योजना के एक भाग के रूप में किया जा रहा है । इसमें इस परियोजना के लिए चालू वर्ष के लिए अनुमोदित परिव्यय 30 करोड़ रुपए है ।

(ख) परियोजना के पूर्ण होने की नियत तिथि मार्च 1980 है ।

(ग) परियोजना के विद्युत उपस्करों के उत्थापन का कार्य समय सूची के अनुसार हो रहा है । इसमें 33-36 मेगावाट की चार यूनिटों के प्रतिष्ठापना की परिकल्पना है । किन्तु अन्तरगम और अग्रकक्ष की खुदाई के दौरान प्लास्टिक पर्तें पाई गई हैं और इनके लिए विशेष उपाय किए जाने के बारे में विचार किया जा रहा है । परियोजना को चालू करने के लक्ष्य पर इस समस्या का दुष्प्रभाव पड़ने की सम्भावना है और उस की जांच विशेषज्ञों द्वारा की जा रही है ।

विशेषाधिकार का प्रश्न के बारे में

RE. QUESTION OF PRIVILEGE

श्री एम० कल्याणसुन्दरम (तिरुचिरपति) : महोदय, श्री सी० के० चन्द्रप्पन की गिरफ्तारी के समय उनके द्वारा शोर-शराबा किये जाने का आरोप दिल्ली पुलिस के अधिकारी द्वारा लगाए जाने के बारे में मैंने विशेषाधिकार के एक प्रस्ताव की सूचना दी है। यह बुलेटिन में भी है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने गृह मंत्री जी से रिपोर्ट देने के बारे में कहा है। उसके आज मिलने की आशा है। बैठ जाइए।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम : अध्यक्ष महोदय, आपको सभा के निर्देशानुसार कार्य करना है । आपको सदस्यों की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए।

चीनी के उत्पादन शुल्क में कमी करने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE.* REDUCTION IN BASIC EXCISE DUTY ON SUGAR

वित्त, राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : महोदय, चीनी संबंधी एक उचित नीति तैयार करने का प्रश्न काफी समय से सरकार के विचाराधीन है। गन्ना उत्पादकों को उचित मूल्य मिलना चाहिए इसलिए गन्ने के न्यूनतम मूल्य की वर्तमान दर को बनाए रखने का प्रस्ताव है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी 2.15 रु० प्रति किलो की वर्तमान दर को रहने दिया जाएगा। फिर भी देश के हित में उत्पादकों को उचित मूल्य मिलना ही चाहिए। इसलिये चीनी पर शुल्क कम किया जाना है। सरकार ने अप्रतिबंधित चीनी की बिक्री पर उत्पादन शुल्क के यथा मूल्य $37\frac{1}{2}\%$ से घटा कर 20% करने और लेवी चीनी पर यथा मूल्य 10% से घटा कर $7\frac{1}{2}$ करने का निश्चय किया है। अप्रतिबंधित चीनी या लेवी चीनी के संबंध में यथामूल्य उत्पादन शुल्क $7\frac{1}{2}\%$ और 5% में कोई कमी नहीं की गई है।

मैं 15 नवम्बर, 1977 की दो अधिसूचनाएं संख्या 317 सी० ई० और 318/सी० ई० को भी सभा पटल पर रखता हूं। इनसे उन अधिसूचनाओं को प्रभावी किया गया है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये अतिरिक्त महंगाई भत्ते की किस्त मंजूर करने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE.* GRANT OF AN ADDITIONAL INSTALMENT OF DEARNESS ALLOWANCE TO CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES

वित्त, राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटल) : सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1 सितम्बर, 1977 से महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त की अदायगी का निश्चय किया

है। इस तथ्य को देखते हुये कि 12 महीने का औसत मूल्य सूचकांक अगस्त, 1977 में बढ़ कर 312 अंक पर पहुंच गया है, यह निर्णय लिया गया है। वर्तमान मंहगाई भत्ते का आधार 304 अंक है। इसलिए मूल्य सूचकांक बढ़ने पर सरकार ने मंहगाई भत्ता बढ़ाने की आवश्यकता अनुभव की ।

आपको याद होगा कि तीसरे वेतन आयोग द्वारा मंहगाई भत्ते के बारे में सरकार को की गई सिफारिश के अनुसार औद्योगिक कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की 12 महीने की औसत में 200 अंकों से प्रति 8 अंक बढ़ जाने पर विशिष्ट प्रतिशत की दर पर मंहगाई भत्ता दिया जाएगा। इस सूचकांक के 272 अंक तक पहुंचते-पहुंचते समय-समय पर 9 किस्तें दी गई थीं। तीसरे वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि यदि मूल्य सूचकांक 272 से आगे बढ़ता है तो सरकार स्थिति पर विचार कर निश्चय करेगी कि इस स्कीम को आगे बढ़ाया जाए या स्वयं वेतनमानों में संशोधन किया जाए।

औसत स्तर 272 अंक से बढ़ने के बाद 5 किस्तें दी गई। अप्रैल, 1976 में जब यह सूचकांक 312 से कम हो गया तो सरकार ने एक किश्त वापस ली ले। अब यह सूचकांक बढ़ने पर 1 किस्त दी जा रही है। जिससे 50 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष अधिक देने होंगे। चालू वित्त वर्ष के दौरान 25 करोड़ रुपए का व्यय-भार बढ़ेगा।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

RE. ADJOURNMENT MOTION

गांधी स्मृत के श्री दामोदरन नायर पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओ द्वारा कथित हमला

अध्यक्ष महोदय : श्री के० लकप्पा, श्री वसंत साठे और श्री सी० एम० स्टीफन, लोकसभा सदस्यों ने एक ही विषय अर्थात् गांधी स्मृति में एक गाइड श्री दामोदर नायर पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किये जाने के बारे में स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है। अभी मैंने इस पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा है।

इन प्रस्तावों पर विचार करने के बाद मेरा विचार है कि उनके आधार पर सभा की कार्यवाही स्थगित करने का कोई औचित्य नहीं है। प्रत्येक स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार की किसी गलती अथवा गम्भीर रूप से कर्त्तव्य में ढील के लिये उसकी निंदा करना होता है। इन प्रस्तावों में सरकार की किसी गलती का उल्लेख नहीं है। स्थगन प्रस्ताव कोई छोटी बात नहीं । इसके गंभीर परिणाम होते हैं। इस बारे में मैं अपने विचार नहीं प्रकट करना चाहता। इतना कहना काफी है कि प्रस्तावों में लगाये गये आरोप के आधार पर स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।

SHRI GAURI SHANKAR RAI (Gazipur) : Sir, I have a point of order. You are expected to give your ruling shortly after a notice for adjournment motion is given. If it is postponed for prima facie evidence the urgency will not be felt. Then there will be no meaning of any adjournment motion if a ruling is given after two days. I will request you to give your ruling immediately.

श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST SHRIMATI INDIRA GANDHI AND OTHERS

SHRI MADHU LIMAYE (Banka) : Mr. Speaker with your permission, I want to submit some facts before you.

श्री वसंत साठे (अकोला) : मेरा भी एक निवेदन है। यदि आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दे रहे हैं तो इसमें मेरा नाम भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मेरा नाम पहले नम्बर पर है।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : खड़े हुए।

SHRI MADHU LIMAYE : Mr. Speaker, to save the time of the House I want to submit that some time back I . . . (*Interruption*).

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें सभा में पेश करने की अनुमति दी है। इसके दो तरीके हैं। पहला तो यह है कि अध्यक्ष इसे स्वीकार करके सीधे विशेषाधिकार समिति को सौंप सकता है और दूसरा तरीका यह है कि अध्यक्ष इसे सभा में पेश करने की अनुमति दे सकता है।

श्री सी० एम० स्टीफन : मेरा कहना यही है कि आप इसकी अनुमति केवल तभी दे सकते हैं जबकि आप इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि यह विशेषाधिकार के भंग होने का प्रश्न है।

श्री मधु लिमये : मैं विशेषाधिकार के हनन और अपमान का प्रश्न उठाना चाहता हूं। यह मामला मुद्गल मामले से भी अधिक गंभीर है क्योंकि इसका संबंध भूतपूर्व प्रधान मंत्री जैसे व्यक्ति से है।

अध्यक्ष को मैंने जो पत्र लिखा है उसके तथ्य बहुत ही सरल हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी के पुत्र को एक आशय पत्र (जिसका समय कई बार बढ़ाया गया) जारी किया गया था और अंत में एक औद्योगिक लाइसेंस सस्ती और शत प्रतिशत देशी कार बनाने के लिये इस शर्त पर दिया गया था कि कोई आयात लाइसेंस नहीं मांगा जाएगा और इस कार के बनाने में किसी विदेशी मशीन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आरम्भ से ही मैंने इस परियोजना का विरोध किया और मुझे श्री संजय गांधी की कार निर्माण करने की योग्यता पर संदेह था। 1974 में मुझे ऐसी खबरें मिलने लगी कि मारुति लि० सरकार द्वारा निर्धारित और श्री संजय गांधी द्वारा स्वीकृत शर्तों का उल्लंघन कर रही है।

जब मुझे यह पता चला कि मारुति लिमिटेड ने बाटलीबोई एंड संस के द्वारा आयातित मशीनें प्राप्त कर ली हैं तो मैंने 1974 में लोकसभा के शीतकालीन सत्र में एक प्रश्न रखा। इस प्रश्न में मारुति की वर्ष 1973–74 की रिपोर्ट के पृष्ठ 16 और 17 का उल्लेख किया गया था और यह कहा गया था कि क्या वहां लगाई गई मशीनों के कल पुर्जे विदेशी हैं अथवा नहीं। यह प्रश्न बड़ी कठिनाई के बाद विकृत रूप में (आ० प्र० संख्या 4178 दिनांक 11–12–1974) स्वीकार किया गया। उसमें मेरा उल्लेख नहीं किया गया जिससे कि बड़ी आसानी से नाकारात्मक उत्तर दिया जा सके। फेर बदल किए गए प्रश्न में पूछा गया कि क्या मारुति की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि विदेशी मशीनें लगाई गई हैं। ऐसा प्रश्न करना सर्वथा बेकार है। यह फेर-बदल प्रधान-मंत्री सचिवालय द्वारा किया गया।

बाद में प्रश्न अपने मूल रूप में स्वीकृत हुआ और उसे 12–3–1975 को उत्तर देने के लिये रखा गया। फिर भी टालने वाला उत्तर दिया गया।

जब मैं आयातित मशीनों के बारे में परेशानी में डालने वाली जानकारी पाने का प्रयत्न करता ही रहा और जब अध्यक्ष ने अंत में प्रश्न को मूल रूप में स्वीकार कर लिया तो उद्योग मंत्री के सामने जांच कराने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं रहा। जब अधिकारियों ने मारुति से संबंध स्थापित किया होगा तो प्रधान मंत्री के पुत्र ने अपनी मां के सामने इसका कड़ा विरोध अवश्य किया होगा। श्रीमती गांधी बहुत क्रोधित हुई जैसा कि तत्कालीन उद्योगमंत्री श्री टी० ए० पाई ने शाह-आयोग के सामने बताया है। उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिये असाधारण कदम उठाए हैं और संसद के आदेश का पालन करते हुए आयातित मशीनों के बारे में जांच शुरू करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध बदले की कार्यवाही की।

ये अधिकारी क्योंकि संसदीय प्रश्न के उत्तर के लिये जानकारी एकत्रित कर रहे थे, इसलिये निश्चय ही संसद की सेवा में थे। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक को बुलाया गया और प्रधान मंत्री तथा अन्य लोगों द्वारा अधिकारियों पर लगाए गए झूठे और जाली आरोपों की जांच किए बिना केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने छापे मारे और तलाशी ली। अधिकारियों को तंग किया गया। एक अधिकारी श्री कविल को मुअत्तिल ही नहीं किया गया वरन् केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उसकी पत्नी को भी तंग किया। इस पूरे मामले की अमानवीयता और सत्ता के दुरुपयोग के अलावा मुख्य प्रश्न यह है कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने संसद् सदस्य और समूचे सदन के अधिकारों, विशेषाधिकारों का घोर अपमान किया।

श्री वसंतसाठे (अकोला) : जब आपने नियम 224 के अन्तर्गत अपना विनिर्णय दे दिया है तो मैं विशेषाधिकार के प्रश्न की ग्राह्यता की शर्तों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस नियम के अनुसार वह प्रश्न किसी विशिष्ट मामले से संबंधित होना चाहिए और वह हाल ही में घटित मामला हो। यह बात पिछली सरकार के शासन के दौरान की है। इसके अतिरिक्त यह मामला शाह आयोग की जांच आधीन में है। यह पुराना मामला है, जिसे कि विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में नहीं उठाया जा सकता···· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जहां तक किसी मामले के हाल ही में घटित होने का सम्बन्ध है, इसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। यदि अतीत में घटित कोई मामला बाद में प्रकाश में आता है तो उस पर विचार किया जा सकता है।

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : I have also given notice for raising a question of breach of privilege. If this House is not allowed to function properly and if there are any obstacles in the way of Members getting correct answers to their questions, it constitutes a breach of privilege. My motion of breach of privilege is against Shrimati Indira Gandhi, Shri R. K. Dhawan and Shri D. Sen, Director, C.B.I. for abstructing, harassing and instituting false against some officers who wanted to collect information, for giving a correct answer before the House.

प्रो० पी० जी मावलंकर (गांधीनगर) मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूं (व्यवधान)

नियम 224 के उप नियम (1) में कहा गया है:—

"उसी दिन की बैठक में एक प्रश्न से अधिक प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे।"

श्री लिमये ने मारुति लिमिटेड के बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है। अध्यक्ष महोदय मेरी बात को मानना न मानना आप पर निर्भर करता है.... (**व्यवधान**)

जो विशेषाधिकार का प्रश्न श्री गुप्ता ने उठाया है, उसे वह कल या परसों उठा सकते हैं। क्योंकि उसी विषय पर अन्य सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

SHRI KANWAR LAL GUPTA: According to May's Parliamentary Practice any act or ommission which obstructs or impedes either House of Parliament in the performance of its functions or which obstructs or impedes any Member or officer of such House in the discharge of his duties or which has a tendency directly or indirectly to produce such results may be treated as a contempt, even though there is no precedent of the offence. According to this definition all the three were guilty of breach of privilege and contempt of the House.

So far as Shrimati Indira Gandhi's involvement is concerned, it is clearly proved by what the Former Heavy Industry Minister T.A. Pai deposed before the Shah Commission. He stated that Mrs. Gandhi was "upset and furious" over the action of the officials who, he thought were doing their legitimate duty in collecting material in respose to a Parliament question. In Mr. Pai's presence, Mrs. Gandhi had called her Additional Private Secretary, Mr. R. K. Dhawan, and told him to ask the C.B.I. Director to start inquiries against the official and raid their houses.

According to Shri Pai the action against the officials was 'vindictive' and he had done his best to protect them to the extent he could. Mr. Pai alleged that it looked that his Ministry was under a seige for some time. What was being done to the officials was an effort to blackmail and demoralise everybody to present them from carrying on their normal duties.

As regards Shri R. K. Dhawan's involvement in his inconclusive testimony before the Shah Commission, Mr. D. Sen former C.B.I. Director, said he had ordered the investigations on the basis of the information provided by Mr. R. K. Dhawan, the Additional Private Secretary to the then Prime Minister who had started that Mrs. Gandhi had received the complaints from some M.Ps. and others.

Mr. Speaker as Shri T. A. Pai directly or indirectly tried to obstruct... (*interruption*)

We were in the jail for 18th months. At that time these offences did not come in light . . . (*Interruption*).

Thus there is a *prima facie* case of breach of privilege against these persons and so the matter should be sent to the privileges Committee.

श्री यशवन्तराव चवहाण (सतारा) हम संसद के विशेषाधिकारों के बारे में उतने ही गंभीर हैं, जितने कि माननीय प्रस्तावक। किन्तु इस विशेष मामले में मेरे अपने कुछ ऐसे विचार हैं, जिन्हें मैं अपने तक ही सीमित रखूंगा। हम वास्तविक स्थिति को सामने नहीं रख रहे हैं.... (**व्यवधान**)

यह विशेषाधिकार का प्रश्न कुछ वक्तव्यों पर आधारित है जो कि शाह आयोग के समक्ष रखे गए हैं। आयोग को अभी अपना प्रतिवेदन भी देना है। आयोग को इस मामले में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर दिए बिना तथा समाचार पत्रों में छप रही खबरों के आधार पर संसद् को अपना विचार रखने के लिए कहना मुझे गैर न्यायिक लगता है।

श्री मधु लिमये : क्या आप आपत्ति कर रहे हैं ?···· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में है, कृपया वे अपने अपने स्थान पर खड़े हो जायें । 25 सदस्यों से अधिक खड़े हुए हैं अतः अनुमति दी जाती है । दूसरा प्रश्न यह है कि क्या इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये या सभा इस पर स्वयं विचार करेगी?

SHRI MADHU LIMAYE : I move "that the question of breach of privilege and contempt of the House against Smt. Gandhi and others be referred to the Committee of privileges with instructions to report within a period of six months."

After obtaining two-third majority Smt. Indira Gandhi tried to mutilate the procedures of this House and took away the rights of the House. Lok Sabha Secretariat had become a puppet in the hands of Prime Minister's Secretariat. Which question should be accepted, what answer is given and all other things were decided by Prime Minister's Secretariat and not by Lok Sabha Secretariat. As a result the sanctity of this House . . . (*interruption*). The people removed her . . . (*interruption*).

श्री सी० एम० स्टीफन : भूतपूर्व अध्यक्ष के आचरण के बारे में श्री लिमये ने जो कुछ कहा है, उसके बारे में मैं उनके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न पेश करता हूं ·· (**व्यवधान**) मैं इसे लिखित रूप में दूंगा।

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है···· (**व्यवधान**)

SHRI DINEN BHATTACHARYA (Seeranpur) : He is a big Chamacha.

श्री के० लकप्पा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है···· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता नहीं ऐसा किसने कहा है (**व्यवधान**)

श्री कंवर लाल गुप्ता : चमचा का कार्य अनुयायी से है···· (**व्यवधान**) यह गैर संसदीय शब्द नहीं है।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती : यदि कोई तथ्य पर वक्तव्य देता है···· (**व्यवधान**) यह गैर संसदीय शब्द नहीं है···· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : "चमचा" शब्द गैर-संसदीय है।

श्री सी० एम० स्टीफन : नियम 226 के साथ पठित नियम 225 के अनुसार माननीय प्रस्तावक को भाषण देने का अधिकार नहीं है । वह केवल वक्तव्य दे सकते हैं।

हमारे सामने दो प्रश्न हैं । क्या सभा उस पर निर्णय लेगी । नहीं लेगी, क्योंकि सभा के सामने यह प्रश्न है कि मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये। यदि सभा विचार करती है कि मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये तो प्रक्रिया के अनुसार किसी अन्य सदस्य का भाषण जरूरी नहीं । यदि सभा प्रस्ताव पर विचार करने का निर्णय लेती है तो प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य सदस्यों को भी बोलने की अनुमति मिलनी चाहिये। इस सम्बन्ध में उनके पूर्वाहरण हैं । एक ही कार्यवाही में एक सदस्य को 2 बार बोलने की अनुमति नहीं मिलती । आपने माननीय सदस्य के प्रस्ताव को अनुमति दी है । इस पर भाषण की अनुमति

भी दी गयी है । अब प्रक्रिया के अनुसार दूसरे भाषण को अनुमति नहीं दी जानी चाहिये थी। अब माननीय सदस्य को भाषण देने का कोई अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में निर्णय देने का अधिकारी केवल सभा को ही है । यदि नियम 225 के अन्तर्गत अनुमति दी जाती है तो सभा यह निर्णय लेगी अथवा इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपेगी । अतः इस बारे में सभा ही निर्णय लेगी।

श्री सी० एम० स्टीफन : आप मेरी बात नहीं समझे । प्रश्न यह है कि क्या माननीय सदस्य उसी प्रस्ताव पर पुनः बोल सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक भिन्न प्रस्ताव है । क्या इस समिति को सौंपा जाये अथवा सभा में ही चर्चा की जाये।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् समय दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The House re-assembled after lunch at 14.00 *hours of the Clock.*

श्रीमती इंदिरा गांधी तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न—जारी

QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST SHRIMATI INDIRA GANDHI AND OTHERS—*Contd.*

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

SHRI MADHU LIMAYE : A long speech is not required on my motion. Full facts have not come before the Shah Commission and it is the duty of the Privilege Committee to find out these facts.

There was great fraud in altering the contents of my unstarred question No. 4175 answered on 11th December, 1974. The Secretariat and the Industry Ministry completely changed this question without my consent. It was also alleged that the then Prime Minister's Office had directed that all such questions should go to her.

Mr. Speaker, the then Prime Minister decided the questions which were to be admitted.

अध्यक्ष महोदय : मेरे कार्यालय में प्रश्न बदलने के बारे जो शिकायतें आयी हैं, उनके बारे जाँच की जा रही है।

SHRI MADHU LIMAYE : That is a different issue but what I want to say is that the frauds committed by the former Prime Minister in the matter of distarting the question should be looked into by the Privilege Committee. Shah Commission is not supposed to look into this fraud.

I wrote so many letter to the Secretariat but no satisfactory reply was ever received.

I want the purification of each and every institution of democracy. Lok Sabha, Judiciary and Civil Services should also the purified, otherwise our democracy will not survive.

SHRI RAMANAND TIWARI (Buxar) : Not only democratic institutions but politicians should also be purified.

SHRI MADHU LIMAYE : I say that entire politics should be purified.

The former Minister of Industries Shri T. A. Pai told Shah Commission that it was at the instance of a furious Mrs. Indira Gandhi that the C.B.I. started proceedings against four officials enquiring the affairs of Maruti Limited.

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : नियम 225 के अन्तर्गत एक पूरे भाषण की आवश्यकता नहीं होती । इन्हें राजनैतिक भाषण देने का कोई अधिकार नहीं है।

सभापति महोदय : इसका निर्णय सभा ने करना है । मैं श्री मधु लिमये से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी बात सक्षेप में कहें।

SHRI MADHU LIMAYE: I want that this matter should be referred to the Privilege Committee, which should go into its depth. Joint Secretary Shri TANDAN used to handle parliament questions in the Prime Minister's Secretariat during those days. Apart from the inhumanity of the whole affairs and apart from the balatant abuse of powers, the pertinent question in this connection is the gross contempt committed by the former Prime Minister of the rights, privilege and immunities of Members of Parliament and of the whole House.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi-Sadar) : This is not a battle between Congress and Janta Party because this is not a party issue. The main question pertains to the privilege of the House and future of democracy. I moved this resolution only with these things in mind. It must be taken as warning against the wrong doers. Therefore it should not be taken on party lines.

The former Prime Minister reduced the Parliament to a mockery and got many laws passed with a view to protect her own position.

Shri Sanjay Gandhi cannot be isolated from this issue. He was very much active in manipulating things which resulted in reducing the stature of Parliament and its privileges. Therefore I press for referring this issue the Privilege Committee.

The Privileges Committee will go into the matter. It will call Indiraji and others for giving evidence and decision taken subsequently will be binding on all.

श्री सी० एम० स्टीफन (इदुकी) : मेरा एक निवेदन है । विशेषाधिकार प्रस्ताव की विषय वस्तु हमारे पास नहीं है । जब तक हमें विषय की जानकारी नहीं तब तक हम कुछ नहीं कह पायेंगे । या तो हमें श्री मधु लिमये के पत्र की प्रति सप्लाई की जाये या उसे कल के लिये स्थगित किया जाये । इस दौरान प्रस्ताव की एक प्रति परिचालित की जाये ताकि हम मामले पर विचार कर सकें और वाद-विवाद में भाग ले सकें।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पर वाद-विवाद कल तक स्थगित किया जाता है।

श्री सी० एम० स्टीफन : कृपया इस दौरान श्री मधु लिमये और श्री कंवर लाल गुप्त द्वारा पेश किये विशेषाधिकार प्रस्ताव की एक प्रति हमें सप्लाई की जाये । मैं प्रस्ताव का पाठ जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कल के बुलेटिन में हम श्री मधु लिमये और श्री कंवर लाल गुप्त द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव प्रकाशित करेंगे । मुझे भेजा गया कोई भी पत्र अन्य सदस्यों को

परिचालित नहीं किया जायेगा। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो मैं वह दिखा सकता हूं। मैं श्री सौगत राय को बताना चाहता हूं कि नियमानुसार जब किसी सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया जाता है तो उस पर उसकी टिप्पणी मांगी जाती है। मैंने उनकी टिप्पणी मांगी है। इसकी आज प्राप्त होने की आशा है।

श्री निर्मल चन्द्र जैन (सिवनी) : मेरा एक निवेदन है। सभा इस पर कल तक चर्चा स्थगित करने के लिये सहमत हो गई है। मेरा कहना यह है कि प्रस्ताव में 'श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम के बाद और 'अन्य' शब्द से पूर्व श्री धवन और श्री डी० सेन के नाम जोड़े जायें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। सभा ने पहले इस प्रस्ताव पर वाद-विवाद कल तक स्थगित कर दिया है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

जैसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकता के वर्ष 1976-77 के और दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1974-76 के कार्यकरण और वार्षिक प्रतिवेदन और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत दिनांक 27-6-77 की अधिसूचना संख्या सां० आ० 406 में शुद्धि

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI LARANG SAI) : On behalf of Shri George Fernandes I beg to lay the following papers on the Table of the House :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(1) (एक) जैसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण को सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जैसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थांलय में रखा गया। **दखिये** संख्या एल० टी०—1044/77]

(2) (एक) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी०—1045/77]

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० आ० 643 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

की एक प्रति, जो दिनांक 29 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 21 जून, 1977 की अधिसूचना संख्या सां० आ० 406 (ङ) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी०—1046/77]

21-3-74 को समाप्त हुई अवधि के लिए दिल्ली परिवहन निगम के प्रमाणीकृत लेखें और विलम्ब सम्बन्धी विवरण

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली सड़क परिवहन निगम के 31 मार्च, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(2) उपर्युक्त दस्तावेज सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण । [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी०—1047/77] ।

नागरिक अधिकार संरक्षण नियम, 1977, आयुध (संशोधन), नियम, 1977 और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (दूसरा संशोधन) नियम, 1977

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : श्री धनिक लाल मंडल की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 16ख की उपधारा (2) के अन्तर्गत नागरिक अधिकार संरक्षण नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 1 अक्तूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3006, में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी०—1048/77]

(2) आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत आयुध (संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 17 सितम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० नि० 1198 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी०—1049/77]

(3) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा, (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (दूसरा संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 8 अक्तूबर 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1325 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 1050/77]

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 के अधीन अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : मैं अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:--

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) संशोधन विनियम, 1977 जो दिनांक 29 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 544 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) आठवां संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 29 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 545 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन और अपील) दूसरा संशोधन, नियम, 1977, जो दिनांक 30 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 983 में प्रकाशित हुए थे।

(4) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नौवां संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 3 अगस्त, 1977 जो भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 549 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(5) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) बारहवां संशोधन विनियम, 1977 जो दिनांक 22 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सा० सां नि० 586 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) चौदहवां संशोधन विनियम, 1977, जो दिनांक 23 अगस्त 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 588 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(7) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दसवां संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 23 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 589 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(8) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 1977 जो दिनांक 25 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 591 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(9) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 25 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 592 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(10) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) तीसरा संशोधन विनियम, 1977 जो दिनांक 12 सितम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 607 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(11) अखिल भारतीय सेवाएं (पेंशन कम्यूट कराना) संशोधन विनियम, 1977 जो दिनांक 17 सितम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1197 में प्रकाशित हुए थे।

(12) भारतीय वन सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 1 अक्तूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1285 में प्रकाशित हुए थे।

(13) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) ग्यारहवां संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 1 अक्तूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1286 में प्रकशित हुए थे।

(14) भारतीय वन सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) तीसरा संशोधन विनियम, 1977 जो दिनांक 5 अक्तूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 631 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(15) भारतीय वन सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 5 अक्तूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 632 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(16) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) पन्द्रहवां संशोधन विनियम, 1977 जो दिनांक 8 अक्तूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1323 में प्रकाशित हुए थे।

(17) भारतीय पुलिस सेवा (विशेष भत्ता) नियम, 1977 जो दिनांक 18 अक्तूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 649(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(18) अखिल भारतीय सेवाएं (अध्ययन छुट्टी) संशोधन विनियम, 1977 जो दिनांक 22 अक्तूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1393 में प्रकाशित हुए थे।

(19) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) सत्रहवां संशोधन विनियम, 1977 जो दिनांक 28 अक्तूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 654 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(20) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) बारहवां संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 28 अक्तूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 655(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(21) भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) तीसरा संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 29 अक्तूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1431 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1051/77]

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGE FROM THE RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देता हूं :—

'कि 14 नवम्बर, 1977 की अपनी बैठक में राज्य सभा ने बेतवा नदी बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1977, पास कर दिया है ।'

बेतवा नदी बोर्ड (संशोधन विधेयक
BETWA RIVER BOARD (AMENDMENT) BILL

सचिव : मैं बेतवा नदी बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1977, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, सभा पटल पर रखता हूं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

तमिलनाड/पांडिचेरी में हाल के समुद्री तूफान से फसलों तथा सम्पत्ति को हुई क्षति

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर कृषि और सिंचाई मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और उन से इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं :—

"तमिलनाडु और पांडिचेरी के तटीय जिलों में हाल के समुद्री तूफान से फसलों तथा सम्पत्ति को हुई क्षति तथा सरकार द्वारा इस समय प्रभावित व्यक्तियों को दी गई सहायता और किये गये उपचारात्मक उपाय"

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : तमिलनाडु राज्य सरकार तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार स्थिति नीचे दी गई है :—

सारे तमिलनाडु राज्य में 10 नवम्बर, 1977 से भारी वर्षा शुरू हुई, जिसके फलस्वरूप भयंकर समुद्री तूफान आया, जो 12 नवम्बर, 1977 को प्रातः 2.30 बजे से प्रातः 7.00 बजे तक बहुत ही प्रचण्ड रहा। नागापट्टिनम तथा थंजावुर, तिरुचिरापल्ली, मदुराई, पट्टुक्कोटाई और दक्षिण अर्काट जिलों के कई अन्य भागों में बिजली की सप्लाई तथा संचार की सुविधाएं अस्त-व्यस्त हो गईं। तिरुचिरापल्ली एरोड बड़ी लाइन का अमरावती रेलवे पुल बह गया। नागापट्टिनम तथा उसके इर्द-गिर्द के ताल्लुकों में पुलिस विभाग की रेडियो व्यवस्था भी पूरी तरह ठप्प हो गई। अनेक जलाशयों, कावेरी तथा कोलरुन नदियों और अन्य छोटी नहरों के किनारों में दरारें पड़ने से सड़कों आदि को क्षति पहुंची है। अनेक मकान ढह गये हैं। मनुष्यों और पशुओं, बोए गए क्षेत्रों तथा अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति को हुई क्षति अभी निर्धारित की जानी है।

मुख्य मंत्री ने खाद्य मंत्री और संबंधित अधिकारियों के साथ एक हवाई सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण से पहले धारणा यह बनी है कि क्षति काफी विस्तृत क्षेत्र में हुई है और राज्य सरकार

11—868 LSS/77

को जान और माल की भारी हानि होने की आशंका है। सेना, वायु सेना और अग्नि सेवा तथा पुलिस कार्मिक राहत और बचाव के सभी कार्यों में सहायता दे रहे हैं। राजस्व मण्डल के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों के राहत कार्यों में समन्वय स्थापित कर रहे हैं। नागापट्टिनम और तिरुचिरापल्ली में वितरण के लिए 14 नवम्बर, 1977 तक मद्रास से हवाई जहाज द्वारा और उसके बाद सड़क द्वारा लगभग 30,000 डबल रोटियां भेजी जा चुकी हैं। पीने का पानी मुहैय्या करने, हैजे से बचाव के लिये टीके लगाने और शीघ्र ही फिर से बिजली और संचार व्यवस्था कायम करने के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं, क्योंकि इनके अभाव में राहत कार्यों में बाधा पड़ रही है। सेना, नौसेना और गैर-सरकारी एजेंसियों की नौकाओं और सभी सरकारी एजेंसियों तथा सेना की मोटर गाड़ियों को भी उपयोग में लाया गया है। उजड़े हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है और उन्हें खाद्य पदार्थ और पीने का पानी उपलब्ध किया जा रहा है। वायु सेना और नौसेना के हैलीकाप्टरों का अगम्य भागों में राहत कार्यों के लिए खाद्य पदार्थ आदि पहुंचाने में उपयोग किया गया है। राज्य सरकार इस स्थिति पर पूर्ण निगरानी रख रही है और 12 से 27 अक्तूबर, 1977 तक वर्षा के लम्बे दौरों से, जिसके फलस्वरूप मद्रास शहर और रामनाथपुरम जैसे जिलों में बाढ़ें आई, और उसके बाद इस समुद्री तूफान से उत्पन्न हुई स्थिति का सामना करने के लिए केन्द्रीय सहायता मांगने का विचार कर रही है। मौसम विज्ञान विभाग ने 16 तारीख की शाम से मौसमी परिस्थितियों के प्रभावित होने पर भारी वर्षा होने और 17-18 नवम्बर, 1977 को तमिलनाडु के समुद्र पट पर इससे अधिक प्रचण्ड एक अन्य समुद्री तूफान की भविष्यवाणी की है।

पांडिचेरी और कारीकल क्षेत्रों में आवासीय मकानों और मछली पकड़ने वाले गांवों को क्षति पहुंची है और लगभग 70.000 एकड़ धान की फसल जल मग्न हो गई है। इन क्षेत्रों में 32 यंत्रीकृत मत्स्यन नौकाएं लापता हैं। पांडिचेरी प्रशासन को अभी तक मानव जीवन की हानि के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। समुद्री तूफान से प्रभावित हुए लगभग छः से सात हजार व्यक्तियों को शरण-स्थलों में रखा गया है और उन्हें सामुदायिक रसोइयों से खाना दिया जा रहा है।

केन्द्रीय सरकार इस स्थिति पर निगरानी रख रही है और वह राज्य सरकार के अनुरोध पर सब सम्भव सहायता देगी। राज्य सरकार के अनुरोध पर एक केन्द्रीय दल राज्य का दौरा करेगा और यह दल ऐसी सहायता के लिए विशेष प्रस्ताव करेगा।

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर): इस राज्य में वर्ष 1952, 1955, 1961 और अब फिर समुद्री तूफान आये हैं। पहले इसका प्रभाव कम था। परन्तु अब बहुत अधिक है। तूफान से तंजावूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरै, पुडुकोटाई, दक्षिण आर्काट और रामनाथपुरम जिले तथा पांडिचेरी प्रभावित हुए हैं। मंत्री महोदय की रिपोर्ट के अनुसार 70,000 एकड़ फसल जलमग्न है, 200 व्यक्तियों की जानें गई हैं और हज़ारों लोग बेघर हो गये हैं। जिन लोगों की मृत्यु हुई है और जो बेघर हो गये हैं उन्हें मुआवजा दिये जाने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। जब कभी तूफान आते हैं तो किसानों को सबसे अधिक हानि होती है। उनकी फसल चली जाती है और उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। इसलिये फसल बीमा योजना चालू की जानी चाहिये। सरकार न तो मुआवजा दे रही है और न ही

फसल बीमा योजना लागू कर रही है । सरकार ने कहा है कि वे वहां एक दल भेज रहे हैं। परन्तु मेरा यह कहना है कि दल भेजने से पूर्व केन्द्र द्वारा अन्तरिम राहत दी जानी चाहिये। पहले दल भेजकर हानि का पता लगाना और फिर कुछ देने वाली बात ठीक नहीं है । उन्हें तुरन्त सहायता की जरूरत है । अतः केन्द्र सरकार तदर्थ रूप में कुछ करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत करे, उसके बाद वहां दल भेजा जाये और क्षति का पता लगाया जाये और फिर अतिरिक्त धन दिया जाये । यदि तूफान की गहनता का पता पहले लग जाता तो कुछ हानि को बचाया जा सकता था । मौसम सम्बन्धी एक संस्था वहां स्थापित की गई है परन्तु वहां उचित उपकरण नहीं हैं । अतः वहां उपकरण सप्लाई किये जायें । लोगों की रक्षा के लिये अन्य उपाय भी किये जाने चाहियें।

श्री भानुप्रताप सिंह : वायु सेना, नौसेना और अन्य तमिलनाडु सरकार की राहत कार्यों में सहायता कर रहे हैं । 152 लाख रुपये की राशि तमिलनाडु सरकार को सीमान्त धन के रूप में दी गई है । इस प्रकार का सीमान्त धन देने का उद्देश्य तूफान, बाढ़, सूखे आदि विपत्तियों का मुकाबला करना है ताकि तुरन्त आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके । तमिलनाडु सरकार ने अपने टेलक्स सन्देश में कहा है :

"केन्द्रीय दल आज से एक सप्ताह के अन्दर भेजा जाये।"

वे दल का तुरन्त भेजा जाना नहीं चाहते । फिर भी तीन मंत्री जायेंगे।

श्री सी० एन० विश्वनाथन (तिरुप्पात्तूर) : टेलक्स सन्देश कब प्राप्त हुआ ?

श्री भानु प्रताप सिंह : यह अभी-अभी प्राप्त हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने फसल बीमा, किसानों को मुआवजा देने और मौसम सम्बन्धी प्रणाली को सुधारने के बारे में पूछा है।

श्री भानु प्रताप सिंह : इन सभी बातों पर विचार किया जाएगा परन्तु कोई भी व्यक्ति तूफानों को रोक नहीं सकता । फसल बीमा इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है। हम मौसम सम्बन्धी सेवाओं का सुधार करने का प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : फसल की हुई हानि के लिये किसानों को मुआवजा देने के बारे में आपका क्या विचार है ? क्या यह बात आपके विचाराधीन है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : जी हां ।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मैं मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य और उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हूं । लोगों के प्रति कुछ न्याय किया जाना चाहिये।

इस तूफान से आठ जिलों और साथ लगे संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी को क्षति पहुंची है । मंत्री महोदय का वक्तव्य उत्तरदायित्वपूर्ण नहीं है । सरकार दक्षिणी राज्यों से भेदभाव बरत रही है ।

अध्यक्ष महोदय : आप अप्रत्यक्ष रूप से तमिलनाडु सरकार पर आरोप लगा रहे हैं।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : वहां पर हुई क्षति का अनुमान 2.25 करोड़ रुपए है। हजार से अधिक पशु मारे गये । एक लाख लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा है । लोग भारी कष्ट उठा रहे ह और आप कहते हैं कि आप स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं। तूफान का प्रभाव आगामी दो दिनों तक और पड़ेगा । तीस वर्ष में हुए विज्ञान के विकास के प्रति आज सरकार का रवैया विपरीत है।

सरकार को मौसम कार्यालय से अग्रिम जानकारी प्राप्त करनी चाहिए थी और बचाव कार्यों की व्यवस्था करनी चाहिए थी । अभी तक कोई भी मंत्री घटनास्थल तक नहीं गया । पूरे दक्षिण में रेल सेवाएं ठप्प पड़ी हैं । मंत्री महोदय का यह कथन सही नहीं कि 200 व्यक्ति मारे गय हैं।

अध्यक्ष महोदय : सरकार ने वही जानकारी दी है जो तमिलनाडु सरकार ने भेजी है। आप अप्रत्यक्ष रूप से तमिलनाडु सरकार की आलोचना कर रहे हैं । इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती ।

श्री के० लकप्पा : मुझे पता है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्यों के प्रति उपेक्षा बरती है। क्या सरकार भेद-भाव के बर्ताव से राष्ट्रीय एकता लाना चाहती है ? क्या आप इससे सहमत हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं ।

श्री के० लकप्पा : आप कृपया सरकार को चेतावनी दें । संचार साधन भंग हो गयें हैं। लोगो को दवाईयां उपलब्ध नहीं हो रहीं । पीने का पानी भी नहीं मिल रहा । हैजा जैसे रोग फल रहें है । लोगों को खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं हो रहे।

अध्यक्ष महोदय : आप भाषण दे रहें हैं । आप केवल जानकारी के लिये प्रश्न पूछ सकते हैं ?

श्री के० लकप्पा: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वह इस वारे में क्या कार्यवाही कर रहे हैं । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप यह कागज मंत्री महोदय को दे दें।

श्री के० लकप्पा : मंत्री महोदय द्वारा रेल, डाक-विभाग, सड़कों, पुलों को पहुंची क्षति की जानकारी नहीं दी गई है । क्या मंत्री महोदय स्पष्ट आश्वासन देंगे कि लोगों को पर्याप्त आवश्यक वस्तुएं दी जायेंगी तथा दक्षिणी राज्यों से भेदभाव नहीं बरता जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा सुझाव है कि सरकार एक संसदीय शिष्टमंडल वहां पर भेजे, जो कि वहां की स्थिति का अध्ययन करके रिपोर्ट दे।

श्री भानु प्रताप सिंह : तमिलनाडु सरकार के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता गया । हम उन्हें हर प्रकार की सहायता देने को तैयार हैं । वैसे माननीय सदस्य ने झूठे आरोप लगायें हैं।

श्री के० टी० कोसलराम (तिरुयेंडुर) : मेरा संबन्ध तिरुयेंडुर से है।

'हिन्दु' में समाचार छपा है कि एक गांव के 2,000 लोग लापता हैं । 10 तारीख से यह विपत्ती छाई हुई है । आज 16 तारीख है । सरकार ने तमिलनाडु राज्य से पूरी उपेक्षा बरती है । राज्य सरकार तो फिर भी कुछ कर रही है । सरकार स्पष्ट रूप से बताये कि राज्य के लोगों के कष्ट निवारण के लिए उन्होंने क्या किया है ? रेलों के पुल टूट चुके हैं । रेलें बंद हैं । प्रधान मंत्री ने कहा है कि उन्होंने एक लाख रुपया दिया है।

'हिन्दु' ने मरने वाले व्यक्तियों की संख्या दी है । वहां के लोगों ने जनता पार्टी को मत नहीं दिये इसलिये आप उनसे ऐसा बर्ताव कर रहें है । न तो सरकार ने कोई कार्यवाही की है और न भविष्य में करने की सोच रही है । मंत्री महोदय वहां जाकर स्थिति का अध्ययन करना चाहिये ।

1960 में जब रामेश्वरम अलग-अलग हो गया था उस समय भारत सरकार की पूरी शक्ति राहत कार्य में लगी हुई थी । 1973 में 22 करोड़ रुपए दिये गये थे । मंत्री महोदय स्पष्ट बतायें कि अब क्या किया जा रहा है।

केवल मंत्री महोदय के वहां जाने से काम नहीं चलेगा । अधिकारियों को भी वहां जाना चाहिए तथा तुरन्त राहत कार्य करने चाहिएं।

श्री भानु प्रताप सिंह : सेना के तीनों अंग राहत कार्य में लगे हुए हैं । हम खाद्य पदार्थ दे रहे हैं।

श्री के० टी० कोसलराम : कितनी मात्रा में ?

श्री भानु प्रताप सिंह : हम राज्य सरकार से सम्पर्क बनाये हुए हैं । उन से परामर्श के पश्चात और राहत कार्य किये जा सकते हैं।

मृतकों की संख्या के बारे में समाचार पत्रों में विभिन्न आंकड़े दिये गये हैं तथा राज्य सरकार के आंकड़े पृथक हैं । हम राज्य सरकार के आंकड़ों पर अधिक विश्वास कर सकते हैं । हम निरन्तर राज्य सरकार से सम्पर्क बनाय हुए हैं । जो भी सहायता मांगी जायेगी वह हम देंगें ।

अध्यक्ष महोदय : अब यह राज्य सरकारों का दायित्व है कि वह धन की मांग करें।

श्री सी० एम० स्टीफन : क्या सरकार अग्रिम सहायता भेजेगी।

श्री एम० कल्याण सुन्दरम : यह प्राकृतिक विपदा असमान्य है । तमिलनाडु सरकार ने जो जानकारी दी है उसमें कहा गया है कि यह जानकारी अपूर्ण है। उन्होंने अपने बयान में बताया है कि तंजवूर में 2000 से अधिक व्यक्ति लापता हैं । कहा नहीं जा सकता कि वे मारे गये हैं अथवा नहीं । मेरा सुझाव है कि हम सदन की ओर से तमिलनाडु के लोगों के लिए सहानुभूति व्यक्त करें । यह दलगत मामला नहीं माना जाये।

अध्यक्ष महोदय : यह बात सही है ।

श्री एम० कल्याण सुन्दरम : इतनी भारी क्षति पर सरकार ने इतने दिनों तक क्या किया है । उनके लिए वांशिगटन, टोकियो आदि जाना और वापस आना सरल है।

मैं सरकार से यही चाहता हूं कि तुरन्त सभी प्रकार की सहायता दी जाये । 4 वर्ष से निरन्तर हम सूखे से पीड़ित रहते रहे हैं । धन के बिना कार्य करना अत्यन्त कठिन है । मैंने अपने 68 वर्ष के जीवन में ऐसी आपदा नहीं देखी।

श्री के० गोपाल के निर्वाचन क्षेत्र में पुल वह गये हैं । मैं आज रात अपने निर्वाचन क्षेत्र जा रहा हूं । मैं कह नहीं सकता कि मैं जा कर अपने लोगों को मिल सकूंगा । आधे से अधिक तमिलनाडु राज्य में संचार साधन नहीं हैं । बिजली और पानी भी उपलब्ध नहीं है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

मैं जानना चाहता हूं कि मौसम विभाग को सुदृढ़ करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है । क्या विज्ञान की प्रगति की इतनी बुरी दिशा है कि भविष्यवाणी न की जा सके । मछुओं को कोई पूर्व चेतावनी नहीं दी गई । मेरा सुझाव है कि एक उच्च शक्ति सम्पन्न तकनीकी समिति का गठन किया जाये जो स्थिति का अध्ययन करे ताकि इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम तथा भविष्य में उनसे बचाव के कार्य किये जा सकें।

केवल धन से ही काम नहीं चलेगा । लाखों लोग बेघर हो गए हैं । सरकार को उन्हें मकान बनाने के लिए धन देना चाहिए । जिन मछुओं की किश्तियां डूब गई हैं उनकी क्षति पूर्ति की जानी चाहिए । उनके पुनर्वास के लिए पूरे प्रयत्न किये जाने चाहिएं । दवाइयां तथा कपड़े भी बिना मूल्य वितरित किये जाने चाहिए । सेना को वहां पर तम्बू इत्यादि लगा कर सहायता करनी चाहिए । तत्कालीन सहायता कार्य तथा दीर्घकालीन योजना भी आवश्यक है । संसदीय शिष्टमंडल की यात्रा से लोग खुश होंगें तथा संसद को स्थिति का सही ज्ञान प्राप्त होगा।

श्री भानु प्रताप सिंह : मैंने जो भी जानकारी दी है वह अन्तिम नहीं है । यह टेलीफोन द्वारा तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत पर आधारित है । राहत कार्य राज्य का विषय है । जैसे ही हमारे पास मांग प्राप्त होगी हम उस पर तुरन्त कार्यवाही करेंगे।

श्री जी० एम० बनतवाला (पौन्नानी) : मंत्री महोदय ने तमिलनाडु तथा पांडिचेरी के साथ भेद-भाव बरते जाने से इन्कार किया है । यह अत्यन्त शोचनीय है कि तूफान के इतने दिन बाद तक भी शासक दल का कोई भी मंत्री राज्य के दौरे पर नहीं गया है । सरकार स्पष्ट आश्वासन दे कि सभी बेघर हुए व्यक्तियों को पूरी तरह बसाया जायेगा। अगले 24 घंटे में 3 मंत्री तमिलनाडु जा रहे हैं । मंत्रियों की इस यात्रा को संसदीय शिष्ट मण्डल में क्यों नहीं बदल दिया जाता?

श्री आर० मोहनरंगम (चेंगलपुट्ट) : इतनी अधिक देरी यदि उत्तर दक्षिण का प्रश्न नहीं है तो और क्या है ? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सदस्यगण एक साथ बोलते हैं तो इसे कार्यवाही वृतान्त में नहीं लिया जायेगा।

श्री भानु प्रताप सिंह : मुझ से पूछा गया है कि क्या सभी क्षतियों की पूर्ति की जायेगी । ऐसा नितान्त सम्भव नहीं है । अमरीका जैसे धनी देशों में भी ऐसा नहीं हो सका ।

श्री के० लकप्पा : यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप त्यागपत्र दे कर चले जायें । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब वह जो कुछ भी कहते है उसे कार्यवाही वृन्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

श्री भानु प्रताप सिंह : मैंने अधिकतम राहत का वचन दिया है । पूरी तरह पुर्नावास सम्भव नहीं है । निश्चय ही उत्तरी राज्यों से अधिक सहायता दी जायेगी । जैसे ही हमें राज्य सरकारों से मांगें प्राप्त होंगी तुरन्त सहायता भेजी जायेगी ।

कार्य मंत्रागण समिति का प्रतिवेदन

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

छठा प्रतिवेदन

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

गैरसरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMNITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

छठा प्रतिवदन

निर्मल चन्द्र जन (सिबनी) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

11वां प्रतिवेदन

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : मैं भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 1974-75 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (रेल), में सम्मिलित रेलवे परिचालन और आय संबंधी पैराग्राफों पर लोक लेखा समिति का 11वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

समिति के लिये चुनाव

ELECTION TO COMMITTEE

लोक लेखा समिति

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से सर्वश्री शिव नारायण और जगदम्बी प्रसाद यादव के स्थान पर, जो राज्य मंत्री नियुक्त होने पर लोक लेखा समिति

के सदस्य नहीं रहे, समिति की शेष कालावधि के लिये समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से सर्वश्री शिव नारायण और जगदम्बी प्रसाद यादव के स्थान पर, जो राज्य मंत्री नियुक्त होने पर लोक लेखा समिति के सदस्य नहीं रहे, समिति की शेष कालावधि के लिये समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : निर्वाचिन प्रक्रिया बुलेटिन में घोषित कर दी जायेगी।

नियम 377 के अधीन मामले

MATTERS UNDER RULE 377

(एक) पंजाब में राजनैतिक पार्टियों के कार्यालयों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा हाल में मारे गये छापे

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मैं नियम 377 के अधीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला सदन में उठाना चाहता हूं। गत दो या तीन महीनों के दौरान हमारे दल के कार्यालय पर केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा अनेक बार छापे मारे गये हैं। जनता पार्टी का राजनीतिक संस्थाओं के प्रति जो व्यवहार रहा है उससे सम्पूर्ण देशवासियों का सिर लज्जा से झुक गया है। राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर छापे मारना गैर कानूनी तथा जनविरोधी कार्य है। अभी हाल ही में पंजाब सतर्कता विभाग ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर छापा मारा। क्या जनता पार्टी की यह कार्यवाही पूर्णतया अनुचित तथा आपतिजनक नहीं है? मैं समझता हूं कि जब किसी राजनीतिक दल पर प्रतिबंध लगाया जाता है तभी सरकार को उसके कार्यालयों पर छापा मारने का अधिकार हो सकता है। मैं समझता हूं कि जनता सरकार ने कांग्रेस दल को बदनाम करने के लिए ही यह सब कुछ किया है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस प्रकार की कार्यवाही पूर्णतया अनुचित है। भविष्य में यदि आवश्यकता हो तो ऐसी कार्यवाही करने के लिए कुछ मार्गदर्शी निदेश बनाये जाने चाहियें तथा उनके बारे में सभी दलों को मिलकर विचार करना चाहिये।

(दो) अमरीकी ठेकेदारों द्वारा बम्बई क्षेत्र में एक भारतीय फर्म को दिया गया ड्रेबिंग सब कन्ट्रैक्ट

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : हम आये दिन ऐसी समस्याओं पर चर्चा करते रहते हैं जिनका आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्व नहीं है परन्तु आज मैं सदन के समक्ष एक ऐसा ममला प्रस्तुत करना चाहता हूं जिसका हमारे देश की अर्थ व्यवस्था से गहन तथा सीधा सम्बन्ध है। माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि बम्बई हाई में ब्राउन एंड रूट नामक

कम्पनी को ठेका दिया गया है। यह ठेका भूतपूर्व सरकार द्वारा दिया गया था तथा यह करार 730 लाख डालर के मूल्य का है । इस फर्म ने इस कार्य का अधिकांश भाग ई० एस० एस० ई० आर० नामक एक भारतीय कम्पनी को उप ठेके के रूप में दे दिया है । यह कम्पनी मद्रास में रजिस्टर्ड है । अब मेरा मुख्य प्रश्न यही है कि यदि कोई भारतीय फर्म इस कार्य के अधिकांश भाग को कर सकती थी तो फिर यह कार्य किसी अमरीकी फर्म के माध्यम से भारतीय फर्म को दिया जाने का क्या कारण या औचित्य है ? अब वस्तुस्थिति यह होगी कि उपठेके की अधिकांश धनराशि अमरीकी ठेकेदार फर्म अपने पास रख लेगी । अतः इस पैसे को विदेशी मुद्रा के रूप में विदेश जाने से रोका जा सकता था । अतः क्या मंत्री महोदय यह स्पष्ट करेंगे कि यह ठेका विदेशी कम्पनी को क्यों दिया गया ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : मेरे मित्र श्री ज्योतिर्मय बसु तथ्यों तथा आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए सदन में प्रसिद्ध हैं । परन्तु सम्भवता यह पहली बार है जबकि आंकड़े प्रस्तुत करने में कुछ चूक कर गये हैं । उनकी जानकारी के लिए मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ब्राउन एंड रूट कम्पनी को 730 लाख डालर का ठेका नहीं दिया गया है अपितु उन्हें तो केवल 680 लाख डालर का ठेका दिया गया है । इसी प्रकार माननीय श्री बसु ने उपठेके की जो चर्चा की है, वह उपठेका भी केवल 40 लाख डालर का है । यद्यपि यह ठेका एक भारतीय फर्म को दिया गया है परन्तु फिर मैं यह और स्पष्ट कर दूं कि यह फर्म नार्वे के सहयोग से अपना कार्य करेगी । सदन की जानकारी के लिए मैं और स्पष्ट कर दूं कि ब्राउन एंड कम्पनी ने मंत्रालय से यह अनुरोध भी किया है कि उन्हें उपठेके सम्बन्धी धनराशि का भुगतान रिजर्व बैंक के माध्यम से रुपये में करने की अनुमति भी दी जाये । अतः माननीय सदस्य की यह धारणा कि विदेशी मुद्रा को रोकने के लिए उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है, गलत है । करार में सभी सम्बद्ध बातों की व्यापक रूप से व्याख्या कर दी गई है । ठेके के सभी शर्तों का दोनों पक्षों द्वारा सम्मान किया जा रहा है ।

सदन की जानकारी हेतु मैं यह और स्पष्ट कर दूं कि इस कार्य के लिये सम्पूर्ण विश्व से 7 कम्पनियों के टेंडर हमारे पास आये थे । प्राकृतिक तेल और गैस आयोग द्वारा इन सभी की उचित ढंग से छानबीन की गई थी तथा सभी पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुये ही यह कार्य ब्राउन एंड रूट कम्पनी को सौंपा गया था । यह कहना भी ठीक नहीं है कि ब्राउन एंड रुट कम्पनी को अधिक भुगतान किया जा रहा है । ब्राउन एंड रुट कम्पनी को यह कार्य देने का निर्णय वित्त मंत्रालय तथा यहां तक कि प्रधानमंत्री के साथ पूर्णतया विचार विमर्श करने के बाद लिया गया था।

श्री वेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : उपाध्यक्ष महोदय मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या नियम 377 के अधीन इस प्रकार से चर्चा की जा सकती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु ने नियम 377 के अन्तर्गत यह मामला उठाया है तथा मंत्री इसी नियम के अन्तर्गत अपना उत्तर दे सकता है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा : मैं रहा था कि टैंडर की शर्तों का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया गया है । हमें अन्तर्राष्ट्रीय प्रथाओं का सम्मान करना चाहिये । हमें इस

प्रकार के मामलों को इस ढंग से इस सदन में नहीं उठाना चाहिये जिससे कि अन्य देशों में हमारी गरिमा पर कोई आंच आये । मैंने इस चर्चा का उत्तर देना इस लिए उपयुक्त समझा है ताकि माननीय सदस्यों के मन में उत्पन्न आशंका का समाधान किया जा सके। मैं इससे सम्बद्ध सभी प्रपत्र श्री बसु को दिखाने के लिए तैयार हूं। दूसरे मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस सारे करार की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूं तथा मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं इस करार सम्बन्धी कार्यकरण के बारे में पूर्णतया संतुष्ट हूं । यदि ब्राऊन एंड रूट कम्पनी इस कार्य को 680 लाख डालर के ठेके में करने में सफल हो जाती है तो यह निश्चय ही संतोषजनक बात होगी। तथा हमें आशा है कि वह कम्पनी ऐसा करने में सफल होगी क्योंकि यह उसका भारत में पहला कार्य नहीं है । श्री बसु यदि चाहें तो और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझ से मिल भी सकते है।

अन्तर्देशीक वाष्प जलयान (संशोधन) विधेयक
INLAND STEAM-VESSELS (AMENDMENT) BILL

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चाँद राम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि 1917 के अन्तर्देशीय वाष्प जलयान अधिनियम में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ : "कि 1917 के अन्तर्देशीय वाष्प जलयान अधिनियम में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[श्री द्वारका नाथ तिवारी पीठासन हुए।
SHRI D. N. TIWARI *in the Chair*]

श्री चांद राम : श्रीमान जी विधेयक को पेश करने की आवश्यकता का उल्लेख तो कारणों और उद्देश्यों के विवरण में स्पष्ट कर दिया गया है । अन्तर्देशीय जल मार्गों सम्बन्धी भगवती समिति ने कुछ सिफारिशें की थीं । हमने इन सिफारिशों पर सम्बद्ध राज्य सरकारों तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन निगमों के साथ विचार बिमर्श किया है । मूल रूप से अधिनियम में जो कुछ त्रुटियां रह गई हैं, उन्हें पूरा करने के उद्देश्य से ही यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है । जब 1917 में मूल अधिनियम बनाया गया था तो उस समय वाष्प से चलने वाले जलयान हुआ करते थे । परन्तु अब समय बीतने के साथ-साथ मशीन से चलने वाले जलयान भी काम में लाये जा रहे है । यही कारण है कि अब हमने इस विधेयक का शीर्षक बदल दिया है । इसके साथ ही अब यात्रियों के बीमें की व्यवस्था सम्बन्धी उपबन्ध भी जोड़ दिया गया है। साथ ही इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को वित्तीय सहायता देने सम्बन्धी उपबन्ध भी जोड़ दिया गया है । वर्तमान व्यवस्था के अनुसार बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के पास जलयान गिरवी रखे जा सकते है । अतीत म राज्य सरकारों का दरों के बारे में झगड़ा हो जाया करता था। प्रस्तुत विधेयक में यह व्यवस्था है कि यदि कोई इस प्रकार का झगड़ा होगा तो इसमें केन्द्र सरकार को निर्णय देने का हक होगा। पहले दुर्घटनाओं के कारण मार्ग अवरुद्ध हो जाने से अनेक कठिनाईयां उत्पादन हो जाया करती थीं, अब इस त्रुटि को दूर करने का भी उपबन्ध कर दिया गया है । इन शब्दों के साथ मैं विधेयक सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं ।

श्री बी० पी० कदम (कनारा) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । 1917 का अन्तर्देशीय वाष्प जलयान अधिनियम अब बहुत पुराना हो चुका है क्योंकि प्रौद्योगिक के विकास से वाष्प जलयान प्रायः समाप्त ही हो गये हैं और उनका स्थान तेल से चलने वाले जलयानों ने ले लिया है । विधेयक का उद्देश्य अधिनियम के शीर्षक को बदल कर अन्तदशीय वाष्प जलयान (संशोधन) अधिनियम, 1977 करना है जो कि उपयुक्त ही है । इस विधान के द्वारा कई परिवर्तन लाये गये हैं । जलयानों को गिरवी रखकर वित्तीय सहायता ली जा सकती है । विभिन्न कारणों से अवरुद्ध हुए जल मार्गों को साफ करने के लिये भी उपबन्ध किया गया है । यात्रियों को मुआवजा देने का भी उपबन्ध किया गया है । बीमा सुविधाओं में वृद्धि की गई है । अनुशासन के स्तर को बढ़ाने का प्रयास भी सराहनीय है ताकि कोई भी इंजीनियर अथवा कर्मचारी अपनी मनमर्जी से जलयान को छोड़ न दे या अनुपस्थित न रहे और लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो । माल तथा यात्री अपने गन्तव्य स्थानों पर समय पर और ठीक पहुंचें । इससे जन और धन की हानि का कम खतरा होना चाहिये और यह लोगों की आम आर्थिक दशा के अनुकूल होना चाहिये । भगवती समिति के प्रतिवेदन का भी उल्लेख किया गया है । पश्चिमी तट पर जून से अक्तूबर के महीनों के दौरान भारी वर्षा होती है । नदियों में प्रायः बाढ़ आ जाती है जिससे वहां गाद जमा हो जाती है । इसके बारे में सरकार क्या कर रही है ? जल मार्गों के अवरुद्ध होने पर उन्हें साफ करने के लिये मंत्री महोदय ने इस विधेयक में एक उपबन्ध प्रतिस्थापित किया है जिसके अनुसार आवश्यकता पड़ने पर मार्ग को विस्फोट द्वारा भी साफ किया जा सकेगा । दुर्भाग्य से नदियों में गाद जमा हो जाती है और जल परिवहन में समस्याएं तथा रुकावटें पैदा हो जाती है । इस समस्या पर ध्यान दिया जाना चाहिये । भगवती समिति के प्रतिवेदन और इस विधेयक के उद्देश्य को अवश्य पूरा किया जान चाहिये ।

सूपा और लोनडोआ खानें काली नदी के बहुत निकट हैं । यहां पर लगभग 200 मिलियन टन लौह अयस्क के भण्डार बताये जाते हैं । करवर बन्दरगाह को जोड़ने वाली कोई रेल लाइन नहीं है । सूपा और लोनडोआ से करवर तक काली नदी के साथ-साथ लैह अयस्क के परिवहन से अन्तर्जल परिवहन का भारी विकास हो सकता है । इसके लिये यातायात सर्वेक्षण किया जाना चाहिये । यह क्षेत्र कालीनदी पन बिजली परियोजना के अन्तर्गत आता है । लगभग 48 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाली सूपा वेल्ट 3 या 4 वर्ष में जलमग्न हो जायेगी । इस क्षेत्र में जमा लौह अयस्क निकाली जानी चाहिये और उसका निर्यात किया जाना चाहिये । इससे लोगों को रोजगार मिलेगा । यदि लौह अयस्क को शीघ्र नहीं निकाला गया तो यह जलमग्न हो जायेगा । इसके अलावा हम इससे विदेशी मुद्रा भी कमा सकेंगे । अतः भगवती समिति की इस सिफारिश को लागू किया जाना चाहिए ।

गोआ में लौह अयस्क काफी मात्रा में उपलब्ध । है यह नदियों से भलि भांति जुडा हुआ है । मुख्य पुल 6 या 7 वर्ष पहले टूट गया था । इस पुल को पुनः बनाया जाना चाहिये । पश्चिमी तट की सभी नदियों से काई निकाली जानी चाहिये । गोआ से सड़क परिवहन नाम मात्र कर दे रहा है । मुझे विश्वास है कि वे इस मामले में सरकार का सहयोग करेंगे । सरकार को इस विधेयक के उद्देश्य की पूर्ति हेतु पूरा प्रयास करना चाहिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : गैर सरकारी ब्रिटिश रेलवे के आगमन से देश में अन्तर्देशीय जल परिवहन प्रणाली प्रायः नष्ट ही हो गई । ब्रिटिश रेलवे गैर सरकारी लोगों के हाथों में थी और उन्होंने हमारी इस परिवहन प्रणाली को नष्ट कर दिया । गत तीस वर्षों के दौरान भी अन्तर्देशीय जल परिवहन प्रणाली के विकास के लिये सरकार ने कुछ नहीं किया ।

भगवती समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि परिवहन के इस साधन पर सड़क परिवहन की तुलना में बहुत ही कम लागत आती है फिर भी सड़क परिवहन दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है । अशोधित तेल का संकट चारों ओर है और हम अपने देश में इतने महत्वपूर्ण परिवहन को, जिसमें सब से कम ऊर्जा प्रयुक्त होती है, उपेक्षा कर रहे हैं । मूल्यों पर नियंत्रण पाने की बात की जा रही है । 1970 में हमने एक सर्वेक्षण किया था और हमें यह पता चला कि 600 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी के लिये यदि जल परिवहन से यात्रा की जाये तो लागत 2.5 पैसे प्रति दस किलोमीटर बैठती है जबकि सड़क परिवहन के मामले में लागत में अत्यधिक वृद्धि हुई है । अतः हमें परिवहन के इस साधन को प्रोत्साहन देना ही चाहिये था । लेकिन ऐसा नहीं किया गया । अब प्रश्न यह है कि एक राष्ट्रीय समेकित और समन्वित परिवहन नीति की घोषणा की जाये । सरकार ऐसी राष्ट्रीय समेकित और समन्वित परिवहन नीति घोषित करने के मामले में इसलिये चुप है क्योंकि सड़क परिवहन वाले तबके का उस पर दबदबा है और वह दिल खोल कर पैसा लुटा रहे हैं । इसलिये ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोग चुप हैं ।

जल परिवहन को जानबूझ कर सुनियोजित ढंग से हतोत्साहित किया जा रहा है और जिन लोगों को इस परिवहन का कार्यभार सौंपा हुआ है वह भी इसमें रुचि नहीं ले रहे ।

अतः एक राष्ट्रीय समेकित समन्वित परिवहन नीति घोषित करने के लिये प्रयास किये जाने चाहियें और परिवहन प्रणाली को ऐसा बनाना चाहिये जिसमें परिवहन लागत न्यूनतम आये । भगवती समिति ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से कहा है कि देश के महत्वपर्ण जलमार्गों के रख-रखाव की जिम्मेदारी सरकार पर है । परन्तु हुआ क्या ? हमने कुछ सिफारिशें की थीं । परन्तु उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई । मुझे आशंका है कि जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक यह सरकार योजना बद्ध अर्थव्यवस्था नहीं बना सकती और मल्य वृद्धि को नहीं रोक सकती ।

SHRI L. L. KAPOOR (Purnea) : During the last 30 years, adequate attenion has not been paid to our inland steam-vessels and no efforts have been made to modernise them. In the Bhagwati Committee's report it has been stated that we have got 30 thousand kilomtres of waterways in the country but we are not able to make proper use of them. We are not utilising properly our inland waterways, which has an adverse effect on our trade. Government should, therefore, pay some attention to improve our inland waterways.

There are several rivers flowing in Bihar, but neither the State Government nor the Central Government have taken any steps to make their best use. There are no adequate arrangements for transporting passengers or goods through these waterways. So, Government should pay some attention to this aspect. The private ferry operators exploit the passengers and harass the public. In view of the welfare of the people of Bihar, more financial assistance should be given to the State of Bihar, so that inland waterways and rivers can be used more effectively.

श्री वेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : यह बहुत हैरानी की बात है कि देश में अन्तर्देशीय जल परिवहन जोकि सबसे अधिक किफायती है, का विकास नहीं किया जा रहा है । भगवती आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि सड़क परिवहन के ईंधन की लागत जल परिवहन की तुलना में 26 गुना अधिक है । अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि जल परिवहन को पूरा प्रोत्साहन दिया जाये । परिवहन के अन्य साधनों के समक्ष जल परिवहन की उपेक्षा की गई है । जहा तक जल परिवहन के रख-रखाव का सम्बन्ध है, सड़क परिवहन पर इसकी तुलना में रख-रखाव पर चार-पांच गुना अधिक व्यय करना पड़ता है और रेलवे में प्रति किलोमीटर पर 9.6 गुना अधिक व्यय करना पड़ता है । इन सभी गुणों के बावजूद भी सड़क परिवहन जल परिवहन को पीछे छोड़ रहा है । परिवहन का सारा मामला परिवहन परिचालकों के हाथ में है और वे यह कोशिश कर रहे हैं कि न तो रेलवे में और न ही अन्तर्देशीय जल परिवहन में किसी किस्म का सुधार हो । 1950 से पहले उत्तर पूर्व क्षेत्र में अधिकांश व्यापार स्टीमरों के माध्यम से होता था । 1950 के बाद भी 90 प्रतिशत चाय और 80 प्रतिशत पटसन जल परिवहन के माध्यम से बाहर भेजा जाता था । लेकिन बाद में धीरे-धीरे इसमें कमी होने लगी और 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के बाद रख-रखाव एक दम छोड़ दिया गया और जलमार्ग का कोई उपयोग नहीं किया गया । यह बड़े दुःख की बात है।

हमारे संविधान में राष्ट्रीय सड़क परिवहनों, रेलवे इत्यादि की भांति राष्ट्रीय जल परिवहनों की भी व्यवस्था है लेकिन आज तक देश में किसी भी विशिष्ट मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित नहीं किया गया है । न जाने राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिये तथा उन्हें आधुनिक बनाने के लिये पुंजीनिवेश करना अभी तक सम्भव क्यों नहीं हुआ । मैं भगवती आयोग की इस बात से सहमत नहीं कि अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम कुछ आधुनिकीकरण कर रहा है । उन्होंने क्षमता का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया है । उन्होंने दरें कुछ इस प्रकार निर्धारित की हैं जोकि प्राइवेट संचालकों की दरों की तुलना में 25 गुना अधिक हैं । लगता है विभिन्न स्तरों पर उनकी सड़क परिवहन वालों से कुछ सांठ-गांठ है । यही कारण है कि समूचे उत्तर पूर्व क्षेत्र में जल परिवहन की बुरी तरह से उपेक्षा की गई है। गंगा--ब्रह्मपुत्र मार्ग को राष्ट्रीय जल मार्ग के रूप में घोषित किया जाना चाहिये । भगवती आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1970 में दिया था । उसके बाद आज तक स्थिति काफी तेजी से बदली है । 1971 में बंगलादेश आजाद हुआ । कलकत्ता से डिब्रुगड के बीच जल परिवहन चलाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि स्वयं बंगला देश जल परिवहन में रुचि रखता है । अतः इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं है । इसलिये सरकार को निश्चय ही इस मार्ग को राष्ट्रीय जल मार्ग के रूप में घोषित करना चाहिये।

SHRI GYANESHWAR PRASAD YADAV (Khagaria) : I support the Inland Steam Vessels (Amendment) Bill because it seeks to amend the old parent Act which was enacted as long back as in 1917. Our country has a large number of rivers which have not been utilised with a view to improving our inland water transport system. It is a matter of regret that on State except Kerala has taken steps to develop our inland water transport system. The Central Government allocates an amount of Rs. 6 to 7 lakhs every year to Bihar Government but nothing substantial has been achieved in the development of waterways in Bihar. The Bhagwati Committee has suggested that State Governments should also take effective steps to bring about the development of waterways. So far there has been no security for the passengers travelling by vessels. Now, it is a welcome feature of this

Bill that it provides security to these passengers also. The private ferry operators exploit the passengers and so, the Central Goernment should take measures to see that they do not harass the passengers.

A comprehensive legislation should be brought about with a view to removing the mismanagement of inland water transport system. It will be better if better security and more facilities are given to employees of Inland Water Transport Corporation through this Bill.

If inland water transport system is run effectively in all the states, it will reduce burden of road transport resulting in less number of road accidents and reduction in freight charges. Development of inland water transport is essential in order to reduce the burden on road transport.

श्री प्रसन्नभाई मेहता (भावनगर) : सरकार द्वारा लाया गया यह विधेयक स्वागत योग्य है, क्योंकि इसमें देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एक कानूनी उपबन्ध किया गया है। देश के पश्चिमी भाग में एक परियोजना, नामतः भोग्रा दहिज सेवा परियोजना काफी अरसे से विचाराधीन है। यह परियोजना भावनगर में स्थापित होने वाले मशीन टूल्स कारखाने के लिये भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इससे कारखाने में बनने वाले औजारों की लागत कम हो जायेगी। किसी भी उत्पादन में परिवहन लागत एक मुख्य बात होती है। यदि आप कैपिटल गुड्स तथां अन्य सामान की लागत कम करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि जहां जल परिवहन उपलब्ध है, वहां उसका उपयोग किया जाये।

इसे अभी तक मूर्त रूप नहीं दिया गया है। सरकार ने बार-बार कहा है कि यह परियोजना विचाराधीन है। मैं मंत्री महोदय से इसकी जांच करने और इसे यथाशीघ्र लागू करने के लिये अनुरोध करूंगा।

'भाल' नामक ग्रामीण क्षेत्र में एक छोटी नौका चलती है पर इसकी सेवाएं अनियमित हैं और कोई भी व्यक्ति इस ग्रामीण क्षेत्र के लिये यह नौका सेवा चलाने के लिए आगे नहीं आ रहा। अतः सरकार को इस मामले में पहल करनी चाहिये और इस ग्रामीण क्षेत्र के लिये एक पंजीकृत नौका देनी चाहिये ताकि उनकी अर्थ व्यवस्था सुधर सके। इससे सारे क्षेत्र को लाभ मिलेगा।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि इसमें कोई आपत्तिजनक बात है ही नहीं। हमारे देश में अन्तर्देशीय जहाजरानी की स्थिति बहुत खराब हो गई है। सेन्ट्रल इन्लैण्ड वाटर ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा की गई अनेक अनियमितताओं तथा अन्य गलतियों का यहां उल्लेख किया गया है। पूर्वी क्षेत्र में, जहां सड़क मार्गों का रखरखाव बहुत महंगा पड़ता है और बहुत कठिन है, अन्तर्देशीय जहाजरानी के लाभप्रद न होने का कोई कारण ही नहीं है।

यहां अन्तर्देशीय नदी बन्दरगाहों की श्रृंखला बनाना अत्यावश्यक है। कभी यह प्रस्ताव किया गया था कि फरक्खा पर गंगा नदी पर एक अन्तर्देशीय नदी बन्दरगाह की स्थापना की जायेगी। हाल में हुए फरक्खा समझौते के बाद हुगली नदी में अन्तर्देशीय जल परिवहन की अब कोई आशा नहीं रही है। जब तक गंगा जल सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या का हल नहीं

होगा, फरक्खा से समुद्र तट तक गंगा के दक्षिणी किनारों में ही नहीं बल्कि ऊंचे तटवर्ती क्षेत्रों में भी जल संचार का कोई भविष्य नहीं है। फरक्खा की ओर जल के बहाव से इस सम्पूर्ण क्षेत्र में जल परिवहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः मैं बंगला देश के साथ हुए हाल के समझौते का निरनुमोदन करता हूं। विदेशी और आन्तरिक दबाव में आकर यह समझौता करना केवल पश्चिम बंगाल के ही नहीं अपितु समूचे देश के हितों को बेच देना है। जब तक गंगा के जलमार्गों को पुनः चालू नहीं किया जाता तब तक इस देश में विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में अन्तर्देशीय जल परिवहन और जहाजरानी का कोई भविष्य नजर नहीं आता।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय ने केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम को बन्द कर दिया है। सुना गया है कि मंत्रालय में केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम को भी बन्द किये जाने का प्रस्ताव है। इस निगम में काफी अधिक संख्या में कर्मचारी काम करते हैं। हम सरकार द्वारा उठाये जाने वाले ऐसे किसी भी कदम का घोर विरोध करते हैं। हम इस निगम को बनाये रखना चाहते हैं और इसे और अधिक फलाफूला देखना चाहते हैं।

इस नये संशोधन में भगवती समिति की सिफारिशें पूर्ण रूप से लागू नहीं की गई हैं। बेहतर होता यदि मंत्रालय देश में अन्तर्देशीय जल परिवहन में सुधार करने के लिये भगवती समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों के अनुसार सभी आवश्यक संशोधन लाता। छोटे-छोटे परिवर्तन करने के बजाय एक मुश्त परिवर्तन लाना बेहतर होता। समूची अन्तर्देशीय जल परिवहन प्रणाली में आधार भूत परिवर्तन किया जाना आवश्यक है ताकि यह अच्छी तरह चल सके।

मैंने केवल पूर्वी भाग की बात कही है। परन्तु दक्षिण भारत और कुछ हद तक पश्चिम भारत में भी अन्तर्देशीय जल परिवहन की गुंजाइश है। परन्तु मुख्य जल मार्ग—गंगा और ब्रह्मपुत्र, पूर्वी क्षेत्र में है। अतः इन्हें विशेष रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिये। मैं मंत्री महोदय से तुरन्त कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं ताकि फरक्खा में मूल इन्लैंड बन्दरगाह स्थापित की जा सके और सुन्दरवन के निकट अन्तदशीय जल संचार व्यवस्था चालू की जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

[**श्री एम० सत्यनारायण राव** पीठासीन हुए
SHRI M. SATYANARAYAN RAO *in the Chair.*]

श्री पूर्ण सिन्हा (तेजपुर) : भारत जैसे नदियों वाले देश में अन्तर्देशीय जल परिवहन व्यवस्था संचार का अत्यन्त महत्वपूर्ण माध्यम है। चूंकि मैं पूर्वी भारत से आया हूं और ब्रह्मपुत्र के किनारे पर पला हूं इसलिये मुझे नदी जल परिवहन का व्यक्तिगत अनुभव तथा ज्ञान है। जिन दिनों संचार के साधन बहुत कठिन थे तब नदी जल परिवहन से ही दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के बीच सांस्कृतिक सम्पर्क बना हुआ था। दुर्भाग्यवश अब यह स्थिति बहुत चिन्ता-जनक है। ब्रिटिश स्वामित्व की इनलैंड रीवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी और रीवर स्टीम नेवी-गेशन कम्पनी ने मिलकर एक संयुक्त स्टीम कम्पनी बनाई थी और अनेक जहाज चलाये थे। केवल वाष्प जलयान ही नहीं अपितु अन्य प्रकार के जलयानों का आसाम और पूर्वी भारत में बने सामान को कलकत्ता ले जाने तथा वहां से और अधिक दूर ले जाने के लिये प्रयोग किया

जाता था। ये जलयान समुद्र/नदियों में अनेक किलोमीटर दूर तक निकल जाते थे और सभी कृषि उत्पादन कलकत्ता की मण्डियों में लाते थे। लेकिन 1965 के भारत-पाक युद्ध और केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम के बनने के बाद स्थिति बिगड़ गई। भारत सरकार द्वारा बनाये गये इस निगम ने उत्तरी और पूर्वी भारत में अन्तर्देशीय जल परिवहन व्यवस्था को नष्ट करने में ही योगदान दिया।

भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान अधिकांश चालू हालत में स्टीमर पूर्वी पाकिस्तान में ही छोड़ दिये थे। उन्होंने काम में आने वाले स्टीमर तो अपने देश में ही रख लिये और बेकार स्टीमरों को भारत की सीमा के अन्दर समुद्र में छोड़ दिया। केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम ने गत 10 वर्षों में 767 जलपोत लिये हैं और उनमें से 500 जलपोत नष्ट कर दिये हैं जिनका मूल्य करोड़ों रुपये है। निगम को प्रतिवर्ष 4 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है और अब तक इसे 27 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। इस निगम को सरकारी क्षेत्र में बनाये रखने का क्या औचित्य है? जितना शीघ्र इसे समाप्त किया जाये उतना ही अच्छा है। इसकी सभी आस्तियों को सम्बन्धित राज्य सरकारों को अपने अधिकार में कर लेना चाहिये। ये राज्य सरकारें अपने ही निगम बना सकती हैं या ये सेवाएं उनके परिवहन विभाग द्वारा अपने अधिकार में कर ली जानी चाहियें।

ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदी में डीजल चालित बड़े स्टीमरों पर जलपोतों की आवश्यकता है ताकि नदी में बाढ़ आने पर भी उनमें यात्री और सामान एक किनारे से दूसरे किनारे तक लाये जा सकें। इस वर्ष आसाम में बाढ़ से 175 व्यक्ति मरे हैं। परिवहन और नौवहन मंत्रालय को देश के पूर्वी क्षेत्र विशेषतया असाम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में नदी संचार व्यवस्था का विकास करने के लिये अधिकाधिक ध्यान देना चाहिये।

बिहार, आसाम और उत्तर प्रदेश में नौकाएं चलाने वाले 'नावी' जाति के लोग अब प्रायः लुप्त हो गये हैं। इन लोगों को नदी परिवहन से हटाकर खेती के लिये भूमि प्राप्त करने की ओर ले जाया जा रहा है। लेकिन इन्हें भूमि नहीं मिली है क्योंकि जो भूमि है वह उनके लिये पर्याप्त नहीं है। दूसरी ओर यदि अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम का विकास किया गया तो होवरक्राफट जैसे छोटे-छोटे जलपोतों का भी भलि प्रकार उपयोग किया जा सकता है जैसे कि यूरोप में किया जाता है।

जहां तक आसाम और कलकत्ता जैसी सेवाओं का सम्बन्ध है यदि पूर्ववर्ती आसाम-सुन्दरवन नदी स्टीमर सेवाएं फिर से चालू की जायें और हम बंगला देश के साथ फरक्का जैसा कोई समझौता कर लें तो यह दोनों देशों के लिये लाभदायक रहेगा।

जहां तक तेजपुर और सिलघाट में ब्रहमपुत्र पर पुल बनाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में बताया गया है कि क्योंकि यह राज्य मार्ग पर स्थित है इसलिये यह पुल राज्य सरकार द्वारा ही बनाया जाना चाहिये। लेकिन सेन्ट्रल आसाम में ब्रह्मपुत्र के दोनों तटों के बीच सम्पर्क स्थापित करने हेतु पुल परियोजना की लागत के लिये 27 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति सरकार द्वारा अभी तक नहीं दी गई है। इसपर ध्यान दिया जाना चाहिये।

बड़े दुःख की बात है कि चालक के अभाव में गोहाटी में एक ड्रैजर बेकार पड़ा हुआ है। नदी परिवहन व्यवस्था की इतनी अधिक-शोचनीय स्थिति है। मंत्रालय को इन सभी पहलुओं

पर विचार करना चाहिये तथा केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम में सेवा की भावना पैदा करने का प्रयास किया जाना चाहिये।

THE MINISTER OF STATE INCHARGE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM) : The Bill has been supported by all the sections of the House. The members who participated in the discussion made a number of suggestions for improving inland waterways and inland water transport. Our difficulty is that this subject falls within the jurisdiction of states. This Bill has been brought forward to help the State Goernments in overcoming the difficulties they are experiencing in efficient running of inland water transport.

Some hon. members said that we are not implementing all the recommendations of Bhagwati Committee. Barring one or two recommendations the Government has accepted all the recommendations of the Committee and this Bill is based on those recommendations. After the passage of this Bill the State Governments will be able to make use of the waterways in their States for inland transport. The Chief Minister of Bihar, Assam and Kerala informed me about their intentions to start certain services. The Central Government will help them.

Some hon. members made a reference to the Bhoga Dahej Serice. This servic is not entirely an inland water service. If any company wants to operate this service, the Central Government will give all help. If Inland Water Transport Corporation could run this service, the matter can be considered.

So far as suggestions made by members from Bihar are concerned, I am going to Patna on the 18th and will discuss any difficu'ty being faced by the State Government with them. There are about 126 Ships under Inland Water Transport. These ships are very old. They cannot operate for a long time. The inland water transport cannot render door to door service like trucks but there is no doubt that this transport is cheaper than road transport.

I want to reform the service of this transport. I am not satisfied with their working. The Chairman has resigned. His resignation has been accepted. We are going to appoint a new Chairman.

Inland Water Transport Corporation has suffered a loss of Rs. 16.19 crores since its formation. The reasons given for this loss do not appear to be convincing. We will make an all out efforts to reduce the quantum of this loss next year, if we are not able to wipe out the loss completely.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:—

"अन्तर्देशीय वाष्प जलयान अधिनियम 1917 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

***The motion** was adopted.*

सभापति महोदय : अब हम खंडवार विचार करते हैं। मैं सभी खंडों को रखता हूं। प्रश्न यह है:—

"कि खंड 2 से 34, खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 2 से 34, खंड 1 अधिनियम सूत्र तक तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 2-34,, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री चांद राम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है --

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजाजियों के आयुक्त के बीसवें, इक्कीसवें और बाइसवें प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये सेवाओं में आरक्षित किये गये पदों पर उनकी नियुक्तियों के बारे में चर्चा--जारी

Motion Re. *Twentieth, Twenty-first and Twenty-second Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Discussion on Employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Services against Reserved Quota*—Contd.

सभापित महोदय : अब सभा प्रो० मधु दंडवते के 28 जुलाई, 1977 के निम्नलिखित प्रस्ताव और तत्सम्बन्धी स्थानापन्न प्रस्तावों पर चर्चा करेगी :--

"कि यह सभा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के वर्ष 1970-71, 1971-72 तथा 1972-73 और 1973-74 के बीसवें, इक्कीसवें और बाइसवें प्रतिवेदनों पर जो क्रमशः 11 मई 1973, 28 अगस्त, 1974 और 5 मई, 1976 को सभा पटल पर रख गये थे विचार करती है।

और 28 जुलाई, 1977 को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित स्थानापन प्रस्ताव पर आगे चर्चा करती है:

"अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये सेवाओं में अरक्षित किए गये पदों पर उनकी नियुक्ति के बारे में आगे चर्चा।"

श्री टी० बालकृष्णय्या (तिरुपति) : देश की कुल जनसंख्या का पांचवां भाग अनुसूचित जातियों का है। 1971 की जनगणना में इनकी आबादी 12 करोड़ थी। हरिजनों की मुख्य समस्या सामाजिक तथा आर्थिक है।

रामानुजाचार्य तथा शंकराचार्य जैसे धार्मिक गुरुओं ने हरिजनों के पुनरोत्थान के लिये जीवन पर्यन्त कार्य किया। शंकराचार्य कहते थे कि ब्राम्हण भी चंडाल से सीख सकता है।

हिन्दु समाज बहुत पहले से ही अस्पृश्यता की कुप्रथा से ग्रस्त रहा है। लेकिन खेद है कि जाति प्रथा ने इस देश में सवर्ण हिन्दुओं में अस्पृश्यता की भावना पैदा की है । इस देश के

लगभग 12 करोड़ अभागे व्यक्ति अस्पृश्यता के शिकार हैं और उनके साथ जानवरों से भी बुरा व्यवहार किया जाता है।

दुर्भाग्यवश देश के उत्तरी भाग में हरिजनों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : गणपूर्ति नही है। केबिनेट स्तर का कोई भी मंत्री उपस्थित नहीं है।

सभापति महोदय : पांच मंत्री हैं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : केबिनेट स्तर का कोई मंत्री नहीं है। यह उचित नहीं है।

सभापित महोदय : यदि गणपूर्ति नही है तो गणपूर्ति की घंटी बजायी जाये--घंटी बजायी जा रही है।

सभापति महोदय : अब गणपूर्ति है।

श्री टी० बालकृष्णय्या : महात्मा गांधी ने अनुसूचित जाति के लोगों को हरिजन का नाम दिया और जीवन पर्यन्त उनके हितों के लिये लड़े। लेकिन दुर्भाग्यवश सत्ताधारी दल अनुसूचित जातियों और जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 46 में दी गई गारंटी का अतिक्रमण कर रहा है। पिछली सरकार द्वारा हरिजनों को दी गई भूमि अब सामन्त और ग्रामीण धनाढ्य उनसे वह भूमि जबरन छीन रहे हैं। सरकार ने उनको सुरक्षा देने के लिए क्या कदम उठाया है। प्रतीत होता है कि सरकार उनके कल्याण में रुचि नहीं रखती। जिला अधिकारी भी हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने में असमर्थ प्रतीत हो रहे हैं क्योंकि जागीरदारों को सत्तारूढ़ दल की सहानुभूति तथा संरक्षण प्राप्त है। आज भी हमारे देश में हरिजन भय और भूख से मुक्त नहीं हैं। विश्व की कुल जनसंख्या में 40 करोड़ लोग भुखमरी और गरीबी के शिकार हैं। लेकिन केवल हमारे देश में 60 करोड़ लोगों में से 10 करोड़ ऐसे लोग हैं जो हरिजन हैं और गरीबी और भुखमरी के शिकार हैं तथा उनके साथ घोर अत्याचार हो रहा है। क्या अपने उनके भय को दूर किया है और उन्हें अत्याचारों से मुक्त किया है? आप सुन्दरकली हाथी के लिये आयोग बना सकते हैं लेकिन बेलची में हुए हरिजनों की हत्या के लिये आप आयोग नहीं बना सकते। हरिजनों पर जो अत्याचार होते हैं उनका जिक्र न रेडियो में होता है और न ही समाचार पत्रों में। यह बात खेदजनक है।

सी० बी० आई० का कहना है कि ज्योंही हरिजन अपने अधिकारों के बारे में सचेत होते हैं त्यों ही उनके ऊपर अत्याचार बढ़ते जाते हैं। हमारे देश में जाति अपराधों का समाप्त होना असम्भव सा है क्योंकि पुलिस और अधिकारी स्वयं जाति भावनाओं से काम करते हैं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को सरकारी सेवाओं में अपेक्षित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। उनके लिए सुरक्षित पदों का कोटा भरा नहीं जा रहा है। विभिन्न पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की उपयुक्तता का उचित निर्धारण नहीं किया जाता है जिसके फलस्वरूप शिक्षित हरिजन

युवकों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इन जातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित रिक्त स्थान योग्यता के अनुसार इन्हीं जातियों के उम्मीदवारों में से ही भरे जाने चाहिएं। इन जातियों के कर्मचारियों को पदोन्नतियों में पूरा हिस्सा नहीं मिलता है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए अलग से मंत्रालय होना चाहिये। यह विषय गृह मंत्री के अधीन नहीं होना चाहिये बल्कि एक अलग मंत्री के अधीन होना चाहिए। जनता पार्टी की सरकार को अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए एक कार्यक्रम तैयार करना चाहिये।

SHRI KACHERULAL HEMRAJ JAIN (Balaghat) : Sir...

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें।

तत्पश्चात लोक सभा बृहस्पतिवार, 17 नवम्बर, 1977/26 कार्तिक, 1899 (शक) के ग्यारह बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, the 17th November, 1977/Kartika 26, 1899 (*Saka*)

868 LSS/77 24-1-78—GIPF.